



सत्यमेव जयते

वित्त लेखे खंड-1 2018-2019



लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



जम्मू एवं कश्मीर सरकार

**वित्त लेखे
खंड-।**

2018-2019

जम्मू एवं कश्मीर सरकार

व्याख्यात्मक ज्ञापन

वर्ष 2018-19 के लिए तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य के ये वित्त एवं विनियोग लेखे संसद में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति को प्रेषित किए जा रहे हैं।

जम्मू एवं कश्मीर राज्य पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, तथा जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के अनुसार, ये लेखे परवर्ती केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उप राज्यपालों को भी प्रेषित किए जा रहे हैं।



(इला सिंह)

स्थान: श्रीनगर/जम्मू

दिनांक: 31 अगस्त 2020

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख

विषय सूची

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र	पृष्ठ (iv-vii)
वित्त लेखे का मार्गदर्शन	(ix-xiv)

खंड-I

1	वित्तीय स्थिति का विवरण	2-3
2	प्राप्तियों तथा संवितरणों का विवरण	4-6
	अनुलग्नक क- रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश	7-9
3	प्राप्तियों का विवरण- (समेकित निधि)	10-14
4	व्यय का विवरण- (समेकित निधि) -	
	(क) कार्यकलाप के अनुसार व्यय	15-19
	(ख) प्रकृति के अनुसार व्यय	20-23
5	प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण	24-31
6	उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण	32-36
7	सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों का विवरण	37-41
8	सरकार के निवेशों का विवरण	42
9	सरकार द्वारा दी गई गारंटियों का विवरण	43
10	सरकार द्वारा दिए गए सहायता अनुदानों का विवरण	44
11	दत्तमत तथा प्रभारित व्यय का विवरण	45-46
12	2018-19 के अंत तक राजस्व लेखाओं के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग पर विवरण	47-49
13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के तहत शेषों का सारांश लेखाओं पर टिप्पणियाँ	50-51 52-79

विषय सूची-(जारी)

खंड-II

भाग-I	पृष्ठ
14 लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण	82-112
15 लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण	113-163
16 लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण	164-231
17 उधार एवं अन्य देयताओं का विस्तृत विवरण	232-243
18 सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण	244-260
19 सरकार के निवेश का विस्तृत विवरण	261-280
20 सरकार द्वारा दी गई गारंटियों का विस्तृत विवरण	281-284
21 आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा के संव्यवहारों का विस्तृत विवरण	285-301
22 चिह्नित शेषों के निवेशों पर विस्तृत विवरण	302-304
 भाग-II परिशिष्ट	
I वेतन पर तुलनात्मक व्यय	306-318
II सहायिकी पर तुलनात्मक व्यय	319-323
III राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता अनुदान/ आर्थिक सहायता (संस्थावार तथा योजनावार)	324-328
IV बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विवरण	329-330
V योजनाओं पर व्यय -	
(क) केंद्रीय योजनाएं (केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं तथा केंद्रीय योजनाएं)	331-336
(ख) राज्य योजनाएं	337-341

विषय सूची-(समाप्त)

भाग-II परिशिष्ट-(समाप्त)		पृष्ठ
VI	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय योजना निधियों का प्रत्यक्ष हस्तांतरण (राज्य बजट के अलावा दी गई निधियाँ) (अलेखापरीक्षित आँकड़े)	342-350
VII	शेषों की स्वीकृति एवं मिलान (जैसा कि विवरण 18 और 21 में दर्शाया गया है)	351-352
VIII	सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम	353
IX	सरकार की प्रतिबद्धताएं - ₹1 करोड़ या अधिक लागत वाले अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची	354-372
X	वेतन और गैर वेतन-भाग के वर्गीकरण के साथ अनुरक्षण व्यय	373-387
XI	वर्ष के दौरान सरकार के मुख्य नीतिगत निर्णय या बजट में प्रस्तावित नई योजनाएँ	388-389
XII	सरकार की प्रतिबद्ध देयताएं	390-391

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र

इस संकलन में 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार के वित्त लेखे समाहित हैं जो वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों तथा संवितरणों के लेखाओं सहित वित्तीय स्थिति को प्रस्तुत करते हैं। इन लेखाओं को दो खंडों में प्रस्तुत किया जाता है, खंड-1 में राज्य के वित्त की समेकित स्थिति शामिल है और खंड-1। लेखाओं को विस्तृत रूप में दर्शाता है। अनुदानों और प्रभारित विनियोगों हेतु वर्ष के लिए सरकार के विनियोग लेखाओं को पृथक संकलन में प्रस्तुत किया गया है।

वित्त लेखे, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किए गए हैं तथा इन्हें जम्मू एवं कश्मीर सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गए वाउचरो, चालानो तथा प्रारंभिक एवं सहायक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुए विवरणों से संकलित किया गया है। इस संकलन में विवरण (सं. 7, 8, 9, 19 तथा 20), व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ (विवरण सं. 5, 6 तथा विवरण सं. 2 का अनुलग्नक) तथा परिशिष्ट (IV, V, VI, VIII, IX, XI और XII) को जम्मू एवं कश्मीर सरकार/निगमों/कंपनियों/ सोसाइटियों, जो ऐसी सूचना की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं, से प्राप्त हुई सूचना के आधार पर तैयार किया गया है।

जम्मू एवं कश्मीर सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यरत कोषागारों, कार्यालयों तथा/ अथवा विभाग मुख्यतः प्रारंभिक तथा सहायक लेखाओं को तैयार करने तथा इनकी परिशुद्धता के साथ-साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू विधियों, मानकों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के लिए मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा 151 तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्यों, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार ऐसी लेखापरीक्षा के परिणाम के आधार पर अपना मत व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र रूप से कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के माध्यम से की जाती है। ये कार्यालय निश्चित संवर्ग, पृथक रिपोर्ट देने वाली प्रणालियों एवं प्रबंधन संरचना के साथ स्वतंत्र संगठन है।

लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम यह यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं तथा लेखापरीक्षा का निष्पादन करें कि लेखे महत्वपूर्ण गलत विवरण से रहित हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों तथा प्रकटनों से सुसंगत साक्ष्य के नमूना आधार पर जांच को शामिल किया जाता है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त अपेक्षित सूचना तथा स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार तथा दिए गए स्पष्टीकरणों पर विचार करते हुए, मैं अपने पूर्ण ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि व्याख्यात्मक 'लेखाओं को टिप्पणियों' के साथ पठित वित्त लेखे वर्ष 2018-19 के लिए जम्मू एवं कश्मीर सरकार की वित्तीय स्थिति तथा प्राप्तियों एवं संवितरणों की सही एवं स्पष्ट स्थिति प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान संचालित की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत ध्यान देने योग्य विषय 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले जम्मू एवं कश्मीर सरकार पर मेरे वित्तीय, अनुपालना तथा निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किए गए हैं।

अति महत्वपूर्ण प्रकरण

मैं अति महत्वपूर्ण प्रकरणों की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ जो कि इन लेखाओं की सत्यता, पारदर्शिता एवं समग्रता तथा लोक वित्त पर विधान के वित्तीय नियंत्रण बनाये रखने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं:-

1. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के स्वतः चलित संग्रह लागू होने के साथ, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखों के प्रमाणीकरण का सर्वैधानिक अधिकार पत्र पूर्ण करने के लिए, सभी संव्यवहारों की नमूना जांचों को एक विस्तृत जांच में परिवर्तित किया जाना लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक है। डाटा के लिए अपेक्षित उपलब्धता अभी भी दी जानी है। जीएसटी की प्राप्तियों की विस्तृत लेखापरीक्षा करने में जीएसटी के सभी संव्यवहारों से संबंधित डाटा की उपलब्धता नहीं होना एक रूकावट है। इसलिए एक बार अपवाद के रूप में, वर्ष 2018-19 हेतु लेखे नमूना जांच के आधार पर प्रमाणित किये जाते हैं जैसा कि किया जाता था जब रिकार्ड मैनुअल रूप में बनाए जाते थे।

2. ₹2,277.88 करोड़ के राजस्व प्रकृति के संव्यवहार (सहायता अनुदान, परिचालन एवं रखरखाव प्रभार, वजीफा तथा छात्रवृत्ति, सहायिकी, वेतन) पूंजीगत व्यय के रूप में बुक किए गए थे, परिणामस्वरूप इस सीमा तक राजस्व घाटे (₹4,859.26 करोड़) का कम आकलन किया गया।

3. वित्तीय वर्ष 2018-19 की समाप्ति से पूर्व तक भी सोलह सरकारी विभागों ने ₹2,712.32 करोड़ राशि के 273 विस्तृत आकस्मिक (डीसी) बिल प्रस्तुत नहीं किए थे तथा इसलिए यह आश्वासन नहीं दिया जा सकता है कि ₹2,712.32 करोड़ का उक्त उद्देश्य पर व्यय हुआ, जिसके लिए विधानमंडल द्वारा यह वास्तविक रूप से प्राधिकृत किए गए थे। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2017-18 तक आहरित ₹2,466.24 करोड़ राशि के 1,984 एसी बिल 31 मार्च 2019 तक भी बकाया थे। इस प्रकार ₹5,178.56 करोड़ राशि में सम्मिलित कुल 2,257 एसी बिल मार्च 2019 तक बकाया थे। अग्रिम आहरित किए गए तथा बढ़े हुए अपव्यय/ दुर्विनियोजन/ आदि की संभावना का अनुमान नहीं लगाया गया।

4. वर्ष 2018-19 के दौरान, ₹2,246.91 करोड़ राशि के 404 उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू.सी.) जो देय हो गए थे, 12 विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए सहायता अनुदान के प्रति राज्य के प्राधिकरणों तथा निकायों के द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इसके अतिरिक्त, ₹5,972.99 करोड़ राशि के 1,370 यू.सी. जो वर्ष 2017-18 तक प्रस्तुत करने हेतु देय थे, 31 मार्च 2019 तक भी बकाया थे। इस प्रकार ₹8,219.90 करोड़ राशि के कुल 1,774 यू.सी. 31 मार्च 2019 तक प्रस्तुति हेतु देय थे। इसलिए यह आश्वासन नहीं दिया जा सकता कि ₹8,219.90 करोड़ उक्त उद्देश्य पर व्यय हुए थे जिसके लिए यह विधानमंडल द्वारा वास्तविक रूप से स्वीकृत/ प्राधिकृत किए गए थे। यू.सी. का अधिकता में लंबित होना धोखाधड़ी तथा निधि के दुर्विनियोजन के जोखिम से भरा है।


5. 31 मार्च 2019 तक परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) के तहत कर्मचारियों के ₹421.61 करोड़ के कुल अंशदान के प्रति राज्य सरकार ने ₹423.88 करोड़ का योगदान दिया। 31 मार्च 2019 तक डीसीपीएस के तहत ₹904.90 करोड़ के कुल संग्रहण में से राज्य सरकार ने डीसीपीएस के प्रावधान के अनुसार नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) में अग्रिम निवेश हेतु ₹121.68 करोड़ का शेष छोड़ते हुए केवल ₹783.22 करोड़ हस्तांतरित किए। इस प्रकार एनएसडीएल में ₹121.68 करोड़ कम हस्तांतरित हुए और वर्तमान में देयता को भविष्य में आने वाले वर्षों के लिए आस्थगित कर दिया। राज्य सरकार एनपीएस शेषों को देरी से हस्तांतरित करने के कारण सामान्य भविष्य निधि अंशदाताओं को लागू तदनरूप ब्याज दरों पर ब्याज भुगतान के लिए उत्तरदायी है। हालांकि,

राज्य सरकार द्वारा उन निधि शेषों पर ब्याज भुगतान नहीं किया गया जिसे निर्धारित अवधि में एनएसडीएल/ ट्रस्टी बैंक को हस्तांतरित नहीं किया जा सका। इस प्रकार, कर्मचारियों से संबंधित निधि का गलत रूप से उपयोग होने और एनएसडीएल को राशि हस्तांतरित नहीं करने पर राज्य सरकार ने ब्याज देयता का सृजन किया तथा प्रभावित कर्मचारियों को देय लाभों के संदर्भ में अनिश्चितता सृजित हुई, अतः इस प्रकार योजना स्वतः ही सम्भाव्य असफलता की ओर अग्रसर हुई।

वर्ष 2018-19 के लिए जम्मू एवं कश्मीर सरकार की राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उक्त विषयों पर विस्तार से लेखापरीक्षा टिप्पणियां की गई हैं।

दिनांक: 3 अगस्त 2020

स्थान: नई दिल्ली



(राजीव महर्षि)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

वित्त लेखे का मार्गदर्शन

क. सरकारी लेखाओं के ढांचे का व्यापक विहंगावलोकन

1. जम्मू एवं कश्मीर राज्य के वित्त लेखे वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों तथा व्ययों के साथ ही राजस्व एवं पूंजीगत लेखाओं द्वारा प्रकट किए गए वित्तीय परिणाम, लोक ऋण के लेखाओं तथा लेखाओं में दर्ज शेषों से निकाले गए राज्य सरकार की देयताओं एवं परिसंपत्तियों को प्रस्तुत करते हैं।

2. सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं:

भाग-I: समेकित निधि: यह निधि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी लोक ऋण, ऋण तथा अग्रिमों (बाजार ऋण, बॉन्ड, केंद्रीय सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ, इत्यादि) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बढ़ाए गए अर्थोपाय अग्रिम तथा ऋणों के पुनर्भुगतान में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किए गए सभी धन को समाहित करती है। इस निधि से कानून एवं उद्देश्य के अनुसार तथा भारत के संविधान के द्वारा प्रदत्त तरीके के अतिरिक्त धन विनियोजित नहीं किया जा सकता है। व्यय की कुछ श्रेणियां (उदाहरण के लिए संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण पुनर्भुगतान इत्यादि) राज्य की समेकित निधि (प्रभारित व्यय) पर प्रभार होती है तथा विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) विधानमंडल द्वारा पारित होते हैं।

समेकित निधि में दो भाग शामिल हैं: राजस्व तथा पूंजीगत (लोक ऋण, कर्ज तथा अग्रिम सहित)। ये आगे 'प्राप्तियाँ' एवं 'व्यय' में वर्गीकृत हैं। राजस्व प्राप्तियाँ वर्ग तीन खंडों में विभक्त है, अर्थात् "कर राजस्व", "गैर-कर राजस्व", तथा 'सहायता-अनुदान एवं अंशदान'। ये तीनों खंड आगे उप खंडों में विभक्त होते हैं जैसे "आय तथा व्यय पर कर", "राजकोषीय सेवाएं", इत्यादि। पूंजीगत प्राप्तियाँ के भाग में कोई खंड अथवा उपखंड नहीं होता है। राजस्व व्यय भाग चार खंडों में विभक्त है अर्थात् "सामान्य सेवाएं", "सामाजिक सेवाएं", "आर्थिक सेवाएं", तथा 'सहायता अनुदान एवं अंशदान'। राजस्व व्यय वर्ग में ये खंड आगे उप खंडों में विभक्त हैं जैसे "राज्य के अंग" 'शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति' इत्यादि। "पूंजीगत व्यय भाग सात खंडों में उप-विभक्त है अर्थात् "सामान्य सेवाएं", "सामाजिक सेवाएं", "आर्थिक सेवाएं" "लोक ऋण", "ऋण तथा अग्रिम", "अंतर्राज्यीय निपटान" तथा "आकस्मिकता निधि में अंतरण"।

भाग-II: आकस्मिकता निधि: यह निधि एक अग्रदाय प्रकृति की है जिसकी स्थापना विधि के तहत राज्य विधानमण्डल द्वारा की जाती है तथा ऐसे अप्रत्याशित व्यय जिनका राज्य विधानमंडल द्वारा प्राधिकरण लंबित हो और जिनके अग्रिमों की पूर्ति हेतु राज्यपाल के विवेकाधीन रखी जाती है। निधि को राज्य की समेकित निधि से संबंधित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष को व्यय डेबिट करते हुए पूरित किया जाता है। वर्ष 2018-19 के लिए जम्मू एवं कश्मीर सरकार की आकस्मिकता निधि ₹ एक करोड़ है।

भाग-III: लोक लेखा: सरकार द्वारा अथवा सरकार की ओर से प्राप्त अन्य समस्त लोकधन, जहां सरकार एक बैंकर अथवा ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, लोक लेखाओं में जमा होती है। लोक लेखा में प्रतिदेय जैसे लघु बचत एवं भविष्य निधियां, जमाओं (ब्याज वाली एवं बिना ब्याज वाली), अग्रिम, आरक्षित निधियां (ब्याज वाली एवं बिना ब्याज वाली), प्रेषण तथा उचंत शीर्ष (दोनों जो अस्थायी शीर्ष है, अंतिम बुकिंग लम्बित है) शामिल हैं। सरकार के पास उपलब्ध निवल रोकड़ शेष भी लोक लेखाओं के अंतर्गत सम्मिलित होता है। लोक लेखाओं में छः खंड सम्मिलित हैं अर्थात् "अल्प बचत", 'भविष्य निधि' आदि, "आरक्षित निधियां", "जमा एवं अग्रिम", "उचंत एवं विविध", "प्रेषण" तथा "रोकड़ शेष"। ये खंड आगे उप खंडों में विभक्त होते हैं। लोक लेखा विधानमण्डल के मत का विषय नहीं है।


3. सरकारी लेखे छह स्तरीय वर्गीकरण के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाते हैं, अर्थात् मुख्य शीर्ष (चार अंक), उपमुख्य शीर्ष (दो अंक), लघु शीर्ष (तीन अंक), उप-शीर्ष (दो वर्ण), विस्तृत शीर्ष (दो से तीन अंक) तथा वस्तु शीर्ष (दो या तीन अंक)। मुख्य शीर्ष सरकार के कार्यों का घटक है, उपमुख्य शीर्ष उप कार्यों, लघु शीर्ष कार्यक्रम/कार्यकलापों, उप शीर्ष योजनाओं, विस्तृत शीर्ष उपयोजनाओं तथा वस्तु शीर्ष व्यय के अभिप्राय/ उद्देश्य का घटक है।

4. लेखाओं में वर्गीकरण की मुख्य इकाई मुख्य शीर्ष है जिसमें निम्नलिखित कोडिंग तरीका शामिल है (मार्च 2017 तक संशोधित मुख्य एवं लघु शीर्षों की सूची के अनुसार):-

0005 से 1606	राजस्व प्राप्तियाँ
2011 से 3606	राजस्व व्यय
4000	पूँजीगत प्राप्तियाँ
4046 से 7810	पूँजीगत व्यय (लोक ऋण, ऋणों तथा अग्रिमों सहित)
7999	आकस्मिकता निधि में विनियोजन
8000	आकस्मिकता निधि
8001 से 8999	लोक लेखा

5. वित्त लेखे, सामान्यता (कुछ अपवादों के साथ) लघु शीर्ष तक संव्यवहार दर्शाते हैं। वित्त लेखाओं में आंकड़े निवल स्तर पर दिखाए जाते हैं, अर्थात् खर्च की कटौती के रूप में वसूलियों के लेखांकन के बाद। यह तरीका विधानमण्डल को प्रस्तुत अनुदान की मांगों तथा विनियोग लेखाओं में दर्शाने से भिन्न है जहाँ व्यय सकल स्तर पर दिखाए जाते हैं।

6. लेखाओं के ढांचे का सचित्र प्रस्तुतीकरण नीचे दिया गया है:



ख. वित्त लेखे में क्या शामिल है

वित्त लेखे दो खंडों में प्रस्तुत होते हैं।

खंड-I में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र, वित्त लेखे का मार्गदर्शन, तेरह विवरण जो चालू वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति तथा संव्यवहारों की सारांशीकृत सूचना देते हैं, लेखाओं की टिप्पणियां तथा लेखाओं की टिप्पणियों का अनुलग्नक शामिल है। खंड-I के तेरह विवरणों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

1. **वित्तीय स्थिति का विवरण:** यह विवरण राज्य सरकार की परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के वर्ष के अंत में विद्यमान संचयी आंकड़ों तथा पिछले वर्ष के अंत की स्थिति से तुलना को दर्शाता है।
2. **प्राप्तियों तथा संवितरणों का विवरण:** यह विवरण सभी तीन भागों, जिनमें सरकारी लेखे रखे जाते हैं, अर्थात् समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा में वर्ष के दौरान राज्य सरकार की समस्त प्राप्तियों एवं संवितरणों को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, इसमें एक अनुलग्नक भी शामिल है जो सरकार के रोकड़ शेष (निवेशों को शामिल करते हुए) को अतिरिक्त रूप में दर्शाता है। अनुलग्नक सरकार की अर्थोपाय स्थिति को भी विस्तृत रूप में दर्शाता है।
3. **प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि):** यह विवरण राजस्व एवं पूजीगत प्राप्तियों और उधार तथा राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान को सम्मिलित करता है। यह विवरण वित्त लेखे के खंड-II में विस्तृत विवरण 14,17 तथा 18 के समतुल्य है।
4. **व्यय का विवरण (समेकित निधि):** वित्त लेखे में लघु शीर्ष स्तर तक सामान्य वर्णन से हटकर यह विवरण गतिविधि की प्रकृति के अनुसार (व्यय का उद्देश्य) भी व्यय का विवरण देता है। यह विवरण खंड-II में विस्तृत विवरण 15,16,17 तथा 18 के समतुल्य है।
5. **प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण:** यह विवरण खंड-II में विस्तृत विवरण 16 के समतुल्य है।
6. **उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण:** सरकार के उधारों में इसके द्वारा लिए गए बाजार ऋणों (आंतरिक ऋण) तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम शामिल है। 'अन्य दायित्वों' में 'अल्प बचत, भविष्य निधि' आदि, 'आरक्षित निधियां' तथा 'जमा' समाहित है। विवरण में ऋण सेवा पर एक टिप्पणी भी सम्मिलित है तथा खंड-II में विस्तृत विवरण 17 के समतुल्य है।
7. **सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों का विवरण:** यह विवरण राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के ऋणी जैसे सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्त तथा अन्य निकायों/ प्राधिकरणों तथा व्यक्तिगत गृहीता (सरकारी कर्मचारियों सहित) को दिए गए सभी ऋणों और अग्रिमों को दर्शाता है। यह विवरण खंड-II में विस्तृत विवरण 18 के समतुल्य है।
8. **सरकार के निवेशों का विवरण:** यह विवरण सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों की अंशपूजी में राज्य के निवेश को दर्शाता है। यह विवरण खंड-II में विस्तृत विवरण 19 के समतुल्य है।
9. **सरकार द्वारा दी गई गारंटियों का विवरण:** यह विवरण राज्य सरकार द्वारा संवैधानिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा लिए गए ऋणों का मूल तथा ब्याज के पुनर्भुगतान पर दी गई गारंटियों का सार प्रस्तुत करता है। यह विवरण खंड-II में विस्तृत विवरण 20 के समतुल्य है।
10. **सरकार द्वारा दिए गए सहायता अनुदानों का विवरण:** यह विवरण राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के अनुदान गृहीता जैसे, सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्त तथा अन्य निकायों/ प्राधिकरणों तथा वैयक्तिक को दिए गए समस्त सहायता अनुदान को दर्शाता है। परिशिष्ट-III प्राप्तकर्ता संस्थाओं का विवरण उपलब्ध करवाता है।

11. **दत्तमत तथा प्रभारित व्यय का विवरण:** यह विवरण वित्त लेखाओं लेखे में प्रदर्शित निवल आंकड़ों का विनियोजन लेखाओं में प्रदर्शित सकल आंकड़ों के साथ सादृश्य करने में सहायता करता है।
12. **राजस्व लेखाओं के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग पर विवरण:** यह विवरण इस सिद्धांत पर आधारित है कि राजस्व व्यय को राजस्व प्राप्तियों से चुकाने का अनुमान किया जाता है, जबकि वर्ष का पूंजीगत व्यय राजस्व अधिशेष, लोक लेखा में निवल जमा शेष, वर्ष के शुरू में रोकड शेष तथा उधारों से पूरा किया जाता है।
13. **समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के तहत शेषों का सारांश:** यह विवरण लेखाओं की यथार्थता को प्रमाणित करने में सहायता करता है। यह विवरण खंड-II में विस्तृत विवरण 14,15,16,17,18 तथा 21 के समतुल्य है।

वित्त लेखाओं लेखे के खंड-II में 2 भाग है- भाग-I में 9 विस्तृत विवरण तथा भाग-II में 12 परिशिष्ट सम्मिलित हैं

खंड-II का भाग-I

14. **लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण:** यह विवरण वित्त लेखे के खंड-I में संक्षिप्त विवरण 3 के समतुल्य है।
15. **लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण:** यह विवरण, जो खंड-I में संक्षिप्त विवरण 4 के समतुल्य है, राज्य सरकार के राजस्व व्यय को योजनागत (राज्य योजना, राज्य योजना को केंद्रीय सहायता, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं तथा केंद्रीय योजनागत योजनाएं) तथा गैर-योजनात के अंतर्गत दर्शाता है। प्रभारित एवं दत्तमत व्यय पृथक रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं।
16. **पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण:** यह विवरण, जो खंड-I में संक्षिप्त विवरण 5 के समतुल्य है, राज्य सरकार के पूंजीगत व्यय (वर्ष के दौरान तथा संचयी) को योजनागत (राज्य योजना, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं तथा केंद्रीय योजनागत योजनाएं) तथा गैर-योजनागत के अंतर्गत दर्शाता है। प्रभारित एवं दत्तमत व्यय को पृथक रूप से प्रदर्शित किया जाता है। लघुशीर्ष स्तर तक पूंजीगत व्यय का विवरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त, महत्वपूर्ण योजनाओं के विषय में, यह विवरण उप शीर्ष स्तर तक भी ब्यौरे को दर्शाता है।
17. **उधार एवं अन्य देयताओं का विस्तृत विवरण:** यह विवरण, जो खंड-I में संक्षिप्त विवरण 6 का समतुल्य है, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बंधपत्र, केंद्रीय सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ, इत्यादि) तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम को शामिल करता है। यह विवरण तीन वर्गों में ऋण की सूचना को प्रस्तुत करता है: (क) अलग-अलग ऋणों के ब्यौरे; (ख) परिपक्वता अवधि विन्यास अर्थात् विभिन्न वर्षों में प्रत्येक वर्ग के ऋणों से संबंधित देय राशि; तथा (ग) बकाया ऋणों के ब्याज दर की रूपरेखा; तथा बाजार कर्जों को दर्शाने वाला अनुलग्नक।
18. **सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण:** यह विवरण, खंड-I में संक्षिप्त विवरण 7 का समतुल्य है।
19. **निवेशों का विस्तृत विवरण :** यह विवरण इकाईवार निवेशों के ब्यौरे तथा विवरण 16 तथा 19 के बीच, विसंगतियों, यदि कोई हो, के मुख्य एवं लघु शीर्षवार ब्यौरे को दर्शाता है। यह विवरण खंड-I में विवरण 8 के समतुल्य है।
20. **सरकार द्वारा दी गई गारंटियों का विस्तृत विवरण:** यह विवरण सरकारी गारंटियों के इकाईवार ब्यौरे को दर्शाता है। यह विवरण खंड-I में विवरण 9 के समतुल्य है।

21. **आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन-देन का विस्तृत विवरण:** यह विवरण आकस्मिकता निधि के अंतर्गत अप्रतिपूरित राशि, वर्ष के दौरान लोक लेखा लेन-देन की समेकित स्थिति तथा वर्ष के अंत में बकाया शेषों का विवरण लघु शीर्ष स्तर पर दर्शाता है।
22. **चिह्नित शेषों के निवेश का विस्तृत विवरण:** यह विवरण, आरक्षित निधियों तथा जमाओं (लोक लेखा) से निवेश के ब्यौरे को दर्शाता है।

खंड-II का भाग-II

भाग-II में वेतन, सहायिकी, सहायता अनुदान, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं, मुख्य केंद्रीय योजनाओं तथा राज्य योजना स्कीमों के संबंध में स्कीम व्यय, इत्यादि को सम्मिलित करते हुए विभिन्न मदों पर **बारह परिशिष्ट** सम्मिलित है। लेखाओं में ये ब्यौरे उप शीर्ष स्तर अथवा नीचे तक (अर्थात् लघु शीर्ष स्तर से नीचे) प्रस्तुत किए जाते हैं तथा ऐसा सामान्यतः वित्त लेखाओं में नहीं दर्शाया जाता है। परिशिष्टों की एक विस्तृत सूची खंड-I अथवा II में विषय सूची पर दिखाई गई है। परिशिष्ट के साथ पठित विवरण राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति की सम्पूर्ण रूपरेखा प्रस्तुत करता है।

ग. रेडी रेकनर

नीचे दिया वर्ग खंड-I में प्रकट संक्षिप्त विवरणों को खंड-II में विस्तृत विवरणों एवं परिशिष्टों से मिलाता है (परिशिष्ट, जिनका संक्षिप्त विवरण के साथ सीधा मिलान नहीं है, को नीचे नहीं दिखाया गया है)

घ. आवधिक समायोजन तथा बही समायोजन:

मापदंड	सारांशीकृत विवरण (खंड-I)	विस्तृत विवरण (खंड-II)	परिशिष्ट
राजस्व प्राप्तियाँ (अनुदान प्राप्त सहित), पूंजीगत प्राप्तियाँ	2, 3	14	---
राजस्व व्यय	2, 4	15	I (वेतन), II (सहायिकी)
सरकार द्वारा दिया गया सहायता अनुदान	2,10	---	III (सहायता अनुदान)
पूंजीगत व्यय	1, 2, 4,5,12	16	I (वेतन)
सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिम	1, 2, 7	18	---
ऋण की स्थिति/ उधार	1, 2, 6	17	---
कंपनियों, निगमों इत्यादि में सरकार का निवेश	8	19	---
रोकड़	1, 2,12, 13	---	---
लोक लेखाओं में शेष तथा उसका निवेश	1, 2, 12, 13	21, 22	---
गारंटियां	9	20	
योजनाएं	---	---	IV (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं), V (सीएसएस/ केंद्रीय/ राज्य योजना व्यय)

कतिपय संव्यवहार, जो लेखे में प्रकट होते हैं, में बुकिंग के समय में रोकड़ का वास्तविक संचलन शामिल नहीं होता है। इस प्रकार के कुछ संव्यवहार लेखा भेजने वाली इकाइयों (जैसे राजकोष, प्रभाग इत्यादि) द्वारा उनके स्तर पर होते हैं। उदाहरण के लिए, वेतन से सभी कर्तौतियों के समायोजन को शामिल करते हुए संव्यवहार (सामान्य भविष्य निधि, दिए गए अग्रिमों की वसूलियां इत्यादि) को कार्यात्मक मुख्य शीर्ष (संबंधित विभाग को इंगित करते हुए) को डेबिट करते हुए तथा राजस्व प्राप्ति/ ऋणों/ लोक लेखे को बुक समायोजन से दर्ज किया जाता है। इसी प्रकार 'शून्य' बिल जहां धन समेकित निधि एवं लोक लेखा के मध्य हस्तांतरित होता है, लेखा भेजने वाली इकाई स्तर पर बिना रोकड़ के संव्यवहार को प्रस्तुत करते हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त, प्रधान महालेखाकार/ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) राज्य सरकार के लेखाओं में निम्न प्रकृति के आवधिक समायोजन व बही समायोजन करता है, जिनका विवरण लेखाओं से टिप्पणियों के परिशिष्ट (खंड-1) तथा संबंधित विवरण की पाद टिप्पणियों में दिखाया गया है।

आवधिक समायोजन तथा बही समायोजन के उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

(1) समेकित निधि को डेबिट करते हुए लोक लेखा में निधियों का सृजन/ निधियों के अंशदान का समायोजन, उदाहरणार्थ राज्य आपदा मोचन निधि, केंद्रीय सड़क निधि, आरक्षित निधियां, ऋण शोधन निधि इत्यादि।

(2) समेकित निधि को डेबिट करते हुए लोक लेखा में लेखे का जमा शीर्ष को क्रेडिट करना।

(3) सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) तथा राज्य सरकारी समूह बीमा योजना पर ब्याज का वार्षिक समायोजन जहां ब्याज मुख्य शीर्ष 2049-ब्याज को डेबिट करके तथा मुख्य शीर्ष 8009- राज्य भविष्य निधि तथा मुख्य शीर्ष 8011-बीमा तथा पेंशन निधि को क्रेडिट करके समायोजित किया जाता है।

(4) केंद्रीय वित्त आयोगों की अनुशंसाओं पर आधारित भारत सरकार की योजना के अंतर्गत कर्जों माफी का समायोजन। ये समायोजन (जहां केंद्रीय ऋणों मुख्य शीर्ष 0075-विविध सामान्य सेवाएं को क्रेडिट करते हुए मुख्य शीर्ष 6004- केंद्रीय सरकार से ऋणों तथा अग्रिम में विपरीत प्रविष्टि से बढ़ेवाते डाले जाते हैं) दोनों राजस्व प्राप्तियों तथा लोक कर्जों शीर्षों पर प्रभाव डालती हैं।

ड. पूर्णांक: ₹ 0.01 लाख/ करोड़ का अंतर, जहां कहीं हो, पूर्णांक के कारण है।

खंड-I

1. वित्तीय स्थिति का विवरण

			(₹ करोड़ में)	
परिसंपत्तियां [1]	संदर्भ क्र. सं.		31 मार्च 2019 तक	31 मार्च 2018 तक
	लेखाओं पर टिप्पणियां	विवरण		
नकद			5,11.04	5,54.38
(i) कोषागारों और स्थानीय प्रेषण में नकद		21	6.77	6.77
(ii) विभागीय शेष		21	4.97	4.97
(iii) स्थायी इम्प्रेस्ट		21	0.12	0.12
(iv) नकद शेष निवेश		21	3,83.92	3,83.92
(v) भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों के पास जमा	2(vi)	21	1,04.40 #	1,47.74
(vi) निर्धारित निधियों से निवेश [2]	3(iv)ख	22	10.86	10.86
पूंजीगत व्यय		5&16	9,84,78.73 @	9,00,65.15
(i) कंपनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश।	3(iv)	8&19	6,89.42 \$	6,53.52
(ii) अन्य पूंजीगत व्यय		5&16	9,77,89.31	8,94,11.63
आकस्मिकता निधि (अप्रतिपूरित)	3(ix)	21	-	0.17
ऋण और अग्रिम	3(iii)	18	17,25.77 ^	16,60.85
विभागीय अधिकारियों के साथ अग्रिम		21	12.69	12.69
उचंत और विविध शेष [3]	3(viii)	21		3,98.72
प्रेषण शेष			-	-
प्राप्तियों पर व्यय की संचयी अधिकता [4]			-	-
कुल			10,07,28.23	9,26,91.96

1 परिसंपत्तियों और देयतओं के आंकड़े संचयी आंकड़े हैं। कृपया 'लेखाओं पर टिप्पणियां' भाग में टिप्पणी 1 (ii) भी देखें।

2 कंपनियों आदि के शेयरों में निर्धारित निधियों में से निवेश को पूंजीगत व्यय से बाहर रखा गया है और निर्धारित निधियों से निवेश के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।

3 इस विवरण में लाईन मद 'उचंत और विविध शेष' में 'नकद शेष निवेश खाता', 'विभागीय शेष' और 'स्थायी नकद इम्प्रेस्ट' सम्मिलित नहीं है, जिनको अलग से ऊपर सम्मिलित किया गया है, हालांकि बाद वाला इन लेखों में कहीं और इस क्षेत्र का हिस्सा है।

4 प्राप्तियों पर व्यय अथवा व्यय पर प्राप्तियों की संचयी अधिकता वर्तमान वर्ष के लिए राजकोषीय/राजस्व घाटे को प्रदर्शित नहीं करती है।

कृपया पृष्ठ संख्या 7 पर पाद टिप्पणी '@' "विवरण संख्या 02 का अनुलग्नक" खंड-1 देखें

@ कृपया पृष्ठ संख्या 30 विवरण संख्या 5 खंड-1 पर पाद टिप्पणी 'ग' देखें

\$ आंकड़े लेखापरीक्षा कार्यालय के साथ मिलानाधीन हैं।

^ कृपया मुख्य शीर्ष-6801, विवरण संख्या 18 खण्ड 2 के नीचे पाद टिप्पणी (क) का संदर्भ लें।

1. वित्तीय स्थिति का विवरण-(समाप्त)

(₹करोड़ में)				
देयताएं	संदर्भ क्र. सं.		31 मार्च 2019 तक	31 मार्च 2018 तक
	लेखाओं पर टिप्पणियां	विवरण		
उधार (लोक ऋण)			4,35,12.99	3,88,23.38
(i) आंतरिक ऋण		6&17	4,22,21.42	3,74,18.53
(ii) केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम-अनियोजित ऋण		6&17	12,91.57	14,04.85
राज्य नियोजित योजनाओं के लिए ऋण		6&17	96.29	96.29
केंद्रीय नियोजित योजनाओं के लिए ऋण		6&17	-	-
केंद्र प्रायोजित नियोजित योजनाओं के लिए ऋण		6&17	-	-
विधानमंडल योजनाओं के साथ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अन्य ऋण		6&17	34.75	31.60
अन्य ऋण		6&17	47.04	47.04
आकस्मिकता निधि (कॉर्पस)	3(ix)	21	1.00	1.00
लोक लेखा पर देयताएं			3,83,62.27	3,01,56.35
(i) लघु बचत, भविष्य निधि आदि		17&21	2,62,42.26	2,09,18.79
(ii) जमा		17&21	68,52.73	62,98.73
(iii) आरक्षित निधियां	3(v)	21&22	24,97.26	21,75.25
(iv) प्रेषण शेष	3(viii)	21	27,64.71	7,63.58
(v) उचंत तथा विविध शेष	3(viii)	21	5.31	-
व्यय पर प्राप्तियों की संचयी अधिकता		12	1,88,51.97	2,37,11.23
कुल			10,07,28.23	9,26,91.96

2. प्राप्तियों तथा संवितरणों का विवरण

प्राप्तियाँ			संवितरण		
	2018-19	2017-18		2018-19	2017-18
पाट-1 समेकित निधि					
भाग-क: राजस्व					
(₹ करोड़ में)					
राजस्व प्राप्तियाँ (संदर्भ विवरण 3 & 14)	5,12,30.71	4,85,11.88	राजस्व व्यय (संदर्भ विवरण 4-क, 4-ख & 15)	5,60,89.97	4,09,16.49
कर राजस्व (राज्य सरकार द्वारा लिए गए) (संदर्भ विवरण 3 & 14)	98,26.35	95,36.40	वेतन [1] (संदर्भ विवरण 4- ख & परिशिष्ट-I)	2,41,49.86	1,61,20.40
गैर-कर राजस्व (संदर्भ विवरण 3 & 14)	43,49.35	43,62.34	आर्थिक सहायता [1] (संदर्भ परिशिष्ट-II)	12,05.14	11,54.34
			सहायता-अनुदान [1] [2] (संदर्भ विवरण 4-ख, 10 & परिशिष्ट-III)	33,16.85	27,21.31
ब्याज प्राप्तियाँ (संदर्भ विवरण 3&14)	20.84	19.44	सामान्य सेवाएं (संदर्भ विवरण 4 & 15)	1,48,23.67	1,15,89.87
अन्य (संदर्भ विवरण 3 & 14)	43,28.51	43,42.90	ब्याज भुगतान तथा सेवा ऋण (संदर्भ विवरण 4-क, 4-ख & 15)	53,05.73	47,13.66
कुल (संदर्भ विवरण 3 & 14)	43,49.35	43,62.34	पेंशन (संदर्भ विवरण 4-क, 4-ख & 15)	75,18.60	54,08.32
केंद्रीय करों/शुल्कों का हिस्सा (संदर्भ विवरण 3 & 14)	1,39,89.80	1,19,11.65	अन्य (संदर्भ विवरण 4-ख)	19,99.34	14,67.89
			कुल (संदर्भ विवरण 4-क & 15)	1,48,23.67	1,15,89.87
			सामाजिक सेवाएं (संदर्भ विवरण 4-क & 15)	38,30.28	33,74.92
			आर्थिक सेवाएं (संदर्भ विवरण 4-क & 15)	87,64.17	59,55.65
केंद्र सरकार से अनुदान (संदर्भ विवरण 3 & 14)	2,30,65.21	2,27,01.49	स्थानीय निकायों तथा पीआरआई को क्षतिपूर्ति तथा आवंटन (संदर्भ विवरण 4-क & 15)	-	-
राजस्व घाटा	48,59.26	-	राजस्व आधिक्य	-	75,95.39

1. वेतन, वित्तीय सहायता और सहायता-अनुदान के आंकड़ों को सभी क्षेत्रों में एक समेकित आंकड़ा पेश करने के लिए अभिव्यक्त किया गया है। 'सामाजिक', 'सामान्य' और 'आर्थिक' सेवाओं के क्षेत्रों के अंतर्गत इस विवरण में होने वाले व्यय में राजस्व व्यय के अंतर्गत वेतन, सहायिकी और सहायता अनुदान (इनकी व्याख्या क्रमशः विवरण 15 खण्ड-II में नीचे 'सामाजिक', 'सामान्य', और 'आर्थिक सेवाओं' के रूप में पाद टिप्पणी एक्स, वाई, और जेड में की गई है।) पर व्यय सम्मिलित नहीं है।

2. सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, कंपनियों, स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों आदि को सहायता-अनुदान दी जाती है जो ऊपर एक लाइन मद के रूप में सम्मिलित है। ये अनुदान स्थानीय निकायों के लिए करों, शुल्कों के क्षतिपूर्ति और आवंटन से अलग हैं, जिन्हें स्थानीय निकायों और पीआरआई को क्षतिपूर्ति और आवंटन के रूप में दर्शाया गया है।

2. प्राप्तियों तथा संवितरणों का विवरण-(जारी)

भाग-ख: पूंजीगत-(जारी)					
प्राप्तियाँ			संवितरण		
	2018-19	2017-18		2018-19	2017-18
(₹ करोड़ में)					
पूंजीगत प्राप्तियाँ (संदर्भ विवरण 3 & 14)	-	-	पूंजीगत व्यय [3] (संदर्भ विवरण 4-क, 4-ख & 16)	84,13.58 (क)	1,03,52.88
			सामान्य सेवाएं (संदर्भ विवरण 4-क & 16)	8,18.08	8,03.02
			सामाजिक सेवाएं (संदर्भ विवरण 4-क & 16)	28,95.57	27,87.01
			आर्थिक सेवाएं (संदर्भ विवरण 4-क & 16)	46,99.93	67,62.85
ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियाँ (संदर्भ विवरण 3, 7 & 18)	4.23	4.41	वितरित ऋण तथा अग्रिम (संदर्भ विवरण 4-क, 7 & 18)	69.15	24.75
सामान्य सेवाएं (संदर्भ विवरण 3, 7 & 18)	-	-	सामान्य सेवाएं (संदर्भ विवरण 4-क, 7 & 18)	-	-
सामाजिक सेवाएं (संदर्भ विवरण 3, 7 & 18)	0.21	0.23	सामाजिक सेवाएं (संदर्भ विवरण 4-क, 7 & 18)	-	-
आर्थिक सेवाएं (संदर्भ विवरण 3, 7 & 18)	2.53	2.54	आर्थिक सेवाएं (संदर्भ विवरण 4-क, 7 & 18)	67.98	20.79
अन्य (सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण) (संदर्भ विवरण 3, 7 & 18)	1.49	1.64	अन्य (सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण) (संदर्भ विवरण 4-क, 7 & 18)	1.17	3.96
सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ (संदर्भ विवरण 3, 6 & 17)	2,53,36.22	2,55,57.58	सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान (संदर्भ विवरण 4-क, 6 और 17)	2,06,46.61	2,24,90.14
आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, एनएसएसएफ आदि) (संदर्भ विवरण 3, 6 & 17)	2,53,32.28	2,55,25.98	आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, एनएसएसएफ आदि) (संदर्भ विवरण 4-क, 6 & 17)	2,05,29.39	2,23,74.19
भारत सरकार से ऋण (संदर्भ विवरण 3,6 & 17)	3.94	31.60	भारत सरकार से ऋण (संदर्भ विवरण 4-क, 6 & 17)	1,17.22	1,15.95
कुल प्राप्तियाँ समेकित निधि (संदर्भ विवरण 3)	7,65,71.16	7,40,73.87	कुल व्यय समेकित निधि (संदर्भ विवरण 4)	8,52,19.31	7,37,84.26
समेकित निधि में घाटा	86,48.15	-	समेकित निधि में आधिक्य	-	2,89.61
पार्ट-II आकस्मिकता निधि					
आकस्मिकता निधि (संदर्भ विवरण 21)	0.17	0.15	आकस्मिकता निधि (संदर्भ विवरण 21)	-	0.17

[3] ₹ 2.24 करोड़ का वेतन सम्मिलित है। विवरण के लिए कृपया "परिशिष्ट-I" खंड-II देखें।

(क) ₹ 99.18 करोड़ की सहायिकी, ₹ 8.73 करोड़ का सहायता अनुदान और ₹ 0.19 करोड़ का वेतन तथा छात्रवृत्ति सम्मिलित है। कृपया पैरा 1(v) (घ),(क),(ग) तथा "परिशिष्ट-"ख" लेखाओं से टिप्पणियाँ खंड-I देखें।

2. प्राप्तियों तथा संवितरणों का विवरण-(समाप्त)

भाग-ख: पूंजीगत-(समाप्त)					
प्राप्तियाँ			संवितरण		
	2018-19	2017-18		2018-19	2017-18
(₹ करोड़ में)					
भाग III लोक लेखा [4]					
लघु बचतें (संदर्भ विवरण 21)	88,57.92	50,32.41	लघु बचतें (संदर्भ विवरण 21)	35,34.45	34,76.24
आरक्षित तथा निक्षेप निधियां (संदर्भ विवरण 21)	6,95.07	4,19.22	आरक्षित तथा ऋण-शोधन निधियां (संदर्भ विवरण 21)	3,73.06	1,29.35
जमा (संदर्भ विवरण 21)	49,14.05	48,94.44	जमा (संदर्भ विवरण 21)	43,60.05	38,09.95
अग्रिम (संदर्भ विवरण 21)	-	-	अग्रिम (संदर्भ विवरण 21)	-	-
उचंत तथा विविध [5] (संदर्भ विवरण 21)	2,18,98.48	1,94,18.07	उचंत तथा विविध [5] (संदर्भ विवरण 21)	2,14,94.45	1,95,57.64
प्रेषण (संदर्भ विवरण 21)	27,41.28	9,33.77	प्रेषण (संदर्भ विवरण 21)	7,40.15	38,88.56
कुल प्राप्तियाँ लोक लेखा (संदर्भ विवरण 21)	3,91,06.80	3,06,97.91	कुल संवितरण लोक लेखा (संदर्भ विवरण 21)	3,05,02.16	3,08,61.74
लोक लेखा में आधिक्य	-	1,63.83	लोक लेखा में घाटा	86,04.64	-
अंतर राज्यीय समायोजन लेखा (निवल)	-	-	अंतर राज्यीय समायोजन लेखा (निवल)	-	-
आरंभिक नकद शेष	1,54.51	28.75	अंत: नकद शेष	1,11.17 #	1,54.51
नकद शेष में वृद्धि	-	1,25.76	नकद शेष में कमी	43.34	

[4] ब्योरे हेतु कृपया विवरण 17 तथा 21 में खंड II का संदर्भ लें

[5] उचंत और विविध में "अन्य लेखे" जैसे नकद शेष निवेश खाता (मुख्य शीर्ष 8673) आदि सम्मिलित हैं। इन अन्य लेखों के कारण आंकड़े बहुत बड़े दिखाई दे सकते हैं। ब्योरे हेतु कृपया विवरण 21, खंड-II का संदर्भ लें।

कृपया पृष्ठ संख्या 7 पर विवरण संख्या 2 खंड-I के "परिशिष्ट" पाद टिप्पणी '@' का संदर्भ लें

अनुलग्नक क

रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

सरकार की संपूर्ण रोकड़ स्थिति	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2019 को
(क) सामान्य रोकड़ शेष		
(i) कोषागारों में रोकड़	6.77	6.77
(ii) आर.बी.आई. में जमा एमएच 8999	1,26.72	83.38 @
(iii) जे.एंड के. बैंक तथा अन्य बैंको में जमा	21.02	21.02 \$
(iv) स्थानीय प्रेषण	-	-
कुल	1,54.51	1,11.17
(v) रोकड़ शेष निवेश खातों में रूका हुआ निवेश (एमएच 8673)	3,83.92	3,83.92 #
कुल (क)	5,38.43	4,95.09
(ख) अन्य रोकड़ शेष तथा निवेश		
(i) विभागीय अधिकारियों के पास रोकड़, यानी, लोक निर्माण एवं वन के प्रभागीय अधिकारी	4.97	4.97
(ii) प्रभागीय अधिकारियों के साथ आकस्मिक व्यय हेतु स्थायी अग्रिम	0.12	0.12
(iii) चिह्नित निधियों में से निवेश	10.86	10.86 ^
कुल (ख)	15.95	15.95
कुल (क) और (ख)	5,54.38	5,11.04

रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य: रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य कोषागारों, भारतीय रिजर्व बैंक में जमा, अन्य बैंकों तथा पारगमन में प्रेषण, रोकड़ से मिलकर बना है जैसा कि ऊपर दिखाया गया है। 'रिजर्व बैंक के पास जमा' शीर्ष के अंतर्गत शेष, वर्ष के अंत में समेकित निधि, आकस्मिक निधि तथा लोक खाता के संयुक्त शेष को दर्शाता है। संपूर्ण रोकड़ स्थिति तक पहुँचने के लिए रोकड़ शेषों/ आरक्षित निधियों आदि में से कोषागारों, विभागों और निवेशों में रखे रोकड़ शेष 'आर.बी.आई. के पास जमा' शेष में जमा करा जाता है।

@ रिजर्व बैंक के पास जमा' शेष भारतीय लेखा के अनुसार रखे शेष को दर्शाता है, जिसमें 15 अप्रैल 2019 तक भारतीय रिजर्व बैंक की सरकारी भुगतानों की सलाह भी सम्मिलित है। जैसा कि लेखाओं से पता चलता है कि अंकों के मध्य ₹ 82.55 करोड़ का कुल अंतर पाया गया है [₹ 83.38 करोड़ (डे.)] जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बताया गया [₹ 0.83 करोड़ (क्रे.)] अंतर आर.बी.आई एवं राज्य सरकार के बीच मिलानाधीन है (जुलाई 2019)।

\$ जिसमें इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, लाहौर में पड़े ₹ 0.03 करोड़ भी सम्मिलित हैं। हालांकि यह खाता प्रचालन स्थिति में नहीं है।

31-03-2019 तक ₹ 3,83.92 करोड़ की राशि का कुछ हिस्सा भारत सरकार की प्रतिभूतियों में, कुछ हिस्सा राज्य की प्रतिभूतियों में तथा कुछ हिस्सा भारत सरकार के 14 दिवसीय खजाना बिल में है।

^ निवेश का विवरण अभी राज्य सरकार से प्रतीक्षित है (जुलाई 2019)।

अनुलग्नक क-(जारी)

रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश-(जारी)

(क) नियमित रोकड़ शेष: भारतीय रिजर्व बैंक के साथ हुए करार के तहत 01.04.2011 से राज्य सरकार को सभी बैंकों में सभी दिवसों के लिए ₹ 1.14 करोड़ का न्यूनतम रोकड़ शेष बनाए रखना है। यदि शेष, किसी भी दिन तय न्यूनतम सीमा के नीचे गिरता है उस स्थिति में कमी को पूरा करने के लिए समय-समय पर सामान्य अर्थोपाय अग्रिमों/ओवर ड्राफ्टों द्वारा ठीक किया जाता है। 31.03.2019 तक नियमित रोकड़ शेष की ऊपरी सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

अनुदान के सामान्य अर्थोपाय और अग्रिमों/ओवर ड्राफ्टों के प्रयोजनों हेतु नियमित रोकड़ शेष बनाए रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 14 दिनों के खजाना बिलों की होल्डिंग के साथ दिन में हुए लेनदेन के रिपोर्टों (आर.बी.आई. कांउटर पर एजेंसी बैंकों द्वारा अंतर सरकारी लेनदेन तथा खजाना लेनदेन को रिपोर्ट किया गया) का मूल्यांकन किया। ऐसा करके जो रोकड़ शेष प्राप्त हुआ, उसको 14 दिनों के खजाना बिलों की परिपक्वता यदि कोई हो, को जोड़कर ओवर न्यूनतम रोकड़ शेष बनाए रखने के उपरांत बकाया शेष, यदि कोई हो, को खजाना बिलों में पुनः निवेश किया गया। परिणामस्वरूप प्राप्त कुल रोकड़ शेष यदि न्यूनतम रोकड़ शेष एवं जमा शेष से कम रहा और अगर उस दिन कोई भी 14 दिवसीय खजाना बिल परिपक्व नहीं हो रहा है, उस स्थिति में आर.बी.आई. 14 दिनों के खजाना बिलों की होल्डिंग्स को फिर से परिभाषित करता है और कमियों को दूर करता है। यदि उस दिन कोई 14 दिवसीय खजाना बिल की होल्डिंग्स न हो उस स्थिति में राज्य सरकार अन्य सामान्य अर्थोपाय एवं अग्रिमों/ विशिष्ट तरीकों तथा अग्रिमों/ ओवर ड्राफ्ट को लागू करती है।

(ख) 11-11-2013 से 31-01-2016 तक विशिष्ट अर्थोपाय अग्रिमों की राज्य सरकार द्वारा तय सीमा ₹ 4,72.50 करोड़ थी जिसे 01.02.2016 से ₹ 8,80.00 करोड़ तक बढ़ा दिया गया। आर.बी.आई. के दिनांक 01.02.2016 के पत्र सं. आईडीएमडी. सं. 1713/04.02.00ए/2015-16 के माध्यम से सूचित किया गया। 2018-19 के दौरान वह तय सीमा जिसमें सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से साथ न्यूनतम रोकड़ शेष बनाए रखती है नीचे दिया गया है:

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ न्यूनतम रोकड़ शेष का विवरण	दिनों की संख्या
उन दिनों की संख्या जिनमें बिना कोई अग्रिम लिए न्यूनतम शेष बनाए रखा गया।	187
उन दिनों की संख्या जिनमें सामान्य अर्थोपाय अग्रिमों को प्राप्त करने के माध्यम से न्यूनतम शेष बनाए रखा गया।	शून्य
उन दिनों की संख्या जिनमें सामान्य अर्थोपाय अग्रिमों को प्राप्त करने के माध्यम से न्यूनतम शेष बनाए रखा गया।	171
उन दिनों की संख्या जिनमें उपरोक्त अग्रिम लेने के उपरांत भी न्यूनतम शेष में कमी थी किंतु कोई ओवरड्राफ्ट नहीं लिया गया।	शून्य
उन दिनों की संख्या जिनमें सामान्य अर्थोपाय अग्रिम लेने के अतिरिक्त ओवरड्राफ्ट लिया गया।	07

(i) सामान्य अर्थोपाय एवं अग्रिम:- 1 अप्रैल 2018 को सामान्य अर्थोपाय एवं अग्रिमों के अंतर्गत शेष ₹ 3,00.71 करोड़ था तथा ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत शून्य था। 2018-19 के दौरान सामान्य अर्थोपाय एवं अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट को समय-समय पर लिया गया। वर्ष 2018-19 के अंत में सामान्य अर्थोपाय एवं अग्रिमों के अंतर्गत शेष ₹ 5,32.38 करोड़ था, वहीं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत यह शून्य रहा।

अनुलग्नक क-(समाप्त)

रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश-(समाप्त)

विस्तारपूर्वक टिप्पणियां

- (ii) जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ दिनांक 01.04.2011 में एक करार किया। 2018-19 के दौरान रैपो दर निम्न अनुसार थी:-

अवधि	रैपो दर
01-04-2018 से 05-06-2018	6.00 प्रतिशत
06-06-2018 से 31-07-2018	6.25 प्रतिशत
01-08-2018 से 06-02-2019	6.50 प्रतिशत
07-02-2019 से 31-03-2019	6.25 प्रतिशत

सामान्य अर्थोपाय एवं अग्रिमों में ब्याज 90 दिनों तक लिया जाता है, जो रैपो दर के समकक्ष होता है और 90 दिनों से अधिक अवधि हो जाने पर यही ब्याज रैपों का एक प्रतिशत अधिक हो जाता है।

सामान्य अर्थोपाय एवं अग्रिमों की 100 प्रतिशत तक की सीमा तक ओवरड्राफ्ट पर ब्याज दर रैपों दर से दो प्रतिशत अधिक होती है। तथा सामान्य अर्थोपाय एवं अग्रिमों के 100 प्रतिशत से अधिक होने पर यही रैपों दर पांच प्रतिशत से अधिक हो जाती है।

2018-19 के दौरान सामान्य अर्थोपाय एवं अग्रिमों में एवं ओवरड्राफ्टों पर आर.बी.आई. को क्रमशः ₹ 12.16 करोड़ तथा ₹ 0.15 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया गया।

- (ग) 2018-19 के दौरान के भारत सरकार के खजाना बिल जिसका मूल्य ₹2,08,45.89 करोड़ (₹ 2,08,45.89 करोड़ भारत सरकार के 14 दिवसीय खजाना बिल में तथा राज्य में शून्य प्रतिभूतियां) था, वो 75 अवसरों पर खरीदा गया तथा ₹ 2,08,45.89 करोड़ (जिसमें ₹ 2,08,45.89 करोड़ भारत सरकार के 14 दिवसीय खजाना बिल में तथा राज्य में शून्य प्रतिभूतियां) को 108 अवसरों पर पुनः छुट दी गई। 31 मार्च 2019 तक ₹ 3,83.92 करोड़ की राशि (भारत सरकार के 14 दिवसीय खजाना बिलों में शून्य तथा ₹ 3,83.92* करोड़ राज्य प्रतिभूतियों में) रोकड़ शेष निवेश लेखा में रखी गई थी।

- (घ) वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य सरकार द्वारा रोकड़ शेष निवेश लेखा पर ₹ 9.04 करोड़ का ब्याज अर्जन हुआ।

* निवेशो का विवरण राज्य सरकार से प्रतीक्षित है (अगस्त 2019)

3. प्राप्तियों का विवरण- (समेकित निधि)

		(₹ करोड़ में)	
		(वास्तविक)	
	विवरण	2018-19	2017-18
	राजस्व प्राप्तियाँ-		
क.	कर राजस्व-		
क.1	स्वयं के कर राजस्व-	98,26.35	95,36.40
	राज्य वस्तु एवं सेवा कर	51,34.23	26,11.26
	भू-राजस्व	41.28	29.07
	स्टॉप और पंजीकरण शुल्क	2,65.45	3,07.43
	राज्य आबकारी	12,91.45	8,33.16
	बिक्री कर	17,57.21	44,93.11
	वस्तुओं और यात्रियों पर कर	9,09.22	8,52.62
	वाहनों पर कर	2,38.93	2,28.11
	अन्य	1,88.58	1,81.64
क.2	करों की शुद्ध आय का हिस्सा-	1,39,89.80	1,19,11.65
	केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर	34,84.87	3,16.80
	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर	2,78.10	12,60.68
	निगम कर	49,10.14	38,24.16
	निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर	36,16.11	32,29.22
	आय और व्यय पर अन्य कर	25.57	-
	धन पर कर	1.80	(-)0.11
	सीमा शुल्क	10,00.82	12,60.30
	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	6,65.11	20,20.60
	सेवा कर	-	-
	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	7.28	-
	अन्य	-	-
	कुल-क	2,38,16.15	2,14,48.05
ख.	गैर कर राजस्व-		
	विद्युत	32,46.49	31,50.94
	मध्यम सिंचाई	6,74.97	7,61.08
	जलापूर्ति और स्वच्छता	59.78	93.07

3. प्राप्तियों का विवरण- (समेकित निधि)-(जारी)

		(₹ करोड़ में)	
		(वास्तविक)	
	विवरण	2018-19	2017-18
	राजस्व प्राप्तियाँ-(जारी)		
ख.	गैर-कर राजस्व-(समाप्त)		
	पेंशन और विविध सामान्य सेवाएं	26.53	57.99
	लोक निर्माण	27.92	47.96
	अलौह खनन और धातुकर्म सेवाएं	51.75	47.46
	पुलिस	88.98	32.70
	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	26.45	26.02
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	26.59	19.42
	ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश और लाभ	20.84	19.44
	वानिकी और वन्य जीवन	20.33	18.12
	फसल उत्पादन	10.71	10.20
	लघु सिंचाई	6.08	8.39
	पशु पालन	7.48	8.12
	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	4.60	7.01
	श्रम और रोजगार	7.10	6.65
	लेखन सामग्री और मुद्रण	9.52	6.09
	मत्स्य पालन	6.92	5.74
	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	5.36	5.07
	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1.81	4.27
	आवासीय	4.92	4.04
	गांव और लघु उद्योग	2.03	2.67
	पर्यटन	2.94	1.57
	शहरी विकास	2.16	0.52
	खाद्य संग्रहण एवं भण्डारण	2.72	12.90
	अन्य	4.37	4.90
	कुल-ख	43,49.35	43,62.34

3. प्राप्तियों का विवरण- (समेकित निधि)-(जारी)

		(₹ करोड़ में)	
		(वास्तविक)	
विवरण		2018-19	2017-18
	राजस्व प्राप्तियाँ-(जारी)		
II.	भारत सरकार से अनुदान		
ग.	अनुदान-		
	केंद्र सरकार से सहायता- अनुदान-		
	केंद्र प्रायोजित योजनाएं	76,07.90	90,96.19
	केंद्रीय सहायता/हिस्सेदारी	75,72.45	88,11.81
	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं केंद्र प्रायोजित योजनाएं	35.45	2,84.38
	वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान	1,35,34.01	1,18,49.00
	अंतरण उपरांत राजस्व घटा अनुदान	1,29,52.00	1,18,49.00
	ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	2,03.81	-
	शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	1,25.30	-
	राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष हेतु सहायता-अनुदान	2,52.90	-
	विधानमंडल के साथ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अन्य स्थानांतरण/अनुदान-	19,23.30	17,56.30
	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परंतुक के अंतर्गत अनुदान	20.52	30.49
	केंद्रीय सड़क निधि से अनुदान	3,44.75	3,32.57
	विशेष सहायता	96.03	2,56.24
	जीएसटी लागू होने से होने वाली राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति	14,62.00	11,37.00
	कुल-ग	2,30,65.21	2,27,01.49
	कुल राजस्व प्राप्तियाँ (क +ख +ग)	5,12,30.71	4,85,11.88

3. प्राप्तियों का विवरण- (समेकित निधि)-(जारी)

		(₹ करोड़ में)	
		(वास्तविक)	
विवरण		2018-19	2017-18
III.	पूंजीगत, सार्वजनिक ऋण और अन्य प्राप्तियाँ		
घ.	पूंजीगत प्राप्तियाँ-		
	विनिवेश आय	-	-
	अन्य	-	-
	कुल-घ	-	-
ड.	सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ-		
	आंतरिक ऋण-	2,53,32.28	2,55,25.98
	बाजार ऋण	66,84.00	62,00.00
	आर.बी.आई. से डब्ल्यूएमए [1]	1,82,41.94	1,86,16.64
	बांड	4.03	41.43
	वित्तीय संस्थानों से ऋण	4,02.31	6,67.91
	राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियां	-	-

[1] भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए अर्थोपाय अग्रिम/ ओवरड्राफ्ट

3. प्राप्तियों का विवरण- (समेकित निधि)-(समाप्त)

		(₹ करोड़ में)	
		(वास्तविक)	
	विवरण	2018-19	2017-18
ड.	लोक ऋण प्राप्तियाँ- (समाप्त)		
	केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम-	3.94	31.60
	केंद्र प्रायोजित नियोजित योजनाओं के लिए ऋण	-	-
	अन्य ऋण	-	-
	विधानमंडल योजनाओं के साथ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश के लिए अन्य ऋण	3.94	31.60
	कुल-ड.	2,53,36.22	2,55,57.58
च.	राज्य सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम (वसूलियाँ) [2]	4.23	4.41
छ.	अंतर्राज्यीय व्ययस्थापन	-	-
	समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ [3] (क +ख +ग +घ +ड +च +छ)	7,65,71.16	7,40,73.87

[2] ब्योरे विवरण 7 खंड-I और 18 खंड-II में हैं

[3] ब्योरे विवरण 14 और 17 खंड-II में हैं

4. व्यय का विवरण-(समेकित निधि)

क. कार्यकलाप के अनुसार व्यय					
विवरण		राजस्व	पूंजीगत	एल एंड ए	कुल
					(₹ करोड़ में)
क.	सामान्य सेवाएं-				
क.1	राज्य के अंग-	6,10.94	-	-	6,10.94
	संसद/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश विधानमंडल	55.98	-	-	55.98
	राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/ राज्यपाल/ केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक	11.87	-	-	11.87
	मंत्रिपरिषद्	2.62	-	-	2.62
	न्याय प्रशासन	2,61.08	-	-	2,61.08
	चुनाव	2,79.39	-	-	2,79.39
क.2	राजकोषीय सेवाएं-	56,80.45	-	-	56,80.45
	भू-राजस्व	4.42	-	-	4.42
	स्टाम्प और पंजीकरण	26.68	-	-	26.68
	संपत्ति और पूंजीगत संव्यवहारों पर अन्य करों का संग्रहण	-	-	-	-
	राज्य आबकारी	39.09	-	-	39.09
	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	3.55	-	-	3.55
	वाहनों पर कर	18.36	-	-	18.36
	राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत संग्रहण शुल्क	2,75.91	-	-	2,75.91
	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	2.63	-	-	2.63
	अन्य राजकोषीय सेवाएं	4.08	-	-	4.08
	ब्याज भुगतान और ऋण सेवा	53,05.73	-	-	53,05.73
क.3	प्रशासनिक सेवाएं-	90,38.39	7,91.65	-	98,30.04
	लोक सेवा आयोग	9.32	-	-	9.32
	सचिवालय-सामान्य सेवाएं	1,15.92	-	-	1,15.92
	जिला प्रशासन	4,70.86	-	-	4,70.86
	कोषागार तथा लेखा प्रशासन	1,72.49	-	-	1,72.49
	पुलिस	69,46.98	3,25.28	-	72,72.26
	जेल	79.47	-	-	79.47
	लेखन सामग्री और मुद्रण	49.92	2.84	-	52.76
	लोक निर्माण	7,49.10	4,56.59	-	12,05.69
	सतर्कता	41.26	-	-	41.26
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	4,03.07	6.94	-	4,10.01

4. व्यय का विवरण-(समेकित निधि)-(जारी)

क. कार्यकलाप के अनुसार व्यय-(जारी)					
विवरण		राजस्व	पूंजीगत	एल एंड ए	कुल
					(₹ करोड़ में)
क.4	पेंशन और विविध सामान्य सेवाएं-	75,20.00	26.43	-	75,46.43
	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	75,18.60	-	-	75,18.60
	विविध सामान्य सेवाएं	1.40	26.43	-	27.83
	कुल सामान्य सेवाएं	2,28,49.78	8,18.08	-	2,36,67.86
ख.	सामाजिक सेवाएं-				
ख.1	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति (विवरण के नीचे नोट 1 देखें)	1,00,73.59	7,93.54	-	1,08,67.13
	सामान्य शिक्षा	95,42.68	7,93.54	-	1,03,36.22
	तकनीकी शिक्षा	1,31.76	-	-	1,31.76
	खेल और युवा सेवाएं	3,51.34	-	-	3,51.34
	कला और संस्कृति	47.81	-	-	47.81
ख.2	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण-	35,49.40	8,74.36	-	44,23.76
	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	34,20.83	8,74.36	-	42,95.19
	परिवार कल्याण	1,28.57	-	-	1,28.57
ख.3	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवासीय एवं शहरी विकास-	23,67.64	10,00.53	-	33,68.17
	जलापूर्ति और स्वच्छता	15,11.88	5,23.24	-	20,35.12
	आवासीय	1,17.75	6.46	-	1,24.21
	शहरी विकास	7,38.01	4,70.83	-	12,08.84
ख.4	सूचना और प्रसारण-	66.30	1.06	-	67.36
	सूचना और प्रचार	66.30	1.06	-	67.36
ख.5	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण-	99.20	35.53	-	1,34.73
	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	99.20	35.53	-	1,34.73
ख.6	श्रम एवं श्रमिक कल्याण-	71.57	-	-	71.57
	श्रम और रोजगार	71.57	-	-	71.57

1 सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, खेल और युवा सेवाओं, कला और संस्कृति के कारण पूंजीगत परिव्यय को दर्ज करने के लिए केवल मुख्य शीर्ष।

4. व्यय का विवरण-(समेकित निधि)-(जारी)

क. कार्यकलाप के अनुसार व्यय-(जारी)					
विवरण		राजस्व	पूंजीगत	एल एंड ए	कुल
		(₹ करोड़ में)			
ख.7	समाज कल्याण एवं पोषण-	16,56.32	1,42.17	-	17,98.49
	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	12,51.88	1,22.20	-	13,74.08
	पोषण	1,22.04	19.97	-	1,42.01
	प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	2,82.40	-	-	2,82.40
ख.8	अन्य-	46.82	48.38	-	95.20
	अन्य सामाजिक सेवाएं	4.15	48.38	-	52.53
	सचिवालय- सामाजिक सेवाएं	42.67	-	-	42.67
	कुल सामाजिक सेवाएं	1,79,30.84	28,95.57	-	2,08,26.41
ग.	आर्थिक सेवाएं-				
ग.1	कृषि और संबद्ध गतिविधियां-	28,39.76	5,96.50	-	34,36.26
	फसल उत्पादन	5,86.53	2,13.35	-	7,99.88
	मृदा और जल संरक्षण	91.40	8.32	-	99.72
	पशु पालन	5,70.92	38.63	-	6,09.55
	डेयरी विकास	-	-	-	-
	मत्स्य पालन	99.66	11.37	-	1,11.03
	वानिकी और वन्य जीवन	8,29.58	47.88	-	8,77.46
	खाद्य, भंडार और भंडारण	2,31.85	2,53.02	-	4,84.87
	कृषि अनुसंधान और शिक्षा	3,33.86	20.18	-	3,54.04
	सहयोग	54.96	3.75	-	58.71
	अन्य कृषि कार्यक्रम	41.00	-	-	41.00
ग.2	ग्रामीण विकास-	4,49.80	18,05.20	-	22,55.00
	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	31.95	-	-	31.95
	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार	-	-	-	-
	भूमि सुधार	0.01	-	-	0.01
	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	4,17.84	18,05.20	-	22,23.04

4. व्यय का विवरण-(समेकित निधि)-(जारी)

क. कार्यकलाप के अनुसार व्यय-(जारी)					
	विवरण	राजस्व	पूँजीगत	एल एंड ए	कुल
(₹ करोड़ में)					
ग.3	विशेष क्षेत्रों के कार्यक्रम-	8,73.61	3,17.66	-	11,91.27
	अन्य विशेष क्षेत्रों के कार्यक्रम	8,73.61	3,17.66	-	11,91.27
ग.4	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण-	6,94.67	2,77.50	-	9,72.17
	प्रमुख सिंचाई	8.16	-	-	8.16
	मध्यम सिंचाई	76.41	14.58	-	90.99
	लघु सिंचाई	4,47.09	83.40	-	5,30.49
	कमांड क्षेत्र विकास	39.34	-	-	39.34
	बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी	1,23.67	1,79.52	-	3,03.19
ग.5	ऊर्जा-	75,42.75	2,06.16	-	77,48.91
	विद्युत	75,42.75	2,06.16	-	77,48.91
ग.6	उद्योग और खनिज-	4,35.98	1,16.08	37.98	5,90.04
	ग्राम और लघु उद्योग	3,81.15	1,12.29	-	4,93.44
	अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	54.83	1.72	-	56.55
	अन्य उद्योग और खनिज	-	2.07	37.98	40.05
ग.7	परिवहन-	17,38.44	8,21.30	30.00	25,89.74
	सड़क और पुल	17,38.44	7,98.70	-	25,37.14
	सड़क परिवहन	-	22.60	30.00	52.60
ग.8	संचार	-	-	-	-
ग.9	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण-	43.90	8.04	-	51.94
	पारिस्थिति की और पर्यावरण	43.90	-	-	43.90
	अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान	-	8.04	-	8.04

4. व्यय का विवरण-(समेकित निधि)-(जारी)

क. कार्यकलाप के अनुसार व्यय-(समाप्त)					
	विवरण	राजस्व	पूँजीगत	एल एंड ए	कुल
(₹ करोड़ में)					
ग.10	सामान्य आर्थिक सेवाएं-	6,90.44	5,51.49	-	12,41.93
	सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	4,52.48	-	-	4,52.48
	पर्यटन	1,48.52	93.60	-	2,42.12
	जनगणना सर्वेक्षण और आंकड़े	79.07	-	-	79.07
	सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश	-	-	-	-
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	10.37	4,57.89	-	4,68.26
	कुल आर्थिक सेवाएं	1,53,09.35	46,99.93	67.98	2,00,77.26
घ.	सरकारी कर्मचारियों को ऋण आदि-				
	सरकारी कर्मचारियों को ऋण आदि	-	-	1.17	1.17
	विविध ऋण	-	-	-	-
	सरकारी कर्मचारियों को कुल ऋण आदि	-	-	1.17	1.17
ड.	सार्वजनिक ऋण-				
	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	-	-	2,05,29.39	2,05,29.39
	केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम	-	-	1,17.22	1,17.22
	कुल सार्वजनिक ऋण	-	-	2,06,46.61	2,06,46.61
च.	अंतर्राज्यीय व्ययस्थापन	-	-	-	-
	राज्य व्यय की कुल समेकित निधि	5,60,89.97	84,13.58	2,07,15.76	8,52,19.31

4. व्यय का विवरण

		ख. प्रकृति के		
व्यय का शीर्ष		2018-19		
		राजस्व	पूंजीगत	कुल
(1)		(2)	(3)	(4)
		(₹ करोड़ में)		
1	वेतन	2,41,49.86	2.24	2,41,52.10
2	पेंशन और ग्रेच्युटी	75,18.60	-	75,18.60
3	सिविल निर्माण कार्य/निर्माण कार्य	6,98.90	63,33.62	70,32.52
4	विद्युत की खरीद	52,65.02	-	52,65.02
5	ब्याज	52,08.68	-	52,08.68
6	सहायता-अनुदान	33,16.85	8.73	33,25.58
7	सहायिकी	12,05.14	99.18	13,04.32
8	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना	12,78.72	-	12,78.72
9	लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद	8,26.49	3,17.69	11,44.18
10	सर्व शिक्षा अभियान	10,44.68	-	10,44.68
11	एसपीओ/वीडीसी/आंगनवाडी कर्मियों को मानदेय आदि	5,31.28	15.66	5,46.94
12	सहायता और पुर्नवास	4,65.58	6.70	4,72.28
13	रखरखाव और मरम्मत	3,91.04	4.20	3,95.24
14	विद्युत प्रभार	3,57.12	-	3,57.12
15	आरक्षित और जमा निधि में हस्तांतरित	3,44.75	-	3,44.75
16	छोटे निर्माण कार्य	2.80	2,99.63	3,02.43
17	सामग्री और आपूर्ति	2,46.61	55.09	3,01.70
18	परिवहन/हैंडलिंग प्रभार	1,55.18	1,08.91	2,64.09
19	नकद सहायता	2,46.38	-	2,46.38
20	कार्यालय व्यय	2,31.47	1.83	2,33.30
21	चुनाव व्यय	2,05.67	-	2,05.67
22	निर्माण कार्य	-	2,02.47	2,02.47
23	रखरखाव की आउटसोर्सिंग	2,01.43	-	2,01.43
24	लागत मूल्य धान, गेहूं, चीनी आदि	-	1,77.16	1,77.16
25	आर्थिक पुनर्निर्माण एजेंसी	-	1,52.66	1,52.66
26	वृत्तिका और छात्रवृत्ति	1,50.52	0.19	1,50.71
27	ड्रग्स और उपकरण	1,21.36	0.68	1,22.04
28	मशीनरी और उपकरण	80.09	27.78	1,07.87
29	होटलों का किराया	88.46	-	88.46
30	पट्टा शुल्क	80.26	-	80.26
31	किराया, दर और कर	73.88	0.04	73.92
32	यात्रा व्यय	64.99	1.07	66.06
33	उचंत	60.00	-	60.00
34	विज्ञापन और प्रचार	52.33	0.33	52.66
35	पीओएल	50.09	0.50	50.59
36	क्षतिपूर्ति	45.91	-	45.91
37	आहार खर्च	35.17	-	35.17
38	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	34.79	-	34.79

(समेकित निधि) (जारी)

अनुसार व्यय					
2017-18			2016-17		
राजस्व	पूँजीगत	कुल	राजस्व	पूँजीगत	कुल
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		(₹ करोड़ में)			(₹ करोड़ में)
1,61,20.40	2.94	1,61,23.34	1,51,22.42	7.83	1,51,30.25
54,08.32	-	54,08.32	42,16.52	-	42,16.52
20.72	53,76.94	53,97.66	44.86	21.77	66.63
46,62.87	-	46,62.87	45,67.22	-	45,67.22
30,35.59	-	30,35.59	61,32.51	-	61,32.51
27,21.31	32.80	27,54.11	15,99.33	1,29.82	17,29.15
11,54.34	1,52.00	13,06.34	12,05.96	1,30.60	13,36.56
8,92.56	17.11	9,09.67	5,82.44	0.39	5,82.83
5,57.90	2,25.73	7,83.63	5,31.15	1,98.85	7,30.00
9,40.30	-	9,40.30	7,66.01	22.85	7,88.86
4,44.71	0.47	4,45.18	3,48.42	0.24	3,48.66
-	-	-	-	-	-
5,29.79	15.47	5,45.26	4,40.10	5.16	4,45.26
-	-	-	-	-	-
3,32.57	-	3,32.57	81.90	-	81.90
-	-	-	-	-	-
1,82.25	11.27	1,93.52	1,67.45	73.72	2,41.17
81.05	19.67	1,00.72	1.90	1,09.56	1,11.46
1,94.41	-	1,94.41	1,82.74	-	1,82.74
2,00.97	13.09	2,14.06	1,32.47	15.00	1,47.47
25.71	-	25.71	11.83	-	11.83
46.09	85.35	1,31.44	0.40	29.15	29.55
1,44.33	0.02	1,44.35	1,28.75	0.21	1,28.96
-	2,85.31	2,85.31	-	4,90.88	4,90.88
-	3,28.10	3,28.10	-	3,96.97	3,96.97
1,48.16	0.43	1,48.59	4,40.07	0.23	4,40.30
1,17.83	0.48	1,18.31	1,00.95	2.77	1,03.72
57.48	34.75	92.23	62.81	63.83	1,26.64
76.94	-	76.94	90.84	-	90.84
51.07	-	51.07	21.69	-	21.69
86.07	0.71	86.78	54.56	0.47	55.03
70.64	0.39	71.03	65.59	0.37	65.96
48.59	-	48.59	7.88	-	7.88
47.67	0.21	47.88	52.69	0.03	52.72
53.15	1.55	54.70	52.83	5.09	57.92
30.26	-	30.26	19.63	-	19.63
30.54	0.16	30.70	26.13	0.77	26.90
32.89	-	32.89	25.25	1.49	26.74

4. व्यय का विवरण

ख. प्रकृति के				
	व्यय का शीर्ष	2018-19		
		राजस्व	पूंजीगत	कुल
	(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ करोड़ में)				
39	मिड-डे मील	0.15	29.78	29.93
40	ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य	17.04	-	17.04
41	फर्निचर और साज सज्जा	15.84	-	15.84
42	सिविक एक्शन कार्यक्रम	13.73	-	13.73
43	दूरभाष	12.35	-	12.35
44	पोषण	11.66	0.19	11.85
45	अमरनाथ यात्रा	11.45	-	11.45
46	पुस्तकें, आवधिक पत्रिकाएँ एवं प्रकाशन	10.98	0.08	11.06
47	कृषि विश्वविद्यालय	-	10.50	10.50
48	अवाईस	6.58	0.19	6.77
49	मजदूरी	2.42	0.02	2.44
50	निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि	1.68	-	1.68
51	ट्रांसमिशन और वितरण	-	0.74	0.74
52	पुलिस का आधुनिकीकरण	-	-	-
53	बाढ़ नियंत्रण	-	-	-
54	केंद्रीय सड़क निधि	-	-	-
55	सिंचाई कार्य	-	-	-
56	भूमि का अधिग्रहण	-	-	-
57	जल निकासी	-	-	-
58	वन प्रादेशिक भूमि	-	-	-
59	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	-	-	-
60	रखरखाव शुल्क	-	-	-
61	एक्स-ग्रेसिआ रिलीफ	-	-	-
62	अवसंरचना विकास डीआईसी	-	-	-
63	विद्युत उत्पादन योजनाएं	-	-	-
64	कैरिज	-	-	-
65	वाहनों का रखरखाव	-	-	-
66	भवनों का निर्माण	-	-	-
67	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	-	-	-
68	बोर्डिंग, आवास और परिवहन शुल्क	-	-	-
69	विद्युत प्रभार	-	-	-
70	प्रवासी शिविरों के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं	-	-	-
71	त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी)	-	-	-
72	गैर-कार्यात्मक भवन	-	-	-
73	मौजूदा जलापूर्ति योजनाओं में सुधार	-	-	-
74	लघु सिंचाई	-	-	-
75	पुलों का पुनर्निर्माण	-	-	-
76	अन्य	13,25.21	5,77.78	19,03.89
77	कटौती (वसूली, खाद्यान्न की बिक्री, आरक्षित निधि और जमा खाते आदि को हस्तांतरित राशि)	(-)1,69.22	(-)22.05	(-)1,91.27
	कुल	5,60,89.97	84,13.58	6,45,03.55

(समेकित निधि) (समाप्त)

अनुसार व्यय-(समाप्त)					
2017-18			2016-17		
राजस्व	पूँजीगत	कुल	राजस्व	पूँजीगत	कुल
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		(₹ करोड़ में)			(₹ करोड़ में)
1.21	1,10.45	1,11.66	1.86	94.42	96.28
18.99	0.20	19.19	21.55	0.49	22.04
-	-	-	-	-	-
15.08	0.03	15.11	11.28	-	11.28
13.37	0.02	13.39	12.38	0.01	12.39
16.48	2.04	18.52	19.43	9.45	28.88
12.59	-	12.59	10.38	-	10.38
-	-	-	-	0.15	0.15
-	25.50	25.50	-	6.75	6.75
7.28	-	7.28	5.62	-	5.62
19.32	0.26	19.58	22.71	1.19	23.90
2,13.95	-	2,13.95	1,86.20	2.96	1,89.16
-	1,30.19	1,30.19	-	1,93.28	1,93.28
-	61.23	61.23	-	-	-
-	56.46	56.46	1.35	1,98.58	1,99.93
-	27.03	27.03	-	65.89	65.89
0.04	15.14	15.18	-	23.25	23.25
-	15.07	15.07	-	0.22	0.22
-	11.10	11.10	-	38.14	38.14
-	9.78	9.78	-	-	-
-	9.45	9.45	-	11.02	11.02
0.26	2.21	2.47	0.19	0.43	0.62
2.05	-	2.05	0.58	-	0.58
-	1.00	1.00	-	11.43	11.43
-	0.85	0.85	-	-	-
0.02	0.31	0.33	0.01	0.02	0.03
0.18	-	0.18	0.19	0.16	0.35
0.16	0.01	0.17	7.38	26.69	34.07
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
0.11	-	0.11	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	1,02.54	1,02.54	-	4,05.26	4,05.26
-	-	-	-	-	-
-	0.05	0.05	-	52.46	52.46
-	8,93.29	8,93.29	-	3,76.05	3,76.05
20,47.92	22,73.72	43,21.64	24,66.26	52,63.80	77,30.06
-	-	-	(-)18.66	(-)2,01.66	(-)220.32
4,09,16.49	1,03,52.88	5,12,69.37	3,98,12.18	82,85.53	4,80,97.71

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण

मुख्य शीर्ष	विवरण	2017-2018 के दौरान व्यय	2017-2018 तक प्रगामी व्यय	2018-2019 के दौरान व्यय	2018-2019 तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि (+)/कमी (-)
(₹ करोड़ में)						
क-	सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा-					
4047-	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	-	4.07	-	4.07	-
4055-	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	3,86.88	8,02.75	3,25.28	11,28.03	(-)16
4058-	लेखन सामग्री और मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय	8.90	31.42	2.84	34.26	(-)68
4059-	लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	3,99.33	55,62.25	4,56.59	60,18.84	(+)14
4070-	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5.76	95.61	6.94	1,02.55	(+)20
4075-	विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2.15	1,34.30	26.43	1,60.73	*
	कुल-क- सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा	8,03.02	66,30.40	8,18.08	74,48.48	(+)02
ख-	सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-					
(क)	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति का पूंजीगत लेखा-					
4202-	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	8,84.90	60,54.66	7,93.54	68,48.20	(-)10
	कुल-ख (क) - शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति का पूंजीगत लेखा	8,84.90	60,54.66	7,93.54	68,48.20	(-)10
(ख)	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा-					
4210-	चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	5,10.58	38,82.77	8,74.36	47,57.13	(+)71
4211-	परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	-	7.97	-	7.97	-
	कुल-ख (ख) -स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा	5,10.58	38,90.74	8,74.36	47,65.10	(+)71
(ग)	जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास का पूंजीगत लेखा-					
4215-	जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	5,93.12	73,22.08	5,23.24	78,45.32	(-)12
4216-	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	14.60	2,91.07	6.46	2,97.53	(-)56
4217-	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	4,17.93	41,36.00	4,70.83	46,06.83	(+)13
	कुल-ख (ग) - जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास का पूंजीगत लेखा	10,25.65	1,17,49.15	10,00.53	1,27,49.68	(-)02

* विवरण में शत प्रतिशत से अधिक

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2017-2018 के दौरान व्यय	2017-2018 तक प्रगामी व्यय	2018-2019 के दौरान व्यय	2018-2019 तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि (+)/कमी (-)
(₹ करोड़ में)						
ख-	सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा- (समाप्त)					
(घ)	सूचना और प्रसारण का पूंजीगत लेखा-					
4220-	सूचना और प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	2.32	32.38	1.06	33.44	(-)54
	कुल-ख (घ) - सूचना और प्रसारण का पूंजीगत लेखा	2.32	32.38	1.06	33.44	(-)54
(ड.)	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा-					
4225-	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	1,00.57	2,69.82	35.53	3,05.35	(-)65
	कुल-ख (ड.) - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा	1,00.57	2,69.82	35.53	3,05.35	(-)65
(छ)	सामाजिक कल्याण और पोषण का पूंजीगत लेखा-					
4235-	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	2,45.21	26,22.38	1,22.20	27,44.58	(-)50
4236-	पोषण पर पूंजीगत परिव्यय	7.28	3,50.86	19.97	3,70.83	*
	कुल-ख (छ) -सामाजिक कल्याण और पोषण का पूंजीगत लेखा	2,52.49	29,73.24	1,42.17	31,15.41	(-)44
(ज)	अन्य सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-					
4250-	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	10.50	2,99.37	48.38	3,47.75	*
	कुल-ख (ज)- अन्य सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा	10.50	2,99.37	48.38	3,47.75	*
	कुल-ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा	27,87.01	2,52,69.36	28,95.57	2,81,64.93	(-)04

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2017-2018 के दौरान व्यय	2017-2018 तक प्रगामी व्यय	2018-2019 के दौरान व्यय	2018-2019 तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि (+)/कमी (-)
						(₹ करोड़ में)
ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-						
(क) कृषि और संबद्ध गतिविधियों का पूंजीगत लेखा-						
4401-	फसल उत्पादन पर पूंजीगत परिव्यय	2,28.20	17,07.05	2,13.35	19,20.40	(-)07
4402-	मृदा और जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	6.22	3,82.05	8.32	3,90.37	(+)34
4403-	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	24.17	3,25.78	38.63	3,64.41	(+)60
4404-	डेयरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	-	11.56	-	11.56	-
4405-	मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय	14.52	2,07.42	11.37	2,18.79	(-)22
4406-	वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	58.02	8,65.04	47.88	9,12.92	(-)17
4408-	खाद्य, भंडार और भंडारण पर पूंजीगत परिव्यय	2,97.89	29,85.39	2,53.02	32,38.41	(-)15
4415-	कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	28.04	3,15.90	20.18	3,36.08	(-)28
4416-	कृषि वित्तीय संस्थानों में निवेश	-	#	-	#	-
4425-	सहयोग पर पूंजीगत परिव्यय	2,59.96	3,97.02	3.75	4,00.77	*
4435-	अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	-	4.07	-	4.07	-
कुल-ग (क) - कृषि और संबद्ध गतिविधियों का पूंजीगत लेखा		9,17.02	72,01.28	5,96.50	77,97.78	(-)35
(ख) ग्रामीण विकास का पूंजीगत लेखा-						
4515-	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	18,49.85	62,15.09	18,05.20	80,20.29	(-)02
कुल-ग (ख) -ग्रामीण विकास का पूंजीगत लेखा		18,49.85	62,15.09	18,05.20	80,20.29	(-)02

नगण्य ₹0.40 हजार केवल।

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2017-2018 के दौरान व्यय	2017-2018 तक प्रगामी व्यय	2018-2019 के दौरान व्यय	2018-2019 तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि (+)/कमी (-)
(₹ करोड़ में)						
ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(जारी)						
(ग) विशेष क्षेत्रों के कार्यक्रमों का पूंजीगत लेखा-						
4575-	अन्य विशेष क्षेत्रों के कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	2,26.34	32,52.48	3,17.66	35,70.14	(+)40
	कुल-ग (ग) -विशेष क्षेत्रों के कार्यक्रमों का पूंजीगत लेखा	2,26.34	32,52.48	3,17.66	35,70.14	(+)40
(घ) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा-						
4701-	प्रमुख और मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	60.23	12,36.73	14.58	12,51.31	(-)76
4702-	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	1,38.14	19,62.48	83.40	20,45.88	(-)40
4705-	कमांड एरिया डेवलपमेंट पर पूंजीगत परिव्यय	12.50	3,21.30	-	3,21.30	(-)100
4711-	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1,62.65	14,57.82	1,79.52	16,37.34	(+)10
	कुल-ग (घ) -सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा	3,73.52	49,78.33	2,77.50	52,55.83	(-)26
(ड.) विद्युत का पूंजीगत लेखा-						
4801-	विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	6,60.22	1,39,27.48	2,06.16	1,41,33.64 (क)	(-)69
	कुल-ग (ड.)- विद्युत का पूंजीगत लेखा	6,60.22	1,39,27.48	2,06.16	1,41,33.64 (क)	(-)69

(क) राज्य सरकार द्वारा सूचित पिछले गलत वर्गीकरण में सुधार के कारण 31 मार्च 2013 तक ₹ 1,67,00.00 लाख की राशि को घटाकर शेष कर दिया गया है।

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2017-2018 के दौरान व्यय	2017-2018 तक प्रगामी व्यय	2018-2019 के दौरान व्यय	2018-2019 तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि (+)/कमी (-)
(₹ करोड़ में)						
ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(जारी)						
(च) उद्योग और खनिजों का पूंजीगत लेखा-						
4851-	गांव और लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	1,49.85	16,78.44	1,12.29	17,90.73	(-)25
4852-	लोह और इस्पात उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	57.94	2,04.04	2.07	2,06.11	(-)96
4853-	अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	3.13	74.81	1.72	76.53	(-)45
4854-	सीमेंट और गैर-धातु खनिज उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	-	0.24	-	0.24	-
4858-	इंजीनियरिंग उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	-	1.25	-	1.25	-
4860-	उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	-	31.34	-	31.34	-
4875-	अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	-	0.06	-	0.06	-
4885-	उद्योगों और खनिजों पर पूंजीगत परिव्यय	-	42.73	-	42.73	-
कुल-ग (च) - उद्योग और खनिजों का पूंजीगत लेखा		2,10.92	20,32.91	1,16.08	21,48.99	(-)45
(छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा-						
5054-	सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	15,65.72	1,24,15.28	7,98.70	1,32,13.98	(-)49
5055-	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	5.28	2,40.28	22.60	2,62.88	*
5056-	अंतर्देशीय जल परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	-	27.74	-	27.74	-
कुल-ग (छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा		15,71.00	1,26,83.30	8,21.30	1,35,04.60	(-)48

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2017-2018 के दौरान व्यय	2017-2018 तक प्रगामी व्यय	2018-2019 के दौरान व्यय	2018-2019 तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2018-2019 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि (+)/कमी (-)
(₹ करोड़ में)						
ग-	आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(जारी)					
(ज)	संचार का पूंजीगत लेखा-					
5275-	अन्य संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	-	0.02	-	0.02	-
	कुल-ग (ज) - संचार का पूंजीगत लेखा	-	0.02	-	0.02	-
(झ)	विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण का पूंजीगत लेखा-					
5425-	अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	52.45	1,50.72	8.04	1,58.76	(-) ⁸⁵
	कुल-ग (झ)- विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण का पूंजीगत लेखा	52.45	1,50.72	8.04	1,58.76	(-) ⁸⁵
(ञ)	सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-					
5452-	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	1,06.00	21,68.66	93.6	22,62.26	(-) ¹²
5465-	सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश	2,82.00	6,08.19	-	6,08.19	(ब) (-) ¹⁰⁰

(ब) राज्य सरकार द्वारा पूंजीगत विनिवेश के कारण 31 मार्च 2010 तक ₹ 28,09.50 लाख की राशि की प्रारूप अभाव दर्शाया गया।

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2017-2018 के दौरान व्यय	2017-2018 तक प्रगामी व्यय	2018-2019 के दौरान व्यय	2018-2019 तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2018-2019 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि (+)/कमी (-)
(₹ करोड़ में)						
ग-	आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा- (समाप्त)					
(ज)	सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा- (समाप्त)					
5475-	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5,13.53	49,46.93	4,57.89	54,04.82	(-)11
	कुल-ग (ज)-सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा	9,01.53	77,23.78	5,51.49	82,75.27	(-)11
	कुल-ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा	67,62.85	5,81,65.39	46,99.93	6,28,65.32	(-)31
	कुल योग	1,03,52.88	9,00,65.15	84,13.58	9,84,78.73 (ग)	(-)19

(ग) पूंजीगत विनिवेश और पिछले गलत वर्गीकरण के समायोजन के कारण वर्ष के अंत तक खर्च से घटाकर क्रमशः ₹ 28,09.50 लाख की राशि और ₹ 1,67.00 लाख की राशि को कम कर दिया गया है। इस विवरण में कृपया मुख्य शीर्ष 5465 और 4801 के अंतर्गत पाद टिप्पणी (क) और (ख) का भी संदर्भ लें।

व्याख्यात्मक टिप्पणियां

- 2018-19 के दौरान सरकार द्वारा ₹ 14.90 करोड़ के निवेश के प्रति संबंधित पीएसयूने केवल ₹ 35.90 करोड़ का निवेश दिखाया है। जिसका परिणाम दो सेट के आँकड़ों के मध्य ₹ 21.00 करोड़ के अंतर के रूप में हुआ। कृपया पैरा 3-iv (ख) "लेखा टिप्पणियां" खंड-I देखें। निवेश का ब्योरा विवरण संख्या: 8 और 19 में दिया गया है।
- 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के अंत में विभिन्न उपक्रमों की शेयर पूंजी में सरकार का कुल निवेश क्रमशः ₹ 8,03.74 करोड़, ₹ 6,53.52 करोड़ रुपये और ₹ 6,89.42 करोड़ रुपये था। 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान क्रमशः ₹ 45.11 करोड़ रुपये और शून्य राशि का लाभांश सरकारी खातों में जमा किया गया।

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण-(समाप्त)

नवीनतम प्रोफार्मा लेखा द्वारा बताए गए लेखा के पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत लेखाबद्ध विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रमों के कामकाज के वित्तीय परिणामों का सारांश नीचे दिया गया है:-

प्रोफार्मा लेखा - प्रत्येक उपक्रम के प्रति दर्शाई गई अवधियों के लिए विभागीय अधिकारियों से अब तक (जुलाई 2019) नीचे उल्लिखित उपक्रमों के प्रोफार्मा लेखा प्राप्त नहीं हुए हैं-

लेखा का मुख्य शीर्ष	उपक्रम का नाम	अवधि जिसके लिए देय
4058- लेखन सामग्री और मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय	1 सरकारी मुद्रक, श्रीनगर	1968-69 और उसके बाद (जुलाई 2019)
	2 सरकारी मुद्रक, जम्मू	1968-69 और उसके बाद (जुलाई 2019)
4408- खाद्य, भंडार और भंडारण पर पूंजीगत परिव्यय	1 उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण विभाग, श्रीनगर	1975-76 (संशोधित लेखा) और उसके बाद (जुलाई 2019)
	2 उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, जम्मू	1973-74 से 1997-98 और 1999-2000 और उसके बाद। तथापि, वर्ष 2002-03 के दौरान 1998-99 के प्रोफार्मा लेखों को अंतिम रूप दिया गया है। (जुलाई 2019)

6. उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण

सार्वजनिक ऋण और अन्य देयताओं का विवरण

उधार की प्रकृति	1 अप्रैल 2018 को शेष राशि	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	31 मार्च 2019 को शेष राशि	2018-19 के दौरान निवलवृद्धि (+)/कमी (-)		(₹ करोड़ में)
					राशि	प्रतिशत	कुल देयताओं के प्रतिशत के रूप में
क सार्वजनिक ऋण -							
6003 राज्य सरकार का							
आंतरिक ऋण [1]	3,74,18.53	2,53,32.28	2,05,29.39	4,22,21.42	(+)48,02.89	(+)13	53
बाजार ऋण	2,60,19.50	66,84.00	17,56.85	3,09,46.65	(+)49,27.15	(+)19	39
डब्ल्यूएमए[2]	3,00.71	1,82,41.94	1,80,10.27	5,32.38	(+)2,31.67	(+)77	01
बांड	35,37.55	4.03	4.03	35,37.55	-	-	04
वित्तीय संस्थानों से ऋण	37,25.62	4,02.31	4,25.39	37,02.54	(-)23.08	(-)01	05
राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियां	38,35.16	-	3,32.85	35,02.31	(-)3,32.85	(-)09	04
6004 केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम -	14,04.85	3.94	1,17.22	12,91.57	(-)1,13.28	(-)08	02
अनियोजित ऋण	96.29	-	-	96.29	-	-	*
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश नियोजित योजनाओं के लिए ऋण	12,29.92	-	1,16.43	11,13.49	(-)1,16.43	(-)09	01
केंद्रीय नियोजित योजनाओं के लिए ऋण	-	-	-	-	-	-	-
केंद्र प्रायोजित नियोजित योजनाओं के लिए ऋण	-	-	-	-	-	-	-

[1] विस्तृत विवरण सं 17 खण्ड-II पर है।

[2] डब्ल्यूएमए: अर्थोपाय अग्रिम

* विवरण में नगण्य।

6. उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण-(जारी)

सार्वजनिक ऋण और अन्य देयताओं का विवरण-(समाप्त)

उधार की प्रकृति	1 अप्रैल 2018 को शेष राशि	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	31 मार्च 2019 को शेष राशि	2018-19 के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-)		कुल देयताओं के प्रतिशत के रूप में
					राशि	प्रतिशत	
(₹ करोड़ में)							
क सार्वजनिक ऋण-(समाप्त)							
6004 केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम-(समाप्त)							
अन्य ऋण	47.04	-	-	47.04	-	-	*
केंद्र प्रायोजित योजनाएं	-	-	-	-	-	-	-
विधानमंडल के साथ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश के लिए अन्य ऋण	31.60	3.94	0.79	34.75	(+)3.15	(+)10	*
कुल सार्वजनिक ऋण	3,88,23.38	2,53,36.22	2,06,46.61	4,35,12.99	(+)46,89.61	(+)12	55
ख अन्य देयताएं-							
लोक लेखा-							
लघु बचत, भविष्य निधि आदि।	2,09,18.79	88,57.92	35,34.45	2,62,42.26	(+)53,23.47	(+)25	33
ब्याज धारित आरक्षित निधियां	7,29.53	3,31.60	1,68.88	8,92.25	(+)1,62.72	(+)22	01
बिना ब्याज धारित आरक्षित निधियां	14,34.86	3,63.47	2,04.18	15,94.15	(+)1,59.29	(+)11	02
ब्याज धारित जमा	59.41	8,45.49	7,83.22	1,21.68	(+)62.27	#	*
बिना ब्याज धारित जमा	62,39.32	40,68.56	35,76.83	67,31.05	(+)4,91.73	(+)08	09
कुल अन्य देयताएं	2,93,81.91	1,44,67.04	82,67.56	3,55,81.39	(+)61,99.48	(+)21	45
कुल सार्वजनिक ऋण और अन्य देयताएं	6,82,05.29	3,98,03.26	2,89,14.17	7,90,94.38	(+)1,08,89.09	(+)16	100

(क)
(ख)

(क) ₹ 35,37.55 करोड़ की सीमा तक के आंतरिक ऋण के अंतर्गत उदय बांड के कारण प्राप्तियों के बिना (2015-16 के ₹ 21,40.00 करोड़ और 2016-17 के ₹ 13,97.55 करोड़) राज्य सरकार की कुल देयताएं 2018-19 के अंत में ₹ 7,55,56.83 करोड़ हैं।

(ख) राज्य सरकार के साथ समाधान के अधीन आंकड़े (अक्टूबर-2019)

परिशोधन व्यवस्थाओं, ऋण की सर्विस के ब्योरे के लिए इस विवरण पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां पृष्ठ 32, 33 और 34 पर देखी जा सकती हैं।

विवरण में शत प्रतिशत से अधिक

6. उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण-(जारी)

विवरण 6 के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

1 परिशोधन व्यवस्था -

सरकार ने भारत सरकार से लिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए कोई परिशोधन व्यवस्था नहीं की है।

2 लघु बचत कोष से ऋण -

डाकघरों में लघु बचत योजनाओं और "सार्वजनिक भविष्य निधि" में संग्रहण में से ऋण राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच 3:1 के अनुपात में साझा किया जा रहा है। लघु बचत संग्रहण से ऋण जारी करने के उद्देश्य से 1999-2000 में एक अलग निधि अर्थात "राष्ट्रीय लघु बचत कोष" बनाया गया था। 2018-2019 के दौरान कोई ऋण प्राप्त नहीं हुआ, हालांकि, वर्ष के दौरान ₹ 3,32.85 करोड़ चुकाए गए। वर्ष के अंत में शेष राशि ₹ 35,02.31 करोड़ थी जो 31 मार्च 2019 तक राज्य सरकार के कुल सार्वजनिक ऋण का 8.05 प्रतिशत थी।

3 भारत सरकार से ऋण और अग्रिम:-

विवरण संख्या 17 में ब्योरा दिया गया है।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा बकाया ऋणों को बड़े खाते में डाले जाने के परिणाम स्वरूप, 2017-18 के अंत में जम्मू-कश्मीर सरकार के प्रति कोई राशि देय नहीं थी। हालांकि, 2018-19 के दौरान भारत सरकार को चुकाने के लिए ₹ 1,99.02 करोड़ (मूलधन ₹ 1,17.22 करोड़ और ब्याज ₹ 81.80 करोड़) की राशि देय हो गई। ₹ 1,99.02 करोड़ की कुल राशि के प्रति पूरी राशि (मूलधन ₹ 1,17.22 करोड़ और ब्याज ₹ 81.80 करोड़) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2018-19 के दौरान सीधे वसूली के रूप में समायोजित की गई थी। इस प्रकार वर्ष 2018-19 के अंत में केन्द्र सरकार से ऋणों पर कोई राशि अतिदेय नहीं थी।

4 राज्य सरकार का आंतरिक ऋण इसमें खुले बाजार से लिए गए दीर्घ कालिक ऋण, स्वायत्त निकायों से सरकार द्वारा प्राप्त संसाधन अंतराल और ऋणों को पूरा करने के लिए अस्थायी प्रकार की उधारी सम्मिलित है।

- (i) खुला बाजार ऋण:- सरकार द्वारा खुले बाजार से लिए गए सभी ऋण जिनका चलन एक वर्ष से अधिक है, ऋण की इस श्रेणी के अंतर्गत समूहीकृत किए जाते हैं।
- (ii) विभिन्न बकाया ऋणों का पूरा ब्योरा विवरण संख्या 17 और विवरण संख्या 17 के अनुलग्नक में दिया गया है।

6. उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण-(जारी)

विवरण 6 के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ-(जारी)

5 ऋण की सेवा -	वर्ष 2018-19 के दौरान निवल वृद्धि		
	2018-19	2017-18	(+)/ कमी (-) (₹ करोड़ में)
ऋण और अन्य देयताओं पर ब्याज - बकाया सकल ऋण और अन्य देयताएं और 2017-2018 और 2018-2019 के दौरान राजस्व से मिले ब्याज शुल्क की कुल निवल राशि को नीचे दर्शाया गया था:-			
(i) सकल ऋण और वर्ष के अंत में बकाया अन्य देयताएं			
(क) सार्वजनिक ऋण और लघु बचत, भविष्य निधि आदि	6,97,55.25	5,97,42.17	(+)1,00,13.08
(ख) अन्य देयताएं	93,39.13	84,63.12	(+)8,76.01
कुल (i)	7,90,94.38	6,82,05.29	(+)1,08,89.09
(ii) सरकार द्वारा चुकाया गया ब्याज-			
(क) सार्वजनिक ऋण और लघु बचत, भविष्य निधि आदि पर	49,61.22	45,08.21	(+)4,53.01
(ख) अन्य देयताओं पर	2,47.46	1,54.66	(+)92.80
कुल (ii)	52,08.68	46,62.87	(+)5,45.81
(iii) कटौती			
(क) सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज	0.81	0.78	(+)0.03
(ख) नकद शेष राशि के निवेश पर वसूला गया ब्याज	9.04	6.52	(+)2.52
कुल (iii)	9.85	7.30	(+)2.55
(iv) निवल ब्याज प्रभार	51,98.83	46,55.57	(+)5,43.26

6. उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण-(समाप्त)

विवरण 6 के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ-(समाप्त)

5 ऋण की सेवा-(समाप्त)

ऋण और अन्य देयताओं पर ब्याज - बकाया सकल ऋण और अन्य देयताएं और 2017-2018 और 2018-2019 के दौरान राजस्व से मिले ब्याज शुल्क की कुल निवल राशि को नीचे दर्शाया गया था:-

	वर्ष 2018-19 के दौरान निवल		
	2018-19	2017-18	वृद्धि (+)/ कमी (-) (₹ करोड़ में)
(v) कुल राजस्व प्राप्तियों के लिए सकल ब्याज {मद (ii)} का प्रतिशत	10.20	10.88	(-)0.68
(vi) कुल राजस्व प्राप्तियों के लिए निवल ब्याज का प्रतिशत {मद(iv)}	10.18	10.86	(-)0.68

इसके अलावा विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों और अन्य से प्राप्त ब्याज जैसे कुल ₹ 10.99 करोड़ की कुछ अन्य प्राप्तियां और समायोजन भी थे। यदि इनकी भी कटौती की जाती है, तो राजस्व पर ब्याज का शुद्ध भार ₹ 51,87.84 करोड़ होगा जो कि कुल राजस्व प्राप्तियों का 10.16 प्रतिशत है।

सरकार को वर्ष के दौरान विभिन्न उपक्रमों में निवेश पर लाभांश शून्य रूप में प्राप्त हुआ।

6 ऋण में कमी या परिहार के लिए विनियोग।

राज्य सरकार ने 2011-12 से ऋण शोधन निधि की स्थापना की और 2018-19 के दौरान ₹ 97.05 करोड़ रुपये की राशि निधि को हस्तांतरित की गई है।

7. सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों का विवरण

(i) ऋणों व अग्रिमों का सारांश: ऋणी समूह वार

क्षेत्र/ऋणी समूह ¹	01 अप्रैल 2018 को शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	बढ़े खाते में डाले गये ऋण और अग्रिम	31 मार्च 2019 तक शेष	वर्ष के दौरान प्रतिशत की वृद्धि/कमी
(₹ करोड़ में)						
सामान्य सेवाएं						
सांविधिक निगम	-	-	-	-	-	-
सरकारी कंपनियां	-	-	-	-	-	-
कुल-सामान्य सेवाएं	-	-	-	-	-	-
सामाजिक सेवाएं-						
विश्वविद्यालय/शैक्षिक संस्थाएं	-	-	-	-	-	-
पंचायती राज संस्थाएं	-	-	-	-	-	-
नगर पालिकाएं/नगर परिषद्/नगर निगम	12.74	-	-	-	12.74	-
शहरी विकास प्राधिकरण	1.91	-	-	-	1.91	-
हाउसिंग बोर्ड	2.90	-	-	-	2.90	-
राज्य आवास निगम	-	-	-	-	-	-
सांविधिक निगम	-	-	-	-	-	-
सरकारी कंपनियां	-	-	-	-	-	-
सहकारी समितियां/सहकारी निगम/बैंक	-	-	-	-	-	-
अन्य	1,29.47	-	0.21	-	1,29.26	*
कुल-सामाजिक सेवाएं	1,47.02	-	0.21	-	1,46.81	*

(1) कृपया विस्तृत ब्यौरे हेतु खण्ड II विवरण संख्या 18 का संदर्भ लें।

* नगण्य

7. सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों का विवरण-(जारी)

(i) ऋणों व अग्रिमों का सारांश: ऋणी समूह वार-(समाप्त)

क्षेत्र/ऋणी समूह ¹	01 अप्रैल 2018 को शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	बड़े खाते में डाले गये ऋण और अग्रिम	31 मार्च 2019 तक शेष	वर्ष के दौरान प्रतिशत की वृद्धि/कमी
(₹ करोड़ में)						
आर्थिक सेवाएं-						
पंचायती राज संस्थाएं	0.01	-	-	-	0.01	-
नगर पालिकाएं/नगर परिषद्/नगर निगम	-	-	-	-	-	-
शहरी विकास प्राधिकरण	-	-	-	-	-	-
सांविधिक निगम	3,38.75	67.98	2.50	-	4,04.23	(+)19
सरकारी कंपनियां	4,88.94	-	-	-	4,88.94	-
सहकारी समितियां/सहकारी निगम/बैंक	9.77	-	-	-	9.77	-
अन्य	6,55.63	-	0.03	-	6,55.60	-
कुल-आर्थिक सेवाएं	14,93.10	67.98	2.53	-	15,58.55	(+)04
सरकारी कर्मचारी						
सरकारी कर्मचारी	20.73	1.17	1.49	-	20.41	(-)02
कुल-सरकारी कर्मचारी	20.73	1.17	1.49	-	20.41	(-)02
कुल-ऋण एवं अग्रिम	16,60.85	69.15	4.23	-	17,25.77	\$ (+)04

\$ कृपया मुख्य शीर्ष 6801- विवरण संख्या 18 खण्ड II के नीचे की पाद टिप्पणी ए का संदर्भ लें। मुख्य शीर्ष 4801- विवरण संख्या 16 खण्ड II के नीचे पाद टिप्पणी ए का भी संदर्भ लें।

7. सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों का विवरण-(जारी)

(ii) बकायों में वसूलियां

(क) महालेखाकार कार्यालय द्वारा अनुरक्षित किए गए विस्तृत ऋण लेखे: सरकारी कर्मचारियों को दिए गए ऋणों के संबंध में, जिनके विस्तृत लेखे लेखा कार्यालय में रखे जाते हैं, 2018-2019 के अंत में कुल मूलधन ₹11.54 करोड़ के रूप में बकाया था जैसा कि नीचे वर्णित है।

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	31.03.2019 को बकाया (₹करोड़ में)	
		मूलधन	ब्याज
1	7610-सरकारी कर्मचारियों को ऋण आदि-		
	201-मकान निर्माण अग्रिम (क)	10.51	0.39
	202-मोटर वाहन की खरीद के लिए अग्रिम	1.03	0.04
	Total	11.54	0.43

(क) हालांकि गृह निर्माण अग्रिमों के ब्योरेवार लेखे महालेखाकार के कार्यालय में रखे जाते हैं, कम/मध्यम आय समूह आवास योजनाओं हेतु ऋणों के ब्योरेवार लेखे विभागीय अधिकारियों द्वारा रखे जाते हैं।

7. सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों का विवरण-(जारी)

(ii) बकायों में वसूलियां-(जारी)

(ख)		राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित ब्योरेवार लेखे		
क्र.सं.	लेखा शीर्ष	दिनांक 31.03.2019 को बकाया राशि	बकायों में वसूलियां	
			मूलधन	ब्याज (₹ करोड़ में)
	2018-19 के अंत में ₹ 17,06.08 करोड़ की राशि के सभी ऋणों के विस्तृत लेखाओं (मुख्य शीर्ष 7610-"सरकारी कर्मचारियों को ऋण" के अंतर्गत लघु शीर्ष 201-"मकान निर्माण अग्रिम" और लघु शीर्ष 202-"मोटर वाहन की खरीद के लिए अग्रिम" के तहत ऋणों के अतिरिक्त) का रखरखाव राज्य सरकार के (क) नियंत्रण अधिकारियों द्वारा किया जाता है। समय-समय पर अनुस्मारक जारी करने के बावजूद पिछले कई वर्षों से बकाया राशि (मूलधन और ब्याज*) में अतिदेय राशि के संबंध में जानकारी नहीं दी गई है। विश्लेषण निम्नलिखित है:-			
1	6202-	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति हेतु ऋण	5.53	
2	6210-	चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए ऋण	1.94	
3	6211-	परिवार कल्याण के लिए ऋण	#	
4	6216-	आवास के लिए ऋण	7.10	
5	6217-	शहरी विकास के लिए ऋण	28.20	
6	6225-	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यकों के कल्याण हेतु ऋण	0.13	*राज्य सरकार से सूचना प्रतीक्षित (अक्टूबर-2019)
7	6235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए ऋण	98.69	
8	6245-	प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत के लिए ऋण	5.08	
9	6250-	अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए ऋण	0.14	
10	6401-	फसल उत्पादन के लिए ऋण	19.34	
11	6402-	मृदा और जल संरक्षण के लिए ऋण	0.05	
12	6403-	पशुपालन के लिए ऋण	0.52	
13	6404-	डेयरी विकास के लिए ऋण	0.30	
14	6406-	वानिकी और वन्य जीवन के लिए ऋण	0.02	
15	6425-	सहयोग के लिए ऋण	7.77	
16	6435-	अन्य कृषि कार्यक्रमों के लिए ऋण	12.67	
17	6515-	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए ऋण	0.05	

(क) राज्य सरकार द्वारा नियंत्रक अधिकारियों/आंकड़ों की संख्या को उपलब्ध नहीं कराया गया (अक्टूबर 2019)

नगण्य केवल ₹ 9000/-

7. सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों का विवरण-(समाप्त)

(ii) बकायों में वसूलियां-(समाप्त)

(ख)		राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित ब्योरेवार ऋण लेखे-(समाप्त)	
क्र.सं.	लेखा शीर्ष	दिनांक 31.03.2019 को बकाया राशि	बकायों में वसूलियां
		मूलधन	ब्याज
			(₹ करोड़ में)
18	6575-	अन्य विशेष क्षेत्रों के कार्यक्रमों के लिए ऋण	1.43
19	6801-	विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	85.05 \$
20	6851-	गांव और लघु उद्योगों के लिए ऋण	36.99
21	6853-	अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों के लिए ऋण	1.98
22	6858	इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए ऋण	0.34
23	6860	उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण	10.04
24	6885-	अन्य उद्योगों और खनिजों के लिए ऋण	7,43.42
25	7055-	सड़क परिवहन के लिए ऋण	5,98.08
26	7075-	अन्य परिवहन सेवाओं के लिए ऋण	5.54
27	7452-	पर्यटन के लिए ऋण	16.22
28	7475-	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण	18.74
29	7610-	सरकारी कर्मचारियों को ऋण आदि-	
		(क) 203- अन्य वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम	0.22
		(ख) 204- कंप्यूटरों की खरीद के लिए अग्रिम	#
		(ग) 800-अन्य अग्रिम-	
		(i) अन्य अग्रिम-	0.50
		कुल-7610	0.72
		कुल योग-7610	17,06.08

§ कृपया खण्ड II विवरण संख्या 18 में मुख्य शीर्ष 6801 के नीचे पाद टिप्पणी का संदर्भ लें। खण्ड I विवरण संख्या 5 के मुख्य शीर्ष 4801 के नीचे पाद टिप्पणी का भी संदर्भ लें।

नगण्य (केवल ₹ 34,910/-)

(ग) ऋण जिनके लिए अभी तक पुनर्भुगतान के नियम और शर्तों का निपटान किया जाना है, वे निम्नलिखित हैं:

राज्य सरकार से सूचना प्रतीक्षित (अक्टूबर-2019)

8. सरकार के निवेशों का विवरण

2017-18 और 2018-19 के लिए विभिन्न व्यावसायों की शेयर पूंजी में सरकारी निवेश का तुलनात्मक सारांश

(₹ करोड़ में)

व्यवसाय का नाम	2018-19			2017-18		
	व्यवसायों की संख्या	वर्ष के अन्त में निवेश	वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज/लाभांश	व्यवसायों की संख्या	वर्ष के अन्त में निवेश	वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज/लाभांश
1 सांविधिक निगम	3	3,55.64	शून्य	3	3,22.74	शून्य
2 ग्रामीण बैंक	2	12.85	शून्य	2	12.85	शून्य
3 सरकारी कंपनियां	25	2,82.76	शून्य	24	2,79.76	शून्य
4 अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियां और साझेदारी	2	0.34	शून्य	2	0.34	शून्य
5 सहकारिता संस्थान एवं स्थानीय निकाय	8	37.83	शून्य	8	37.83	शून्य
कुल	40	6,89.42 (क)	शून्य	39	6,53.52	शून्य

(क) ब्योरे हेतु कृपया खंड 11 में विवरण सं 19 देखें

9. सरकार द्वारा दी गई गारंटियों का विवरण

क. वर्ष के दौरान सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों द्वारा उठाये गए एवं ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियाँ तथा विभिन्न क्षेत्रों में 31 मार्च 2019 को बकाया प्रत्याभूतित राशियां नीचे दी गई हैं।

क्षेत्र	गारंटी की अधिकतम राशि		2018-19 की शुरुआत में बकाया		वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) (मांग की गई से अतिरिक्त)		वर्ष के दौरान मांगी गई		2018-19 के अंत में बकाया (क)		गारंटी कमीशन या शुल्क (ख)	
	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	उन्मोचित	गैर उन्मोचित	मूलधन	ब्याज	प्राप्त	प्राप्य
विद्युत (2)*	39,33.81	-	22,75.19	-	(-)3,58.76	-	-	-	19,16.43	-	-	-
सहकारिता (6)*	1,82.16	-	39.37	-	(-)4.00	-	-	-	35.37	-	-	-
राज्य वित्तीय निगम (1)*	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य संस्थान (7)*	1,95.23 (ग)	-	99.54	1.97	(+)18.86	(-)0.02	-	-	1,18.40	1.95	3.00 (घ)	-
कुल (16)*	43,61.20	-	24,14.10	1.97	(-)3,43.90	(-)0.02	-	-	20,70.20 (ड.)	1.95	3.00	-

* कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े संस्थानों की संख्या को इंगित करते हैं।

(क) राज्य बजट 2018-19 में दर्शाए गए अनुसार वर्ष 2018-19 की समाप्ति पर बकाया प्रत्याभूतियों की राशि विवरण में दर्शायी गई राशि से भिन्न है। मामला राज्य सरकार सहित संबंधित एजेंसियों के साथ पत्राचाराधीन है, विवरण प्रतीक्षित है (अगस्त 2019)।

(ख) मार्च 2019 की समाप्ति पर राज्य सरकार द्वारा प्राप्त कुल कमीशन/शुल्क ₹ 8.22 करोड़ (2019-17 में ₹ 3.22 करोड़, 2017-18 में ₹ 2.00 करोड़ तथा 2018-19 में ₹ 3.00 करोड़) है।

(ग) राज्य सरकार द्वारा ईडीआई/राज्य पुर्नवास परिषद् को दी गई प्रत्याभूतियों की राशि को सम्मिलित नहीं करता है क्योंकि यह लेखापरीक्षा कार्यालय/राज्य सरकार के साथ पुनर्मिलान के अधीन है।

(घ) राज्य पुर्नवास परिषद् से प्राप्त कमीशन को प्रदर्शित करता है

(ड.) कृपया ब्यौरे के लिए खण्ड II विवरण संख्या 20 का सन्दर्भ लें।

10. सरकार द्वारा दिए गए सहायता अनुदानों का विवरण

(i) नकद में भुगतान की गई सहायता-अनुदान

गारंटी का नाम/श्रेणी	अनुदान-सहायता के रूप में जारी कुल निधियां			कॉलम (नंबर 2) # में दर्शाई गई कुल जारी निधियों में से पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए आवंटित निधियां		
	2018-19			2018-19		
	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/सीएससहित)	कुल	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/सीएससहित)	कुल
1	2			3		
(₹ करोड़ में)						
1 शहरी स्थानीय निकाय						
(i) नगर निगम	-	-	-	-	-	-
(ii) नगर पालिकाएं/नगर परिषद्	1,82.33	-	1,82.33	-	-	-
(iii) अन्य	4,36.72	-	4,36.72	-	-	-
2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम						
(i) सरकारी कंपनियां	-	-	-	-	-	-
(ii) सांविधिक निगम	74.37	-	74.37	-	-	-
3 स्वायत्त निकाय						
(i) विश्वविद्यालय	7,43.01	-	7,43.01	-	-	-
(ii) विकास प्राधिकरण	54.53	-	54.53	-	-	-
(iii) सहकारिता संस्थान	7.00	-	7.00	-	-	-
(iv) अन्य	31.15	-	31.15	-	-	-
4 गैर सरकारी संगठन	14,17.80	-	14,17.80	-	-	-
5 अन्य	82.49	2,96.18	3,78.67	-	-	-
कुल	30,29.40	2,96.18	33,25.58	\$ -	-	-

राज्य सरकार से सूचना प्रतिक्रित (अक्टूबर 2019) है

\$ पूंजीगत व्यय से प्राप्त ₹8.73 करोड़ शामिल है। कृपया "लेखाओं पर टिप्पणी" के खण्ड 1 अनुलग्नक ख का संदर्भ लें।

(ii) विभिन्न रूप से दिए गए सहायता-अनुदान

विभिन्न रूप से दिए गए सहायता-अनुदान के संबंध में सूचना राज्य सरकार से प्रतिक्रित है (अगस्त 2019) है

11. दत्तमत तथा प्रभारित व्यय का विवरण

विवरण	वास्तविक					
	2018-2019			2017-2018		
	प्रभारित	दत्तमत	कुल	प्रभारित	दत्तमत	कुल
						(₹ करोड़ में)
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	52,77.80	5,08,12.17	5,60,89.97	47,10.91	3,62,05.58	4,09,16.49
व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)	-	84,13.58	84,13.58	-	1,03,52.88	1,03,52.88
सार्वजनिक ऋण, ऋण और अग्रिम, अंतरराज्यीय समायोजन और आकस्मिकता निधि में हस्तांतरण के अंतर्गत संवितरण (क)	2,06,46.61	69.15	2,07,15.76	2,24,90.14	24.75	2,25,14.89
कुल	2,59,24.41	5,92,94.90	8,52,19.31	2,72,01.05	4,65,83.21	7,37,84.26
ड. सार्वजनिक ऋण-						
राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	2,05,29.39	-	2,05,29.39	2,23,74.19	-	2,23,74.19
केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम	1,17.22	-	1,17.22	1,15.95	-	1,15.95
च. ऋण और अग्रिम-						
सामान्य सेवाओं के लिए ऋण	-	-	-	-	-	-
सामाजिक सेवाओं के लिए ऋण	-	-	-	-	-	-
आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण	-	67.98	67.98	-	20.79	20.79
सरकारी कर्मचारियों को ऋण आदि	-	1.17	1.17	-	3.96	3.96
विविध उद्देश्यों के लिए ऋण	-	-	-	-	-	-

(क) खण्ड II के विवरण संख्या 17 और 18 में विस्तृत लेखा को दिया गया है।

11. दत्तमत तथा प्रभारित व्यय का विवरण-(समाप्त)

विवरण	वास्तविक					
	2018-2019			2017-2018		
	प्रभारित	दत्तमत	कुल	प्रभारित	दत्तमत	कुल
						(₹ करोड़ में)

छ. अन्तर्राज्यीय निपटान-

अन्तर्राज्यीय निपटान

- - - - -

ज. आकस्मिकता निधि में हस्तांतरण-

आकस्मिकता निधि में हस्तांतरण

- - - - -

(i) 2017-18 और 2018-19 के दौरान कुल व्यय के लिए दत्तमत व्यय और प्रभारित व्यय का प्रतिशत इस प्रकार था :-

कुल व्यय का प्रतिशत

वर्ष	प्रभारित	दत्तमत
2017-2018	36.87	63.13
2018-2019	30.42	69.58

12. 2018-19 के अंत तक राजस्व लेखाओं के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग पर विवरण

	1 अप्रैल 2018 को	वर्ष 2018-2019 के दौरान	31 मार्च 2019 को
	(₹ करोड़ में)		
पूँजीगत और अन्य व्यय-			
पूँजीगत व्यय-			
लोक निर्माण	55,62.25	4,56.59	60,18.84
अन्य सामान्य सेवाएं	10,68.15	3,61.49	14,29.64
सामाजिक सेवाएं-			
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	60,54.66	7,93.54	68,48.20
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	38,90.74	8,74.36	47,65.10
जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	1,17,49.15	10,00.53	1,27,49.68
सूचना एवं प्रसारण	32.38	1.06	33.44
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण	2,69.82	35.53	3,05.35
सामाजिक कल्याण और पोषण	29,73.24	1,42.17	31,15.41
अन्य सामाजिक सेवाएं	2,99.37	48.38	3,47.75
कुल-सामाजिक सेवाएं	2,52,69.36	28,95.57	2,81,64.93
आर्थिक सेवाएं			
कृषि और संबद्ध गतिविधियां	72,01.28	5,96.50	77,97.78
ग्रामीण विकास	62,15.09	18,05.20	80,20.29
विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	32,52.48	3,17.66	35,70.14
सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	49,78.33	2,77.50	52,55.83
ऊर्जा	1,39,27.48	2,06.16	1,41,33.64 *
उद्योग और खनिज	20,32.91	1,16.08	21,48.99
परिवहन	1,26,83.30	8,21.30	1,35,04.60
संचार	0.02	-	0.02
विज्ञान, तकनीकी और पर्यावरण	1,50.72	8.04	1,58.76
सामान्य आर्थिक सेवाएं	77,23.78	5,51.49	82,75.27 *
कुल-आर्थिक सेवाएं	5,81,65.39	46,99.93	6,28,65.32 *
कुल-पूँजीगत व्यय	9,00,65.15	84,13.58	9,84,78.73 *
ऋण एवं अग्रिम			
सामाजिक सेवाएं-			
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	5.64	(-)0.10	5.54
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1.97	(-)0.03	1.94

* कृपया खण्ड I विवरण संख्या 5 के मुख्य शीर्ष 4801 और 5465 के नीचे पाद टिप्पणी (ए) और बी का संदर्भ लें। खण्ड II के विवरण संख्या 18 के मुख्य शीर्ष 6801 के नीचे पाद टिप्पणी (ए) के संदर्भ लें।

पूर्णांकन \$ के कारण गत वर्ष के वित्तीय लेखा से भिन्न है।

12. 2018-19 के अंत तक राजस्व लेखाओं के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग पर विवरण-(जारी)

	1 अप्रैल 2018 को	वर्ष 2018-2019 के दौरान	31मार्च 2019 को
	(₹ करोड़ में)		
ऋण और अग्रिम-(समाप्त)			
सामाजिक सेवाएं-(समाप्त)			
जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	35.31	(-)0.01	35.30
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण	0.12	-	0.12
सामाजिक कल्याण और पोषण	1,03.85	(-)0.07	1,03.78
अन्य सामाजिक सेवाएं	0.13	-	0.13
कुल-सामाजिक सेवाएं	1,47.02	(-)0.21	1,46.81
आर्थिक सेवाएं			
कृषि और संबद्ध गतिविधियां	40.69	(-)0.02	40.67
ग्रामीण विकास	0.05	-	0.05
विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	1.43	-	1.43
विद्युत	85.05	-	85.05 (क)
उद्योग और खनिज	7,57.30	35.47	7,92.77
परिवहन	5,73.62	30.00	6,03.62
सामान्य आर्थिक सेवाएं	34.96	-	34.96
कुल-आर्थिक सेवाएं	14,93.10	65.45	15,58.55
सरकारी कर्मचारियों को ऋण	20.73	(-)0.32	20.41
कुल-ऋण एवं अग्रिम	16,60.85	64.92	17,25.77 (क)
कुल-पूंजीगत व अन्य व्यय	9,17,26.00	84,78.50	10,02,04.50
कटौती			
आकस्मिक निधि से अंशदान			
विविध पूंजीगत प्राप्तियों से अंशदान	28.10	-	28.10
विकास निधियों, आरक्षित निधियों आदि से अंशदान	-	-	-
कुल-निवल पूंजीगत व अन्य व्यय	9,16,97.90	84,78.50	10,01,76.40
निधियों के प्रमुख स्रोत			
2018-19 के लिए राजस्व अधिशेष (+)/घाटा (-)		(-)48,59.26	
सेवानिवृत्ति/विनिवेश के कारण समायोजन	(-)28.10	-	(-)28.10

(क) कृपया खण्ड 11 के विवरण संख्या 18 के मुख्य शीर्ष 6801 के नीचे पाद टिप्पणी (क) के संदर्भ लें। खण्ड 1 के विवरण संख्या 5 के मुख्य शीर्ष 4801 के नीचे पाद टिप्पणी (क) का भी संदर्भ लें।

12. 2018-19 के अंत तक राजस्व लेखाओं के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग पर विवरण-(समाप्त)

	1 अप्रैल 2018 को	वर्ष 2018-2019 के दौरान	31 मार्च 2019 को
	(₹ करोड़ में)		
निधियों के प्रमुख स्रोत			
ऋण			
राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण	3,74,18.53	48,02.89	4,22,21.42
केंद्र सरकार से प्राप्त ऋण और अग्रिम	14,04.85	(-)1,13.28	12,91.57
लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि	2,09,18.79	53,23.47	2,62,42.26
कुल-ऋण	5,97,42.17	1,00,13.08	6,97,55.25
अन्य देयताएँ			
आकस्मिकता निधि	0.83	0.17	1.00
आरक्षित निधियां	21,75.25	3,22.01	24,97.26
जमा और अग्रिम	62,86.04	5,54.00	68,40.04
उचंत और विविध (सरकारी लेखाओं और नकद शेष निवेश खाते में पड़ी राशि के अतिरिक्त)	(-)4,03.81	4,04.03	0.22
प्रेषण	7,63.58	20,01.13	27,64.71
कुल-अन्य देयताएं	88,21.89	32,81.34	1,21,03.23
कुल-ऋण तथा अन्य देयताएं	6,85,64.06	1,32,94.42	8,18,58.48
कटौती-नकद शेष	1,54.51	(-)43.34	1,11.17
कटौती-निवेश	3,94.78	-	3,94.78
जमा-वर्ष 2018-19 के दौरान सरकारी लेखे में पड़ी राशि			
निधियों का निवल प्रावधान	6,79,86.67	84,78.50	8,13,24.43

\$ ₹ 48,59.26 करोड़ घटाने के कारण ₹ 8,13,24.43 करोड़ (₹ 6,79,86.67 करोड़ से ₹ 84,78.50 करोड़) से भिन्न है (₹ 48,59.26 करोड़ का राजस्व घाटा) पूंजीगत और अन्य व्यय के मध्य ₹ 1,88,51.97 की राशि की भिन्नता थी। तथा 31 मार्च 2019 तक व्यय और निवल निधि प्रावधान जो कि सरकारी लेखाओं में संचयी राजस्व आधिक्य तथा अवरुद्ध राशि को प्रस्तुत करता है।

13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के तहत शेषों का सारांश

क. निम्नलिखित 31 मार्च 2019 तक शेषों का सारांश है

डेबिट शेष (₹ करोड़ में)	सामान्य लेखा का क्षेत्र	लेखा का नाम	क्रेडिट शेष (₹ करोड़ में)
7,96,26.76 [1]	ए से डी और एल का भाग (एमएच 8680 केवल)	समेकित निधि सरकारी लेखा	
	इ	सार्वजनिक ऋण	4,35,12.99
17,25.77 \$	एफ	ऋण और अग्रिम	
		आकस्मिकता निधि	
		आकस्मिकता निधि	1.00
		लोक लेखा	
	आई	लघु बचत, भविष्य निधियां आदि	2,62,42.26
	जे	आरक्षित निधियां	
10.86		(i) ब्याज धारित आरक्षित निधियां	
		सकल शेष	9,03.11
		निवेश	
		(ii) बिना ब्याज धारित आरक्षित निधियां	
		सकल शेष	15,94.15
		निवेश	
	के	जमा और अग्रिम	
		(i) ब्याज धारित जमा	1,21.68
12.69		(ii) बिना ब्याज धारित जमा	67,31.05
		(iii) अग्रिम	
	एल	उचंत और विविध	
3,83.92		निवेश	
		अन्य मद (निवल)	0.22
	एम	प्रेषण	27,64.71
1,11.17 *	एन	नकद शेष	
8,18,71.17		कुल	8,18,71.17

[1] कृपया खण्ड 1 के पृष्ठ संख्या 49 को यह समझने के लिए देखें की यह आंकड़ें किस प्रकार आए हैं।

\$ कृपया खण्ड 1 के विवरण संख्या 5 के मुख्य शीर्ष 4801 और 6801 के नीचे पाद टिप्पणी (ए) का संदर्भ लें और खण्ड दो के विवरण संख्या 18 का भी क्रमशः संदर्भ लें।

* जैसा की रिजर्व बैंक मे जमा राशि के संबंध में जो कि सरकार की नकद शेष के घटक है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बताए गए आंकड़ों और लेखाओं में प्रतिबिम्बित आंकड़ों में भिन्नता थी। पृष्ठ संख्या 7 के विवरण संख्या 2 के अनुलग्नक के अधीन '@' पाद टिप्पणी का संदर्भ लें।

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

बी **सरकारी लेखा:** सरकारी लेखों में बुक-कीपिंग की प्रणाली के अंतर्गत, राजस्व, पूंजीगत और अन्य संव्यवहारों के अंतर्गत दर्ज की गई राशि, जिसकी शेष राशि को लेखों में वर्ष-दर-वर्ष अंग्रेषित नहीं किया जाता है, को एक एकल शीर्ष "सरकारी लेखा" में रखा जाता है। इस शीर्ष के अंतर्गत शेष ऐसे सभी संव्यवहारों के संचयी परिणाम को प्रदर्शित करता है।

इसके लिए सार्वजनिक ऋण, ऋण और अग्रिम, लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा और अग्रिम, उचंत और विविध (विविध सरकारी लेखों के अतिरिक्त), प्रेषण और आकस्मिकता निधि आदि के अंतर्गत शेष राशि जोड़ी जाती है और वर्ष के अंत: नकद शेष को ज्ञात और प्रमाणित किया जाता है।

सारांश में अन्य शीर्षकों में सरकारी लेखा बही में सभी लेखा शीर्षों के अंतर्गत शेषों को ध्यान में रखा गया है जिसके संबंध में सरकार को प्राप्त धन का भुगतान करने की देयता है या भुगतान की गई राशि की वसूली करने का दावा है और लेखा बही में प्रेषण संव्यवहारों के समायोजन के लिए खोले गए लेखा शीर्ष भी हैं।

यह समझना चाहिए कि इन शेषों को सरकार की वित्तीय स्थिति का पूरा अभिलेख नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें ना तो राज्य की सभी भौतिक परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, संचार आदि और नहीं किसी अर्जित बकाया या किसी बकाया देयता को हिसाब में लिया जाता जिसको सरकार द्वारा अपनाई गई लेखांकन की नकद आधार के अंतर्गत खाते में नहीं लाया जाता हैं।

वर्ष के अंत में सरकारी लेखों के डेबिट पर प्राप्त हुई निवल राशि निम्नलिखित है:-

डेबिट	ब्योरा	क्रेडिट
(₹ करोड़ में)		(₹ करोड़ में)
6,63,53.92*	क. 1 अप्रैल 2018 को सरकारी लेखाओं के डेबिट पर राशि	
-	ख. प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)	5,12,30.71
-	ग. प्राप्ति शीर्ष (पूंजीगत लेखा)	-
5,60,89.97	घ. व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	
84,13.58	ड. व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा)	
-	च. उचंत और विविध (विविध सरकारी लेखा)	
-	छ. 31 मार्च 2019 को सरकारी लेखों के डेबिट पर राशि	7,96,26.76
13,08,57.47	कुल	13,08,57.47

- (i) कई मामलों में, अंत: शेष में असंगत असमानता हैं जैसा कि प्राप्ति, संवितरण और आकस्मिकता निधि और लोक लेखा (विवरण संख्या 21) के ब्योरे में बताया गया है और लेखा कार्यालय/ विभागीय कार्यालयों में इस उद्देश्य के लिए अनुरक्षित पृथक रजिस्ट्रों या अन्य अभिलेखों में दर्शाया गया है। विसंगतियों को दूर करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
- (ii) शेषों को उनके सत्यापन और स्वीकृति के लिए प्रति वर्ष संबंधित अधिकारियों को सूचित किया जाता है। बड़ी संख्या में मामलों में ऐसी स्वीकृतियां प्राप्त नहीं हुई हैं।
- (iii) जिन मामलों में शेषों की स्वीकृतियों में विलंब हुआ है और जिनमें सम्मिलित राशियां महत्वपूर्ण हैं का परिशिष्ट- VII क खंड-II में उल्लेख किया गया है।
- (iv) शेषों के मिलान से संबंधित ऐसे मामले जिनमें विवरण/ दस्तावेजों प्रतीक्षित है, का वर्णन परिशिष्ट-VII ख खंड-II में दिया गया है

* (क) कृपया खण्ड I के विवरण संख्या 5 के मुख्य शीर्ष 4801 और खण्ड II के विवरण संख्या 18 के मुख्य शीर्ष 6801 के नीचे पाद टिप्पणी (क) का क्रमशः संदर्भ लें।

लेखाओं पर टिप्पणियाँ

1. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार

i संस्था और लेखांकन अवधि

वित्तीय लेखे 2018-19 जम्मू एवं कश्मीर सरकार के 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 की अवधि हेतु लेन-देनों को दर्शाते हैं और 132 कोषागारों जिसमें 22 जिला कोषागार तथा भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह भी सम्मिलित है, के द्वारा प्रदान की गई प्रारंभिक लेखाओं के आधार पर समेकित किया गया है। अप्रैल 2016 से, पूंजी खण्ड के संबंध में तथा अप्रैल 2017 से निर्माण एवं वन प्रभागों के संदर्भ में राजस्व खण्ड के संबंध में, जम्मू एवं कश्मीर सरकार सिविल लेखा प्रणाली में बदल गई। तदनुसार, 2017-18 के दौरान निर्माण एवं वन प्रभागों से कोई भी मासिक लेखा देय नहीं था। वर्ष के दौरान मुख्यतः लेह और कारगिल प्रभागों में स्थित कुछ कोषागारों द्वारा मासिक लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में 01 से 30 दिनों तक की देरी हुई। हालांकि, वर्ष 2018-19 के अंत में किसी भी लेखाओं को गैर-सम्मिलित नहीं किया गया है।

ii लेखांकन का आधार

कुछ आवधिक समायोजनों और बही समायोजनों के अपवाद के साथ जिनमें कोई वास्तविक नकदी प्रवाह नहीं होता है (अनुलग्नक-क), प्रतिवेदनाधीन लेखे वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार की वास्तविक नकद प्राप्तियों और संवितरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भौतिक परिसंपत्तियों जैसे इमारतें, मशीनरी, उपकरण वाहन आदि और वित्तीय परिसंपत्तियों जैसे सरकारी निवेश, सरकार द्वारा ऋण आदि को ऐतिहासिक लागत पर दिखाया जाता है अर्थात् अधिग्रहण/ खरीद के समय मूल्य या मूल निवेश या ऋण का मूल्य। भौतिक परिसंपत्तियों का अवमूल्यन नहीं किया जाता और वित्तीय परिसंपत्तियों का परिशोधन नहीं किया जाता है। भौतिक परिसंपत्तियों के जीवन काल के अंत में हुई हानि को मूल्यांकित व पहचाना नहीं जा सका। वर्ष के दौरान संवितरित सभी सेवानिवृत्त लाभों को लेखाओं में व्यय के तौर पर दर्शाया गया है।

31 मार्च 2019 को सरकार की पेंशन देयता यानी अतीत के लिए सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के प्रति देयता और उसके कर्मचारियों की वर्तमान सेवाओं को लेखाओं में शामिल नहीं किया गया।

iii मुद्रा जिसमें खाते रखे जाते हैं

जम्मू एवं कश्मीर सरकार के लेखे भारतीय रूपये में रखे जाते हैं।

iv लेखाओं का स्वरूप

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अंतर्गत संघ और राज्यों के लेखाओं को ऐसे स्वरूप में रखा जाता है जैसा कि राष्ट्रपति, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर निर्धारित करते हैं। अनुच्छेद 150 में उपयोग किए जाने वाले “स्वरूप” शब्द का एक व्यापक अर्थ है ताकि न केवल लेखाओं को रखने वाले व्यापक स्वरूप के निर्धारण को शामिल किया जा सके, बल्कि उचित लेखा शीर्ष के चयन का आधार भी हो सके जिसके तहत लेन-देनों को वर्गीकृत किया जाना है।

v राजस्व या पूंजीगत व्यय के रूप में व्यय का वर्गीकरण

राजस्व व्यय आवर्तक प्रकृति में होते हैं तथा राजस्व प्राप्तियों से प्राप्त किए जाने के लिए अभिप्रेत होते हैं। पूंजीगत व्यय को, सामग्री और दीर्घकालिक प्रकृति की परिसंपत्तियों में वृद्धि करने या दीर्घकालिक देनदारियों को कम करने के उद्देश्य से किए गए व्यय के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके अलावा, भारत सरकार के लेखा मानकों (आईजेएस-2) के अनुसार अनुदान सहायता पर व्यय को अंतिम उपयोग की परवाह किए बिना अनुदानकर्ता के बही खाते में राजस्व व्यय के रूप में और प्राप्तकर्ता के बही खाते में राजस्व रसीद के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बजटीय आबंटन के अनुसार राजस्व प्रकृति के निम्नलिखित लेन-देनों को पूंजीगत व्यय के रूप में बुक किया गया है। वस्तुओं पर इस तरह के गलत वर्गीकृत व्यय की कुल राशि ₹ 2,261.99 करोड़ है, जो नीचे दर्शाए गई हैं:

क पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत सहायता अनुदान

2011 में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित आईजेएस-2 के अनुसार, भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा स्वायत्त निकायों और विशेष प्रयोजन वाहन को वितरित अनुदान-सहायता केंद्र पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से निष्पादित किया गया है और राज्य योजनाओं या सहायता के रूप में राज्य सरकार के खातों में राजस्व व्यय के रूप में माना जाना है। इन प्रावधानों के विपरित राज्य सरकार ने पूंजीगत व्यय के रूप में ₹ 1,874.17 करोड़ का बजट बनाया तथा इसकी बुकिंग की।

ख उपभोक्ता मामले तथा लोक वितरण विभाग द्वारा खाद्यान्नों की परिचालन लागत और परिवहन/ हैडलिंग शुल्क को पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत

राज्य सरकार ने पूंजीगत व्यय के रूप में खाद्यान्नों के परिचालन/ परिवहन/ हैडलिंग शुल्क पर (मुख्य शीर्ष 4235/60/800 के अंतर्गत ₹ 36.41 करोड़ तथा मुख्य शीर्ष 4408/01/101 के अंतर्गत ₹ 249.80 करोड़) ₹ 286.21 करोड़ बुक किए।

ग पूंजीगत व्यय के अंतर्गत बुक वजीफा एवं छात्रवृत्ति

राज्य सरकार ने पूंजीगत व्यय के रूप में वजीफा और छात्रवृत्ति पर ₹ 0.19 करोड़ का बजट तैयार और बुक किया।

घ पूंजीगत व्यय के अंतर्गत बुक की गई सहायिकी

राज्य सरकार ने सहायिकी के रूप में ₹ 99.18 करोड़ खर्च किए और इसे पूंजीगत व्यय के रूप में बुक किया।

ङ पूंजीगत व्यय के अंतर्गत वेतन घटक की बुकिंग:

राज्य सरकार ने पूंजीगत व्यय के रूप में स्थापना वेतन पर ₹ 2.24 करोड़ बुक किए।

इसका ब्यौरा अनुलग्नक-ख में दिया गया है।

vi लेखांकन मानकों के अनुसार अनुपालना:

भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित तीन प्रकार के भारत सरकार के लेखा मानक (आईजीएस) अधिसूचित किया गया है:

1. भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रत्याभूतियां (गारंटियां): प्रकटन आवश्यकताएं (आईजीएस-1)
2. सहायता अनुदान का लेखांकन वर्गीकरण (आईजीएस-2)
3. भारत सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम (आईजीएस-3)

यद्यपि, तीनों तरह के भारत सरकार लेखा मानकों (आईजीएस) के प्रारूप राज्य सरकार के वित्त लेखा में सम्मिलित किए गए हैं, हालाँकि, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित/ अधिसूचित प्रोफॉर्मा के अनुसार आवश्यक आंकड़ें/ सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।

2. लेखाओं की गुणवत्ता

- i अग्रिम प्रभाजन एवं अप्रभाजित एकीकृत वस्तु और सेवा कर (आईजीएसटी) का समनुदेशन:

आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 17 तथा वस्तु व सेवा कर निधियों का निपटारा नियमावली, 2017 के नियम 11(3) के अनुसार, केन्द्र सरकार वस्तु व

सेवा कर परिषद की अनुशंसाओं पर, अनन्तिम रूप से वित्तीय वर्ष के दौरान एकत्रित एकीकृत वस्तु व सेवा कर की किसी भी राशि का निपटारा कर सकती है, जिसका निपटारा अभी तक नहीं किया गया है और जो करदाताओं द्वारा फाइल किए गए रिटर्न के आधार पर उत्तरवर्ती माह/वर्ष में समायोजित की जाएगी।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संस्वीकृति आदेशों के अनुसार; आईजीएसटी के अग्रिम प्रभाजन के कारण ₹ 298.00 करोड़ की राशि प्राप्त की गई थी तथा चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर, ₹ 278.10 करोड़ की राशि जम्मू व कश्मीर सरकार को समनुदेशित उल्लिखित की गई थी।

ii. लघु शीर्ष 800-‘अन्य प्राप्तियाँ’ और ‘अन्य व्यय’ के अंतर्गत बुकिंग

लघु शीर्ष 800 - अन्य प्राप्तियाँ तथा अन्य व्यय का संचालन तभी करना है जब लेखाओं में उपयुक्त लघु शीर्ष की व्यवस्था नहीं की गई हो। बजट और लेखांकन हेतु लघु शीर्ष 800 का नियमित संचालन राजस्व या व्यय की अपनी उपयुक्त वस्तु हेतु प्राप्ति/ व्यय (जैसा भी मामला हो) की पहचान किए बिना खातों को अपारदर्शिता प्रदान करता है। वर्ष के दौरान ₹ 4,220.87 करोड़ [जिसमें ₹ 3,246.49 करोड़ की राजस्व प्राप्ति सम्मिलित है (उपभोक्ताओं से ₹ 2,033.23 करोड़ का संग्रहण, विद्युत विभाग को विद्युत बिक्री के कारण मुख्य शीर्ष 2801-विद्युत के नामे ₹ 1,200.00 करोड़ की सहायिकी तथा ₹ 13.26 करोड़ की विविध विद्युत प्राप्तियों को दर्शाती है) जिसके लिए लेखा के मुख्य एवं लघु शीर्षों की सूची में कोई भी उपयुक्त लघु शीर्ष का निर्धारण नहीं किया गया है] 35 राजस्व मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹ 51,230.71 करोड़ के कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 8.24 प्रतिशत है, जिसको कि लघु शीर्ष 800- ‘अन्य प्राप्तियों’ के अंतर्गत दर्ज किया गया है। इसी प्रकार, लेखाओं के 55 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹ 3,662.17 करोड़ का व्यय, जो ₹ 64,503.17 करोड़ के कुल व्यय का लगभग 5.68 प्रतिशत है, जो लघु शीर्ष 800 ‘अन्य व्यय’ के तहत बुक किया गया था। ऐसे उदाहरण जहाँ मुख्य शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियों एवं व्यय को पर्याप्त अनुपात में (50 प्रतिशत या अधिक/ महत्वपूर्ण राशि) लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ/ व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया है, जो क्रमशः (अनुलग्नक ग एवं घ) में सूचीबद्ध हैं।

iii बकाया असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक (एसी) बिल

जम्मू एवं कश्मीर वित्तीय संहिता खण्ड-I के पैरा 7.10 के संदर्भ में, भुगतान उपरांत जिन बिलों को प्रतिहस्ताक्षरित किया जाता है, उन्हें संक्षिप्त आकस्मिक (एसी) बिलों पर अग्रिम अदायगी के रूप में आहरित किया जाता है। अधीनस्थ अधिकारियों को माह के अंत तक रेड विस्तृत आकस्मिक (डीसी) बिल प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है, जिसके बाद नियंत्रण अधिकारी के लिए एसी बिल आहरित होता है और नियंत्रण अधिकारी को उसी बिल को प्राप्त के एक माह के भीतर ही प्रतिहस्ताक्षरित करवाने के उपरांत महालेखाकार को प्रस्तुत करना होता है। एसी बिलों को जम्मू एवं कश्मीर वित्तीय संहिता खण्ड II के फॉर्म 28 पर आहरित किया जाना अपेक्षित है, किंतु अधिकांश मामलों में राज्य सरकार निर्धारित फॉर्म को उपयोग में लाए जाने के बजाए उसी बिल फॉर्म को उपयोग में ला रही है जो एसी और जीआईए के उपयोग में लाए जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप एसी बिलों और जीआईए बिलों में अंतर करने में कठिनाई होती है।

31 मार्च 2019 को, 2,257 संक्षिप्त आकस्मिक (एसी) बिलों के संदर्भ में विस्तृत आकस्मिक (डीसी) बिलों की ₹ 5,178.56 करोड़ की राशि का 31 जनवरी 2019 तक आहरण हुआ था, जोकि निम्न तालिका अनुसार प्राप्त नहीं हुई थी।

वर्ष*	लंबित डीसी बिलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2016-17 तक	1,840	1,159.89
2017-18	144	1,306.35
2018-19	273	2,712.32
कुल	2,257	5,178.56

(*उपर्युक्त बताए गए वर्ष का संबंध 'देय वर्ष' से है अर्थात वास्तविक आरहण के दो माह उपरांत तथा मार्च 2019 तक लेखा समायोजन)

ये अधिकांश डीसी बिल निम्नलिखित विभागों से प्रतीक्षित थे;

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	बकाया राशि	31 मार्च 2019 को ₹ 5,178.56 करोड़ की कुल बकाया राशि का प्रतिशत
1.	शिक्षा विभाग	2,420.23	46.74
2.	ग्रामीण विकास	925.92	17.87
3.	कृषि विभाग	321.58	6.21
4.	गृह विभाग	221.31	4.27

5.	राजस्व विभाग	211.80	4.09
6.	चिकित्सा विभाग	161.23	3.11
7.	औद्योगिक विभाग	142.64	2.75

वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 3,105.63 करोड़ की राशि के 268 एसी बिलों को आहरित किया गया था, जिनमें से ₹ 1,003.82 करोड़ (32.32 प्रतिशत) की राशि के 93 एसी बिलों को केवल मार्च 2019 में आहरित किया गया और ₹ 691.03 करोड़ (68.84 प्रतिशत) की राशि के 50 एसी बिलों को वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन आहरित किया गया था। ₹ 1,003.82 करोड़ की राशि के 93 एसी बिलों को मार्च 2019 में आहरित किया गया, ₹ 356.26 करोड़ (35.49 प्रतिशत) की राशि के 23 बिल शिक्षा विभाग द्वारा, ₹ 411.80 करोड़ (41.02 प्रतिशत) के 16 बिल ग्रामीण विकास विभाग द्वारा, ₹ 108.56 करोड़ हेतु 11 बिल गृह विभाग द्वारा, ₹ 61.48 करोड़ हेतु 15 बिल योजना विभाग द्वारा, ₹ 33.20 करोड़ हेतु 10 बिल उद्योग विभाग द्वारा, ₹ 19.61 करोड़ हेतु 08 बिल सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, ₹ 12.12 करोड़ हेतु 04 बिल कृषि विभाग द्वारा, ₹ 0.04 करोड़ हेतु 02 बिल राजस्व विभाग द्वारा, ₹ 0.15 करोड़ हेतु 01 बिल पर्यटन विभाग द्वारा, ₹ 0.12 करोड़ हेतु 01 बिल विधि विभाग द्वारा, ₹ 0.23 करोड़ हेतु 01 बिल वित्त विभाग द्वारा, तथा ₹ 0.25 करोड़ हेतु 01 बिल सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा मार्च में एसी बिलों के विरुद्ध हुए व्यय ने इस ओर संकेत किया कि आहरित गई राशि प्रारंभिक तौर पर बजट प्रावधान को समाप्त करने के लिए थी, इसने अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को उजागर किया।

iv बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र

जम्मू एवं कश्मीर वित्तीय संहिता खण्ड-I, के पैरा 10.19 के संदर्भ में, उन मामलों में जिनमें व्यय के किसी विशेष उद्देश्य के विनिर्देशन के रूप में अनुदान के उपयोग हेतु शर्तें जुड़ी होती हैं या वह समयावधि जिसके भीतर राशि को खर्च करना होता है या अन्यथा पर, विभागीय अधिकारी जिसके हस्ताक्षर या प्रतिहस्ताक्षर पर सहायता अनुदान (जीआईए) बिल को आहरित किया जाता है, मुख्य रूप से महालेखाकार को प्रमाणित करने के लिए उत्तरदायी है, जहाँ आवश्यक हो, अनुदान से जुड़ी शर्तों को पूरा करना, जब तक की इसके विपरित कोई आदेश या विशेष नियम न आए।

प्रमाण पत्र को अनुदान की संस्वीकृति की दिनांक से 18 माह के भीतर इस तरह प्रस्तुत करना है, जिस तरह महालेखाकार और संबंधित विभागाध्यक्ष के बीच सहमति हो। सहायता अनुदान बिलों को जेएण्डके वित्तीय संहिता खण्ड-II, फॉर्म पर आहरित किया जाने की आवश्यकता है, किंतु अधिकांश मामलों में राज्य

सरकार निर्धारित फॉर्म एफ.सी 40 को उपयोग में लाए जाने के बजाए उसी बिल फॉर्म को उपयोग में ला रही है जो एसी और जीआईए के उपयोग में लाए जाते रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप एसी बिलों जीआईए बिलों तथा में अंतर करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

30 सितम्बर 2017 तक के लिए जारी अनुदान हेतु 31 मार्च 2019 तक बकाया उपयोग प्रमाण पत्रों की स्थिति इस प्रकार थी:

वर्ष*	प्रतीक्षित यूसीओ की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2016-17तक	822	2,709.41
2017-18	548	3,263.58
2018-19	404	2,246.91
कुल	1,774	8,219.90

(*उपर्युक्त बताए गए वर्ष का संबंध 'देय वर्ष' से है अर्थात् वास्तविक आरहण के 18 माह उपरांत तथा मार्च 2019 तक लेखा समायोजन)

इन यू.सी. में से अधिकांश निम्नलिखित विभागों से प्रतीक्षित हैं;

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	बकाया राशि	31 मार्च 2019 को ₹ 8,219.90 करोड़ की कुल बकाया राशि का प्रतिशत
1.	शिक्षा विभाग	4,741.49	57.68
2.	आवास एवं शहरी विकास	1,137.64	13.84
3.	कृषि विभाग	6,79.42	8.27
4.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	344.09	4.19
5.	पर्यटन विभाग	239.71	2.92

उद्देश्य जिसके लिए सहायता अनुदान का उपयोग किया था, उसकी पुष्टि केवल उपयोगिता प्रमाण-पत्रों (यू.सी.) की प्राप्ति पर ही की जा सकती है, जो अन्य प्रयोजनों के लिए निधियों के विचलन के प्रति संरक्षण का कार्य करेगा। अतः लेखाओं में दिखाए गए व्यय की यूसीओं को प्राप्त न होने की सीमा तक अंतिम नहीं माना जा सकता और न ही इस बात की पुष्टि की जा सकती है कि संस्वीकृत उद्देश्य हेतु ही राशि खर्च की गई है।

- v. सीसीओ और महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के मध्य प्राप्तियों एवं व्यय का मिलान

जे.एण्ड.के. सरकार की बजट नियमावली के पैरा 18.2 के अनुसार, सभी नियंत्रण अधिकारियों को उनके कार्यालय में बुक लेखाओं (प्राप्तियों एवं व्यय की प्रत्येक मद) को महालेखाकार कार्यालयों में बुक लेखाओं से मिलान कराए जाने की आवश्यकता है और 15 जून तक इस मिलान की प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाना चाहिए। वर्ष 2018-19 के दौरान, 371 नियंत्रण अधिकारियों में से 302 ने ₹ 44,611.42 करोड़ की प्राप्तियों (लोक ऋण को सम्मिलित न करते हुए ₹ 51,230.71 करोड़ की कुल प्राप्तियों का 87.08 प्रतिशत) तथा ₹ 36,976.54 करोड़ (लोक ऋण को सम्मिलित न करते हुए ₹ 64,503.55 करोड़ के कुल व्यय का 57.32 प्रतिशत) के व्यय का मिलान किया है। नियंत्रण अधिकारी (जहाँ व्यय का अधिकांश हिस्सा सम्मिलित है) जिन्होंने अपने लेखाओं का मिलान नहीं किया है उनका ब्यौरा **अनुलग्नक-ड** में दिया गया है।

vi. रोकड़ शेष

महालेखाकार के बही खातों में प्रतिबिम्बित और 31 मार्च 2019 को आर.बी.आई द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार, आर.बी.आई के साथ राज्य के रोकड़ शेष के मध्य ₹ 82.55 करोड़ (डेबिट) का निवल अंतर था। अंतर मुख्यतः आर.बी.आई के साथ एजेंसी बैंक की विभिन्न शाखाओं द्वारा आकड़ों के गैर-मिलान के कारण है। क्योंकि राज्य सरकार द्वारा भी कहा गया है कि अंतर को ठीक करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

3. अन्य मदें-

i (क) सेवानिवृत्त लाभों पर देयताएं

वर्ष के दौरान राज्य के कर्मचारियों पर "पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त लाभों" का खर्च ₹ 7,518.60 करोड़ था, (अवकाश नकदीकरण लाभ के ₹ 615.71 करोड़ सहित) जो ₹ 56,089.97 करोड़ के कुल राजस्व व्यय का 13.40 प्रतिशत है तथा ₹ 51,230.71 करोड़ की कुल राजस्व प्राप्तियों का 14.68 प्रतिशत है।

(ख) परिभाषित अंशदान पेंशन योजना

परिभाषित अंशदान पेंशन योजनानुसार, 1 जनवरी 2010 को या उसके बाद भर्ती किए गए राज्य सरकार कर्मचारी, जो योजना द्वारा कवर किए गए हैं, उक्त कर्मचारी मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत का अंशदान करते हैं, जो समान राशि सहित राज्य सरकार द्वारा सुमेलित किया जाता है।

वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य सरकार ने सरकारी हिस्से के रूप में ₹ 423.88 करोड़ की राशि का अंशदान दिया तथा कर्मचारियों ने भी अपने हिस्से

का ₹ 421.61 करोड़ का अंशदान दिया। ₹ 845.49 करोड़ की संपूर्ण राशि मुख्य शीर्ष 8342-शीर्ष अन्य जमा के अधीन लघु शीर्ष 117- “परिभाषित अंशदान पेंशन योजना” में हस्तांतरित की गई थी। ₹ 904.90 करोड़ (₹ 59.41 करोड़ की पिछली देयता को शामिल करते हुए) में से, ₹ 783.22 करोड़ जमा लेखा के इस शीर्ष से राष्ट्रीय प्रत्याभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल)/ ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित निधि प्रबंधक को हस्तांतरित किए गए थे। इस प्रकार, 31 मार्च, 2019 को, सरकारी कर्मचारियों के लिए मुख्य शीर्ष 8342-“अन्य जमायें”-117 “परिभाषित अंशदान पेंशन योजना”(नई पेंशन योजना) के अंतर्गत ₹ 121.68 करोड़ की राशि (जिसे वास्तव में ब्याज वहन करते हुए जमा कराया जाना है) एनएसडीएल/ ट्रस्टी बैंक में हस्तांतरित करनी प्रतीक्षित थी।

प्रोद्भूत ब्याज सहित असंग्रहीत, असुमेलित और अहस्तांतरित राशियाँ योजना के अधीन राज्य सरकार की बकाया देयताओं का निरूपण करती हैं जिनकी गणना नहीं की गई है।

(ii) प्रत्याभूतियाँ

(क) राज्य सरकार ने कोई विशिष्ट प्रत्याभूति अधिनियम नहीं बनाया है जो राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रत्याभूतियों की सीमा और उस पर प्रत्याभूति कमीशन/शुल्क को प्रभारित करना निर्धारित करे। तथापि, एफआरबीएम अधिनियम, 2006 की धारा 9(2)(ग) के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा वर्तमान वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियों (टीआरआर) के 75 प्रतिशत तक या वर्तमान वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष में जीएसडीपी के 7.50 प्रतिशत पर, जो भी कम हो, वार्षिक वेतन वृद्धि जोखिम भारित प्रत्याभूतियों की राशि सीमित करना अपेक्षित है।

31 मार्च 2019 को राज्य सरकार द्वारा दी गई कुल बकाया प्रत्याभूतियाँ संकलित रूप में ₹ 2070.20 करोड़ थीं (राज्य सरकार के साथ मिलान के अधीन) जो कि वर्ष 2017-18 के ₹ 48511.88 करोड़ की कुल राजस्व प्राप्तियों का 4.27 प्रतिशत और वर्ष 2017-18 के ₹ 138,488 करोड़ (वर्तमान मूल्य) के जीएसडीपी का 1.49 प्रतिशत है, जैसा की सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार (1 अगस्त 2019) की वेबसाइट पर उपलब्ध है। राज्य सरकार ने अभी तक विभिन्न प्रत्याभूतियों के जोखिमों का मूल्यांकन नहीं किया है।

(ख) राज्य सरकार ने राज्य सरकार के विभागों/ राज्य स्वामित्व वाले निगमों तथा पीएसयू और अन्य स्वायत्त एवं सांविधिक निकायों की ओर से जारी की गई प्रत्याभूतियों से उद्भूत आक्षेपों के समाधान हेतु एक प्रत्याभूति मोचन निधि

(जीआरएफ) का गठन किया है। राज्य सरकार ने प्रत्याभूति देने के लिए दो प्रतिशत प्रत्याभूति कमीशन/ शुल्क के रूप में निर्धारित किया है। वर्ष 2018-19 के दौरान प्रत्याभूति कमीशन के रूप में ₹ 3.00 करोड़ की राशि प्राप्त हुई थी।

(iii) ऋण और अग्रिम

सरकारी कर्मचारियों को दिए गए ऋण और अग्रिमों को छोड़कर (जिसके लिए महालेखाकार (ले व हक), जम्मू एवं कश्मीर विस्तृत लेखा रखते हैं), अन्य सभी ऋणों और अग्रिमों जैसा कि विवरण 7 और 18 में दर्शाया गया है, से सूचना राज्य सरकार के विभागों द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर होती है जो कि ऐसे लेखाओं के अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी होते हैं। हालांकि विवरणों में, बकाया की वसूली एवं उसके ऊपर मिलने वाले उपार्जित ब्याज संबंधी विवरण नहीं है, चूँकि उक्त सूचना राज्य सरकार से प्रतीक्षित है। 2018-19 के दौरान ₹ 69.15 करोड़ की राशि के ऋण (जिसमें सरकारी कर्मचारियों को दिए ₹ 1.17 करोड़ सम्मिलित है) राज्य सरकार द्वारा विभिन्न संस्थाओं को दिए गए थे तथा 31 मार्च 2019 तक ₹ 1,725.77 करोड़ के कुल बकाया ऋणों में से ₹ 4.23 करोड़ के ऋण की पुनःअदायगी (सरकारी कर्मचारियों से ₹ 1.49 करोड़ तथा अन्य ऋणों से ₹ 2.74 करोड़) की प्राप्ति हुई थी।

(iv) निवेश (राज्य सरकार/ लेखापरीक्षा से प्रतीक्षित विवरण)

क) राज्य सरकार, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों और सहकारी संस्थानों की इक्विटी और शेयरों में निवेश करती है। 31 मार्च 2019 तक राज्य सरकार द्वारा 40 संस्थानों में ₹ 689.42 करोड़ (पीएसयू से प्राप्त सूचना/ आँकड़ों पर आधारित) का कुल निवेश हुआ था, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। 2018-19 के दौरान किसी भी संस्था से कोई लाभांश या ब्याज प्राप्त नहीं हुआ था। वित्तीय लेखा के विवरण 8 और 19 में दर्शाये गए सरकारी निवेश के आँकड़ों का कम्पनियों/ राज्य सरकार से मिलान नहीं हो पाया।

क्र. सं.	संबंधित का नाम	संस्थानों की संख्या	निवेश की राशि (₹ करोड़ में)
1.	सांविधिक निगम	3	355.64
2.	ग्रामीण बैंक	2	12.85
3.	सरकारी कम्पनियाँ	25	282.76
4.	अन्य संयुक्त स्टॉक कम्पनियाँ एवं साझेदारी	2	0.34
5.	सहकारी संस्था और स्थानीय निकाय	8	37.83
कुल		40	689.42

ख) वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य सरकार ने ₹ 14.90 करोड़ की राशि का पूँजीगत अनुभाग के अधीन लेखा से संबंधित मुख्य शीर्षों के अधीनस्थ लघु शीर्ष "190-लोक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश" के अंतर्गत आहरण और बुक किया था। बुक की गई राशि के विरुद्ध, संबंधित पीएसयू ने मात्र ₹ 35.90 करोड़ के निवेश को ही दिखाया जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय लेखाओं (खण्ड-II) के विवरण 16 और 19 के मध्य ₹ 21.00 करोड़ का अंतर था। हालांकि इस मामले को राज्य सरकार के पास भेजा गया था लेकिन संबंधित राज्य के प्राधिकारियों की ओर से इस संबंध में कोई जवाब नहीं मिला। निवेश में अंतर का विवरण इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संस्था का नाम	विवरण सं. 16 के अनुसार राशि	विवरण सं. 19 के अनुसार राशि	अंतर	अभ्युक्तियाँ
1.	जे. एण्ड के. एसआरटीसी	14.90	17.90	3.00	वर्ष 2018-19 के दौरान जारी की गई संस्वीकृतियों के अनुसार ₹ 14.90 करोड़ की राशि निवेश के अधीन का आहरण और बुक किया गया है।
2.	जे. एण्ड के. राज्य वित्तीय निगम	शून्य	15.00	15.00	लेखाओं में ₹ 15.00 करोड़ की राशि प्रकट नहीं हो रही है।
3.	जे. एण्ड के. अनु.जा/ अनु.जन.जा/ पि.व. विकास निगम लिमिटेड	शून्य	0.45	0.45	निवेश के बजाय राज्य की संस्वीकृति के अनुसार, राशि लघुशीर्ष 800-अन्य व्यय के अधीन बुक की गई है।
4.	जम्मू कश्मीर व्यापार प्रोत्साहन संगठन	शून्य	2.55	2.55	संस्वीकृति के अनुसार, राशि मार्च, 2018 में 4851-104 के अधीन बुक की गई है और निदेशक वित्त, उद्योग के कार्यालयीन खाते में रखी गई है।
	कुल	14.90	35.90	21.00	

v आरक्षित निधियां

विशिष्ट प्रयोजन हेतु 11 आरक्षित निधियां (जिसमें एक ब्याज वहन निधि भी सम्मिलित है) को चिह्नित किया गया। 31 मार्च 2019 के अंत तक इन निधियों का कुल जमा सकल शेष ₹ 2,497.27 करोड़ था राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के ₹ 10.86 करोड़ की निवेश राशि को हटाकर जोकि एक ब्याज वहन निधि है।

(क) ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधि

(i) राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ)

वित्त आयोग की अनुशंसा पर, राज्य सरकार ने अप्रैल 2010 में “आपदा राहत कोष” (सीआरएफ) को “राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष” (एसडीआरएफ) से प्रतिस्थापित किया। एसडीआरएफ के संविधान और प्रशासन के दिशा-निर्देशों के संदर्भ में जैसा कि जम्मू एवं कश्मीर राज्य में लागू है कि केन्द्र और राज्य सरकार को 90:10 के अनुपात में कोष में योगदान करना है।

1 अप्रैल 2018 को, एसडीआरएफ के अधीन ₹ 740.39 करोड़ का क्रेडिट शेष था, जिसमें से ₹ 10.86 करोड़ का निवेश किया गया था। वर्ष 2018-19 के दौरान, भारत सरकार द्वारा ₹ 252.90 करोड़ की राशि जारी की गई थी। तथापि, ₹ 330.89 करोड़ की राशि (₹ 252.90 करोड़ केन्द्र शेयर, ₹ 28.00 करोड़ राज्य शेयर और ₹ 49.99 करोड़ ब्याज) निधि में हस्तांतरित की गई थी। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2018-19 के दौरान पूर्व वर्ष की अव्ययित शेष ₹ 0.71 करोड़ की राशि भी निधि में क्रेडिट कर दी थी।

वर्ष के दौरान, ₹ 168.88 करोड़ प्राकृतिक आपदा पर खर्च हुए, जिससे 31 मार्च 2019 तक ₹ 903.11 करोड़ सकल शेष बचे थे। तदनुसार, कुल ₹ 892.25 करोड़ के निवल शेष को (₹ 903.11 करोड़ में से ₹ 10.86 करोड़ की निवेशित राशि घटाकर) केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों तथा/ या ट्रेजरी बिलों की नीलामी और/ या अर्जन जमा ब्याज में और कोष प्रबंधन हेतु राज्य कार्यकारी समिति (एसईसी) की अनुशंसा पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ जमा प्रमाण पत्र के साथ निवेश करने की आवश्यकता थी, जिसका निवेश नहीं किया गया।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा 30 जुलाई 2015 को जारी ज्ञापन संख्या 33-5/ 2015-एनडीएम-1, के माध्यम से एसडीआरएफ पर संविधान और प्रशासन की दिशा-निर्देश के नियम 7 के अनुसार राज्य सरकार को केन्द्र के भाग के साथ राज्य सरकार के भाग को भी लोक लेखा शीर्ष जोकि राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) है, में प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर अंतरित करना होता है। किसी

भी प्रकार के विलंब की स्थिति में राज्य सरकार को कुल लंबित दिनों की संख्या के अनुसार आरबीआई के रैपो दर पर ब्याज सहित राशि को देना होगा।

₹ 28.00 करोड़ के राज्य अंश (₹ 14.00 करोड़ की प्रत्येक किश्त) के साथ प्रत्येक ₹ 126.45 करोड़ की एसडीआरएफ अनुदानों दो किश्तें वर्ष 2018-19 के दौरान 60 से 102 दिनों के बीच की देरी सहित एसडीआरएफ को हस्तांतरित की गई थी। तथापि, राज्य सरकार ने उपर्युक्त देरी के कारण वर्ष 2018-19 हेतु ₹ 3.96 करोड़ के देय ब्याज के प्रति प्रोद्भूत ब्याज के रूप में ₹ 3.78 करोड़ का भुगतान किया है।

(ख) ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधियाँ (परिचालित निधियाँ)

वहाँ 10 गैर-ब्याज वहन करने वाली कंपनियाँ हैं, इनमें से पाँच परिचालित हैं अर्थात् मुख्य शीर्ष-8222-ऋण शोधन निधि के अंतर्गत लघुशीर्ष-101- ऋण शोधन निधि, मुख्य शीर्ष-8229-विकास एवं कल्याण निधि के अधीन लघु शीर्ष-200-अन्य विकास एवं कल्याण निधि, लघु शीर्ष 105- सामान्य बीमा निधि- जनता बीमा मुख्य शीर्ष-8235-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधि के अधीन लघु शीर्ष-117-प्रत्याभूति मोचन निधि एवं लघु-शीर्ष-200-अन्य निधियाँ। 31 मार्च 2019 के अंत तक इन पाँच परिचालित निधियों में कुल संचित शेष ₹ 8,98.31 करोड़ है।

(i) प्रत्याभूति मोचन निधि (जीआरएफ)

राज्य सरकार ने विभिन्न राज्य संस्थाओं को दी जाने वाली गारंटियों को लागू करने से उत्पन्न देनदारियों को पूरा करने के लिए 2005-06 में गारंटी शोधन कोष की स्थापना की। दिशा-निर्देशों के तहत, राज्य सरकार ने निधि के न्यूनतम वार्षिक अंशदान करने हेतु कोई आवश्यक राशि को विनिर्दिष्ट नहीं किया। हालांकि, जीआरएफ पर 2013 के आरबीआई के दिशा-निर्देशों में उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकार के लिए यह वांछनीय है कि वह निधि के गठन के वर्ष के आरंभ में बकाया गारंटियों का न्यूनतम एक प्रतिशत योगदान करें और उसके बाद पिछले वर्ष की बकाया गारंटियों के न्यूनतम तीन से पाँच प्रतिशत के कोष प्राप्ति हेतु प्रतिवर्ष 0.50 प्रतिशत का योगदान करें।

दिशा-निर्देशों के अनुसार, जीआरएफ में योगदान की अपेक्षित राशि पिछले वर्ष के अंत में ₹ 2,414.10 करोड़ (₹ 1.97 करोड़ के ब्याज को छोड़कर) की बकाया गारंटी के 0.50 प्रतिशत की दर से ₹ 12.07 करोड़ है। ₹ 12.07 करोड़ की न्यूनतम आवश्यकता के प्रति, राज्य सरकार ने 2018-19 में कोष में ₹ 1.00 करोड़ का अंशदान दिया, जिसके परिणामस्वरूप 2018-19 हेतु ₹ 11.07 करोड़

का कम योगदान हुआ। राज्य सरकार ने 2018-19 के दौरान ₹ 3.00 करोड़ की राशि को गारंटी कमीशन के तौर पर प्राप्त किया और कोष में जमा किया। 31 मार्च 2019 तक कोष हेतु अंत शेष ₹ 19.42 करोड़ था (राज्य सरकार द्वारा मुख्य शीर्ष 2075- विविध सामान्य सेवाएँ-800- अन्य व्यय से ₹ 11.20 करोड़ अंतरित हुए और ₹ 8.22 करोड़ का शुल्क/ कमीशन वसूला गया और वार्षिक अंशदान के भाग के तौर पर कोष में जमा कराया) जैसा कि विवरण 21 एवं 22 में दर्शाया गया है।

लेखा के मुख्य एवं लघु शीर्षों को सूची के अनुसार लघु शीर्ष 797- 'आरक्षित कोष/ निक्षेप लेखा को अंतरित' को खंड व्यय शीर्ष (राजस्व खाता) में कार्यात्मक मुख्य/ उप-मुख्य शीर्ष के तहत जहाँ भी आवश्यक हो खोला/ प्रचालित किया गया है। जबकि लघु शीर्ष-800 'अन्य व्यय' को मुख्य शीर्ष 2075- 'विविध सामान्य सेवाओं' के अंतर्गत गारंटी शोधन कोष (जीआरएफ) में अंशदान अंतरण हेतु खोला गया था।

(ii) समेकित निक्षेप निधि (सीएसएफ)

बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकार ने अपनी बकाया देयताओं को चुकाने हेतु 30 जनवरी 2012 को एक समेकित निक्षेप निधि का गठन किया। दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार से वित्त वर्ष 2011-12 से प्रारंभ करके 2021-22 तक प्रत्येक वर्ष 2010-11 की समाप्ति पर कुल बकाया देयताओं के 0.50 प्रतिशत के न्यूनतम 1 प्रतिशत का अंशदान इस निधि में करना अपेक्षित है ताकि 2010-11 की समाप्ति पर इन्हें 0.50 प्रतिशत बकाया देयताओं के बराबर किया जा सके। इसके अतिरिक्त, इसके बाद वाले वर्ष से वृद्धिशील देयताओं के संबंध में अंशदान ऐसी वृद्धिशील देयताओं के 0.50 प्रतिशत पर किया जाएगा ताकि योजना के उद्देश्यों को उचित समझे जाने वाले स्तर तक पहुँचा जा सके।

वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा इस निधि में ₹ 70.08 करोड़ के अपेक्षित अंशदान अर्थात् वर्ष 2010-11 के अंत तक ₹ 31,261.01 करोड़ की कुल बकाया देयताओं के 0.50 प्रतिशत के 10 प्रतिशत और वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 10,889.09 करोड़ की कुल वार्षिक देयताओं के 0.50 प्रतिशत के विरुद्ध ₹ 97.05 करोड़ की राशि का अंशदान किया था। तथापि इस निधि के आरंभ से ₹ 364.21 करोड़ के अपेक्षित अंशदान के विरुद्ध राज्य सरकार ने वास्तव में 31.03.2019 तक ₹ 316.60 करोड़ का अंशदान किया। जिसका परिणाम 2018-19 की समाप्ति पर निधि को ₹ 47.61 करोड़ के अंशदान की कमी के रूप में हुआ। निधि के अंतर्गत शेष का राज्य सरकार द्वारा निवेश नहीं किया गया।

(ग) ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधियाँ (अपरिचालित निधियाँ)

ब्याज वहन न करने वाली पाँच आरक्षित निधियाँ हैं अर्थात् मुख्य शीर्ष 8223-अकाल राहत निधि (वर्ष 2002-03 से अपरिचालित) के अधीन लघु शीर्ष -101 अकाल राहत निधि, मुख्य शीर्ष -8226- मूल्यहास/नवीकरणीय आरक्षित निधि (वर्ष 2003-04 से अपरिचालित) के अधीन लघुशीर्ष-101 सरकारी वाणिज्यिक विभागों/ उपक्रमों की मूल्यहास आरक्षित निधि और लघु शीर्ष-102 सरकारी गैर-वाणिज्यिक विभागों/ उपक्रमों की मूल्यहास आरक्षित निधि तथा, मुख्य शीर्ष-8229-1990 से पूर्व सृजित की गई विकास और कल्याण निधि (क्रमशः वर्ष 2008-09 और 2009-10 से अपरिचालित) के अधीन लघु शीर्ष-103-कृषि प्रयोजनों हेतु विकास निधियाँ तथा लघु शीर्ष -109- सहकारी विकास निधि इन पाँच अपरिचालित निधियों में 31 मार्च, 2019 के अंत तक कुल संचित शेष ₹ 695.84 करोड़ था।

अपरिचालित आरक्षित निधियों के लिए धन के हस्तांतरण हेतु किया गया बुक समायोजन, लघु बचतों, भविष्य निधियों इत्यादि और अन्य निक्षेपों में किए गए आवधिक समायोजन सहित **अनुलग्नक-क** में दर्शाया गया है। उद्दिष्ट शेषों से सरकार द्वारा किए गए निवेश और आरक्षित निधियाँ क्रमशः विवरण 21 एवं 22 में वर्णित हैं।

vi केन्द्रीय सड़क निधि (सीआरएफ)

केन्द्रीय सड़क निधि को संसद के एक अधिनियम द्वारा अंतरराज्यीय और आर्थिक महत्व तथा रेलवे के या तो ऊपर/नीचे सड़कों/पुलों के निर्माण वाली सड़कों सहित राष्ट्रीय राजमार्गों, ग्रामीण सड़कों तथा राज्य सड़कों के विकास तथा रखरखाव हेतु नवम्बर 2000 में स्थापित किया गया था। वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से इस निधि के अंतर्गत ₹ 344.75 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ तथा निर्माण कार्यों पर ₹ 299.48 करोड़ का व्यय हुआ जैसा कि सीआरएफ अधिनियम में निर्दिष्ट है। 31 मार्च 2019 तक इस निधि में (1 अप्रैल 2018 को ₹ 479.39 करोड़ आरंभिक शेष के साथ) ₹ 524.66 करोड़ का अनुपयोगी शेष था।

vii ब्याज समायोजन (राज्य सरकार से प्रतीक्षित बुक समायोजन)

सरकार आई-लघु बचतों तथा भविष्य निधि आदि, जे-आरक्षित निधियाँ (क) ब्याज धारित आरक्षित निधियाँ और के-जमा तथा अग्रिम (क) ब्याज जमा श्रेणियों के अंतर्गत शेषों के संबंध में ब्याज भुगतान हेतु उत्तरदायी है। राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान मुख्य शीर्ष 2049-ब्याज भुगतान-03-लघु बचतों, भविष्य निधि आदि

पर ब्याज के अंतर्गत लघु बचतों, भविष्य निधि आदि पर ब्याज के कारण ₹ 1,673.51 करोड़ का भुगतान किया।

वर्ष 2018-19 के लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों के जीपी फंड पर प्रभारित ब्याज उस राज्य सरकार द्वारा अनंतिम आधार पर हस्तांतरित किया गया जो अपने कर्मचारियों के जीपी फंड खातों के रखरखाव हेतु उत्तरदायी है। वर्ष 1986-87 से 2018-19 के लिए ब्याज को भी अनंतिम आधार पर खातों में दर्ज किया गया, जिसका प्रमाणीकरण अभी प्रतीक्षित है।

वर्ष 2018-19 के आरंभ में ₹ 729.53 करोड़ (एसडीआरएफ) की जे-(क) ब्याज धारित आरक्षित निधि तथा ब्याज धारित निधि (एसडीआरएफ) के अंतर्गत पड़े ₹ 729.53 करोड़ के निवल शेष पर भुगतान किए जाने हेतु आवश्यक ₹ 46.21 करोड़ ब्याज स्वरूप (01-04-2018 से 05-06-2018 तक 6.00 प्रतिशत और 06-06-2018 से 31-07-2018 तक 6.25, 01-08-2018 से 06-02-2019 तक 6.50 प्रतिशत तथा 07-02-2019 से 31-03-2019 तक 6.25 प्रतिशत की ब्याज दर पर अर्थोपाय अग्रिम लेते हुए) बकाया निवल शेष थे। राज्य सरकार को वर्ष 2018-19 के लिए एसडीआरएफ अनुदानों की दूसरी किस्त के संबंध में देरी के लिए प्रोद्भूत ब्याज के कारण ₹ 3.96 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया जाना था। हालांकि सरकार ने ब्याज धारित आरक्षित निधियों (एसडीआरएफ) पर ₹ 49.99 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया था। जिसका परिणाम वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 0.18 करोड़ के कम अंतरण के रूप में हुआ।

इसी प्रकार, के (क) ब्याज वहन करने वाले निक्षेपों के अंतर्गत परिभाषित पेंशन अंशदान योजना (नई पेंशन योजना) से संबंधित वर्ष 2018-19 के प्रारंभ में ₹ 59.41 करोड़ का बकाया शेष था। ब्याज वहन करने वाले निक्षेप के अंतर्गत पड़े हुए ₹ 59.41 करोड़ के शेष पर ब्याज स्वरूप (01-04-2018 से 30-09-2018 तक 7.60 प्रतिशत तथा 01.10.2018 से 31.03.2019 तक 8.00 प्रतिशत की सा. भ. निधि ब्याज दर लेते हुए) ₹ 4.64 करोड़ की अदायगी अपेक्षित थी, परंतु राज्य सरकार ने निक्षेपों (एनपीएस) पर कोई ब्याज की अदायगी नहीं की थी।

viii उंचत और प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत शेष

वित्त लेखाओं का विवरण सं.21 उंचत तथा प्रेषण शीर्ष (लोक लेखा) के अंतर्गत निवल शेष को दर्शाता है। इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष को विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत अलग-अलग बकाया डेबिट और क्रेडिट शेषों के कुल योग द्वारा संगणित किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के लिए मुख्य उंचत ओर प्रेषण शीर्षों में से कुछ के अंतर्गत सकल आंकड़ों की स्थिति अनुबंध-च में दी गई है।

ix. आकस्मिकता निधि

आकस्मिकता निधि को जम्मू तथा कश्मीर के संविधान की धारा 116 के अधीन राज्य के राज्यपाल को राज्य के संविधान की धारा 82 और 83 के अधीन नियमों द्वारा विधानमंडल द्वारा अनुमोदन पर्यन्त अदृष्ट व्यय के उद्देश्यों के लिए निधि में से अग्रिम आहरण का अधिकार देने के लिए सृजित किया था। इस निधि का कॉर्पस ₹ 1.00 करोड़ है।

x. व्यय का आधिक्य

जे.एंड.के बजट नियमावली के पैरा 12.10.4 में निहित निर्देशों के अनुसार नियंत्रण अधिकारी द्वारा वर्ष के दौरान जहां तक संभव हो शीर्ष के अंतर्गत आनुपातिक रूप में परिव्यय का उपयोग करना आवश्यक है। वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में और विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में व्यय के आधिक्य से बचना चाहिए।

हालांकि, राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2018-19 की चौथी तिमाही के दौरान ₹ 64,503.55 करोड़ के कुल व्यय में से 42.26 प्रतिशत ₹ 27,256.66 करोड़ का व्यय किया गया, जिसमें से 56.40 प्रतिशत ₹ 15,373.38 करोड़ की राशि केवल मार्च 2019 के दौरान व्यय की गई अर्थात् 2018-19 के अंतिम महीने में वित्तीय वर्ष का 23.83 प्रतिशत व्यय हुआ।

इसी तरह, वर्ष 2018-19 की चौथी तिमाही के दौरान राज्य सरकार द्वारा, ₹ 51,231 करोड़ की कुल राजस्व प्राप्तियों में से ₹ 15,557 करोड़ की राशि वाली राजस्व प्राप्तियों का 30.37 प्रतिशत प्राप्त किया था, जिसमें से केवल मार्च 2019 के दौरान अर्थात् वर्ष 2018-19 की कुल राजस्व प्राप्तियों के 13.40 प्रतिशत का निर्माण करते हुए वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में ₹ 6,863 करोड़ की राशि वाले चौथी तिमाही के 44.12 प्रतिशत को प्राप्त किया था।

xi. राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय योजना निधियों का सीधे अंतरण (निधियां राज्य बजट से इतर भेजी गईं)

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं/ अतिरिक्त केंद्रीय सहायता हेतु सभी वित्तीय सहायता को राज्य सरकार को जारी करने तथा कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे न भेजे जाने के भारत सरकार के निर्णय के बावजूद 2018-19 के दौरान जम्मू तथा कश्मीर में भारत सरकार द्वारा सीधे कार्यान्वयन एजेंसियों को ₹ 895.14 करोड़ (राज्य में परिचालित केन्द्र सरकार के स्वायत्त निकाय/ अन्य इकाइयों को जारी ₹ 105.42 करोड़ के अलावा) की राशि जारी की गई थी। हालांकि, कार्यान्वयन

एजेंसियों को निधियों के सीधे हस्तांतरण के प्रतिशत में 2017-18 की तुलना में 2018-19 में 18.99 प्रतिशत की कमी हुई है। विवरण खण्ड-II में परिशिष्ट-VI पर हैं।

xii. प्रतिबद्ध देयताएं

विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत एफआरबीएम अधिनियम 2006 के अंतर्गत विवरण के अनुसार प्रतिबद्ध देयताएं 2017-18 के दौरान ₹ 2,098.06 करोड़ के प्रति 2018-19 में ₹ 4,041.11 करोड़ थी।

31 मार्च 2019 को प्रतिबद्ध देयताओं का विवरण निम्नलिखित है:

देयता का नाम	राशि (₹ करोड़ में)
बड़े निर्माण कार्य और ठेके	319.63
भूमि अधिग्रहण प्रभार	2,514.98
निर्माण कार्य और आपूर्ति के न चुकाए बिल	1,206.50
कुल	4,041.11

xiii. मुख्य नीतिगत निर्णय - सूचना का प्रकटीकरण

बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार वर्ष के दौरान राज्य सरकार के मुख्य नीतिगत निर्णयों को प्रकट करते हुए एक नया परिशिष्ट वित्त लेखाओं में सम्मिलित करना था। राज्य सरकार ने इस सूचना के प्रकटीकरण हेतु सूचना को प्रासांगिक प्रारूप में प्रस्तुत नहीं किया। वर्ष 2018-19 के लिए बजट दस्तावेजों में उपलब्ध सूचना के आधार पर तैयार किए गए “मुख्य नीतिगत निर्णयों” का विवरण खण्ड II में परिशिष्ट-XI में संलग्न है।

xiv श्रम उपकर:

जम्मू तथा कश्मीर सरकार ने अधिसूचना सं. एसआरओ 232 दिनांक 17-07-2006 के द्वारा जे.एंडके. बिल्डिंग एण्ड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रूल्स (आरईएंडसीएस), 2006 को अधिसूचित किया। तदनुसार राज्य सरकार ने अधिसूचना सं. 274 दिनांक 31.07.2007 को जे.एंडके. बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बोर्ड का गठन किया जोकि एसआरओ 439 दिनांक 01-12-2010 द्वारा पुनर्गठित किया गया। तदनुसार, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स सेस एक्ट 1996 तथा नियम 1998 परिचालित हो गए हैं। उपकर अधिनियम 1996 की धारा 3 में प्रावधान है कि नियोक्ता द्वारा निर्माण लागत पर किए गए व्यय पर एक प्रतिशत की दर से उपकर का अनिवार्य रूप से उद्ग्रहण तथा संग्रहण किया जाएगा जिसमें भूमि की लागत तथा कर्मकार क्षतिपूर्ति

अधिनियम, 1923 के अंतर्गत भुगतान की गई क्षतिपूर्ति राशि अथवा कर्मकार या उसके परिजन को किया जाने वाला भुगतान सम्मिलित नहीं है।

जम्मू तथा कश्मीर में श्रम उपकर के कारण से ऐसी कटौती की गई राशि सचिव, जे.एंडके. बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेल्फेयर बोर्ड के नाम पर आधिकारिक बैंक खाते में जमा की जाती है तथा सरकारी लेखों से इतर रखी जाती है।

xv. जम्मू एवं कश्मीर राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (एफआरबीएम)/ एमटीएफपी अधिनियम, 2006 और भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमाएं

(क) 12वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्य सरकार के उत्तरदायित्व हेतु राजस्व घाटे के क्रमिक उन्मूलन द्वारा राजकोषीय प्रबंधन राजकोषीय स्थायित्व में, राजकोषीय स्थायित्व के साथ स्थायी ऋण प्रबंधन में समझदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 9 अगस्त 2006 को एफआरबीएम अधिनियम 2006 पारित किया गया। वर्ष 2018-19 के दौरान 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत निर्धारित तथा प्राप्त किए गए विभिन्न लक्ष्य निम्नलिखित हैं:

क्र. सं.	वित्तीय मानदंड	लक्ष्य (बीई)	उपलब्धि
1	राजस्व अधिशेष	कुल राजस्व प्राप्तियों का 20.50 प्रतिशत	कुल राजस्व प्राप्तियों का 9.49 प्रतिशत राजस्व घाटा (₹ 4,859.26 करोड़) है। तथापि, पैरा-XVI में वर्णित किए गए अनुसार राज्य सरकार ने राजस्व घाटे को ₹ 2,277.88 करोड़ कम बताया है।
2	राजकोषीय घाटा	जीएसडीपी* का 3.00 प्रतिशत	जीएसडीपी* का 8.64 प्रतिशत राजकोषीय घाटा (₹ 13,337.59 करोड़)। पैरा-XVI में वर्णित किए गए अनुसार, राज्य सरकार ने राजकोषीय घाटे को ₹ 15.89 करोड़ कम बताया है।
3	बकाया देयताएं	जीएसडीपी* का 47.30 प्रतिशत	जीएसडीपी* का 51.21 प्रतिशत
4	बकाया प्रत्याभूतियों का जोखिम	वार्षिक वार्षिक जोखिम भारित प्रत्याभूतियाँ वर्तमान वर्ष के पूर्ववर्ती कुल राजस्व प्राप्तियों का 75 प्रतिशत या वर्तमान वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष के जी एस डी पी का 7.50 प्रतिशत, जो भी कम हो, होनी थी।	राज्य सरकार ने अभी तक विभिन्न प्रत्याभूतियों की जोखिम का मूल्यांकन नहीं किया है।

* स्रोत: जीएसडीपी आँकड़े ₹ 1,54,441 करोड़, जैसा कि आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जम्मू एवं कश्मीर सरकार, (अक्टूबर 2019) द्वारा सूचित किए गए।

(ख) हालांकि, 2018-19 के लिए राजकोषीय मानदण्डों के मूल्यांकन हेतु चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत जीएसडीपी अनुमान के 3 प्रतिशत (₹ 1,67,206 करोड़) की राजकोषीय घाटे की थ्रेशहोल्ड सीमा के आधार पर, जम्मू तथा कश्मीर सरकार हेतु ₹ 5,016.00 करोड़ के निवल उधार की सीमा निर्धारित की गई थी। हालांकि, 2018-19 के दौरान निवल उधार ₹ 10,889.09 करोड़ तक बढ़ा तथा इसलिए निर्धारित लक्ष्य के संदर्भ में महत्वपूर्ण रूप से 117.09 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

xvi राजस्व/ राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

पिछले पैराग्राफों में दिए गए विवरण के अनुसार, राज्य सरकार के राजस्व तथा राजकोषीय घाटे पर प्रभाव का विवरण निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

पैरा संख्या	मद	राजस्व घाटे पर प्रभाव (क)		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव (ख)	
		कम बताना	अधिक बताना	कम बताना	अधिक बताना
1(v)क	पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत सहायता अनुदान	1,874.17	कोई प्रभाव नहीं	कोई प्रभाव नहीं	कोई प्रभाव नहीं
1(v)ख	पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत पी डी एस के परिवहन/सँभलाई प्रभार और प्रचालन लागत	286.21	कोई प्रभाव नहीं	कोई प्रभाव नहीं	कोई प्रभाव नहीं
1(v)ग	पूँजीगत व्यय के अंतर्गत बुक किए गए वजीफे व छात्रवृत्ति	0.19	कोई प्रभाव नहीं	कोई प्रभाव नहीं	कोई प्रभाव नहीं
1(v)घ	पूँजीगत व्यय के अधीन बुक की गई सहायिकी	99.18	कोई प्रभाव नहीं	कोई प्रभाव नहीं	कोई प्रभाव नहीं
1(v)ड.	पूँजीगत व्यय के अधीन बुक किया गया वेतन	2.24	कोई प्रभाव नहीं	कोई प्रभाव नहीं	कोई प्रभाव नहीं
3(v)क	प्रत्याभूति मोचन निधि में कम अंशदान	11.07	कोई प्रभाव नहीं	11.07	कोई प्रभाव नहीं

3(v)ख	एस डी आर एफ को अहस्तांतरित राशि (अंतरण में विलंब के कारण ब्याज)	0.18	कोई प्रभाव नहीं	0.18	कोई प्रभाव नहीं
3(vi)	एन पी एस में अहस्तांतरित राशि (अंतरण में विलंब के कारण ब्याज)	4.64	कोई प्रभाव नहीं	4.64	कोई प्रभाव नहीं
कुल निवल प्रभाव		2,277.88		15.89	
		कम बताना		कम बताना	

(क) राजस्व घाटा ₹ 4,859.26 करोड़, ₹ 2,277.88 करोड़ तक कम बताया गया, क्योंकि राजस्व व्यय पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया तथा आरक्षित निधियों में निधियों/ ब्याज का कम हस्तांतरण

(ख) राजकोषीय घाटा भी ₹ 15.89 करोड़ तक कम बताया गया था।

अनुलग्नक-क
आवधिक बुक समायोजन
(संदर्भ: पैरा: 1 (ii); पृष्ठ 52)

बुक समायोजन	लेखा शीर्ष		राशि (₹ करोड़ में)	अभ्युक्तियाँ
	से	तक		
जीपी फंड पर ब्याज राज्य बीमा निधि पर ब्याज एसडीआरएफ पर ब्याज	2049-03-104 2049-03-108 2049-05-105 (डेबिट)	8009-101 8011-105 8121-122 (क्रेडिट)	1,616.87 56.65 49.99	राज्य सरकार के कर्मचारियों के जीपी फंड पर वार्षिक ब्याज और राज्य सरकार के कर्मचारियों के राज्य जीवन बीमा कोष पर ब्याज। (अनंतिम आधार पर) और एसडीआरएफ के अंतर्गत शेष राशि पर ब्याज
ऋण शोधन निधि को जुटाना	2048-101 (डेबिट)	8222-101 (क्रेडिट)	97.05	ऋण शोधन निधि को जुटाया गया और राशि को ऋण शोधन कोष में हस्तांतरित किया गया।
राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष	2245-05-901 (डेबिट कटौती) 2245-05-101 (डेबिट)	8121-122 (डेबिट) 8121-122 (क्रेडिट)	168.88 280.90	एसडीआरएफ से ऐच्छिक राहत कोष पर हुआ व्यय एमएच 2245 के अंतर्गत दर्ज किया गया। सहायता-अनुदान राशि भारत सरकार से प्राप्त एसडीआरएफ को हस्तांतरित की गई।
लद्दाख/कारगिल स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद	2575-04-113 2575-04-114 4575-04-113 4575-04-114 (डेबिट)	8448-113 (क्रेडिट)	378.73 447.77 167.51 150.18	बजटीय प्रावधान के रूप में एलएचडीसी को हस्तांतरित राशि
केंद्रीय सड़क निधि	3054-80-797 (डेबिट)	8449-103 (क्रेडिट)	344.75	सड़कों के विकास के लिए भारत सरकार से सीआरएफ सहायता अनुदान
केंद्रीय सड़क निधि	5054-80-902 (डेबिट कटौती)	8449-103 (डेबिट)	299.48	सीआरएफ से किए व्यय को आरंभ में मुख्य शीर्ष-5054 के अंतर्गत दर्ज किया गया
गारंटी मोचन निधि	2075-800 (डेबिट)	8235-117 (क्रेडिट)	1.00	एमएच -2075 - 800 के अधीन राज्य सरकार की समेकित निधि को डेबिट द्वारा प्रत्याभूति विमोचन निधि हेतु हस्तांतरित निधि

अनुलग्नक-ख

राजस्व के बजाय पूंजीगत के अंतर्गत बुक किए गए व्यय को दर्शाता विवरण
(संदर्भ: पैरा: 1 (v) क, ख, ग, घ, ङ; पृष्ठ 53-54)

क्रम सं.	वर्गीकरण	सीएसएस के लिए सरकार को प्राप्त हुए सहायता-अनुदान	सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता - अनुदान	सहायिकी	वजीफा और छात्रवृत्ति	वेतन	पीडीएस के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की अधिप्राप्ति/ बिक्री की परिचालन लागत
		(₹ करोड़ में)					
1	4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	61.48	-	-	-	-	-
2	4202- शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	193.08	6.55	-	0.04	0.06	-
3	4210- चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	250.50	-	-	-	0.05	-
4	4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	100.25	-	-	-	-	-
5	4225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	-	-	-	-	0.01	-
6	4235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	-	-	-	-	1.77	36.41
7	4236- पोषण पर पूंजीगत परिव्यय	0.09	-	-	-	-	-
8	4250- सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	-	-	-	0.15	0.04	-
9	4401- फसल पैदावार पर पूंजीगत परिव्यय	104.57	-	82.84	-	0.31	-
10	4403- पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	6.09	-	0.01	-	-	-
11	4405- मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय	1.74	-	-	-	-	-

अनुलग्नक-ख-(जारी)

राजस्व के बजाय पूंजीगत के अंतर्गत दर्ज किए गए व्यय दर्शाता विवरण
(संदर्भ: पैरा: 1 (v) क, ख, ग, घ, ङ; पृष्ठ 53-54)

क्रम सं.	वर्गीकरण	सीएसएस के लिए सरकार को प्राप्त हुए सहायता-अनुदान	सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता - अनुदान	सहायिकी	वजीफा और छात्रवृत्ति	वेतन	पीडीएस के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की अधिप्राप्ति/ बिक्री की परिचालन लागत
		(₹ करोड़ में)					
12	4408- खाद्य, भंडार और भंडारण पर पूंजीगत परिव्यय	-	-	-	-	-	249.80
13	4425- सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	-	-	0.02	-	-	-
14	4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	1,030.73	1.18	-	-	-	-
15	4701- प्रमुख और मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.28	-	-	-	-	-
16	4702- ग्राम और लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.39	-	-	-	-	-
17	4851- ग्राम और लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	-	-	16.31	-	-	-
18	5475-सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	116.24	1.00	-	-	-	-
	कुल	1,865.44	8.73	99.18	0.19	2.24	286.21

अनुलग्नक-ग
लघु शीर्ष 800 अन्य प्राप्तियों का संचालन
(संदर्भ: पैरा: 2 (ii); पृष्ठ 55)

मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्राप्तियों सहित कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत प्राप्तियां	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्राप्ति का मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्ति से प्रतिशत	प्राप्ति की प्रकृति
(₹ करोड़ में)				
00049- ब्याज प्राप्ति	20.84	11.81	56.67	एसडीएल पर देय ब्याज पर दी गई छूट और अन्य एजेंसियों द्वारा भुगतान किए गए ब्याज के कारण प्राप्ति।
0059- लोक निर्माण	27.92	19.82	70.99	अतिथि गृहों से प्राप्तियां
0070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं	26.59	19.44	73.11	सरकारी हॉस्टल, एमएलए हॉस्टल में खानपान से प्राप्ति
0075- विविध सामान्य सेवाएं	7.50	7.39	98.53	तोशखाना का विक्रय आगम
0216- आवास	4.92	4.77	96.95	विभागीय पूल आवासों से प्राप्तियां
0235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	4.27	4.27	100.00	पंजीकरण शुल्क प्राप्तियां
0408- खाद्य, भंडार और भंडारण	2.71	2.71	100.00	विविध प्राप्तियां
0701- प्रमुख और मध्यम सिंचाई	6,74.97	6,74.81	99.98	सरकार द्वारा प्राप्त जल उपयोग प्रभार
0702- लघु सिंचाई	6.08	6.08	100.00	विविध प्राप्तियां
0801- विद्युत	3,247.00	3,247.00	100.00	बिजली की बिक्री
0853- अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	51.75	21.48	41.51	खानों से संबंधित जिला प्राधिकरणों द्वारा प्राप्तियों का संग्रहण
1054- सड़कें और पुल	0.29	0.29	100.00	मशीनरी और उपकरण का किराया प्रभार
1452- पर्यटन	2.94	2.47	84.01	पर्यटक रिसॉर्ट्स से प्राप्तियां

अनुलग्नक-घ

लघु शीर्ष 800 अन्य व्यय का संचालन

(संदर्भ: पैरा: 2 (ii); पृष्ठ 55)

मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय सहित कुल व्यय	लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत व्यय	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय का मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय से प्रतिशत	व्यय की प्रकृति
	(₹ करोड़ में)			
2075-विविध सामान्य सेवाएं	1.40	1.04	74.29	प्रत्याभूति मोचन निधि (जीआरएफ) तथा अन्य विविध व्यय को हस्तांतरित राशि
2250-अन्य सामाजिक सेवाएं	4.15	2.15	51.81	अन्य योजनाओं पर व्यय
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	6.94	6.94	100.00	वेतन पर व्यय
4236-पोषण पर पूँजीगत परिव्यय	19.96	19.96	100.00	पोषण/आईसीडीएस
4405-मत्स्य पालन पर पूँजीगत परिव्यय	11.37	11.37	100.00	मछुआरों का कल्याण/ भवन निर्माण कार्यक्रम
4406- वानिकी और वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय	47.88	29.07	60.71	वन प्रादेशीय/ वन्य जीव परिरक्षण/ राष्ट्रीय वन रोपण कार्यक्रम
4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	1,805.21	1,005.48	55.70	एकीकृत अपशिष्ट विकास कार्यक्रम/ प्रधानमंत्री आवास योजना/ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	206.16	206.16	100.00	उत्पादन/ टी एण्ड डी/गोदामों का निर्माण
5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	93.60	93.60	100.00	विभिन्न विकास प्राधिकरण
5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	457.89	456.67	99.73	बीएडीपी/ निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनाएं

अनुलग्नक-ड

नियंत्रण अधिकारियों की सूची (जहां व्यय का प्रमुख भाग सम्मिलित है) जिन्होंने वर्ष 2018-19 के दौरान अपने सरकारी लेखाओं का मिलान नहीं किया है।

(संदर्भ: पैरा: 2 (v); पृष्ठ 58-59)

क्रम सं.	नियंत्रक अधिकारी का नाम
1.	प्रधानाचार्य, सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, जम्मू
2.	पंजीयक, सामान्य उच्च न्यायालय, जम्मू
3.	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, जम्मू
4.	निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन, जम्मू
5.	पंजीयक, सामान्य उच्च न्यायालय, श्रीनगर
6.	निदेशक, सामाजिक कल्याण, श्रीनगर
7.	उप निदेशक, न्यायाधिकरण मामले, जम्मू
8.	स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली
9.	सचिव, विधान सभा, जम्मू एवं कश्मीर
10.	सी ई ओ, पर्यटन विकास प्राधिकरण, पहलगाम, कश्मीर
11.	सी ई ओ, पर्यटन विकास प्राधिकरण, गुलमर्ग, कश्मीर
12.	प्रभागीय आयुक्त, लेह
13.	प्रभागीय आयुक्त, कारगिल
14.	निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, कश्मीर
15.	वित्तीय आयुक्त, राजस्व, जम्मू एवं कश्मीर
16.	प्रधान सचिव, गृह, जम्मू एवं कश्मीर
17.	एफए एण्ड सीएओ, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जम्मू एवं कश्मीर
18.	निदेशक, जनजातीय मामले, जम्मू एवं कश्मीर
19.	निदेशक, भारतीय औषधि प्रणाली
20.	उत्पाद-शुल्क आयुक्त, कश्मीर
21.	प्रधान परियोजना अधिकारी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, श्रीनगर
22.	मिशन निदेशक, आईसीडीएस, जम्मू एवं कश्मीर
23.	पंजीयक, बिक्री कर अधिकरण, श्रीनगर
24.	आयुक्त सचिव, सामाजिक कल्याण, जम्मू एवं कश्मीर
25.	परिवहन आयुक्त, श्रीनगर
26.	आयुक्त/सचिव, उच्चतर शिक्षा, जम्मू एवं कश्मीर
27.	महा अधिवक्ता, जम्मू एवं कश्मीर

अनुलग्नक-च
उचंत तथा प्रेषणों के अन्तर्गत शेष
(संदर्भ: पैरा: 3 (viii); पृष्ठ 67)

लघु शीर्ष	2016-17			2017-18			2018-19		
	डेबिट	क्रेडिट	निवल (डेबिट/क्रेडिट)	डेबिट	क्रेडिट	निवल (डेबिट/क्रेडिट)	डेबिट	क्रेडिट	निवल (डेबिट/क्रेडिट)
8658- उचंत लेखा- (₹ करोड़ में)									
101-पीएओ उचंत	267.76	48.41	219.35 (डेबिट)	328.04	54.72	273.32 (डेबिट)	378.28	67.42	310.86 (डेबिट)
102-उचंत लेखा (सिविल)	136.78	75.64	61.14 (डेबिट)	159.33	69.81	89.52 (डेबिट)	375.41	282.81	92.60 (डेबिट)

112-स्रोत पर की गई कर कटौती (टीडीएस उचंत)	-	66.76	66.76 (क्रेडिट)	-	1.05	1.05 (क्रेडिट)	-	444.43	444.43 (क्रेडिट)
--	---	-------	---------------------------	---	------	--------------------------	---	--------	----------------------------

8782-समान महालेखाकार/लेखा अधिकारियों को लेखाओं को प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के मध्य रोकड प्रेषण और समायोजन-

102-लोक निर्माण प्रेषण	89.45	1564.48	1475.03 (क्रेडिट)	1077.23	1493.16	415.93 (क्रेडिट)	1278.83	1739.25	460.42 (क्रेडिट)
103-वन प्रेषण	101.15	157.87	56.72 (क्रेडिट)	107.26	160.12	52.86 (क्रेडिट)	107.26	160.12	52.86 (क्रेडिट)
110-विविध प्रेषण	-	1962.25	1962.25 (क्रेडिट)	-	68.49	68.49 (क्रेडिट)	-	2028.24	2028.24 (क्रेडिट)
8793- अंतर्राज्यीय उचंत लेखा	3.86	0.21	3.65 (डेबिट)	1.95	0.24	1.71 (डेबिट)	5.04	0.22	4.82 (डेबिट)

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
2019
www.cag.gov.in



<http://www.agjk.nic.in>



सत्यमेव जयते

वित्त लेखे खंड-॥ 2018-2019



लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



जम्मू एवं कश्मीर सरकार

वित्त लेखे

खण्ड-II

2018-2019

जम्मू एवं कश्मीर सरकार

विषय-सूची

	पृष्ठ
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र	(iv-vii)
वित्त लेखे का मार्गदर्शन	(ix-xiv)
खंड-I	
1 वित्तीय स्थिति का विवरण	2-3
2 प्राप्तियों तथा संवितरणों का विवरण	4-6
अनुलग्नक क- रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश	7-9
3 प्राप्तियों का विवरण- (समेकित निधि)	10-14
4 व्यय का विवरण- (समेकित निधि) -	
(क) कार्यकलाप के अनुसार व्यय	15-19
(ख) प्रकृति के अनुसार व्यय	20-23
5 प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण	24-31
6 उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण	32-36
7 सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों का विवरण	37-41
8 सरकार के निवेशों का विवरण	42
9 सरकार द्वारा दी गई गारंटियों का विवरण	43
10 सरकार द्वारा दिए गए सहायता अनुदानों का विवरण	44

विषय-सूची -(जारी)

खंड-I-(समाप्त)

	पृष्ठ
11 दत्तमत तथा प्रभारित व्यय का विवरण	45-46
12 2018-19 के अंत तक राजस्व लेखाओं के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग पर विवरण	47-49
13 समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के तहत शेषों का सारांश	50-51
लेखाओं पर टिप्पणियाँ	52-79

खंड -II

भाग-I

14 लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण	82-112
15 लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण	113-163
16 लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण	164-231
17 उधार एवं अन्य देयताओं का विस्तृत विवरण	232-243
18 सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण	244-260
19 सरकार के निवेश का विस्तृत विवरण	261-280
20 सरकार द्वारा दी गई गारंटियों का विस्तृत विवरण	281-284
21 आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा के संव्यवहारों का विस्तृत विवरण	285-301
22 चिह्नित शेषों के निवेशों पर विस्तृत विवरण	302-304

विषय-सूची-(समाप्त)

खंड-II-(समाप्त)

भाग-II परिशिष्ट	पृष्ठ
I वेतन पर तुलनात्मक व्यय	306-318
II सहायिकी पर तुलनात्मक व्यय	319-323
III राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता अनुदान/ आर्थिक सहायता (संस्थावार तथा योजनावार)	324-328
IV बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विवरण	329-330
V योजनाओं पर व्यय -	
(क) केंद्रीय योजनाएं (केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं तथा केंद्रीय योजनाएं)	331-336
(ख) राज्य योजनाएं	337-341
VI राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय योजना निधियों का प्रत्यक्ष हस्तांतरण (राज्य बजट के अलावा दी गई निधियाँ) (अलेखापरीक्षित आँकड़े)	342-350
VII शेषों की स्वीकृति एवं मिलान (जैसा कि विवरण 18 और 21 में दर्शाया गया है)	351-352
VIII सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम	353
IX सरकार की प्रतिबद्धताएं - ₹1 करोड़ या अधिक लागत वाले अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची	354-372
X वेतन और गैर वेतन-भाग के वर्गीकरण के साथ अनुरक्षण व्यय	373-387
XI वर्ष के दौरान सरकार के मुख्य नीतिगत निर्णय या बजट में प्रस्तावित नई योजनाएँ	388-389
XII सरकार की प्रतिबद्ध देयताएं	390-391

खंड-II

भाग-I

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण

शीर्ष	वास्तविक		वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि(+)/कमी (-)
	2018-19	2017-18	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
प्राप्ति शीर्ष - (राजस्व लेखा)			
क- कर राजस्व # -			
(क) वस्तु एवं सेवा कर			
0005- केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी)-			
901- राज्य को सौंपी गई निवल प्राप्तियों की हिस्सेदारी	34,84,87.00	3,16,80.00	*
कुल-0005	34,84,87.00	3,16,80.00	*
0006- राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)-			
101- कर	15,84,45.12	8,96,88.07	(+)77
102- ब्याज	3,32.89	52.90	*
103- दंड	3,43.93	2.66	*
104- शुल्क	15,99.03	3,22.32	*
106- आईजीएसटी के प्रभाजन-एसजीएसटी को कर घटक के हस्तांतरण	31,54,41.29	14,01,51.65	*
110- आईजीएसटी से अग्रिम प्रभाजन	2,98,00.00	2,09,00.00	(+)43
500- अन्य लघु शीर्षों में अपेक्षित प्राप्तियां हस्तांतरण	74,59.54	1,00,05.57	(-)25
800- अन्य प्राप्तियाँ	1.34	2.79	(-)52
कुल-0006	51,34,23.14	26,11,25.96	(+)97
0008- एकीकृत वस्तु एवं सेवाएं कर (आईजीएसटी)-			
01- वस्तु एवं सेवाओं के आयात/ निर्यात पर आईजीएसटी-			
901- राज्य को सौंपी गई निवल प्राप्तियों की हिस्सेदारी	2,78,10.00	12,60,68.00	(-)78
कुल-01	2,78,10.00	12,60,68.00	(-)78
कुल-0008	2,78,10.00	12,60,68.00	(-)78
कुल-(क) वस्तु एवं सेवा कर	88,97,20.14	41,88,73.96	*
(ख) आय एवं व्यय पर कर-			
0020- निगम कर-			
901- राज्य को सौंपी गई निवल प्राप्तियों की हिस्सेदारी	49,10,14.00	38,24,16.00	(+)28
कुल-0020	49,10,14.00	38,24,16.00	(+)28

धन वापसी पर विचार करने के बाद आँकड़े निवल हैं।

* पूरे विवरण में सौ प्रतिशत से अधिक।

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण-(जारी)

शीर्ष	वास्तविक		वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
	2018-19	2017-18	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
प्राप्ति शीर्ष - (राजस्व लेखा)-(जारी)			
क- कर राजस्व-(जारी)			
(ख) आय एवं व्यय पर कर-(समाप्त)			
0021- निगम कर के अलावा आय पर कर-			
901- राज्य को सौंपी गई निवल प्राप्तियों की हिस्सेदारी	36,16,11.00	32,29,22.16	(+12
कुल-0021	36,16,11.00	32,29,22.16	(+12
0028- आय और व्यय पर अन्य कर-			
901- राज्य को सौंपी गई निवल प्राप्तियों की हिस्सेदारी	25,57.00	-	@
कुल-0028	25,57.00	-	@
कुल-(ख)-आय एवं व्यय पर कर	85,51,82.00	70,53,38.16	(+22
(ग) संपत्ति, पूंजी एवं अन्य संव्यवहारों पर कर			
0029- भूमि राजस्व-			
101- भूमि राजस्व/ कर	34,68.55	29,05.97	(+19
800- अन्य प्राप्तियाँ	6,59.68	1.54	*
कुल-0029	41,28.23	29,07.51	(+42
0030- स्टॉप एवं पंजीकरण शुल्क-			
01- स्टॉप - न्यायिक			
101- स्टॉप से प्राप्त न्यायालय शुल्क	2,99.27	3,70.75	(-19
102- स्टॉप की बिक्री	8,98.40	8,61.06	(+04
800- अन्य प्राप्तियाँ	55.11	16.17	*
कुल-01	12,52.78	12,47.98	₹
02- स्टॉप गैर-न्यायिक			
102- स्टॉप की बिक्री	1,80,52.15	2,54,31.98	(-29
800- अन्य प्राप्तियाँ	-	18.51	(-100
कुल-02	1,80,52.15	2,54,50.49	(-29

@ विवरण में लागू नहीं है।

₹ विवरण में नगण्य है।

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण-(जारी)

शीर्ष	वास्तविक		वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
	2018-19	2017-18	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
प्राप्ति शीर्ष - (राजस्व लेखा)-(जारी)			
क- कर राजस्व-(जारी)			
ग) संपत्ति, पूंजी एवं अन्य संव्यवहारों पर कर-(समाप्त)			
0030- स्टांप एवं पंजीकरण शुल्क-(समाप्त)			
03- पंजीकरण शुल्क-			
104- दस्तावेजों को पंजीकृत करने के लिए शुल्क	68,84.92	40,36.36	(+)71
800- अन्य प्राप्तियाँ	3,55.25	8.19	*
कुल-03	72,40.17	40,44.55	(+)79
कुल-0030	2,65,45.10	3,07,43.02	(-)14
0032- धन-संपदा पर कर-			
60- कृषि भूमि के अलावा-			
901- राज्य को सौंपी गई निवल प्राप्तियों की हिस्सेदारी	1,80.00	(-)11.00	*
कुल-60	1,80.00	(-)11.00	*
कुल-0032	1,80.00	(-)11.00	*
0035- कृषि भूमि के अलावा अन्य अचल संपत्ति पर कर			
800- अन्य प्राप्तियाँ	-	0.10	(-)100
कुल-0035	-	0.10	(-)100
कुल-(ग)-संपत्ति, पूंजी एवं अन्य संव्यवहारों पर कर	3,08,53.33	3,36,39.63	(-)08
(घ) वस्तु एवं सेवा कर के अलावा अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर-			
0037- सीमा-शुल्क			
901- राज्य को सौंपी गई निवल प्राप्तियों की हिस्सेदारी	10,00,82.00	12,60,30.00	(-)21
कुल-0037	10,00,82.00	12,60,30.00	(-)21

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण-(जारी)

शीर्ष	वास्तविक		वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
	2018-19	2017-18	
(1)	(2)	(3)	(4)
			(₹ लाख में)
प्राप्ति शीर्ष - (राजस्व लेखा)-(जारी)			
क- कर राजस्व-(जारी)			
(घ) वस्तु एवं सेवा कर के अलावा अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर-(जारी)			
0038- केंद्रीय उत्पाद शुल्क-			
02- राज्यों को सौंपे गए शुल्क -			
901- राज्य को सौंपी गई निवल प्राप्तियों की हिस्सेदारी	6,65,11.00	20,20,60.00	(-)67
कुल-0038	6,65,11.00	20,20,60.00	(-)67
0039- राज्य उत्पाद शुल्क -			
104- शराब	11,98,95.71	6,00,14.71	(+)100
800- अन्य प्राप्तियाँ	92,49.12	2,33,00.82	(-)60
कुल-0039	12,91,44.83	8,33,15.53	(+)55
0040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर -			
102- राज्य बिक्री कर अधिनियम के तहत प्राप्तियाँ	3,36,10.83	28,25,59.03	(-)88
103- मोटर स्पिंटस एवं लुब्रीकेंट्स की बिक्री पर कर	14,21,10.11	12,24,02.00	(+)16
104- बिक्री कर पर अधिभार	-	2,84.40	(-)100
111- मूल्य वर्धित कर (वैट) प्राप्तियाँ	-	4,40,65.81	(-)100
कुल-0040	17,57,20.94	44,93,11.24	(-)61
0041- वाहनों पर कर-			
102- राज्य मोटर वाहन कराधान अधिनियमों के तहत प्राप्तियाँ	2,38,92.98	2,28,10.93	(+)05
कुल-0041	2,38,92.98	2,28,10.93	(+)05

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण-(जारी)

शीर्ष	वास्तविक		वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
	2018-19	2017-18	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
प्राप्ति शीर्ष - (राजस्व लेखा)-(जारी)			
क- कर राजस्व-(समाप्त)			
(घ) वस्तु एवं सेवा कर के अलावा अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर-(समाप्त)			
0042- माल एवं यात्रियों पर कर-			
102- सड़कों पर टोल	8,59,20.75	7,83,24.79	(+)10
103- कर संग्रह - यात्री कर	50,01.41	69,37.04	(-)28
कुल-0042	9,09,22.16	8,52,61.83	(+)07
0043- विद्युत पर कर एवं शुल्क-			
101- उपभोग और विद्युत की बिक्री पर कर	1,88,47.79	1,79,14.00	(+)05
800- अन्य प्राप्तियाँ	9.70	5.84	(+)66
कुल-0043	1,88,57.49	1,79,19.84	(+)05
0045- वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क-			
101- मनोरंजन कर	0.10	2,44.20	₹
901- राज्य को सौंपी गई निवल प्राप्तियों की हिस्सेदारी	7,28.00	-	@
कुल-0045	7,28.10	2,44.20	*
कुल-(घ)- वस्तु एवं सेवा कर के अलावा अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर	60,58,59.50	98,69,53.57	(-)39
कुल-क-कर राजस्व	2,38,16,14.97	2,14,48,05.32	(+)11

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण-(जारी)

शीर्ष	वास्तविक		वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
	2018-19	2017-18	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
प्राप्ति शीर्ष - (राजस्व लेखा)-(जारी)			
ख- गैर-कर राजस्व-			
(ख) ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश एवं लाभ-			
0049- ब्याज प्राप्तियाँ-			
04- राज्य/ केंद्र शासित सरकारों की ब्याज प्राप्तियाँ-			
103- विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों से ब्याज	-	2,16.50	(-)100
110- रोकड शेष के निवेश पर वसूल किया गया ब्याज	9,03.58	6,51.95	(+)39
800- अन्य प्राप्तियाँ	11,80.88	10,75.04	(+)10
	<i>कुल-04</i>		
	कुल-0049	20,84.46	19,43.49
			(+)07
0050- लाभांश और लाभ-			
200- अन्य निवेशों से लाभांश	-	-	-
	कुल-0050	-	-
	कुल-(ख)-ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश एवं लाभ	20,84.46	19,43.49
			(+)07
(ग) अन्य गैर-कर राजस्व-			
(i) सामान्य सेवाएं-			
0051- लोक सेवा आयोग-			
105- राज्य पीएससी परीक्षा शुल्क	0.68	-	@
800- अन्य प्राप्तियाँ	-	0.63	(-)100
	कुल-0051	0.68	0.63
			(+)08
0055- पुलिस-			
101- अन्य सरकारों के लिए पुलिस आपूर्ति	14,83.00	1,58.27	*
102- अन्य पार्टियों के लिए पुलिस आपूर्ति	16,34.21	3,45.05	*
103- शुल्क, जुर्माना एवं जब्ती	9,71.35	1.99	*
104- शस्त्र अधिनियम के तहत प्राप्तियाँ	3,71.09	5,01.90	(-)26
800- अन्य प्राप्तियाँ	44,38.11	22,63.28	(+)96
	कुल-0055	88,97.76	32,70.49
			*

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण-(जारी)

शीर्ष	वास्तविक		वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
	2018-19	2017-18	
(1)	(2)	(3)	(4)
			(₹ लाख में)
प्राप्ति शीर्ष - (राजस्व लेखा)-(जारी)			
ख- गैर-कर राजस्व-(जारी)			
(ग) अन्य गैर-कर राजस्व-(जारी)			
(i) सामान्य सेवाएं-(जारी)			
0056- कारागार-			
102- कारागार में विनिर्माण की बिक्री	33.83	36.70	(-)08
800- अन्य प्राप्तियाँ	-	8.14	(-)100
कुल-0056	33.83	44.84	(-)25
0058- लेखन सामग्री एवं मुद्रण-			
101- लेखन सामग्री प्राप्तियाँ	8,14.07	1,10.61	*
102- राजपत्र आदि की बिक्रियां	44.31	1,36.47	(-)68
200- अन्य मुद्रणालय प्राप्तियाँ	94.01	3,61.57	(-)74
कुल-0058	9,52.39	6,08.65	(+)56
0059- लोक निर्माण कार्य-			
01- कार्यालय भवनों-			
011- किराया	8,10.23	9.74	*
102- मशीनरी एवं उपकरण का किराया प्रभार	-	0.90	(-)100
800- अन्य प्राप्तियाँ	19,24.12	38,44.40	(-)50
कुल-01	27,34.35	38,55.04	(-)29

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण-(जारी)

शीर्ष	वास्तविक		वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
	2018-19	2017-18	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
प्राप्ति शीर्ष - (राजस्व लेखा)-(जारी)			
ख- गैर-कर राजस्व-(जारी)			
(ग) अन्य गैर-कर राजस्व-(जारी)			
(i) सामान्य सेवाएं-(जारी)			
0059- लोक निर्माण कार्य-(समाप्त)			
80- सामान्य-			
011- किराया	-	5.26	(-)100
102- मशीनरी एवं उपकरण का किराया प्रभार	0.29	3,55.74	₹
800- अन्य प्राप्तियाँ	57.63	5,80.40	(-)90
	<i>कुल-80</i>	9,41.40	(-)94
	कुल-0059	47,96.44	(-)42
0070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं-			
01- न्याय-प्रशासन			
102- जुर्माना एवं जब्ती	5,28.13	1,88.25	*
800- अन्य प्राप्तियाँ	1,21.56	77.80	(+)56
	<i>कुल-01</i>	2,66.05	*
02- निर्वाचन-			
101- निर्वाचन फोर्मों और दस्तावेजों की विक्रय प्राप्तियाँ	0.26	-	@
104- शुल्क, जुर्माने और जब्ती	2.18	-	@
105- मतदाता पहचान पत्रों को जारी करने के प्रति अंशदान	0.01	-	@
800- अन्य प्राप्तियाँ	11,14.57	-	@
	<i>कुल-02</i>	-	@

₹ लोक सभा चुनाव 2019 के कारण व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में भारत सरकार द्वारा निर्गत ₹ 11,00.00 लाख को सम्मिलित करता है।

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण-(जारी)

शीर्ष	वास्तविक		वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
	2018-19	2017-18	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
प्राप्ति शीर्ष - (राजस्व लेखा)-(जारी)			
ख- गैर-कर राजस्व-(जारी)			
(ग) अन्य गैर-कर राजस्व-(जारी)			
(i) सामान्य सेवाएं-(समाप्त)			
0070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं-(समाप्त)			
60- अन्य सेवाएं-			
105- होम गार्ड	0.01	0.04	(-)75
114- मोटर गैरेजों इत्यादि पर प्राप्तियाँ	26.88	-	@
115- अतिथि गृहो हाउस, सरकारी छात्रावास आदि से प्राप्तियाँ	1,57.16	2,38.91	(-)34
118- सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्तियाँ	0.53	1.67	(-)68
800- अन्य प्राप्तियाँ	7,07.63	14,35.06	(-)51
	8,92.21	16,75.68	(-)47
कुल-0070	26,58.92	19,41.73	(-)20
0071- पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के प्रति योगदान एवं वसूली -			
01- नागरिक-			
101- अभिदान एवं अंशदान	19,03.08	3,84.91	*
800- अन्य प्राप्तियाँ	-	-	-
कुल-01	19,03.08	3,84.91	*
कुल-0071	19,03.08	3,84.91	*
0075- विविध सामान्य सेवाएं-			
101- अदावी जमा	11.32	33.27	(-)66
800- अन्य प्राप्तियाँ	7,38.56	53,80.98	(-)86
कुल-0075	7,49.88	54,14.25	(-)86
कुल-(i)-सामान्य सेवाएं	1,79,88.81	1,64,61.94	(+)03

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण-(जारी)

शीर्ष	वास्तविक		वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
	2018-19	2017-18	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
प्राप्ति शीर्ष - (राजस्व लेखा)-(जारी)			
ख- गैर-कर राजस्व-(जारी)			
(ग) अन्य गैर-कर राजस्व-(जारी)			
(ii) सामाजिक सेवाएं-			
0202- शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति-			
01- सामान्य शिक्षा-			
101- प्राथमिक शिक्षा- प्रवेश शुल्क एवं अन्य शुल्क	4,29.80	4,06.82	(+)06
102- माध्यमिक शिक्षा- प्रवेश शुल्क एवं अन्य शुल्क	54.72	41.69	(+)31
103- विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा- प्रवेश शुल्क एवं अन्य शुल्क	17.69	37.41	(-)53
800- अन्य प्राप्तियाँ	5.14	1.84	*
<i>कुल-01</i>	<u>5,07.35</u>	<u>4,87.76</u>	<u>(+)04</u>
02- तकनीकी शिक्षा-			
101- ट्यूशन एवं अन्य शुल्क	2.00	6.13	(-)67
800- अन्य प्राप्तियाँ	23.55	11.49	*
<i>कुल-02</i>	<u>25.55</u>	<u>17.62</u>	<u>(+)45</u>
03- खेल एवं युवा सेवाएं			
101- शारीरिक शिक्षा-खेल एवं युवा कल्याण	-	1.13	(-)100
800- अन्य प्राप्तियाँ	0.50	0.40	(+)25
<i>कुल-03</i>	<u>0.50</u>	<u>1.53</u>	<u>(-)67</u>
04- कला एवं संस्कृति-			
800- अन्य प्राप्तियाँ	2.31	-	@
<i>कुल-04</i>	<u>2.31</u>	<u>-</u>	<u>@</u>
कुल-0202	<u>5,35.71</u>	<u>5,06.91</u>	<u>(+)06</u>

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण-(जारी)

शीर्ष	वास्तविक		वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
	2018-19	2017-18	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
प्राप्ति शीर्ष - (राजस्व लेखा)-(जारी)			
ख- गैर-कर राजस्व-(जारी)			
(ग) अन्य गैर-कर राजस्व-(जारी)			
(ii) सामाजिक सेवाएं-(जारी)			
0210- चिकित्सा एवं सार्वजनिक-स्वास्थ्य -			
01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-			
020- अस्पताल एवं औषधालय सेवाओं के लिए मरीजों से प्राप्तियाँ	15,35.28	3,03.35	*
104- मेडिकल स्टोर डिपो	4.13	28.46	(-85)
<i>कुल-01</i>	15,39.41	3,31.81	*
02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं			
800- अन्य प्राप्तियाँ	2,98.69	2.99	*
<i>कुल-02</i>	2,98.69	2.99	*
03- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान-			
105- एलोपैथी	-	-	-
<i>कुल -03</i>	-	-	-
04- सार्वजनिक-स्वास्थ्य			
104- शुल्क एवं जुर्माना इत्यादि	6,60.65	19,21.74	(-66)
<i>कुल-04</i>	6,60.65	19,21.74	(-66)
80- सामान्य-			
800- अन्य प्राप्तियाँ	1,46.35	3,46.11	(-58)
<i>कुल-80</i>	1,46.35	3,46.11	(-58)
कुल-0210	26,45.10	26,02.65	(+02)

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण-(जारी)

शीर्ष	वास्तविक		वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
	2018-19	2017-18	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
प्राप्ति शीर्ष - (राजस्व लेखा)-(जारी)			
ख- गैर-कर राजस्व-(जारी)			
(ग) अन्य गैर-कर राजस्व-(जारी)			
(ii) सामाजिक सेवाएं-(जारी)			
0211- परिवार कल्याण-			
800- अन्य प्राप्तियाँ	-	0.02	(-)100
कुल-0211	-	0.02	(-)100
0215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता -			
<i>01- जलापूर्ति-</i>			
102- ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं से प्राप्तियाँ	33,31.42	70,81.95	(-)53
103- शहरी जलापूर्ति योजनाओं से प्राप्तियाँ	35.76	-	@
800- अन्य प्राप्तियाँ	26,10.54	22,24.73	(+)17
<i>कुल-01</i>	<i>59,77.72</i>	<i>93,06.68</i>	<i>(-)36</i>
कुल-0215	59,77.72	93,06.68	(-)36
0216- आवास-			
<i>01- सरकारी आवासीय भवन-</i>			
106- सामान्य पूल आवास	-	0.28	(-)100
700- अन्य आवास	14.79	81.87	(-)82
<i>कुल-01</i>	<i>14.79</i>	<i>82.15</i>	<i>(-)82</i>
<i>03- ग्रामीण आवास-</i>			
800- अन्य प्राप्तियाँ	91.98	5.65	*
<i>कुल-03</i>	<i>91.98</i>	<i>5.65</i>	<i>*</i>
<i>80- सामान्य-</i>			
800- अन्य प्राप्तियाँ	3,85.33	3,16.57	(+)22
<i>कुल-80</i>	<i>3,85.33</i>	<i>3,16.57</i>	<i>(+)22</i>
कुल-0216	4,92.10	4,04.37	(+)22

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण-(जारी)

शीर्ष	वास्तविक		वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
	2018-19	2017-18	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
प्राप्ति शीर्ष - (राजस्व लेखा)-(जारी)			
ख- गैर-कर राजस्व-(जारी)			
(ग) अन्य गैर-कर राजस्व-(जारी)			
(ii) सामाजिक सेवाएं-(जारी)			
0217- शहरी विकास-			
60- अन्य शहरी विकास योजनाएं			
800- अन्य प्राप्तियाँ	2,15.88	52.38	*
कुल-60	2,15.88	52.38	*
कुल-0217	2,15.88	52.38	*
0220- सूचना एवं प्रचार			
60- अन्य-			
800- अन्य प्राप्तियाँ	2.09	2.81	(-)26
कुल-60	2.09	2.81	(-)26
कुल-0220	2.09	2.81	(-)26
0230- श्रम एवं रोजगार			
101- श्रम कानून के तहत प्राप्तियाँ	1,42.94	5,51.25	(-)74
102- ट्रेड यूनियनों के पंजीकरण के लिए शुल्क	7.99	1.77	*
104- फैक्टरी अधिनियम के तहत शुल्क वसूली	5.33	21.16	(-)75
800- अन्य प्राप्तियाँ	5.54.02	90.65	*
कुल-0230	7,10.28	6,64.83	(+)07

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण-(जारी)

शीर्ष	वास्तविक		वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
	2018-19	2017-18	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
प्राप्ति शीर्ष - (राजस्व लेखा)-(जारी)			
ख- गैर-कर राजस्व-(जारी)			
(ग) अन्य गैर-कर राजस्व-(जारी)			
(ii) सामाजिक सेवाएं-(समाप्त)			
0235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण-			
60- अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम-			
800- अन्य प्राप्तियाँ	1,81.34	4,27.34	(-)58
<i>कुल-60</i>	1,81.34	4,27.34	(-)58
कुल-0235	1,81.34	4,27.34	(-)58
0250- अन्य सामाजिक सेवाएं-			
102- अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	1.47	1.13	(+)30
800- अन्य प्राप्तियाँ	-	0.51	(-)100
कुल-0250	1.47	1.64	(-)10
कुल-(ii)-सामाजिक सेवाएं	1,07,61.69	1,39,69.63	(-)23
(iii) आर्थिक सेवाएं -			
0401- फसल कृषि व्यवस्था -			
103- बीज	1,04.44	6,61.12	(-)84
104- कृषि फार्मों से प्राप्तियाँ	9.09	-	@
119- बागवानी एवं सब्जियों की फसलों से प्राप्तियाँ	9,54.76	3,51.04	*
800- अन्य प्राप्तियाँ	2.48	7.45	(-)67
कुल-0401	10,70.77	10,19.61	(+)05

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण-(जारी)

शीर्ष	वास्तविक		वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)	
	2018-19	2017-18		
(1)	(2)	(3)	(4)	
(₹ लाख में)				
प्राप्ति शीर्ष - (राजस्व लेखा)-(जारी)				
ख- गैर-कर राजस्व-(जारी)				
(ग) अन्य गैर-कर राजस्व-(जारी)				
(iii) आर्थिक सेवाएं-(जारी)				
0403- पशुपालन-				
102-	मवेशी एवं भैंस विकास से प्राप्तियाँ	2,38.09	2,13.49	(+)12
103-	मुर्गी पालन विकास से प्राप्तियाँ	80.00	71.01	(+)13
104-	भेड एवं ऊन विकास से प्राप्तियाँ	1,54.90	1,18.32	(+)31
108-	अन्य पशुधन विकास से प्राप्तियाँ	1,40.76	3.64	*
800-	अन्य प्राप्तियाँ	1,34.29	4,05.79	(-)67
	कुल-0403	7,48.04	8,12.25	(-)03
0405- मछली पालन-				
102-	लाइसेंस शुल्क, जुर्माना आदि	1,28.86	78.58	(+)64
103-	मछली, मछली के बीज आदि की बिक्री।	2,00.06	78.81	*
800-	अन्य प्राप्तियाँ	3,63.55	4,16.31	(-)13
	कुल-0405	6,92.47	5,73.70	(+)21
0406- वानिकी एवं वन्य जीवन-				
<i>01- वानिकी-</i>				
101-	टिंबर एवं अन्य वन उत्पादन की बिक्री	5,13.87	5,87.56	(-)13
102-	सामाजिक एवं कृषि वानिकी से प्राप्तियाँ	0.14	0.04	*
103-	पर्यावरण वानिकी से प्राप्तियाँ	1,50.52	0.75	*
104-	वन रोपण से प्राप्तियाँ	0.10	0.23	(-)57
800-	अन्य प्राप्तियाँ	7,73.37	10,88.98	(-)29
	कुल-01	14,38.00	16,77.56	(-)14

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण-(जारी)

शीर्ष	वास्तविक		वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
	2018-19	2017-18	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
प्राप्ति शीर्ष - (राजस्व लेखा)-(जारी)			
ख- गैर-कर राजस्व -(जारी)			
(ग) अन्य गैर-कर राजस्व-(जारी)			
(iii) आर्थिक सेवाएं-(जारी)			
0406- वानिकी एवं वन्य जीवन-(जारी)			
02- पर्यावरण वानिकी एवं वन्य जीवन-			
112- सार्वजनिक उद्यान	4,32.60	0.76	*
800- अन्य प्राप्तियाँ	1,62.38	1,33.82	(+)21
कुल-02	5,94.98	1,34.58	*
कुल-0406	20,32.98	18,12.14	(+)12
0408- खाद्य संग्रहण एवं भंडारण-			
800- अन्य प्राप्तियाँ	2,71.60	12,89.66	(-)79
कुल-0408	2,71.60	12,89.66	(-)79
0425- सहयोग-			
101- लेखापरीक्षा शुल्क	9.03	2.62	*
800- अन्य प्राप्तियाँ	0.95	6.39	(-)85
कुल-0425	9.98	9.01	(+)11
0435- अन्य कृषि कार्यक्रम-			
800- अन्य प्राप्तियाँ	62.08	38.84	(+)60
कुल-0435	62.08	38.84	(+)60

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण-(जारी)

शीर्ष	वास्तविक		वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
	2018-19	2017-18	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
प्राप्ति शीर्ष - (राजस्व लेखा)-(जारी)			
ख- गैर-कर राजस्व -(जारी)			
(ग) अन्य गैर-कर राजस्व-(जारी)			
(iii) आर्थिक सेवाएं-(जारी)			
0515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-			
800- अन्य प्राप्तियाँ	4.23	3.01	(+)41
कुल-0515	4.23	3.01	(+)41
0575- अन्य विशेष क्षेत्रों के कार्यक्रम-			
04- लद्दाख स्वायत्त पहाडी विकास परिषद-			
113- समेकित निधि के लिए विश्वसनीय प्राप्तियाँ	4,59.58	7,00.62	(-)34
कुल-04	4,59.58	7,00.62	(-)34
कुल-0575	4,59.58	7,00.62	(-)34
0701- प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई-			
01- प्रमुख सिंचाई-वाणिज्यिक			
601- रणबीर नहर	5.32	1.89	*
602- प्रताप नहर	9.51	1.55	*
603- कठुआ फीडर नहर	-	-	-
619- मार्तण्ड नहर	0.10	0.30	(-)67
631- अहिजी नहर	0.80	0.16	*
632- जैनागीर नहर	0.24	0.15	(+)60
कुल-01	15.97	4.05	*
80- सामान्य-			
800- अन्य प्राप्तियाँ	6,74,80.66	7,61,04.11	(-)11
कुल-80	6,74,80.66	7,61,04.11	(-)11
कुल-0701	6,74,96.63	7,61,08.16	(-)11

\$ ₹ 6,72,73.00 लाख के जल उपयोग शुल्क सहित

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण-(जारी)

शीर्ष	वास्तविक		वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
	2018-19	2017-18	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
प्राप्तिशीर्ष - (राजस्व लेखा)-(जारी)			
ख- गैर-कर राजस्व-(जारी)			
(ग) अन्य गैर-कर राजस्व-(जारी)			
(iii) आर्थिक सेवाएं-(जारी)			
0702- लघु सिंचाई-			
80- सामान्य-			
800- अन्य प्राप्तियाँ	6,07.81	8,39.13	(-)28
	<i>कुल-80</i>		
	6,07.81	8,39.13	(-)28
	कुल-0702	8,39.13	(-)28
0801- ऊर्जा -			
80- सामान्य-			
800- अन्य प्राप्तियाँ	32,46,49.21 (क)	31,50,93.87	(+)03
	<i>कुल-80</i>		
	32,46,49.21	31,50,93.87	(+)03
	कुल-0801	31,50,93.87	(+)03
0851- ग्राम एवं लघु उद्योग-			
101- औद्योगिक संपदा	27.05	1.71	*
102- लघु उद्योग	4.06	4.84	(-)16
103- हथकरघा उद्योग	20.49	11.55	(+)77
104- हस्तशिल्प उद्योग	91.95	25.06	*
107- रेशम उत्पादन उद्योग	55.80	74.94	(-)26
800- अन्य प्राप्तियाँ	3.37	1,49.09	(-)98
	कुल-0851	2,67.19	(-)24

(क) विद्युत की बिक्री के कारण उपभोक्ताओं से ₹20,33,23.56 लाख, मुख्य शीर्ष 2801-"विद्युत" में डेबिट द्वारा ₹12,00,00.00 लाख की सहायिकी तथा ₹13,25.65 लाख की विविध राजस्व प्राप्तियों को दर्शाता है। कृपया खण्ड II, विवरण संख्या 15 में मुख्य शीर्ष 2801 के नीचे पाद टिप्पणी (क), का भी अवलोकन करें।

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण-(जारी)

शीर्ष	वास्तविक		वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
	2018-19	2017-18	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
प्राप्ति शीर्ष - (राजस्व लेखा)-(जारी)			
ख- गैर-कर राजस्व-(समाप्त)			
(ग) अन्य गैर-कर राजस्व-(समाप्त)			
(iii) आर्थिक सेवाएं-(समाप्त)			
0853- अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग-			
102- खनिज रियारत शुल्क, किराए एवं रॉयल्टी	30,27.02	20,27.07	(+)49
800- अन्य प्राप्तियाँ	21,47.73	27,18.47	(-)21
कुल-0853	51,74.75	47,45.54	(+)09
1054- सड़क एवं पुल-			
800- अन्य प्राप्तियाँ	29.21	1,18.39	(-)75
कुल-1054	29.21	1,18.39	(-)75
1452- पर्यटन-			
105- किराया एवं खानपान की प्राप्तियाँ	47.04	18.56	*
800- अन्य प्राप्तियाँ	2,46.63	1,38.18	(+)78
कुल-1452	2,93.67	1,56.74	(+)87
1475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं-			
106- भार एवं माप के मुद्रांकन के लिए शुल्क	2,77.98	1,83.21	(+)52
800- अन्य प्राप्तियाँ	16.44	87.59	(-)81
कुल-1475	2,94.42	2,70.80	(+)09
कुल-(iii)-आर्थिक सेवाएं	40,41,00.15	40,38,58.66	(-)04
कुल-(ग)-अन्य गैर-कर राजस्व	43,28,50.65	43,42,90.01	(-)04
कुल-ख-गैर-कर राजस्व	43,49,35.11	43,62,33.72	(-)04

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण-(जारी)

शीर्ष	वास्तविक		वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
	2018-19	2017-18	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
प्राप्ति शीर्ष - (राजस्व लेखा)-(जारी)			
ग- अनुदान एवं योगदान			
1601- केंद्र सरकार से अनुदान			
06- केंद्र प्रायोजित योजनाएं			
101- केंद्रीय सहायता/ शेर- कृषि मंत्रालय			
सूचना प्रौद्योगिकी	49.21	-	@
मछली पालन का एकीकृत विकास एवं प्रबंधन	4,39.54	4,04.69	(+)09
पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण	10,69.84	3,06.00	*
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	6,20.65	9,04.64	(-)31
राष्ट्रीय पशुधन मिशन	18,99.13	8,12.32	*
बागवानी पर राष्ट्रीय मिशन	1,10,00.00	1,16,50.00	(-)06
राष्ट्रीय तिलहन और पाम तेल मिशन	55.19	-	@
राष्ट्रीय कृषि वानिकी परियोजना	3,00.00	60.71	*
राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता परियोजना	2,46.54	-	@
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)	7,80.00	3,00.00	*
वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास और जलवायु परिवर्तन	1,00.00	50.00	(+)100
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)	9,59.00	24,76.00	(-)61
कृषि विस्तार उप-मिशन	8,38.97	7,07.27	(+)19
कृषि मशीनीकरण उप-मिशन	10,21.50	1,80.00	*
बीज और पौध सामग्री उप-मिशन	5,91.70	9,32.59	(-)37
जन-स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं में अवसंरचना का सृजन/ नवीनीकरण	-	13,10.00	(-)100
कुल-कृषि मंत्रालय	1,99,71.27	2,00,94.22	(-)01

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण-(जारी)

शीर्ष	वास्तविक		वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
	2018-19	2017-18	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
प्राप्ति शीर्ष - (राजस्व लेखा)-(जारी)			
ग- सहायता अनुदान एवं अंशदान (जारी)			
1601- केंद्र सरकार से सहायता अनुदान-(जारी)			
06- केंद्र प्रायोजित योजनाएं (जारी)			
101- केंद्रीय सहायता/ अंश-(जारी)			
<i>पर्यावरण एवं वन मंत्रालय-</i>			
जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण	86.57	23,82.01	*
वन अग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजना	-	75.00	(-)100
हरित भारत मिशन-राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम	-	7,20.40	(-)100
वन्य जीव आवास का एकीकृत स्थान विकास	4,92.40	5,77.92	(-)15
राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम	30,00.00	-	@
<i>कुल-पर्यावरण एवं वन मंत्रालय</i>	35,78.97	37,55.33	(-)05
<i>स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय -</i>			
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	5,29,87.30	2,55,00.00	*
राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम)	11,96.73	9,92.58	(+)21
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	8,19,07.81	8,11,03.80	(+)01
राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन	9,17.00	4,77.00	(+)92
क्षेत्र देखभाल कार्यक्रम	-	12,38.00	(-)100
<i>कुल-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय</i>	13,70,08.84 (क)	10,93,11.38	(+)25

(क) आरबीआई के मासिक लेखों (₹13,70,08.84 लाख) में ₹1,90,41.50 लाख तक का अंतर जैसा कि दर्शाया गया है और जैसा कि 10-04-2019 को पीएफएमएस वेबसाइट (₹11,79,67.34 लाख) पर उपलब्ध है।

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण-(जारी)

शीर्ष	वास्तविक		वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
	2018-19	2017-18	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
प्राप्ति शीर्ष - (राजस्व लेखा)-(जारी)			
ग- सहायता अनुदान एवं अंशदान (जारी)			
1601- केंद्र सरकार से सहायता अनुदान-(जारी)			
06- केंद्र प्रायोजित योजनाएं-(जारी)			
101- केंद्रीय सहायता/ अंश-(जारी)			
<i>गृह मंत्रालय</i>			
सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी)	84,00.00	1,98,88.60	(-) ⁵⁸
पुलिस बलों का आधुनिकीकरण	8,38,71.98	7,07,96.66	(+) ¹⁸
प्रधानमंत्री विकास कार्यक्रम (पीएमडीपी)	-	3,00,00.00	(-) ¹⁰⁰
<i>कुल-गृह मंत्रालय</i>	<u>9,22,71.98</u>	<u>12,06,85.26</u>	<u>(-)²⁴</u>
<i>श्रम और रोजगार मंत्रालय-</i>			
राष्ट्रीय कैरियर सेवा	-	29.00	(-) ¹⁰⁰
<i>कुल-श्रम और रोजगार मंत्रालय</i>	<u>-</u>	<u>29.00</u>	<u>(-)¹⁰⁰</u>
<i>न्याय एवं विधि मंत्रालय-</i>			
न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाएं	19,01.00	10,00.00	(+) ⁹⁰
<i>कुल-न्याय एवं विधि मंत्रालय</i>	<u>19,01.00</u>	<u>10,00.00</u>	<u>(+)⁹⁰</u>
<i>पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय-</i>			
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन	2,49,34.18	3,25,33.32	(-) ²³
स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण (एसबीएम-ग्रामीण)	2,78,37.32	2,02,38.23	(+) ³⁸
<i>कुल-पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय</i>	<u>5,27,71.50</u>	<u>5,27,71.55</u>	<u>₹</u>

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण-(जारी)

शीर्ष	वास्तविक		वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
	2018-19	2017-18	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
प्राप्ति शीर्ष - (राजस्व लेखा)-(जारी)			
ग- सहायता अनुदान एवं अंशदान (जारी)			
1601- केंद्र सरकार से सहायता अनुदान-(जारी)			
06- केंद्र प्रायोजित योजनाएं (जारी)			
101- केंद्रीय सहायता/ अंश-(जारी)			
<i>अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय-</i>			
स्नातक और स्नातकोत्तर के व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति	-	35.82	(-)100
अल्पसंख्यकों को उत्तर माध्यमिक छात्रवृत्ति	-	39.52	(-)100
अल्पसंख्यकों को पूर्व माध्यमिक छात्रवृत्ति	-	22.57	(-)100
<i>कुल-अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय</i>	-	97.91	(-)100
<i>कौशल एवं उद्यमिता विकास मंत्रालय-</i>			
कौशल का विकास	4,04.75	22,94.18	(-)82
पॉलिटेक्निक की योजना	-	42.21	(-)100
<i>कुल-कौशल एवं उद्यमिता विकास मंत्रालय</i>	4,04.75	23,36.39	(-)83
<i>पंचायती राज मंत्रालय-</i>			
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)	25,06.00	-	@
<i>कुल-पंचायती राज मंत्रालय</i>	25,06.00	-	@
<i>ग्रामीण विकास मंत्रालय -</i>			
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्तता पेंशन योजना	88.19	85.43	(+)03
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	43,71.55	42,43.21	(+)03
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	2,59.75	2,48.72	(+)04

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण-(जारी)

शीर्ष	वास्तविक		वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
	2018-19	2017-18	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
प्राप्ति शीर्ष - (राजस्व लेखा)-(जारी)			
ग- सहायता अनुदान एवं अंशदान (जारी)			
1601- केंद्र सरकार से सहायता अनुदान-(जारी)			
06- केंद्र प्रायोजित योजनाएं-(जारी)			
101- केंद्रीय सहायता/ अंश-(जारी)			
<i>ग्रामीण विकास मंत्रालय-(समाप्त)</i>			
पीएमकेएसवाई- एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी)	31,10.00 (ख)	43,66.00	(-)29
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी कार्यक्रम	7,93,34.12	12,54,17.69	(-)37
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	44.74	89.17	(-)50
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)	1,98,40.02 (ख)	1,28,10.43	(+)55
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई)	99,58.19	49,82.11	(+)100
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)	5,90,77.06	14,00,00.00	(-)58
श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहरी मिशन	-	4,05.00	(-)100
<i>कुल-ग्रामीण विकास मंत्रालय</i>	17,60,83.62 (ख)	29,26,47.76	(-)40
<i>मानव संसाधन विकास मंत्रालय-</i>			
स्कूलों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम	1,06,65.80	63,28.69	(+)69
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए)	3,05,70.00	2,92,35.18	(+)05
सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)	13,99,81.44	15,37,97.98	(-)09
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए)	59,25.00	73,33.19	(-)19
अध्यापक प्रशिक्षण एवं वयस्क शिक्षा	14,89.30	47,32.89	(-)69
<i>कुल-मानव संसाधन विकास मंत्रालय</i>	18,86,31.54	20,14,27.93	(-)06

(ख) दिनांक 31-03-2019 को ग्रामीण विकास मंत्रालय(भारत सरकार) द्वारा जारी की गई ₹41,52.24 लाख (एनआरएलएम ₹75.24 लाख तथा आईडब्ल्यूडीपी ₹40,77.00 लाख) को सम्मिलित नहीं करता है परंतु आरबीआई के मासिक लेखाओं अप्रैल 2019 के अनुसार राज्य सरकार के लेखाओं में अप्रैल 2019 में जमा किये गए।

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण-(जारी)

शीर्ष	वास्तविक		वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)	
	2018-19	2017-18		
(1)	(2)	(3)	(4)	
(₹ लाख में)				
प्राप्ति शीर्ष - (राजस्व लेखा)-(जारी)				
ग- सहायता अनुदान एवं अंशदान (जारी)				
1601-	केंद्र सरकार से सहायता अनुदान-(जारी)			
06-	केंद्र प्रायोजित योजनाएं-(जारी)			
101-	केंद्रीय सहायता/ अंश-(जारी)			
<i>सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय-</i>				
	बालक एवं बालिका छात्रावास-ओबीसी	-	5,36.64	(-)100
	बालक एवं बालिका छात्रावास	40.62	1,60.41	(-)75
	अवसंरचना विकास	7,38.40	-	@
	शराब और मादक द्रव्यों (ड्रग) के सेवन की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय नीति	1,35.00	-	@
	उत्तर माध्यमिक छात्रवृत्ति-ओबीसी	8,01.10	6,50.25	(+)23
	उत्तर माध्यमिक छात्रवृत्ति	-	13,62.76	(-)100
	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विकास योजना	2,44.45	-	@
	दिव्यांगजन हेतु योजना	10,73.98	-	@
	विशेष केन्द्रीय सहायता	3,71.00	4,07.00	(-)09
	<i>कुल-सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय</i>	34,04.55	31,17.06	(+)09
<i>जनजातीय मामले मंत्रालय-</i>				
	उत्तर माध्यमिक छात्रवृत्ति-जनजातीय	6,37.93	23,22.56	(-)73
	जनजातीय उप-योजनाओं को विशेष केंद्रीय सहायता	37,49.80	36,26.50	(+)03
	जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहयोग	97.00	-	@
	<i>कुल-जनजातीय मामले मंत्रालय</i>	44,84.73	59,49.06	(-)25

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण-(जारी)

शीर्ष	वास्तविक		वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)	
	2018-19	2017-18		
(1)	(2)	(3)	(4)	
(₹ लाख में)				
प्राप्ति शीर्ष - (राजस्व लेखा)-(जारी)				
ग- सहायता अनुदान एवं अंशदान-(जारी)				
1601-	केंद्र सरकार से सहायता अनुदान-(जारी)			
06-	केंद्र प्रायोजित योजनाएं-(जारी)			
101-	केंद्रीय सहायता/ अंश-(जारी)			
शहरी विकास मंत्रालय एवं शहरी गरीबी उन्मूलन-				
100	स्मार्ट शहरों के विकास के लिए मिशन	80,00.00	36,00.00	*
	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	3,22.69	1,89.31	(+)70
	राज्य/ संघ राज्य घटक की अन्य मदें-पीएमएवाई शहरी	41.64	11,28.85	(-)96
	स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम)- शहरी	65,85.91	7,10.91	*
	शहरी कायाकल्प मिशन-500 शहर	11,32.00	2,02,64.85	(-)94
	<i>कुल-शहरी विकास मंत्रालय एवं शहरी गरीबी उन्मूलन</i>	<u>1,60,82.24</u>	<u>2,58,93.92</u>	<u>(-)38</u>
जल संसाधन मंत्रालय-				
	बाढ़ प्रबंधन एवं सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)	55,03.09	1,10,39.98	(-)50
	हर खेत को पानी	31,70.55	1,04,48.32	(-)70
	सिंचाई गणना	1,37.78	24.26	*
	नदी प्रबंधन क्रियाकलाप तथा सीमा क्षेत्रों से संबंधित निर्माण कार्य	-	8,77.50	(-)100
	<i>कुल-जल संसाधन मंत्रालय</i>	<u>88,11.42</u>	<u>2,23,90.06</u>	<u>(-)61</u>

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण-(जारी)

शीर्ष	वास्तविक		वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)	
	2018-19	2017-18		
(1)	(2)	(3)	(4)	
(₹ लाख में)				
प्राप्ति शीर्ष - (राजस्व लेखा)-(जारी)				
ग- सहायता अनुदान एवं अंशदान (जारी)				
1601-	केंद्र सरकार से सहायता अनुदान-(जारी)			
06-	केंद्र प्रायोजित योजनाएं-(समाप्त)			
101-	केंद्रीय सहायता/ अंश-(समाप्त)			
	<i>महिला एवं बाल विकास मंत्रालय-</i>			
	आंगनवाडी सेवाएं (पूर्ववर्ती कोर आईसीडीएस)	3,74,06.56	1,93,28.24	(+)94
	बाल संरक्षण योजना	21,06.94	8,07.48	*
	राष्ट्रीय शिशुशाला योजना	4,11.65	2,23.31	(+)84
	महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन	2,41.71	22.50	*
	राष्ट्रीय पोषण मिशन (आईएसएसएनआईपी सहित)	83,43.52	3,88.59	*
	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	2,26.00	2,37.38	(-)05
	किशोरी बालिकाओं के लिए योजना	5,60.39	3,00.46	(+)87
	स्वधर गृह	36.20	32.45	(+)12
	<i>कुल-महिला एवं बाल विकास मंत्रालय</i>	4,93,32.97	2,13,40.41	*
	कुल-101	75,72,45.39	88,28,47.26	(-)14
102-	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान			
		35,44.46	2,84,38.33	(-)88
	कुल-102	35,44.46	2,84,38.33	(-)88
900-	अप्रयुक्त अनुदान की वापसी			
		-	(-)16,66.38	(-)100
	कुल-06	76,07,89.85	90,96,19.21	(-)16

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण-(जारी)

शीर्ष	वास्तविक		वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
	2018-19	2017-18	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
प्राप्ति शीर्ष - (राजस्व लेखा)-(जारी)			
ग- सहायता अनुदान एवं अंशदान (जारी)			
1601- केंद्र सरकार से सहायता अनुदान-(जारी)			
<i>07- वित्त आयोग अनुदान-</i>			
101- उत्तर अंतरण राजस्व घाटा अनुदान	1,29,52,00.00 (क)	1,18,49,00.00	(+)09
102- स्थानीय ग्रामीण निकायों हेतु अनुदान	2,03,81.00	-	@
103- स्थानीय शहरी निकायों हेतु अनुदान	1,25,30.00	-	@
104- राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ)	2,52,90.00	-	@
<i>कुल-07</i>	1,35,34,01.00 (क)	1,18,49,00.00	(+14
<i>08- विधानमण्डल सहित राज्यो/ केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अन्य हस्तांतरण/ अनुदान-</i>			
104- संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के अधीन अनुदान	20,51.79	30,49.06	(-)33
108- केंद्रीय सड़क निधि से अनुदान	3,44,75.00	3,32,57.00	(+)04
<i>113- विशेष सहायता-</i>			
<i>कुल कृषि मंत्रालय-</i>			
कृषि गणना एवं सांख्यिकी पर एकीकृत योजना	2,46.80	2,28.50	(+)08
पशुधन गणना एवं एकीकृत नमूना सर्वेक्षण	56.82	12.00	*
<i>कुल-कृषि मंत्रालय</i>	3,03.62	2,40.50	(+26
<i>वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग-</i>			
विशेष सहायता	85,00.00	-	@
<i>कुल-वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग</i>	85,00.00	-	@
<i>गृह मंत्रालय-</i>			
अन्य केंद्रीय विविध व्यय	-	2,13.43	(-)100
अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाएं	98.78	-	@
प्रवासियों एवं संप्रत्यावर्तितों हेतु राहत एवं पुनर्वास	-	2,50,00.00	(-)100

(क) जैसा कि आरबीआई के मासिक लेखों (₹ 1,29,52,00.00 लाख) में ₹ 16,61,34.00 लाख तक का अंतर दर्शाया गया है और जैसा कि 10-04-2019 को पीएफएमएस वेबसाइट (₹ 1,18,72.67.00 लाख) पर उपलब्ध है।

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण-(जारी)

शीर्ष	वास्तविक		वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)
	2018-19	2017-18	
(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ लाख में)			
प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(समाप्त)			
ग- सहायता अनुदान एवं अंशदान-(समाप्त)			
1601- केंद्र सरकार से सहायता अनुदान-(समाप्त)			
08- विधानमण्डल सहित राज्यो/ केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अन्य अंतरण/ अनुदान-(समाप्त)			
113- विशेष सहायता-(समाप्त)			
गृह मंत्रालय-(समाप्त)			
महिलाओं के लिए सुरक्षा योजना	1,73.50	1,69.80	(+)02
उत्तर-पूर्व क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवाएं	5,00.00	-	@
मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो	27.71	-	@
<i>कुल-गृह मंत्रालय</i>	7,99.99	2,53,83.23	(-)97
कुल-113	96,03.61	2,56,23.73	(-)63
114- जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की हानि के लिए प्रतिपूर्ति	14,62,00.00	11,37,00.00	(+)29
<i>कुल-08</i>	19,23,30.40	17,56,29.79	(+10
कुल-1601	2,30,65,21.25	2,27,01,49.00	(+)02
कुल-ग- सहायता अनुदान एवं अंशदान	2,30,65,21.25	2,27,01,49.00	(+)02
कुल योग- प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)	5,12,30,71.33	4,85,11,88.04	(+)06
प्राप्ति शीर्ष - (राजस्व लेखा)-			
4000- विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ-			
01- नागरिक-			
105- सहकारी समितियों/ बैंकों की पूंजी/ विनिवेश की निवृत्ति	-	-	-
कुल-4000	-	-	-
कुल प्राप्तियाँ -(पूंजीगत लेखा)	-	-	-
कुल योग	5,12,30,71.33	4,85,11,88.04	(+)06

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण-(जारी)

विवरणी संख्या 14 की व्याख्यात्मक टिप्पणी

राजस्व प्राप्तियाँ – राजस्व प्राप्तियों में ₹ 27,18,83.29 लाख की वृद्धि (2017-18 में ₹ 4,85,11,88.04 लाख से 2018-19 में ₹ 5,12,30,71.35 लाख) मुख्य रूप से निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत थी:-

क्र. सं.	लेखाओं के प्रमुख शीर्ष	वास्तविक		वृद्धि	टिप्पणियां
		2018-19	2017-18		
		(₹ लाख में)			
1.	0005-केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी)	34,84,87.00	3,16,80.00	31,68,07.00	राज्य में जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण वृद्धि हुई है।
2.	0006-राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)	51,34,23.14	26,11,25.96	25,22,97.18	राज्य में जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण वृद्धि हुई है।
3.	0020-निगम कर	49,10,14.00	38,24,16.00	10,85,98.00	राज्य को सौंपी गई निवल प्राप्तियों के अधिक हिस्से के कारण वृद्धि हुई है।
4.	0021-निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर	36,16,11.00	32,29,22.16	3,86,88.84	राज्य को सौंपी गई निवल प्राप्तियों के अधिक हिस्से के कारण वृद्धि हुई है।
5.	0039-राज्य उत्पाद-शुल्क	12,91,44.83	8,33,15.53	4,58,29.30	उत्पाद-शुल्क के तहत अधिक प्राप्तियों के कारण वृद्धि हुई है।
6.	0045- वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क	7,28.10	2,44.20	4,83.90	राज्य को सौंपी गई निवल प्राप्तियों के अधिक हिस्से के कारण वृद्धि हुई है।
7.	0801-विद्युत	32,46,49.21	31,50,93.87	95,55.34	विद्युत की बिक्री के तहत अधिक प्राप्तियों के कारण वृद्धि हुई है।

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण-(समाप्त)					
विवरणी संख्या 14 की व्याख्यात्मक टिप्पणी-(समाप्त)					
उपरोक्त वृद्धि को मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के तहत कमी के द्वारा आंशिक रूप से ऑफ-सेट किया गया:-					
क्र. सं.	लेखों के प्रमुख शीर्ष	वास्तविक		वृद्धि	टिप्पणियां
		2018-19	2017-18		
(₹ लाख में)					
1.	0008- एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी)	2,78,10.00	12,60,68.00	9,82,58.00	राज्य को सौंपी गई निवल प्राप्तियों के कम हिस्से के कारण कमी हुई है।
2.	0030-स्टांप और पंजीकरण शुल्क	2,65,45.10	3,07,43.02	41,97.92	स्टांपों की बिक्री के तहत कम प्राप्ति के कारण कमी हुई है।
3.	0037-सीमा शुल्क	10,00,82.00	12,60,30.00	2,59,48.00	मुख्य रूप से राज्य को सौंपी गई निवल प्राप्तियों के हिस्से की कम प्राप्तियों के कारण कमी हुई है।
4.	0038- संघीय उत्पाद-शुल्क	6,65,11.00	20,20,60.00	13,55,49.00	मुख्य रूप से राज्य को सौंपी गई निवल प्राप्तियों के हिस्से की कम प्राप्तियों के कारण कमी हुई है।
5.	0040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर	17,57,20.94	44,93,11.24	27,35,90.30	वैट के अंतर्गत कम प्राप्तियों के कारण कमी हुई है।
6.	0059-लोक निर्माण	27,92.72	47,96.44	20,03.72	किरायों तथा अन्य प्राप्तियों के तहत कम प्राप्ति के कारण कमी हुई है।
7.	0215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता	59,77.72	93,06.68	33,28.96	ग्रामीण जल आपूर्ति के तहत कम प्राप्ति के कारण कमी हुई है।

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण

इटैलिक आँकड़ें प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	वर्ष 2018-19 के लिए वास्तविक आँकड़े		कुल	वर्ष 2017-18 के लिए वास्तविक आँकड़े	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय शीर्ष					
(राजस्व लेखा)					
क- सामान्य सेवाएं-					
(क) राज्य के अंग-					
2011- संसद/ राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश विधान सभाएं -					
02- राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश -					
विधानसभाएं-					
101- विधानसभा	12,08.17	-	12,76.50	16,33.60	(-)22
	68.33				
102- विधानपरिषद्	7,12.18	-	7,57.57	8,05.12	(-)06
	45.39				
103- विधानमंडल सचिवालय	35,64.90	-	35,64.90	27,57.17	(+)29
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों के माध्यम से कटौती	(-)0.90	-	(-)0.90	-	@
	कुल-02				
	54,84.35	-	55,98.07	51,95.89	(+)08
	1,13.72				
कुल-2011	54,84.35	-	55,98.07	51,95.89	(+)08
	1,13.72				

@ पूरे विवरण में अप्रयोज्य

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

इटैलिक आँकड़ें प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	वर्ष 2018-19 के लिए वास्तविक आँकड़े		कुल	वर्ष 2017-18 के लिए वास्तविक आँकड़े	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि(+)/कमी(-)
	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय शीर्ष-					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
क-	सामान्य सेवाएं-(जारी)				
(क)	राज्य के अंग-(जारी)				
2012-	राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति/ राज्यपाल/ केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक-				
03-	संघ शासित प्रदेशों के राज्यपाल/ प्रशासक-				
090-	सचिवालय	11,87.07	-	11,87.07	7,72.04 (+)54
	कुल-03	11,87.07	-	11,87.07	7,72.04 (+)54
	कुल-2012	11,87.07	-	11,87.07	7,72.04 (+)54
2013-	मंत्रिपरिषद्-				
101-	मंत्रियों एवं उप मंत्रियों का वेतन	2,61.92	-	2,61.92	9,25.20 (-)72
	कुल-2013	2,61.92	-	2,61.92	9,25.20 (-)72
2014-	न्याय-प्रशासन				
102-	उच्च न्यायालय	8,89.33 46,63.05	-	55,52.38	50,09.10 (+)11
103-	विशेष न्यायालय	13,36.50	-	13,36.50	7,71.76 (+)73
105-	दीवानी एवं सत्र न्यायालय	1,62,79.21	-	1,62,79.21	1,17,66.32 (+)38

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

इटैलिक आँकड़ें प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	वर्ष 2018-19 के लिए वास्तविक आँकड़े		कुल	वर्ष 2017-18 के लिए वास्तविक आँकड़े	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि(+)/ कमी(-)	
	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)				
(₹ लाख में)						
व्यय शीर्ष-						
(राजस्व लेखा)-(जारी)						
क-	सामान्य सेवाएं-(जारी)					
(क)	राज्य के अंग-(समाप्त)					
2014-	न्याय- प्रशासन					
114-	कानूनी सलाहकार एवं परामर्शदाता	20,34.18	-	20,34.18	14,84.07	(+)37
116-	राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण	9,05.01	-	9,07.01	6,17.85	(+)47
		2.00				
911-	अधिक भुगतानों पर वसूलियों के माध्यम से कटौती	(-1.30)	-	(-1.30)	-	*
	कुल-2014	2,14,44.93	-	2,61,07.98	1,96,49.10	(+)33
		46,65.05				
2015-	निर्वाचन					
102-	निर्वाचन अधिकारी	2,79,38.66	-	2,79,38.66	48,05.72	*
	कुल-2015	2,79,38.66	-	2,79,38.66	48,05.72	*
	कुल-(क)-राज्य के अंग	5,51,27.86	-	6,10,93.70	3,13,47.95	(+)95
		59,65.84				
(ख)	राजकोषीय सेवा					
(ii)	संपत्ति एवं पूँजी संव्यवहारों पर करों का संग्रहण					
2029-	भूमि राजस्व					
101-	संग्रहण प्रभार	-	-	-	1,44,61.40	(-)100
103-	भूमि रिकार्ड	75.73	-	75.73	3,03.12	(-)75
104-	सरकारी संपदा का प्रबंधन	16.99	-	16.99	1,88.12	(-)91
800-	अन्य व्यय	3,49.53	-	3,49.53	2,22.21	(+)57
911-	अधिक भुगतानों पर वसूलियों के माध्यम से कटौती	(-)0.09	-	(-)0.09	-	@
	कुल-2029	4,42.16	-	4,42.16	1,51,74.85	(-)97

* पूरे विवरण में शत प्रतिशत से अधिक

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

इटैलिक आँकड़ें प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	वर्ष 2018-19 के लिए वास्तविक आँकड़े		कुल	वर्ष 2017-18 के लिए वास्तविक आँकड़े	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि(+)/कमी(-)
	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय शीर्ष-					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
क- सामान्य सेवाएं-(जारी)					
(ख) राजकोषीय सेवाएं-					
(ii) संपत्ति एवं पूँजी संव्यवहारों पर करों का संग्रहण-(समाप्त)					
2030-	स्टांप एवं पंजीकरण				
	01- स्टॉप-न्यायिक-				
001-	निदेशन एवं प्रशासन	19,22.02	-	19,22.02	19,61.98 (-)02
101-	स्टांप की लागत	7.44	-	7.44	3.52 *
911-	अधिक भुगतानों पर वसूलियों के माध्यम से कटौती	(-)1.08	-	(-)1.08	- @
	<i>कुल-01</i>	19,28.38	-	19,28.38	19,65.50 (-)02
	02- स्टॉप गैर-न्यायिक				
101-	स्टांप की लागत	6,44.92	-	6,44.92	5,45.25 (+)18
	<i>कुल-02</i>	6,44.92	-	6,44.92	5,45.25 (+)18
	03- पंजीकरण				
001-	निदेशन एवं प्रशासन	94.32	-	94.32	69.80 (+)35
	<i>कुल-03</i>	94.32	-	94.32	69.80 (+)35
	कुल-2030	26,67.62	-	26,67.62	25,80.55 (+)03
	कुल-(ii) संपत्ति एवं पूँजी संव्यवहारों पर करों का संग्रहण	31,09.78	-	31,09.78	1,77,55.40 (-)82

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

इटैलिक आँकड़ें प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	वर्ष 2018-19 के लिए वास्तविक आँकड़े		कुल	वर्ष 2017-18 के लिए वास्तविक आँकड़े	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय शीर्ष-					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
क-	सामान्य सेवाएं-(जारी)				
(ख)	राजकोषीय सेवाएं-(जारी)				
(iii)	वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर का संग्रहण-				
2039-	राज्य उत्पाद शुल्क-				
001-	निदेशन एवं प्रशासन	39,16.51	-	39,16.51	27,79.64 (+)41
911-	अधिक भुगतानों पर वसूलियों के माध्यम से कटौती	(-)7.57	-	(-)7.57	@
	कुल-2039	39,08.94	-	39,08.94	27,79.64 (+)41
2040-	बिक्री, व्यापार आदि पर कर-				
001-	निदेशन एवं प्रशासन	2,78.79	-	2,78.79	56,83.66 (-)95
800-	अन्य व्यय	1,04.13	-	1,04.13	72.92 (+)41
911-	अधिक भुगतानों पर वसूलियों के माध्यम से कटौती	(-)28.20	-	(-)28.20	@
	कुल-2040	3,54.72	-	3,54.72	57,56.58 (-)94
2041-	वाहनों पर कर-				
001-	निदेशन एवं प्रशासन	5,60.12	-	5,66.12	3,43.26 (+)65
		6.00			
101-	संग्रहण प्रभार	11,97.46	-	11,97.46	10,88.58 (+)10
800-	अन्य व्यय	73.87	-	73.87	37.19 (+)99
911-	अधिक भुगतानों पर वसूलियों के माध्यम से कटौती	(-)0.75	-	(-)0.75	@
	कुल-2041	18,30.70	-	18,36.70	14,69.03 (+)25
		6.00			
2043-	राज्य वस्तु एवं सेवा कर के तहत प्रभारों का संग्रहण				
001-	निदेशन एवं प्रशासन	2,75,90.97	-	2,75,90.97	@
	कुल-2043	2,75,90.97	-	2,75,90.97	@

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

इटैलिक आँकड़ें प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	वर्ष 2018-19 के लिए वास्तविक आँकड़े		कुल	वर्ष 2017-18 के लिए वास्तविक आँकड़े	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि(+)/ कमी(-)	
	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)				
(₹ लाख में)						
व्यय शीर्ष-						
(राजस्व लेखा)-(जारी)						
क-	सामान्य सेवाएं-(जारी)					
(ख)	राजकोषीय सेवाएं-(समाप्त)					
(iii)	वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर का संग्रहण-(समाप्त)					
2045-	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क-					
104-	संग्रहण प्रभार-वस्तुओं और यात्रियों पर कर	2,62.82	-	2,62.82	2,23.48	(+)18
	कुल-2045	2,62.82	-	2,62.82	2,23.48	(+)18
	कुल-(iii)-वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर की वसूली	3,39,48.15	-	3,39,54.15	1,02,28.73	*
		6.00				
(iv)	अन्य राजकोषीय सेवाएं -					
2047-	अन्य राजकोषीय सेवाएं -					
103-	लघु बचत को बढ़ावा देना	4,07.93	-	4,07.93	1,10.96	*
	कुल-2047	4,07.93	-	4,07.93	1,10.96	*
	कुल-(iv)-अन्य राजकोषीय सेवाएं	4,07.93	-	4,07.93	1,10.96	*
	कुल-(ख)-राजकोषीय सेवाएं	3,74,65.86	-	3,74,71.86	2,80,95.09	(+)33
		6.00				

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

इटैलिक आँकड़ें प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	वर्ष 2018-19 के लिए वास्तविक आँकड़े		कुल	वर्ष 2017-18 के लिए वास्तविक आँकड़े	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय शीर्ष-					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
क- सामान्य सेवाएं-(जारी)					
(ग) ब्याज भुगतान एवं ऋण की सर्विसिंग					
2048- ऋण में कमी या परिहार्य के लिए विनियोजन-					
101- ऋण-शोधन निधि	97,05.00	-	97,05.00 (क)	50,79.00	(+)91
कुल-2048	97,05.00	-	97,05.00	50,79.00	(+)91
2049- ब्याज भुगतान-					
01- आंतरिक ऋण पर ब्याज					
101- बाजार ऋणों पर ब्याज	22,63,72.11	-	22,63,72.11	19,52,55.76	(+)16
115- अर्थोपाय अग्रिमों पर ब्याज	12,31.13	-	12,31.13	22,37.21	(-)45
123- राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशेष गारंटियों पर ब्याज	3,75,69.82	-	3,75,69.82	4,06,68.35	(-)08
200- अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज	5,47,82.66	-	5,47,82.66	5,68,21.32	(-)04
305- ऋण का प्रबन्धन	6,34.74	-	6,34.74	5,51.30	(+)15
कुल -01	32,05,90.46	-	32,05,90.46	29,55,33.94	(+)08
03- लघु बचत भविष्य निधि आदि पर ब्याज-					
104- राज्य भविष्य निधि पर ब्याज	16,16,86.88	-	16,16,86.88	14,15,06.21	(+)14
108- बीमा एवं पेंशन फंड पर ब्याज	56,64.57	-	56,64.57	49,75.15	(+)16
कुल-03	16,73,51.45	-	16,73,51.45 (ख)	14,64,81.36	(+)14

(क) ऋण शोधन निधि मुख्य शीर्ष 8222-101 "ऋण शोधन निधि" के अंशदान को दर्शाता है। कृपया मुख्य शीर्ष -8222 विवरण संख्या 21 खण्ड-II तथा पैरा 3(v) (ख) ii और लेखाओं पर टिप्पणियाँ खण्ड-I के अनुलग्नक क के नीचे पाद टिप्पणी 'घ' का अवलोकन करें।

(ख) राज्य सरकार द्वारा सूचित किए गए अनुसार तदर्थ आँकड़ों को दर्शाता है। कृपया "लेखाओं पर टिप्पणियाँ" का पैरा 3 (vii) तथा "लेखाओं पर टिप्पणियाँ" खण्ड-I का अनुलग्नक 'क' का अवलोकन करें।

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

इटैलिक आँकड़ें प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	वर्ष 2018-19 के लिए वास्तविक आँकड़े		कुल	वर्ष 2017-18 के लिए वास्तविक आँकड़े	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि(+)/कमी(-)
	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय शीर्ष-					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
क- सामान्य सेवाएं-(जारी)					
(ग) ब्याज भुगतान एवं ऋण की सर्विसिंग-(समाप्त)					
2049- ब्याज भुगतान-(समाप्त)					
04- केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज-					
101- राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश की योजनाओं के लिए ऋण पर ब्याज	25,53.89	-	25,53.89	27,96.19	(-)09
109- 12 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में समेकित राज्य योजना ऋणों पर ब्याज	53,41.96	-	53,41.96	60,09.70	(-)11
112- राज्य/ संघ शासित प्रदेश (विधानमंडल सहित) योजनाओं हेतु अन्य ऋणों पर ब्याज	2,84.39	-	2,84.39	-	@
कुल-04	81,80.24	-	81,80.24	88,05.89	(-)07
05- आरक्षित निधियों पर ब्याज-					
105- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियों पर ब्याज	49,98.71	-	49,98.71	27,93.20	(+)79
कुल-05	49,98.71	-	49,98.71	27,93.20	(+)79
60- अन्य दायित्वों पर ब्याज-					
701- विविध	1,97,47.19	-	1,97,47.19	1,26,72.71	(+)56
कुल-60	1,97,47.19	-	1,97,47.19	1,26,72.71	(+)56
कुल-2049	52,08,68.05	-	52,08,68.05	46,62,87.10	(+)12
कुल - (ग) - ब्याज भुगतान एवं ऋण की सर्विसिंग	97,05.00	-	53,05,73.05	47,13,66.10	(+)13
	52,08,68.05				

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

इटैलिक आँकड़ें प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	वर्ष 2018-19 के लिए वास्तविक आँकड़े		कुल	वर्ष 2017-18 के लिए वास्तविक आँकड़े	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय शीर्ष-					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
क- सामान्य सेवाएं-(जारी)					
घ) प्रशासकीय सेवाएं-					
2051- लोक सेवा आयोग-					
102- राज्य लोक सेवा आयोग	9,31.49	-	9,31.49	6,69.40	(+39)
कुल-2051	9,31.49	-	9,31.49	6,69.40	(+39)
2052- सचिवालय सामान्य सेवाएं-					
090- सचिवालय	95,99.88	-	95,99.88	70,82.42	(+36)
092- अन्य कार्यालय	19,91.94	-	19,91.94	14,51.38	(+37)
कुल-2052	1,15,91.82	-	1,15,91.82	85,33.80	(+36)
2053- जिला प्रशासन-					
093- जिला स्थापनाएं	54,07.12	-	54,07.74	39,42.95	(+37)
	0.62	\$			
094- अन्य स्थापनाएं	3,97,45.07	-	3,97,45.07	1,19,15.31	*
101- कमिश्नर्स	19,50.33	-	19,50.33	16,68.34	(+17)
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों के माध्यम से कटौती	(-)16.83	-	(-)16.83	-	@
कुल-2053	4,70,85.69	-	4,70,86.31	1,75,26.60	*
2054- कोष एवं लेखा प्रशासन-					
003- प्रशिक्षण	7,51.19	-	7,51.19	4,36.16	(+72)
095- लेखा एवं कोष निदेशालय	30,16.66	-	30,16.66	21,22.36	(+42)
097- कोष स्थापना	71,43.02	-	71,43.02	51,48.02	(+39)
098- स्थानीय निधि लेखापरीक्षा	5,88.18	-	5,88.18	4,37.28	(+34)
800- अन्य व्यय	57,55.93	-	57,55.93	43,27.40	(+33)
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों के माध्यम से कटौती	(-)6.22	-	(-)6.22	-	@
कुल-2054	1,72,48.76	-	1,72,48.76	1,24,71.22	(+38)

\$ आकस्मिक निधि की प्रतिपूर्ति को दर्शाता है।

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

इटैलिक आँकड़ें प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	वर्ष 2018-19 के लिए वास्तविक आँकड़े		कुल	वर्ष 2017-18 के लिए वास्तविक आँकड़े	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि(+)/ कमी(-)	
	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)				
(₹ लाख में)						
व्यय शीर्ष-						
(राजस्व लेखा)-(जारी)						
क- सामान्य सेवाएं-(जारी)						
(घ) प्रशासकीय सेवाएं-(जारी)						
2055- पुलिस-						
001-	निदेशन एवं प्रशासन	21,64,33.51	-	21,64,33.51	13,91,07.10	(+)58
003-	शिक्षा एवं प्रशिक्षण	1,09,04.24	-	1,09,04.24	76,12.24	(+)43
101-	आपराधिक जांच एवं सतर्कता	7,72,87.32	6,06.80	7,78,94.12	5,10,12.23	(+)53
104-	विशेष पुलिस	51,09.56	-	51,09.56	6,78.53	*
109-	जिला पुलिस	22,89,90.38	-	22,89,90.38	15,50,73.60	(+)48
111-	रेलवे पुलिस	1,50,16.70	-	1,50,16.70	95,10.19	(+)58
115-	पुलिस बल का आधुनिकीकरण	2,03,15.97	-	2,03,15.97	1,34,31.04	(+)51
116-	फॉरेंसिक विज्ञान	13,69.52	-	13,69.52	9,37.01	(+)46
117-	आंतरिक सुरक्षा	11,80,32.96	6,82.10	11,87,15.06	10,34,44.65	(+)12
911-	अधिक भुगतानों पर वसूलियों के माध्यम से कटौती	(-)51.03	-	(-)51.03	-	@
	कुल-2055	69,34,09.13	12,88.90	69,46,98.03	48,08,06.59	(+)44
2056- जेले-						
001-	निदेशन एवं प्रशासन	2,43.26	-	2,43.26	4,25.30	(-)43
101-	जेले-	76,65.11	-	76,65.11	57,43.83	(+)33
102-	जेल विनिर्माण	39.46	-	39.46	29.98	(+)32
911-	अधिक भुगतानों पर वसूलियों के माध्यम से कटौती	(-)0.66	-	(-)0.66	-	@
	कुल-2056	79,47.17	-	79,47.17	61,99.11	(+)28

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

इटैलिक आँकड़ें प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	वर्ष 2018-19 के लिए वास्तविक आँकड़े		कुल	वर्ष 2017-18 के लिए वास्तविक आँकड़े	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय शीर्ष-					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
क- सामान्य सेवाएं-(जारी)					
घ) प्रशासकीय सेवाएं-(जारी)					
2058-	लेखन सामग्री एवं मुद्रण-				
001-	निदेशन एवं प्रशासन	1,90.58	-	1,90.58	1,13.07 (+)68
101-	स्टेशनरी स्टोर की खरीद एवं आपूर्ति	10,47.81	-	10,47.81	10,29.26 (+)2
103-	राजकीय मुद्रणालय	37,53.58	-	37,53.58	26,99.67 (+)39
911-	अधिक भुगतानों पर वसूलियों के माध्यम से कटौती	-	-	-	-
	कुल-2058	49,91.97	-	49,91.97	38,42.00 (+)30
2059-	लोक निर्माण कार्य				
80- सामान्य-					
001-	निदेशन एवं प्रशासन	7,42,50.03	-	7,42,50.03	5,18,06.78 (+)43
103-	साज-सज्जा	6,61.66	-	6,61.66	5,01.32 (+)32
911-	अधिक भुगतानों पर वसूलियों के माध्यम से कटौती	(-)1.97	-	(-)1.97	- @
	कुल-80	7,49,09.72	-	7,49,09.72	5,23,08.10 (+)43
	कुल-2059	7,49,09.72	-	7,49,09.72	5,23,08.10 (+)43
2062-	सतर्कता-				
104-	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का सतर्कता आयोग	5,41.36	-	5,41.36	15,21.76 (-)64
105-	अन्य सतर्कता एजेंसिया	35,84.95	-	35,84.95	16,40.63 *
	कुल-2062	41,26.31	-	41,26.31	31,62.39 (+)30

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

इटैलिक आँकड़ें प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	वर्ष 2018-19 के लिए वास्तविक आँकड़े		कुल	वर्ष 2017-18 के लिए वास्तविक आँकड़े	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय शीर्ष-					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
क- सामान्य सेवाएं-(जारी)					
घ) प्रशासकीय सेवाएं-(समाप्त)					
2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं-					
003-	प्रशिक्षण	6,23.00	-	6,23.00	- @
105-	विशेष जांच आयोग	14,51.48	-	14,51.48	7,84.49 (+)85
106-	नागरिक सुरक्षा	5,83.32	-	5,83.32	4,43.19 (+)32
107-	होम गार्ड	1,09,58.03	-	1,09,58.03	68,38.94 (+)60
108-	अग्नि सुरक्षा एवं नियंत्रण	1,68,59.39	-	1,68,59.39	1,29,10.06 (+)31
114-	खरीद एवं परिवहन का अनुरक्षण	46,87.10	-	46,87.10	56,93.52 (-)18
800-	अन्य व्यय	51,44.81	-	51,44.81	48,55.91 (+)06
911-	अधिक भुगतानों पर वसूलियों के माध्यम से कटौती	(-)0.03	-	(-)0.03	- @
	कुल-2070	4,03,07.10	-	4,03,07.10	3,15,26.11 (+)28
	कुल-(घ)-प्रशासनिक सेवाएं	90,16,17.67	12,88.90	90,38,38.68	61,70,45.32 (+)46
		9,32.11			
ड) पेंशन एवं विविध सामान्य सेवाएं-					
2071- पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ-					
01- नागरिक-					
101-	अधिवर्षिता एवं सेवानिवृत्ति भत्ते	47,17,44.06	-	47,17,44.06	33,48,38.45 (+)41
102-	पेंशन का रूपांतरित मूल्य	6,12,03.01	-	6,12,03.01	3,58,47.58 (+)71

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

इटैलिक आँकड़ें प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	वर्ष 2018-19 के लिए वास्तविक आँकड़े		कुल	वर्ष 2017-18 के लिए वास्तविक आँकड़े	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय शीर्ष-					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
क-	सामान्य सेवाएं-(समाप्त)				
(इ)	पेंशन एवं विविध सामान्य सेवाएं-(समाप्त)				
2071-	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ-(समाप्त)				
01-	नागरिक-(समाप्त)				
104-	उपदान	8,94,97.44	-	8,94,97.44	7,75,34.65 (+)15
105-	परिवार पेंशन	2,47,82.74	-	2,47,82.74	2,10,03.39 (+)18
111-	विधायकों को पेंशन	6,73.43	-	6,73.43	6,99.24 (-)04
115-	छुट्टी के बदले नकद भुगतान	6,15,71.31	-	6,15,71.31	3,98,00.72 (+)55
117-	परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के लिए सरकारी अंशदान	4,23,87.86	-	4,23,87.86	3,11,07.67 (+)36
	<i>कुल-01</i>	75,18,59.85	-	75,18,59.85 (क)	54,08,31.70 (+)39
	कुल-2071	75,18,59.85	-	75,18,59.85 (क)	54,08,31.70 (+)39
2075-	विविध सामान्य सेवाएं-				
103-	राज्य लॉटरी	36.99	-	36.99	34.98 (+)06
800-	अन्य व्यय	1,03.80	-	1,03.80 (ख)	1,00.00 (+)04
	कुल-2075	1,40.78	-	1,40.78	1,34.98 (+)04
	कुल-(इ)-पेंशन एवं विविध सामान्य सेवाएं	75,20,00.63	-	75,20,00.63	54,09,66.67 (+)39
	कुल-क-सामान्य सेवाएं	1,75,59,17.02	12,88.90	2,28,49,77.92 (भ)	1,68,88,21.14 (+)35
		52,77,72.00			

(क) ₹ 1.91 लाख राज्य सरकार पेंशन भोगियों को अधिवर्षिता/ परिवार पेंशन को सम्मिलित करता है।

(ख) एम एच 8235-117 "गारंटी ऋण शोधन निधि" में ₹ 1,00.00 लाख हस्तांतरित राशि शामिल है। कृपया मुख्य शीर्ष 8235 विवरण सं. 21, खण्ड-11 के नीचे दी गई टिप्पणी 'ड' तथा "लेखाओं पर टिप्पणियां" खण्ड-1, अनुलग्नक (क) का अवलोकन करें।

(भ) वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 79,82,79.29 लाख वेतन तथा ₹ 43,32.12 लाख सहायता अनुदान सम्मिलित करता है।

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

इटैलिक आँकड़ें प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	वर्ष 2018-19 के लिए वास्तविक आँकड़े		कुल	वर्ष 2017-18 के लिए वास्तविक आँकड़े	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय शीर्ष-					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
ख- सामाजिक सेवाएं-					
(क्र) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति-					
2202- सामान्य शिक्षा-					
01- प्रारंभिक शिक्षा-					
001-	निदेशन एवं प्रशासन	-	19,49.61	19,49.61	- @
101-	सरकारी प्राथमिक स्कूल	12,46,26.83	12,74,37.92	25,20,64.75	26,34,17.66 (+)43
104-	निरीक्षण	13,32,67.10	-	13,32,67.10	8,95,15.36 (+)49
105-	अनौपचारिक शिक्षा	-	55.18	55.18	- @
107-	शिक्षक का प्रशिक्षण	-	11,24.65	11,24.65	11,01.76 (+)02
111-	सर्व शिक्षा अभियान	13,46,03.27	-	13,46,03.27	2,86,00.00 @
800-	अन्य व्यय	-	22.95	22.95	7,81.39 (-)97
911-	अधिक भुगतानों पर वसूलियों के माध्यम से कटौती	(-)14.09	-	(-)14.09	- @
	कुल-01	39,24,83.11	13,05,90.31	52,30,73.42	38,34,16.17 (+)36
02- माध्यमिक शिक्षा-					
001-	निदेशन एवं प्रशासन	31,77,61.24	-	31,77,61.24	19,63,79.26 (+)62
107-	छात्रवृत्ति	10,15.13	-	10,15.13	7,28.75 (+)39
109-	सरकारी माध्यमिक विद्यालय	1,08,20.28	-	1,08,20.28	82,20.31 (+)32
	कुल-02	32,95,96.65	-	32,95,96.65	20,53,28.32 (+)61
03- विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा-					
001-	निदेशन एवं प्रशासन	1,95.00	-	1,95.00	62.00 *
102-	विश्वविद्यालयों को सहायता	4,03,73.98	-	4,03,73.98	3,17,10.00 (+)27

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

इटैलिक आँकड़ें प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	वर्ष 2018-19 के लिए वास्तविक आँकड़े		कुल	वर्ष 2017-18 के लिए वास्तविक आँकड़े	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि(+)/ कमी(-)	
	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)				
(₹ लाख में)						
व्यय शीर्ष-						
(राजस्व लेखा)-(जारी)						
ख- सामाजिक सेवाएं-(जारी)						
(क) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति-(जारी)						
2202- सामान्य शिक्षा-(समाप्त)						
<i>03- विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा-(समाप्त)</i>						
103-	सरकारी कॉलेज और संस्थाएं	5,48,79.99	-	5,48,79.99	3,53,06.86	(+)55
104-	गैर-सरकारी कॉलेजों और संस्थानों को सहायता	45,30.66	-	45,30.66	30,88.00	(+)47
	<i>कुल-03</i>	<u>9,99,79.63</u>	<u>-</u>	<u>9,99,79.63</u>	<u>7,01,66.86</u>	<u>(+)42</u>
<i>80- सामान्य-</i>						
003-	प्रशिक्षण	10,46.62	-	10,46.62	5,48.36	(+)91
004-	अनुसंधान	4,02.73	-	4,02.73	2,04.81	(+)98
107-	छात्रवृत्तियां	1,68.68	-	1,68.68	96.29	(+)75
	<i>कुल-80</i>	<u>16,18.03</u>	<u>-</u>	<u>16,18.03</u>	<u>8,49.46</u>	<u>(+)90</u>
	कुल-2202	<u>82,36,77.42</u>	<u>13,05,90.31</u>	<u>95,42,67.73</u>	<u>65,97,60.81</u>	<u>(+)45</u>
2203- तकनीकी शिक्षा-						
001-	निदेशन एवं प्रशासन	1,31,34.95	-	1,31,34.95	89,22.26	(+)47
003-	प्रशिक्षण (क)	-	-	-	0.34	(-)100
112-	अभियांत्रिकी/ तकनीकी महाविद्यालय एवं संस्थान-		42.20	42.20	-	@
911-	अधिक भुगतानों पर वसूलियों के माध्यम से कटौती	(-)0.91	-	(-)0.91	-	@
	कुल-2203	<u>1,31,34.04</u>	<u>42.20</u>	<u>1,31,76.24</u>	<u>89,22.60</u>	<u>(+)48</u>

(क) मुख्य शीर्ष 2230- श्रम और रोजगार से संबंधित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है परन्तु अनुदान के लिए माँग के अनुसार इस शीर्ष के अन्तर्गत बुक किया गया। कृपया पृष्ठ संख्या 136 पर पाद टिप्पणी "क" का अवलोकन करें।

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

इटैलिक आँकड़ें प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	वर्ष 2018-19 के लिए वास्तविक आँकड़े		कुल	वर्ष 2017-18 के लिए वास्तविक आँकड़े	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय शीर्ष-					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
ख- सामाजिक सेवाएं-(जारी)					
(क) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति-(समाप्त)					
2204- खेल एवं युवा सेवाएं -					
001- निदेशन एवं प्रशासन	3,00,01.34	-	3,00,01.34	2,04,53.01	(+)47
101- शारीरिक शिक्षा	38,99.00	-	38,99.00	33,65.00	(+)16
102- छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम	12,35.25	-	12,35.25	7,81.85	(+)58
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों के माध्यम से कटौती	(-)1.84	-	(-)1.84	-	@
कुल-2204	3,51,33.74	-	3,51,33.74	2,45,99.86	(+)43
2205- कला एवं संस्कृति					
102- कला एवं संस्कृति को बढ़ावा	21,00.00	-	21,00.00	21,00.00	-
104- अभिलेखागार	9,52.16	-	9,52.16	7,58.61	(+)25
105- सार्वजनिक पुस्तकालय	17,29.22	-	17,29.22	13,73.88	(+)26
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों के माध्यम से कटौती	(-)0.06	-	(-)0.06	-	@
कुल-2205	47,81.32	-	47,81.32	42,32.49	(+)13
कुल - (क) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	87,67,26.52	13,06,32.51	1,00,73,59.03	69,75,15.76	(+)44
(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण-					
2210- चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य-					
01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं -					
एलोपैथी-					
001- निदेशन एवं प्रशासन	3,86,56.07	-	3,86,56.07	2,75,88.80	(+)40
104- चिकित्सा भण्डार	4,55.47	-	4,55.47	3,42.19	(+)33
109- विद्यालय स्वास्थ्य योजना	2,16.36	-	2,16.36	1,23.22	(+)75

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

इटैलिक आँकड़ें प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	वर्ष 2018-19 के लिए वास्तविक आँकड़े		कुल	वर्ष 2017-18 के लिए वास्तविक आँकड़े	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय शीर्ष-					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
ख- सामाजिक सेवाएं-(जारी)					
(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण-(जारी)					
2210-	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य-(जारी)				
01-	शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-(समाप्त)				
	एलोपैथी-(समाप्त)				
110-	अस्पताल एवं औषधालय	7,09,67.42	-	7,09,67.42	5,30,01.39 (+)34
200-	अन्य स्वास्थ्य योजनाएं	7,10.62	-	7,10.62	4,57.42 (+)55
800-	अन्य व्यय	-	3,22,77.66	3,22,77.66	64.91 *
911-	अधिक भुगतानों पर वसूलियों के माध्यम से कटौती	(-)21.45	-	(-)21.45	- @
	कुल-01	11,09,84.49	3,22,77.66	14,32,62.15	8,15,77.93 (+)76
02-	शहरी स्वास्थ्य सेवाएं- औषधि की अन्य पद्धतियाँ-				
101-	आयुर्वेद	75,15.22	-	75,15.22	54,50.42 (+)38
103-	यूनानी	2,23.48	-	2,23.48	34.72 *
	कुल-02	77,38.70	-	77,38.70	54,85.14 (+)41
03-	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- एलोपैथी-				
101-	स्वास्थ्य उप केंद्र	1,64,27.33	-	1,64,27.33	1,05,01.15 (+)56
103-	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	4,12,76.00	-	4,12,76.00	2,95,50.05 (+)40
110-	अस्पताल एवं औषधालय	1,25,44.98	2,00.00	1,27,44.98	87,78.45 (+)45
200-	अन्य स्वास्थ्य सेवा	15,00.00	-	15,00.00	- @
800-	अन्य व्यय	-	2,20,28.00	2,20,28.00	3,85,97.12 (-)43
	कुल-03	7,17,48.31	2,22,28.00	9,39,76.31	8,74,26.77 (+)11

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

इटैलिक आँकड़ें प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	वर्ष 2018-19 के लिए वास्तविक आँकड़े		कुल	वर्ष 2017-18 के लिए वास्तविक आँकड़े	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय शीर्ष-					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
ख- सामाजिक सेवाएं-(जारी)					
(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण-(जारी)					
2210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य-(समाप्त)					
05- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान-					
105- ऐलोपैथी	8,56,00.97	-	8,56,00.97	5,83,78.49	(+)47
	<i>कुल-05</i>	-	8,56,00.97	5,83,78.49	(+)47
06- सार्वजनिक-स्वास्थ्य-					
101- रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण	75,05.81	0.80	75,06.61	51,16.10	(+)47
102- खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम	2,56.07	-	2,56.07	1,27.05	*
104- दवा नियंत्रण	23,43.60	-	23,43.60	14,69.57	(+)59
107- सार्वजनिक-स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं	8,13.32	-	8,13.32	5,82.29	(+)40
112- सार्वजनिक-स्वास्थ्य शिक्षा	45.55	-	45.55	63.25	(-)28
200- औषधियों की अन्य पद्धतियाँ	5,39.11	-	5,39.11	-	@
800- अन्य व्यय	-	-	-	4,48.19	(-)100
	<i>कुल-06</i>	0.80	1,15,04.27	78,06.45	(+)47
	कुल-2210	28,75,75.94	34,20,82.40	24,06,74.78	(+)42
2211- परिवार कल्याण-					
001- निदेशन एवं प्रशासन	9,92.06	5,74.67	15,66.73	7,83.43	(+)100
003- प्रशिक्षण	1,18.31	-	1,18.31	1,19.04	₹
004- अनुसंधान एवं मूल्यांकन	-	4,28.02	4,28.02	1,51.49	*

₹ पूरे विवरण में नगण्य

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

इटैलिक आँकड़ें प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	वर्ष 2018-19 के लिए वास्तविक आँकड़े		कुल	वर्ष 2017-18 के लिए वास्तविक आँकड़े	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय शीर्ष-					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
ख- सामाजिक सेवाएं-(जारी)					
(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण-(समाप्त)					
2211- परिवार कल्याण-(समाप्त)					
101- ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं	30,10.13	37,99.22	68,09.35	26,12.11	*
102- शहरी परिवार कल्याण सेवाएं	-	1,33.97	1,33.97	1,10.58	(+)21
103- मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य	21.41	-	21.41	-	@
104- परिवहन	-	-	-	21.78	(-)100
109- प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम	-	-	-	-	
800- अन्य व्यय	-	37,81.43	37,81.43	1,22,39.72	(-)69
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों के माध्यम से कटौती	(-)2.08	-	(-)2.08	-	@
कुल-2211	41,39.83	87,17.32	1,28,57.15	1,60,38.15	(-)20
कुल-(ख)-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	29,17,15.77	6,32,23.78	35,49,39.55	25,67,12.93	(+)38
(ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास-					
2215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता-					
01- जलापूर्ति-					
001- निदेशन एवं प्रशासन	15,11,87.86	-	15,11,87.86	11,43,97.71	(+)32
कुल-01	15,11,87.86	-	15,11,87.86	11,43,97.71	(+)32
02- सीवरेज और सैनिटेशन -					
105- स्वच्छता सेवाएं	-	-	-	1,55,89.16	(-)100
कुल-02	-	-	-	1,55,89.16	(-)100
कुल-2215	15,11,87.86	-	15,11,87.86	12,99,86.87	(+)16

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

इटैलिक आँकड़ें प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	वर्ष 2018-19 के लिए वास्तविक आँकड़े		कुल	वर्ष 2017-18 के लिए वास्तविक आँकड़े	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय शीर्ष-					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
ख- सामाजिक सेवाएं-(जारी)					
(ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास- (जारी)					
2216- आवास-					
01- सरकारी आवासीय भवन-					
700- अन्य आवास	7,71.79	-	7,71.79	99,74.40	(-)92
	कुल-01	-	7,71.79	99,74.40	(-)92
05- सामान्य पूल आवास-					
001- निदेशन एवं प्रशासन	62,59.05	-	62,59.05	-	@
053- रखरखाव एवं मरम्मतें	47,44.00	-	47,44.00	-	@
	कुल-05	-	1,10,03.05	-	@
	कुल-2216	-	1,17,74.84	99,74.40	(+)18
2217- शहरी विकास-					
03- लघु एवं मध्यम कस्बों का एकीकृत विकास-					
001- निदेशन एवं प्रशासन	15,27.34	-	15,27.34	10,72.51	(+)42
191- स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, कस्बा सुधार बोर्डों आदि को सहायता	5,09,66.08	-	5,09,66.08	2,73,58.99	(+)86
800- अन्य व्यय	14,79.81	-	14,79.81	1,71,60.95	(-)95
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों के माध्यम से कटौती	(-)0.94	-	(-)0.94	-	@
	कुल-03	-	5,39,72.29	4,55,92.45	(+)18

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

इटैलिक आँकड़ें प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	वर्ष 2018-19 के लिए वास्तविक आँकड़े		कुल	वर्ष 2017-18 के लिए वास्तविक आँकड़े	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय शीर्ष-					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
ख-	सामाजिक सेवाएं-(जारी)				
(ग)	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास- (समाप्त)				
2217-	शहरी विकास-(समाप्त)				
05-	अन्य शहरी विकास योजनाएं-				
001-	निदेशन एवं प्रशासन	70,69.01	-	70,69.01	40,52.28 (+)74
191-	स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, कस्बा सुधार बोर्डों आदि को सहायता	1,08,72.06	-	1,08,72.06	1,81,45.75 (-)40
800-	अन्य व्यय	-	-	-	9,56.44 (-)100
	कुल-05	1,79,41.07	-	1,79,41.07	2,31,54.47 (-)23
80-	सामान्य-				
001-	निदेशन एवं प्रशासन	18,88.32	-	18,88.32	15,46.57 (+)22
	कुल-80	18,88.32	-	18,88.32	15,46.57 (+)22
	कुल-2217	7,38,01.68	-	7,38,01.68	7,02,93.49 (+)05
कुल-(ग)-	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	23,67,64.38	-	23,67,64.38	21,02,54.76 (+)13
(घ)	सूचना एवं प्रसारण-				
2220-	सूचना एवं प्रचार-				
60-	अन्य-				
001-	निदेशन एवं प्रशासन	12,35.24	-	12,35.24	9,55.96 (+)29
101-	विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार	34,32.42	-	34,32.42	22,92.61 (+)50

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

इटैलिक आँकड़ें प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	वर्ष 2018-19 के लिए वास्तविक आँकड़े		कुल	वर्ष 2017-18 के लिए वास्तविक आँकड़े	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय शीर्ष-					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
ख- सामाजिक सेवाएं-(जारी)					
(घ) सूचना एवं प्रसारण-(समाप्त)					
2220- सूचना एवं प्रचार-(समाप्त)					
<i>60- अन्य-(समाप्त)</i>					
102-	सूचना केंद्र	12,30.66	-	12,30.66	8,81.48 (+)40
106-	क्षेत्र प्रचार	5,84.53	-	5,84.53	3,70.91 (+)58
109-	फोटों सेवाएं	1,46.74	-	1,46.74	@
800-	अन्य व्यय	-	-	-	96.57 (-)100
911-	अधिक भुगतानों पर वसूलियों के माध्यम से कटौती	(-)0.02	-	(-)0.02	- @
	<i>कुल-60</i>	<u>66,29.57</u>	<u>-</u>	<u>66,29.57</u>	<u>45,97.54 (+)44</u>
	<i>कुल-2220</i>	<u>66,29.57</u>	<u>-</u>	<u>66,29.57</u>	<u>45,97.54 (+)44</u>
	कुल-(घ)-सूचना एवं प्रसारण	<u>66,29.57</u>	<u>-</u>	<u>66,29.57</u>	<u>45,97.54 (+)44</u>
(ड) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-					
2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्प संख्यकों का कल्याण					
<i>01- पुनर्वास</i>					
102-	आर्थिक विकास	-	2,57.48	2,57.48	- @
	<i>कुल-01</i>	<u>-</u>	<u>2,57.48</u>	<u>2,57.48</u>	<u>- @</u>

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

इटैलिक आँकड़ें प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	वर्ष 2018-19 के लिए वास्तविक आँकड़े		कुल	वर्ष 2017-18 के लिए वास्तविक आँकड़े	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय शीर्ष-					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
ख- सामाजिक सेवाएं-(जारी)					
(ड) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-(समाप्त)					
2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण-(समाप्त)					
02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-					
277- शिक्षा	-	84.16	84.16	-	@
800- अन्य व्यय	0.19	-	0.19	7,88.73	(-)100
	कुल-02	0.19	84.16	7,88.73	(-)100
03- पिछड़े वर्गों का कल्याण-					
102- आर्थिक विकास	89,42.70	-	89,42.70	77,26.43	(+)16
277- शिक्षा	1,75.00	-	1,75.00	1,82.13	(-)4
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों के माध्यम से कटौती	(-)41.28	-	(-)41.28	-	@
	कुल-03	90,76.42	-	79,08.56	(+)15
80- सामान्य-					
800- अन्य व्यय	4,24.75	77.21	5,01.96	21,78.86	(-)77
	कुल-80	4,24.75	77.21	21,78.86	(-)77
	कुल-2225	95,01.36	4,18.85	1,08,76.15	(-)09
कुल - (ड) -अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	95,01.36	4,18.85	99,20.21	1,08,76.15	(-)09

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

इटैलिक आँकड़ें प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	वर्ष 2018-19 के लिए वास्तविक आँकड़े		कुल	वर्ष 2017-18 के लिए वास्तविक आँकड़े	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय शीर्ष-					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
ख- सामाजिक सेवाएं-(जारी)					
(च) श्रम एवं श्रम कल्याण-					
2230- श्रम एवं रोजगार-					
01- श्रम-					
001- निदेशन एवं प्रशासन	14,79.09	-	14,79.09	10,06.45	(+)47
101- औद्योगिक संबंध	94.09	-	94.09	69.42	(+)36
102- कामकाजी स्थितियां एवं संरक्षा	2,80.48	-	2,80.48	1,68.90	(+)66
103- सामान्य श्रम कल्याण	6,47.02	-	6,47.02	3,63.95	(+)78
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों के माध्यम से कटौती	(-)0.50	-	(-)0.50	-	@
	कुल-01	-	25,00.18	16,08.72	
02- रोजगार सेवा-					
001- निदेशन एवं प्रशासन	23,46.63	-	23,46.63	18,71.82	(+)25
101- रोजगार सेवा	-	41.51	41.51	40.20	(+)03
	कुल-02	41.51	23,88.14	19,12.02	(+)25
03- प्रशिक्षण-					
101- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	-	22,69.18	22,69.18	-	@
	कुल-03	22,69.18	22,69.18	-	@
	कुल-2230	23,10.69	71,57.50	35,20.74	*
कुल - (च)- श्रम एवं श्रम कल्याण	48,46.81	23,10.69	71,57.50	35,20.74	*

(क) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से सम्बन्धित व्यय अनुदानों हेतु माँग के अनुसार मुख्य शीर्ष 2203 "तकनीकी शिक्षा" के अन्तर्गत बुक किया गया है। कृपया पृष्ठ संख्या 127 पर पाद टिप्पणी "क" का भी अवलोकन करें।

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

इटैलिक आँकड़ें प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	वर्ष 2018-19 के लिए वास्तविक आँकड़े		कुल	वर्ष 2017-18 के लिए वास्तविक आँकड़े	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय शीर्ष-					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
(ख)- सामाजिक सेवाएं-(जारी)					
(छ) सामाजिक कल्याण एवं पोषण-					
2235-	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण				
01-	पुनर्वास-				
001-	निदेशन एवं प्रशासन	29.89	-	29.89	34.53 (-)13
202-	अन्य पुनर्वास योजना	1,00.00	-	1,00.00	75.00 (+)33
911-	अधिक भुगतानों की वसुलियों पर कटौती	(-)0.97	-	(-)0.97	- @
	कुल-01	1,28.92	-	128.92	1,09.53 (+)18
02-	सामाजिक कल्याण				
001-	निदेशन एवं प्रशासन	57,43.68	-	57,43.68	42,24.27 (+)36
101-	विकलांगों का कल्याण	60.22	-	60.22	46.22 (+)30
102-	बाल कल्याण	53,62.18	4,05,06.60	4,58,68.78	2,99,18.64 (+)53
103-	महिला कल्याण	57,62.89	6,73.43	64,36.32	37,51.72 (+)72
104-	वृद्ध, दुर्बल और निराश्रितों का कल्याण	6,32,43.20	-	6,32,43.20	6,04,08.52 (+)05
106-	सुधार सेवाएं	1.65	-	1.65	0.75 *
800-	अन्य व्यय	1,78.21	-	1,78.21	6,30.31 (-)72
	कुल-02	8,03,52.03	4,11,80.03	12,15,32.06	9,89,80.44 (+)23
03-	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम-				
101-	राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	-	25,43.63	25,43.63	43,83.63 (-)42
102-	राष्ट्रीय परिवार हितकारी योजना	-	25,43.63	25,43.63	43,83.63 (-)42
	कुल-03	-	25,43.63	25,43.63	43,83.63 (-)42

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

इटैलिक आँकड़ें प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	वर्ष 2018-19 के लिए वास्तविक आँकड़े		कुल	वर्ष 2017-18 के लिए वास्तविक आँकड़े	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि(+)/ कमी(-)	
	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)				
(₹ लाख में)						
व्यय शीर्ष-						
(राजस्व लेखा)-(जारी)						
ख- सामाजिक सेवाएं-(जारी)						
(छ) सामाजिक कल्याण एवं पोषण-(जारी)						
2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण-(समाप्त)						
<i>60- अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम-</i>						
102-	सामाजिक सुरक्षा योजना के अधीन पेंशन (ओएपी)	7.02	-	7.02	4,47.21	(-98
107-	स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना	3.30	-	3.30	6.83	(-52
200-	अन्य कार्यक्रम	8,10.18	-	8,10.18	-	@
800-	अन्य व्यय	71.87	91.13	1,63.00	3,19.16	(-49
	<i>कुल-60</i>	8,92.37	91.13	9,83.50	7,73.20	(+27
	कुल-2235	8,13,73.32	4,38,14.79	12,51,88.11	10,42,46.80	(+20
2236- पोषण-						
<i>02- पौष्टिक आहार एवं पेय पदार्थों का वितरण</i>						
101-	विशेष पोषण कार्यक्रम	76,71.79	14,80.82	91,52.61	42,86.88	*
800-	अन्य व्यय	4,31.04	-	4,31.04	3,06.92	(+40
911-	अधिक भुगतानों पर वसूलियों के माध्यम से कटौती	(-0.34)	-	(-0.34)	-	@
	<i>कुल-02</i>	81,02.49	14,80.82	95,83.31	45,93.80	*
<i>80- सामान्य-</i>						
101-	विशेष पोषण कार्यक्रम	17,92.77	-	17,92.77	-	@
800-	अन्य व्यय	8,27.84	-	8,27.84	24,40.31	(-66
	<i>कुल-80</i>	26,20.61	-	26,20.61	24,40.31	(+07
	कुल-2236	1,07,23.10	14,80.82	1,22,03.92	70,34.11	(+73

(क) पेंशनभोगियों से संबंधित सूचना राज्य सरकार से प्रतीक्षित है। (दिसंबर-2019)

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

इटैलिक आँकड़ें प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	वर्ष 2018-19 के लिए वास्तविक आँकड़े		कुल	वर्ष 2017-18 के लिए वास्तविक आँकड़े	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय शीर्ष-					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
ख- सामाजिक सेवाएं-(जारी)					
(छ) सामाजिक कल्याण एवं पोषण-(समाप्त)					
2245-	प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत-				
02-	बाढ़, चक्रवात आदि				
101-	आनुग्रहिक राहत	1,68,87.87	-	1,68,87.87	22,20.37 *
	कुल-02	1,68,87.87	-	1,68,87.87	22,20.37 *
05-	राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष				
101-	आरक्षित निधियों एवं जमा लेखाओं का हस्तांतरण-राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष	2,80,90.00	-	2,80,90.00 (क)	1,34,10.00 *
901-	कटौती-राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से प्राप्त राशि	(-)1,68,87.86	-	(-)1,68,87.86 (क)	(-)22,20.37 *
	कुल-05	1,12,02.13	-	1,12,02.13	1,11,89.63 ढ
80-	सामान्य-				
001-	निदेशन एवं प्रशासन	91.40	-	91.40	66.37 (+)38
102-	प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आकस्मिक योजनाएं	-	59.06	59.06	42.98 (+)37
	कुल-80	91.40	59.06	1,50.46	1,09.35 (+)38
	कुल-2245	2,81,81.40	59.06	2,82,40.46	1,35,19.35 *
	कुल-(छ)-सामाजिक कल्याण एवं पोषण	12,02,77.82	4,53,54.67	16,56,32.49	12,48,00.26 (+)33

(क) एमएच 8121-122 राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष हस्तांतरित राशि का प्रतिनिधित्व करता है कृपया एमएच-8121 विवरण संख्या 21-खण्ड-1। तथा 'अनुलग्नक 'क' "लेखाओं पर टिप्पणियाँ" खण्ड-1 के नीचे पाद टिप्पणी (क) एवं (ख) का अवलोकन करें।

(ढ) पूरे विवरण में नगण्य।

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

इटैलिक आँकड़ें प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	वर्ष 2018-19 के लिए वास्तविक आँकड़े		कुल	वर्ष 2017-18 के लिए वास्तविक आँकड़े	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय शीर्ष-					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
ख- सामाजिक सेवाएं-(समाप्त)					
(ज) अन्य-					
2250- अन्य सामाजिक सेवाएं-					
102-	धार्मिक और धर्मार्थ अक्षय निधि अधिनियम का प्रशासन	2,00.17	-	2,00.17	- @
800-	अन्य व्यय	2,14.88	-	2,14.88	3,55.30 (-)40
	कुल-2250	4,15.05	-	4,15.05	3,55.30 (+)17
2251- सचिवालय-सामाजिक सेवाएं-					
090-	सचिवालय	42,61.80	-	42,67.80	30,63.72 (+)39
		6.00	\$		
911-	अधिक भुगतानों पर वसूलियों के माध्यम से कटौती	(-)1.23	-	(-)1.23	- @
	कुल-2251	42,60.57	-	42,66.57	30,63.72 (+)39
		6.00			
	कुल-(ज)-अन्य	46,75.62	-	46,81.62	34,19.02 (+)37
		6.00			
	कुल-ख-सामाजिक सेवाएं	1,55,11,37.85	24,19,40.50	1,79,30,84.35 (म)	1,31,16,97.16 (+)37
		6.00			

\$ आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति को दर्शाता है।

(म) 2018-19 के दौरान ₹1,12,53,72.49 लाख वेतन तथा ₹28,46,82.08 लाख सहायता अनुदान को सम्मिलित करता है।

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

इटैलिक आँकड़ें प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	वर्ष 2018-19 के लिए वास्तविक आँकड़े		कुल	वर्ष 2017-18 के लिए वास्तविक आँकड़े	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय शीर्ष-					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
ग- आर्थिक सेवाएं-					
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां-					
2401- फसल पैदावार-					
001-	निदेशन एवं प्रशासन	2,42,18.65	32.50	2,42,51.15	1,61,56.40 (+)50
103-	बीज	5,98.79	-	5,98.79	3,99.58 (+)50
104-	कृषि फार्म	12,30.79	-	12,30.79	9,00.10 (+)37
105-	खाद एवं उर्वरक	4,32.50	-	4,32.50	3,04.79 (+)42
107-	पौध-संरक्षण	36,88.60	-	36,88.60	27,59.48 (+)34
108-	वाणिज्यिक फसलें	8,23.25	5,18.62	13,41.87	5,69.94 *
109-	विस्तार तथा कृषकों का प्रशिक्षण	59,63.35	29.41	59,92.76	52,13.67 (+)15
111-	कृषि अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी	47.18	-	47.18	30.21 (+)56
113-	कृषि अभियांत्रिकी	6,52.52	-	6,52.52	4,31.13 (+)51
119-	बागवानी एवं सब्जी की फसलें	1,99,69.60	-	1,99,69.60	1,48,06.29 (+)35
800-	अन्य व्यय	2,27.15	2,21.26	4,48.41	4,24.81 (+)06
911-	अधिक भुगतानों पर वसूलियों के माध्यम से कटौती	(-)1.74	-	(-)1.74	- @
	कुल-2401	5,78,50.63	8,01.79	5,86,52.42	4,19,96.40 (+)40
2402- मिट्टी एवं जल संरक्षण-					
001-	निदेशन एवं प्रशासन	39,63.30	-	39,63.30	27,66.05 (+)43
101-	मिट्टी सर्वेक्षण एवं परीक्षण	16,28.56	-	16,28.56	10,85.53 (+)50
102-	मिट्टी संरक्षण-	35,06.76	-	35,06.76	22,84.07 (+)54
103-	भूमि सुधार एवं विकास	42.32	-	42.32	29.68 (+)43
911-	अधिक भुगतानों पर वसूलियों के माध्यम से कटौती	(-)0.83	-	(-)0.83	- @
	कुल-2402	91,40.12	-	91,40.12	61,65.33 (+)48

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

इटैलिक आँकड़ें प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	वर्ष 2018-19 के लिए वास्तविक आँकड़े		कुल	वर्ष 2017-18 के लिए वास्तविक आँकड़े	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय शीर्ष-					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
ग- आर्थिक सेवाएं-(जारी)					
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां-(जारी)					
2403- पशुपालन-					
001-	निर्देशन एवं प्रशासन	1,59,10.26	-	1,59,10.26	1,06,53.21 (+)49
101-	पशु चिकित्सा सेवाएं एवं पशु स्वास्थ्य	1,14,28.22	-	1,14,28.22	83,60.92 (+)37
102-	मवेशी तथा भैंस का विकास	90,43.31	-	90,43.31	63,07.18 (+)43
103-	मुर्गी पालन का विकास	35,18.74	-	35,18.74	25,32.33 (+)39
104-	भैंड एवं ऊन का विकास	1,53,97.41	-	1,53,97.41	1,12,89.03 (+)36
107-	चारा एवं भोजन का विकास	7,23.28	-	7,23.28	4,41.72 (+)64
109-	विस्तार एवं प्रशिक्षण	1,85.63	-	1,85.63	90.85 (+)104
113-	प्रशासनिक जांच एवं सांख्यिकी	-	-	-	4.59 (-)100
800-	अन्य व्यय	8,89.81	-	8,89.81	5,15.13 (+)73
911-	अधिक भुगतानों पर वसूलियों के माध्यम से कटौती	(-)4.65	-	(-)4.65	- @
	कुल-2403	5,70,92.01	-	5,70,92.01	4,01,94.96 (+)42
2405- मत्स्य पालन					
001-	निर्देशन एवं प्रशासन	99,65.71	-	99,65.71	68,58.91 (+)45
	कुल-2405	99,65.71	-	99,65.71	68,58.91 (+)45
2406- वानिकी एवं वन्य जीवन-					
01- वानिकी-					
001-	निर्देशन एवं प्रशासन	4,30,23.84	-	4,30,23.84	3,20,24.12 (+)34
004-	अनुसंधान	13,62.30	-	13,62.30	- @
070-	संचार एवं इमारते	48.47	-	48.47	2.49 *
101-	वन संरक्षण, विकास एवं उत्थान	56.49	-	56.49	18.55 *

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

इटैलिक आँकड़ें प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	वर्ष 2018-19 के लिए वास्तविक आँकड़े		कुल	वर्ष 2017-18 के लिए वास्तविक आँकड़े	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय शीर्ष-					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
ग- आर्थिक सेवाएं-(जारी)					
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ-(जारी)					
2406-	वानिकी एवं वन्य जीवन-(समाप्त)				
01-	वानिकी-(समाप्त)				
102-	सामाजिक एवं फार्म वानिकी	2,33,24.58	-	2,33,24.58	- @
105-	वन उत्पाद	3,59.30	-	3,59.30	1,44.78 *
800-	अन्य व्यय	-	30.52	30.52	1,72,87.04 (-)100
911-	अधिक भुगतानों पर वसूलियों के माध्यम से कटौती	(-)7.10	-	(-)7.10	- @
	<i>कुल-01</i>	<u>6,81,67.88</u>	<u>30.52</u>	<u>6,81,98.40</u>	<u>4,94,76.98 (+)38</u>
02-	<i>पर्यावरण वानिकी एवं वन्य जीवन-</i>				
001-	निदेशन एवं प्रशासन	65,09.51	-	65,09.51	48,16.50 (+)35
110-	वन्य जीवन संरक्षण	43,49.91	5,00.67	48,50.58	42,09.15 (+)15
112-	सार्वजनिक उद्यान	33,99.83	-	33,99.83	22,02.38 (+)54
	<i>कुल-02</i>	<u>1,42,59.25</u>	<u>5,00.67</u>	<u>1,47,59.92</u>	<u>1,12,28.03 (+)31</u>
	कुल-2406	<u>8,24,27.13</u>	<u>5,31.19</u>	<u>8,29,58.32</u>	<u>6,07,05.01 (+)37</u>
2408-	खाद्य,संग्रहण एवं भण्डारण -				
01-	<i>भोजन</i>				
001-	निदेशन एवं प्रशासन	1,73,68.81	-	1,73,68.81	1,30,26.68 (+)33
911-	अधिक भुगतानों पर वसूलियों के माध्यम से कटौती	(-)3.70	-	(-)3.70	- @
	<i>कुल-01</i>	<u>1,73,65.11</u>	<u>-</u>	<u>1,73,65.11</u>	<u>1,30,26.68 (+)33</u>
02-	<i>संग्रहण एवं भण्डारण-</i>				
001-	निदेशन एवं प्रशासन	-	-	-	20,23.07 (-)100
101-	ग्रामीण गोदाम कार्यक्रम	-	49,70.44	49,70.44	- @
800-	अन्य व्यय	2,88.92	5,60.20	8,49.12	9,35.13 (-)09
	<i>कुल-02</i>	<u>2,88.92</u>	<u>55,30.64</u>	<u>58,19.56</u>	<u>29,58.20 (+)97</u>
	कुल-2408	<u>1,76,54.03</u>	<u>55,30.64</u>	<u>2,31,84.67</u>	<u>1,59,84.88 (+)45</u>

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

इटैलिक आँकड़ें प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	वर्ष 2018-19 के लिए वास्तविक आँकड़े		कुल	वर्ष 2017-18 के लिए वास्तविक आँकड़े	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय शीर्ष-					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
ग- आर्थिक सेवाएं-(जारी)					
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां-(समाप्त)					
2415-	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा-				
01-	फसल पैदावार-				
004-	अनुसंधान	4,25.92	-	4,25.92	2,88.57 (+)48
	कुल-01	4,25.92	-	4,25.92	2,88.57 (+)48
80-	सामान्य-				
120-	अन्य संस्थानों को सहायता	3,29,60.00	-	3,29,60.00	2,41,00.00 (+)37
	कुल- 80	3,29,60.00	-	3,29,60.00	2,41,00.00 (+)37
	कुल-2415	3,33,85.92	-	3,33,85.92	2,43,88.57 (+)37
2425-	सहकारिता-				
001-	निदेशन एवं प्रशासन	39,98.18	-	39,98.18	27,81.16 (+)44
101-	सहकारी समितियों की लेखापरीक्षा	10,48.59	-	10,48.59	6,99.98 (+)50
108-	अन्य सहकारी समितियों को सहायता	4,50.00	-	4,50.00	5,00.00 (-)10
911-	अधिक भुगतानों की वसूली	(-)0.41	-	(-)0.41	- @
	कुल-2425	54,96.36	-	54,96.36	39,81.14 (+)38
2435-	अन्य कृषि कार्यक्रम-				
01-	विपणन एवं गुणवत्ता नियंत्रण-				
101-	विपणन सुविधाएं	28,74.67	-	28,74.67	20,73.27 (+)39
102-	ग्रेडिंग एवं गुणवत्ता नियंत्रण सुविधाएं	7,92.62	-	7,92.62	4,52.89 (+)75
800-	अन्य व्यय	4,33.16	-	4,33.16	4,32.19 N
911-	अधिक भुगतानों पर वसूलियों के माध्यम से कटौती	(-)0.14	-	(-)0.14	- @
	कुल -01	41,00.32	-	41,00.32	29,58.35 (+)39
	कुल-2435	41,00.32	-	41,00.32	29,58.35 (+)39
	कुल-(क)-कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	27,71,12.23	68,63.62	28,39,75.85	20,32,33.55 (+)40

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

इटैलिक आँकड़ें प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	वर्ष 2018-19 के लिए वास्तविक आँकड़े		कुल	वर्ष 2017-18 के लिए वास्तविक आँकड़े	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय शीर्ष-					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
ग- आर्थिक सेवाएं-(जारी)					
(ख) ग्रामीण विकास-					
2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-					
<i>01- एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम-</i>					
001- निदेशन एवं प्रशासन	18,80.48	-	18,80.48	12,50.12	(+)50
800- अन्य व्यय	2,59.61	10,55.50	13,15.11	13,96.20	(-)06
	<i>कुल-01</i>	10,55.50	31,95.59	26,46.32	(+)21
	कुल-2501	10,55.50	31,95.59	26,46.32	(+)21
2506- भूमि सुधार-					
102- सम्पत्ति का समेकन	1.18	-	1.18	16,60.46	(-)100
	कुल-2506	1.18	1.18	16,60.46	(-)100
2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-					
001- निदेशन एवं प्रशासन	1,48,48.75	-	1,48,48.75	86,99.44	(+)71
101- पंचायती राज	-	-	-	-	-
102- समुदाय विकास	2,23,84.65	-	2,23,84.65	2,11,03.01	(+)06
800- अन्य व्यय	45,51.94	-	45,51.94	22,75.91	(+)100
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों के माध्यम से कटौती	(-)1.63	-	(-)1.63	-	@
	कुल-2515	4,17,83.71	4,17,83.71	3,20,78.36	(+)30
	कुल-(ख) -ग्रामीण विकास	10,55.50	4,49,80.48	3,63,85.14	(+)24

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

इटैलिक आँकड़ें प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	वर्ष 2018-19 के लिए वास्तविक आँकड़े		कुल	वर्ष 2017-18 के लिए वास्तविक आँकड़े	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय शीर्ष-					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
ग- आर्थिक सेवाएं-(जारी)					
(ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम-					
2575- अन्य विशेष क्षेत्रों के कार्यक्रम-					
02- पिछड़े क्षेत्र-					
253- जिला प्रशासन-	-	-	-	-	-
255- पुलिस	18,47.30	-	18,47.30	16,17.79	(+)14
259- लोक निर्माण	-	-	-	-	-
334- विद्युत परियोजनाएं	21,88.28	-	21,88.28	18,77.79	(+)17
670- उप संप्रेषण लाइन एवं वितरण प्रणाली में सुधार	6,75.66	-	6,75.66	2,83.38	*
कुल-02	47,11.24	-	47,11.24	37,78.95	(+)25
04- लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद्-					
113- लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद् निधि में हस्तांतरित राशि	3,78,72.60	-	3,78,72.60	2,78,31.44	(+)36
114- कारगिल स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद् निधि में हस्तांतरित राशि	4,47,77.11	-	4,47,77.11	2,79,58.24	(+)60
कुल-04	8,26,49.71	-	8,26,49.71	5,57,89.68	(+)48
कुल-2575	8,73,60.95	-	8,73,60.95	5,95,68.63	(+)47
कुल-(ग)-विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	8,73,60.95	-	8,73,60.95	5,95,68.63	(+)47

(क) एम एच 8448-113 "एल ए एच डी सी" को हस्तांतरित राशि को दर्शाता है। कृपया एम एच 8448 विवरण संख्या 21 खण्ड 2 तथा "लेखाओं पर टिप्पणियाँ" खण्ड 1 का अनुलग्नक 'क' के नीचे पाद टिप्पणी (ख) का अवलोकन करें।

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

इटैलिक आँकड़ें प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	वर्ष 2018-19 के लिए वास्तविक आँकड़े		कुल	वर्ष 2017-18 के लिए वास्तविक आँकड़े	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय शीर्ष-					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
ग- आर्थिक सेवाएं-(जारी)					
(घ) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण-					
2700- प्रमुख सिंचाई-					
01- प्रमुख सिंचाई वाणिज्यिक-					
001-	निदेशन एवं प्रशासन	6,31.49	-	6,31.49	4,28.68 (+)47
601-	रणबीर नहर	1,31.00	-	1,31.00	1,84.79 (-)29
602-	प्रताप नहर	36.69	-	36.69	59.89 (-)39
603-	कठुआ फीडर नहर	16.37	-	16.37	54.95 (-)70
	कुल -01	8,15.55	-	8,15.55	7,28.31 (+)12
	कुल-2700	8,15.55	-	8,15.55	7,28.31 (+)12
2701- मध्यम सिंचाई-					
04- मध्यम सिंचाई-गैर वाणिज्यिक-					
001-	निदेशन एवं प्रशासन	55,23.57	-	55,23.57	44,63.43 (+)24
612-	तवी लिफ्ट सिंचाई	17,79.20	-	17,79.20	18,42.99 (-)03
911-	अधिक भुगतानों पर वसूलियों के माध्यम से कटौती	(-)3.08	-	(-)3.08	- @
	कुल-04	72,99.69	-	72,99.69	63,06.42 (+)16
80- सामान्य-					
001-	निदेशन एवं प्रशासन	3,41.69	-	3,41.69	2,26.99 (+)51
	कुल-80	3,41.69	-	3,41.69	2,26.99 (+)51
	कुल 2701	76,41.37	-	76,41.37	65,33.41 (+)17

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

इटैलिक आँकड़ें प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	वर्ष 2018-19 के लिए वास्तविक आँकड़े		कुल	वर्ष 2017-18 के लिए वास्तविक आँकड़े	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि(+)/कमी(-)
	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय शीर्ष-					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
ग- आर्थिक सेवाएं-(जारी)					
(घ) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण-(समाप्त)					
2702- लघु सिंचाई-					
80- सामान्य-					
001-	निदेशन एवं प्रशासन	4,47,09.58	-	4,47,09.58	3,28,37.27 (+)36
911-	अधिक भुगतानों पर वसूलियों के माध्यम से कटौती	(-)0.11	-	(-)0.11	- @
	<i>कुल-80</i>	4,47,09.47	-	4,47,09.47	3,28,37.27 (+)36
	कुल-2702	4,47,09.47	-	4,47,09.47	3,28,37.27 (+)36
2705- कमान क्षेत्र विकास-					
602-	कमान क्षेत्र कश्मीर	8,53.88	-	8,53.88	6,15.05 (+)39
603-	कमान क्षेत्र जम्मू	27,65.68	-	27,65.68	18,88.98 (+)46
800-	अन्य व्यय	3,14.33	-	3,14.33	1,89.55 (+)66
	कुल-2705	39,33.89	-	39,33.89	26,93.58 (+)46
2711- बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी-					
01- बाढ़ नियंत्रण-					
001-	निदेशन एवं प्रशासन	1,23,67.06	-	1,23,67.06	94,02.17 (+)32
	<i>कुल-01</i>	1,23,67.06	-	1,23,67.06	94,02.17 (+)32
	कुल- 2711	1,23,67.06	-	1,23,67.06	94,02.17 (+)32
	कुल-(घ)-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	6,94,67.34	-	6,94,67.34	5,21,94.74 (+)33

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

इटैलिक आँकड़ें प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	वर्ष 2018-19 के लिए वास्तविक आँकड़े		कुल	वर्ष 2017-18 के लिए वास्तविक आँकड़े	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय शीर्ष-					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
ग- आर्थिक सेवाएं-(जारी)					
(ड) ऊर्जा-					
2801- विद्युत-					
01- जल विद्युत उत्पादन-					
101- विद्युत की खरीद	52,65,02.43	-	52,65,02.43	30,35,59.18	(+)73
	<i>कुल-01</i>	-	52,65,02.43	30,35,59.18	(+)73
05- संप्रेषण एवं वितरण-					
001- निदेशन एवं प्रशासन	90,82.67	-	90,82.67	68,17.05	(+)33
052- उपकरण एवं मशीनरी	30.60	-	30.60	-	@
602- संप्रेषण लाइन, सोपोर	14,45.58	-	14,45.58	8,18.79	(+)77
603- संप्रेषण लाइन, बेमिना, श्रीनगर	10,35.33	-	10,35.33	11,70.77	(-)12
604- संप्रेषण लाइन, जानीपुर	11,91.47	-	11,91.47	8,55.25	(+)39
605- संप्रेषण लाइन, ग्लाडनी	10,64.59	-	10,64.59	7,76.01	(+)37
606- संप्रेषण लाइन, उधमपुर	14,97.35	-	14,97.35	7,42.63	*
607- संप्रेषण लाइन, पंपोर	14,77.87	-	14,77.87	10,02.16	(+)47
609- लोड डिस्पैच एमटी जम्मू	3,20.14	-	3,20.14	1,99.34	(+)61
610- लोड डिस्पैच एमटी श्रीनगर	4,57.72	-	4,57.72	1,20.75	*
	<i>कुल-05</i>	-	1,76,03.32	1,25,02.75	(+)41
06- ग्रामीण विद्युतीकरण-					
001- निदेशन एवं प्रशासन	13,15,42.20	-	13,15,42.20 (क)	13,62,05.38	(-)03
052- उपकरण एवं मशीनरी	77.07	-	77.07	1.87	*

(क) विद्युत बिक्री के अधीन मुख्य शीर्ष -0801- "विद्युत" को कोन्ट्रा क्रेडिट की गई ₹12,00,00.00 लाख की सहायिकी को सम्मिलित करता है। कृपया मुख्य शीर्ष - 0801, विवरण 14 खण्ड 2 के नीचे पाद टिप्पणी का भी अवलोकन करें।

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

इटैलिक आँकड़ें प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	वर्ष 2018-19 के लिए वास्तविक आँकड़े		कुल	वर्ष 2017-18 के लिए वास्तविक आँकड़े	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय शीर्ष-					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
ग- आर्थिक सेवाएं-(जारी)					
(ड) ऊर्जा-(जारी)					
2801- विद्युत-(जारी)					
<i>06- ग्रामीण विद्युतीकरण-(जारी)</i>					
611-	ग्रामीण विद्युतीकरण, जम्मू	1,45,61.75	-	1,45,61.75	1,27,71.08 (+)14
612-	ग्रामीण विद्युतीकरण, कठुआ	45,52.91	-	45,52.91	31,01.35 (+)47
613-	ग्रामीण विद्युतीकरण, पुंछ	16,57.75	-	16,57.75	11,35.67 (+)46
614-	ग्रामीण विद्युतीकरण, राजौरी	35,96.83	-	35,96.83	26,31.47 (+)37
615-	ग्रामीण विद्युतीकरण, उधमपुर	51,56.25	-	51,56.25	35,42.14 (+)46
616-	ग्रामीण विद्युतीकरण, बटोट	10,57.47	-	10,57.47	7,78.85 (+)36
617-	ग्रामीण विद्युतीकरण, डोडा	15,20.95	-	15,20.95	11,24.55 (+)35
618-	ग्रामीण विद्युतीकरण, श्रीनगर	1,49,70.56	-	1,49,70.56	75,73.01 (+)98
619-	ग्रामीण विद्युतीकरण, अनंतनाग	20,57.20	-	20,57.20	21,78.39 (-)06
620-	ग्रामीण विद्युतीकरण, अवंतीपुरा	14,00.78	-	14,00.78	8,73.17 (+)60
621-	ग्रामीण विद्युतीकरण, पुलवामा	31,23.19	-	31,23.19	11,43.93 *
622-	ग्रामीण विद्युतीकरण, बारामूला	11,77.01	-	11,77.01	6,08.37 (+)93
623-	ग्रामीण विद्युतीकरण, बडगाम	22,92.22	-	22,92.22	15,30.68 (+)50
624-	ग्रामीण विद्युतीकरण, हंदवाडा	20,89.47	-	20,89.47	12,26.55 (+)70
625-	ग्रामीण विद्युतीकरण, कुलगाम	15,48.58	-	15,48.58	12,81.32 (+)21
626-	ग्रामीण विद्युतीकरण, संबल	9,63.33	-	9,63.33	8,64.53 (+)11
627-	ग्रामीण विद्युतीकरण, सोपोर	52,49.65	-	52,49.65	34,49.85 (+)52

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

इटैलिक आँकड़ें प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	वर्ष 2018-19 के लिए वास्तविक आँकड़े		कुल	वर्ष 2017-18 के लिए वास्तविक आँकड़े	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय शीर्ष-					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
ग- आर्थिक सेवाएं-(जारी)					
(ड) ऊर्जा-(समाप्त)					
2801- विद्युत-(समाप्त)					
06- ग्रामीण विद्युतीकरण-(समाप्त)					
628-	ग्रामीण विद्युतीकरण, बिजबेहारा	31,89.97	-	31,89.97	22,88.05 (+)39
629-	ग्रामीण विद्युतीकरण, गांधारबल	24,52.96	-	24,52.96	17,27.41 (+)42
630-	ग्रामीण विद्युतीकरण, विजयपुर	18,95.26	-	18,95.26	13,26.22 (+)43
631-	वाणिज्यिक पीडीडी श्रीनगर	-	-	-	-
633-	ग्रामीण विद्युतीकरण, किशतवाड	12,39.52	-	12,39.52	9,42.60 (+)32
799-	उचंत	-	-	-	-
	कुल-06	20,73,72.90	-	20,73,72.90	18,83,06.45 (+)10
80- सामान्य-					
001-	निदेशन एवं प्रशासन	12,27.71	-	12,27.71	6,83.23 (+)80
004-	अनुसंधान एवं विकास	8,36.86	-	8,36.86	5,42.12 (+)54
005-	जांच पड़ताल	5,92.23	-	5,92.23	4,93.56 (+)20
052-	मशीनरी एवं उपकरण	3.43	-	3.43	- @
800-	अन्य व्यय	1,36.17	-	1,36.17	1,03.71 (+)31
	कुल -80	27,96.40	-	27,96.40	18,22.62 (+)53
	कुल-2801	75,42,75.05	-	75,42,75.05 (ख)	50,61,91.01 (+)49
	कुल-(ड)-ऊर्जा	75,42,75.05	-	75,42,75.05 (ख)	50,61,91.01 (+)49

(ख) विद्युत बिक्री के अधीन मुख्य शीर्ष -0801- "विद्युत" को कोन्ट्रा क्रेडिट की गई ₹12,00,00.00 लाख की सहायिकी को सम्मिलित करता है। कृपया मुख्य शीर्ष - 0801, विवरण 14 खण्ड 2 के नीचे पाद टिप्पणी का भी अवलोकन करें।

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

इटैलिक आँकड़ें प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	वर्ष 2018-19 के लिए वास्तविक आँकड़े		कुल	वर्ष 2017-18 के लिए वास्तविक आँकड़े	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि(+)/ कमी(-)	
	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)				
(₹ लाख में)						
व्यय शीर्ष-						
(राजस्व लेखा)-(जारी)						
ग- आर्थिक सेवाएं-(जारी)						
(च)- उद्योग एवं खनिज-						
2851- गांव एवं लघु उद्योग-						
001-	निदेशन एवं प्रशासन	6,85.90	-	6,85.90	17,13.47	(-)60
003-	प्रशिक्षण	7,00.00	-	7,00.00	-	@
004-	अनुसंधान एवं विकास	10,79.44	-	10,79.44	8,19.08	(+)32
101-	ओद्योगिक सम्पदा	2,00.85	-	2,00.85	1,35.57	(+)48
102-	लघु स्तरीय उद्योग	61,52.99	-	61,52.99	40,35.52	(+)52
103-	हथकरघा उद्योग	28,35.51	-	28,35.51	21,02.94	(+)35
104-	हस्तशिल्प उद्योग	1,38,49.19	-	1,38,49.19	1,04,23.12	(+)33
105-	खादी एवं ग्रामोद्योग	23,00.00	-	23,00.00	18,00.00	(+)28
107-	रेशम उत्पादन उद्योग	98,15.06	-	98,15.06	69,58.39	(+)41
800-	अन्य व्यय	5,00.00	-	5,00.00	10,00.00	(-)50
911-	अधिक भुगतानों पर वसूलियों के माध्यम से कटौती	(-)4.02	-	(-)4.02	-	@
	कुल-2851	3,81,14.92	-	3,81,14.92	2,89,88.09	(+)31
2853- अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग-						
02- खान का विनिमय एवं विकास-						
001-	निदेशन एवं प्रशासन	54,84.17	-	54,84.17	36,74.19	(+)49
911-	अधिक भुगतानों पर वसूलियों के माध्यम से कटौती	(-)0.84	-	(-)0.84	-	@
	कुल-02	54,83.33	-	54,83.33	36,74.19	(+)49
	कुल-2853	54,83.33	-	54,83.33	36,74.19	(+)49
	कुल-(च)-उद्योग एवं खनिज	4,35,98.25	-	4,35,98.25	3,26,62.28	(+)33

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

इटैलिक आँकड़ें प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	वर्ष 2018-19 के लिए वास्तविक आँकड़े		कुल	वर्ष 2017-18 के लिए वास्तविक आँकड़े	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय शीर्ष-					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
ग- आर्थिक सेवाएं-(जारी)					
छ- परिवहन-					
3054-	सड़क एवं पुल-				
80-	सामान्य-				
001-	निदेशन एवं प्रशासन	13,93,69.34	-	13,93,69.34	10,01,32.92 (+)39
797-	आरक्षित निधि जमा लेखाओं से/ को हस्तांतरण	3,44,75.00	-	3,44,75.00 (क)	3,32,57.00 (+)04
	कुल-80	17,38,44.34	-	17,38,44.34	13,33,89.92 (+)30
	कुल-3054	17,38,44.34	-	17,38,44.34	13,33,89.92 (+)30
	कुल-(छ)-परिवहन	17,38,44.34	-	17,38,44.34	13,33,89.92 (+)30
झ- विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण-					
3435-	पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण-				
04-	प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण-				
103-	वायु एवं जल प्रदूषण की रोकथाम	29,82.95	-	29,82.95	1.87 *
800-	अन्य व्यय	14,06.66	-	14,06.66	30,72.28 (-)54
911-	अधिक भुगतानों पर वसूलियों के माध्यम से कटौती	(-)0.04	-	(-)0.04	-
	कुल-04	43,89.57	-	43,89.57	30,74.15 (+)43
	कुल-3435	43,89.57	-	43,89.57	30,74.15 (+)43
	कुल-(झ)-विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	43,89.57	-	43,89.57	30,74.15 (+)43

(क) 'केंद्रीय सड़क निधि' से एमएच 8449-103 को हस्तांतरित राशि को दर्शाता है। कृपया "लेखाओं पर टिप्पणियाँ" खण्ड 1 के अनुलग्नक 1 तथा एमएच-8449 विवरणसंख्या 21 खण्ड 2 के नीचे पाद टिप्पणी "ग" का अवलोकन करें।

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

इटैलिक आँकड़ें प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	वर्ष 2018-19 के लिए वास्तविक आँकड़े		कुल	वर्ष 2017-18 के लिए वास्तविक आँकड़े	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय शीर्ष-					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
ग- आर्थिक सेवाएं-(जारी)					
ज- सामान्य आर्थिक सेवाएं-					
3451- सचिवालय- आर्थिक सेवाएं-					
090- सचिवालय	82,29.23	-	82,31.23	60,22.69	(+37
	2.00	\$			
102- जिला योजना तंत्र	3,70,17.67	-	3,70,17.67	3,88,97.82	(-05
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों के माध्यम से कटौती	(-)0.80	-	(-)0.80	-	@
कुल-3451	4,52,46.10	-	4,52,48.10	4,49,20.51	(+01
	2.00				
3452- पर्यटन-					
01- पर्यटक अवसंरचना-					
101- पर्यटन केन्द्र	7,87.19	-	7,87.19	5,69.36	(+38
102- पर्यटक आवास	16,12.23	-	16,12.23	11,37.13	(+42
800- अन्य व्यय	42,24.68	-	42,24.68	37,69.79	(+12
911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों के माध्यम से कटौती	(-)0.15	-	(-)0.15	-	@
कुल-01	66,23.95	-	66,23.95	54,76.28	(+21
80- सामान्य-					
001- निदेशन एवं प्रशासन	50,10.07	-	50,10.07	47,81.11	(+05
104- प्रोत्साहन एवं प्रचार	10,70.67	-	10,70.67	13,72.40	(-22
800- अन्य व्यय	21,47.24	-	21,47.24	15,64.18	(+37
कुल-80	82,27.98	-	82,27.98	77,17.69	(+07
कुल-3452	1,48,51.93	-	1,48,51.93	1,31,93.97	(+13

\$ आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति को दर्शाता है।

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

इटैलिक आँकड़ें प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष	वर्ष 2018-19 के लिए वास्तविक आँकड़े		कुल	वर्ष 2017-18 के लिए वास्तविक आँकड़े	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि(+)/ कमी(-)
	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय शीर्ष-					
(राजस्व लेखा)-(जारी)					
ग- आर्थिक सेवाएं-(जारी)					
(ज) सामान्य आर्थिक सेवाएं -(जारी)					
3454-	जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी-				
	01- जनगणना-				
001-	निदेशन और प्रशासन	4,40.85	-	4,40.85	10,17.10 (-)57
	<i>कुल-01</i>	4,40.85	-	4,40.85	10,17.10 (-)57
	02- सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी-				
110-	राजपत्र एवं सांख्यिकीय संस्मरण	1,12.48	-	1,12.48	82.83 (+)35
112-	आर्थिक सलाह एवं सांख्यिकी	58,81.83	-	58,81.83	37,26.67 (+)58
201-	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन	9,46.50	-	9,46.50	4,24.10 *
205-	राज्य सांख्यिकी एजेंसी	5,05.32	-	5,05.32	3,00.85 (+)68
800-	अन्य व्यय	20.08	-	20.08	- @
911-	अधिक भुगतानों पर वसूलियों के माध्यम से कटौती	(-)0.03	-	(-)0.03	- @
	<i>कुल-02</i>	74,66.18	-	74,66.18	45,34.45 (+)65
	कुल-3454	79,07.03	-	79,07.03	55,51.55 (+)42

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

इटैलिक आँकड़ें प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

मुख्य शीर्ष-	वर्ष 2018-19 हेतु वास्तविक आँकड़े		कुल	वर्ष 2017-18 हेतु वास्तविक आँकड़ें	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)			
(₹ लाख में)					
व्यय शीर्ष-					
(राजस्व लेखा)-(समाप्त)					
ग- आर्थिक सेवाएं-(समाप्त)					
(ज) सामान्य आर्थिक सेवाएं-(समाप्त)					
3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं-					
106- वजन एवं माप के नियमन	10,19.77	-	10,19.77	6,95.42	(+)47
800- अन्य व्यय	-	17.02	17.02	70.30	(-)76
कुल-3475	10,19.77	17.02	10,36.79	7,65.72	(+)35
कुल-(ज)-सामान्य आर्थिक सेवाएं	6,90,24.83	17.02	6,90,43.85	6,44,31.75	(+)07
	2.00				
कुल-ग-आर्थिक सेवाएं	1,52,29,97.54	79,36.14	1,53,09,35.68 (य)	1,09,11,31.18	(+)39
	2.00				
कुल-व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	4,83,00,52.41	25,11,65.54	5,60,89,97.95	4,09,16,49.48	(+)37
	52,77,80.00				
वेतन	2,37,58,59.20	3,28,18.73	2,41,49,85.57	1,61,20,40.69	(+)50
	63,17.64				
सहायिकी सहायता	12,00,00.00	5,13.79	12,05,13.79	11,54,33.73	(+)04
सहायता अनुदान	30,21,85.67	2,94,99.19	33,16,84.86	27,21,30.69	(+)22

(य) वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 49,13,33.79 लाख वेतन, ₹ 4,26,70.66 लाख सहायता अनुदान, ₹ 12,05,13.79 लाख सहायिकी को सम्मिलित करते हुए।

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण (जारी)
विवरणी संख्या 15 की व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

राजस्व लेखा पर व्यय-राजस्व लेखा पर व्यय में ₹ 1,51,73,48.47 लाख की वृद्धि मुख्यतः (वर्ष 2017-18 में ₹ 4,09,16,49.48 लाख से वर्ष 2018-19 में ₹ 5,60,89,97.95 लाख) तक निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत थी:-

क्र.सं.	लेखा का मुख्य शीर्ष	वास्तविक		वृद्धि	कारण
		2018-19	2017-18		
				(₹ लाख में)	
1.	2041-वाहनों पर कर	18,36.70	14,69.03	3,67.67	वृद्धि मुख्यतः प्रभारों के संग्रहण पर बढ़े हुए व्यय के कारण हुई है।
2.	2049- ब्याज भुगतान	52,08,68.05	46,62,87.10	5,45,80.95	मुख्य रूप से आंतरिक ऋण, जी.पी.फंड एवं अन्य आरक्षित निधियों पर ब्याज के कारण देयता होने के कारण वृद्धि हुई है।
3.	2055- पुलिस	69,34,09.13	48,08,06.59	21,26,02.54	मुख्य रूप से पुलिस बल, जिला पुलिस एवं निर्देशन एवं प्रशासन के आधुनिकीकरण पर बढ़े हुए व्यय के कारण वृद्धि हुई है।
4.	2058-लेखन सामग्री एवं मुद्रण	49,91.97	38,42.00	11,49.97	वृद्धि मुख्यतः राजकीय मुद्रणालयों के अंतर्गत अधिक व्यय के कारण हुई है।
5.	2059-लोक निर्माण	7,49,09.72	5,23,08.10	2,26,01.62	वृद्धि मुख्यतः निदेशन और प्रशासन पर बढ़े हुए व्यय के कारण हुई है।
6.	2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	4,03,07.10	3,15,26.11	87,80.99	वृद्धि मुख्यतः प्रशिक्षणों, होमगार्डों व अग्नि सुरक्षा पर बढ़े हुए व्यय के कारण हुई है।

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण (जारी)

क्र.सं.	लेखा का मुख्य शीर्ष	वास्तविक आंकड़ें		वृद्धि	कारण
		2018-19	2017-18		
				(₹ लाख में)	
7.	2202-सामान्य शिक्षा	95,42,67.73	65,97,60.81	29,45,06.92	वृद्धि मुख्यतः प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा पर अधिक व्यय के कारण हुई है।
8.	2210-चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य	34,20,82.40	24,06,74.78	10,14,07.62	वृद्धि मुख्यतः शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी तथा जन-स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं पर बढ़े हुए व्यय के कारण हुई है।
9.	2215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता	15,11,87.86	12,99,86.87	2,12,00.99	वृद्धि मुख्यतः स्वच्छता सेवाओं पर व्यय के कारण हुई है।
10.	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	12,51,88.10	10,42,46.80	2,09,41.30	मुख्य रूप से वृद्ध, दुर्बल एवं निराश्रितों के कल्याण पर बढ़े हुए व्यय के कारण वृद्धि हुई है।
11.	2403-पशुपालन	5,70,92.01	4,01,94.96	1,68,97.05	वृद्धि मुख्यतः पशु चिकित्सा सेवाओं, भेड व ऊन विकास पर व्यय के बढ़ने के कारण हुई है।
12.	2406-वानिकी एवं वन्य जीवन	8,29,58.32	6,07,05.01	2,22,53.31	वृद्धि मुख्यतः सामाजिक व फार्म वानिकी पर बढ़े हुए व्यय के कारण हुई है।
13.	2408-खाद्य संग्रहण एवं भण्डारण	2,31,84.67	1,59,84.88	71,99.79	वृद्धि मुख्यतः ग्रामीण गोदाम कार्यक्रम पर अधिक व्यय के कारण हुई है।

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण (जारी)

क्र.सं.	लेखा का मुख्य शीर्ष	वास्तविक आंकड़ें		वृद्धि	कारण
		2018-19	2017-18		
				(₹ लाख में)	
14.	2415-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	3,33,85.92	2,43,88.57	89,97.35	वृद्धि मुख्यतः अन्य संस्थानों को सहायता पर हुए व्यय के कारण हुई है।
15.	2851-ग्राम एवं लघु उद्योग	3,81,14.92	2,89,88.09	91,26.83	वृद्धि मुख्यतः खादी एवं ग्रामोद्योग तथा निदेशन व प्रशासन पर बढ़े हुए व्यय के कारण हुई है।
16.	3054-सड़कें एवं पुल	17,38,44.34	13,33,89.92	4,04,54.42	वृद्धि मुख्यतः निदेशन एवं प्रशासन पर बढ़े हुए व्यय तथा भारत सरकार से अधिक प्राप्तियों के कारण हुई है।
17.	3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	10,36.79	7,65.72	2,71.07	वृद्धि मुख्यतः भार एवं माप पर बढ़े हुए व्यय के कारण हुई है।

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण (जारी)

व्यय में वृद्धि को मुख्यतः निम्नलिखित लेखा शीर्षों के तहत कमी के द्वारा आंशिक रूप से ऑफ-सेट किया गया।					
क्र.सं.	लेखा का मुख्य शीर्ष	वास्तविक		कमी	कारण
		2018-19	2017-18		
				(₹ लाख में)	
1.	2029-भू-राजस्व	4,42.16	1,51,74.85	1,47,32.69	कमी मुख्यतः संग्रहण प्रभारों पर कम व्यय होने के कारण हुई है।
2.	2040-बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर	3,54.72	57,56.58	54,01.86	कमी मुख्यतः संग्रहण प्रभारों के अंतर्गत कम बुक होने के कारण व्यय में कमी हुई है।
3.	2211-परिवार कल्याण	1,28,57.15	1,60,38.15	31,81.00	कमी मुख्यतः अन्य व्यय पर कम व्यय होने के कारण हुई है।
4.	2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	99,20.21	1,08,76.15	9,55.94	कमी मुख्यतः निदेशन और प्रशासन पर कम व्यय होने के कारण हुई है।
5.	2506-भूमि सुधार	1.18	16,60.46	16,59.28	कमी मुख्यतः जोत-क्षेत्रों के समेकन पर कम व्यय होने के कारण हुई है।

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण (जारी)
विवरणी संख्या 15 में अनुलग्नक "ख"
विभिन्न प्रमुख योजनाओं के लिए निधि जारी करना

योजना का नाम	भारत सरकार द्वारा जारी राशि #	राज्य सरकार द्वारा वास्तविक रूप में जारी केंद्रीय हिस्सा #	कमी (-) अधिकता (+)	वित्तपोषण पद्धति के अनुसार राज्य का हिस्सा #	राज्य को जारी किया गया हिस्सा #	कमी(-) अधिकता (+)	कुल निर्गत राशि #	व्यय#
(₹ लाख में)								
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम)	8,11,03.80	5,44,63.00	(-)2,66,40.80	13,80.00	13,80.00	-	5,58,43.00	4,60,41.00
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)	3,00.00	2,27,28.85	(+)2,24,28.85	56,07.10	56,07.10	-	2,83,35.95	1,86,59.08
प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)	49,82.11	1,42,27.30	(+)92,45.19	13,25.27	13,25.27	-	1,55,52.57	95,82.50
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए)	12,54,17.69	11,26,21.84	(-)1,27,95.85	88,10.06	88,10.06	-	12,14,31.90	11,77,29.53
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)	24,76.00	45,86.23	(+)21,10.23	6,50.00	6,50.00	-	52,36.23	47,00.47
सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी)	1,98,88.60	3,00,09.97	(+)1,01,21.36	13,33.00	13,33.00	-	3,13,42.97	1,76,67.94
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)	14,00,00.00	6,90,04.00	(-)7,09,96.00	55,00.00	55,00.00	-	7,45,04.00	7,09,40.00
केंद्रीय सड़क निधि (सीआरएफ)	3,32,57.00	2,38,19.84	(-)94,37.16	0.00	0.00	-	2,38,19.84	2,34,27.81
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)	1,28,10.43	1,69,51.35	(+) 41,40.92	5,31.86	5,31.86	-	1,74,83.21	1,01,42.94

इस राशि में पिछले वर्षों की अव्ययित शेष राशि एवं विवरणी में सभी जगह चालू वित्त वर्ष के दौरान पुन सत्यापन : शामिल हैं।

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण (जारी)
विवरणी संख्या 15 में अनुलग्नक "ख"
विभिन्न प्रमुख योजनाओं के लिए निधि जारी करना

योजना का नाम	भारत सरकार द्वारा जारी राशि#	राज्य सरकार द्वारा वास्तविक रूप में जारी केंद्रीय हिस्सा #	कमी (-) अधिकता (+)	वित्तपोषण पद्धति के अनुसार राज्य का हिस्सा #	राज्य को जारी किया गया हिस्सा #	कमी(-) अधिकता (+)	कुल निर्गत राशि #	व्यय#
(₹ लाख में)								
कृषि विस्तार पर उप-मिशन	7,07.27							
राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम	3,06.00	6,06.17	(+)3,00.17	50.66	50.66	-	6,56.83	2,98.31
विद्यालयों में मिड-डे मील (एमडीएम) का राष्ट्रीय कार्यक्रम	63,28.69	96,52.40	(+)33,23.71	9,69.15	9,69.15	-	1,06,21.55	93,44.72
अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीए से टीएसपी को शामिल करते हुए) को विशेष केंद्रीय सहायता	4,07.00	7,02.35	(+)2,95.35	0.00	0.00	-	7,02.35	4,31.26
राष्ट्रीय पशुधन मिशन	8,12.32	8,44.08	(+)5,38.08	1,28.34	1,28.34	-	9,72.42	6,13.99
सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)	15,37,97.98	18,13.38	(-)15,19,84.60	35,96.19	35,96.19	-	54,09.57	54,09.57
एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस)	1,93,28.24	24,60.54	(-)1,68,67.70	3,25.22	3,25.22	-	27,85.76	1,88.03
एकीकृत बाल सुरक्षा सेवा (आईसीपीएस)	8,07.48	6,65.76	(-)1,41.72	79.00	79.00	-	7,44.76	3,79.62
वन्य जीवों के आवासों का एकीकृत विकास	5,77.92	8,12.83	(+)2,34.91	48.00	48.00	-	8,60.83	5,24.20
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन	3,25,33.32	3,76,41.62	(+)51,08.30	52,22.00	52,22.00	-	4,28,63.62	3,92,49.82

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण (समाप्त)
विवरणी संख्या 15 में अनुलग्नक "ख"
विभिन्न प्रमुख योजनाओं के लिए निधि जारी करना

योजना का नाम	भारत सरकार द्वारा जारी राशि#	राज्य सरकार द्वारा वास्तविक रूप में जारी केंद्रीय हिस्सा #	कमी (-) अधिकता (+)	वित्तपोषण पद्धति के अनुसार राज्य का हिस्सा #	राज्य को जारी किया गया हिस्सा #	कमी(-) अधिकता (+)	कुल निर्गत राशि #	व्यय#
(₹ लाख में)								
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	2,02,38.23	2,04,98.98	(+)2,60.75	17,00.00	17,00.00	-	2,21,98.98	2,12,25.70
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	2,92,35.18	1,95,62.46	(-)96,72.72	29,22.80	29,22.80	-	2,24,85.26	2,24,85.26
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए)	73,33.19	1,04,15.78	(+)30,82.59	4,48.00	4,48.00	-	1,08,63.78	51,50.41
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम)	1,89.31	6,19.00	(+)4,29.69	1,20.00	1,20.00	-	7,39.00	4,22.00
सुधार-गृह	32.45	32.00	(-)0.45	0.00	0.00	-	32.00	32.00
पुलिस बल का आधुनिकीकरण	7,07,96.66	53,80.04	(-)6,54,16.62	4,11.00	4,11.00	-	59,91.04	40,77.42
न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं का विकास	10,00.00	10,36.00	(+)36.00	4,20.00	4,20.00	-	14,56.00	12,66.00
100 स्मार्ट शहरों के विकास के लिए मिशन	36,00.00	38,00.00	(+)2,00.00	0.00	0.00	-	38,00.00	1,60.00

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2017-18 के दौरान व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय			2018-19 के अंत में व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
			राज्य निधि से व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष							
(पूंजीगत लेखा)							
क सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा-							
4047-	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजी परिव्यय-						
039-	राज्य उत्पाद शुल्क-	-	-	-	4,07.12	-	
	कुल -4047	-	-	-	4,07.12	-	
4055-	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय						
117-	आंतरिक सुरक्षा	28,25.83	-	-	1,44,29.18	(-)100	
207-	राज्य पुलिस	3,43,62.51	2,63,79.86	61,47.89	9,51,64.75	(-)05	
800-	अन्य व्यय	15,00.00	-	-	32,09.38	(-)100	
	कुल-4055	3,86,88.34	2,63,79.86	61,47.89	11,28,03.31	(-)16	
4058-	लेखन सामग्री एवं मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय						
001-	निदेशन एवं प्रशासन	-	-	-	97.60	-	
103-	सरकारी मुद्रणालय	8,78.59	2,84.36	-	29,19.82	\$ (-)68	
800-	अन्य व्यय	11.60	-	-	4,09.29	\$ (-)100	
	कुल-4058	8,90.19	2,84.36	-	34,26.71	(-)68	
4059-	लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय						
01-	कार्यालय भवन						
001-	निदेशन एवं प्रशासन	92,44.26	2,85,76.69	-	16,63,85.96	@	
051-	निर्माण	-	-	-	2,80,29.84	-	
052-	मशीनरी एवं उपकरण	-	-	-	10,93.60	-	
201-	भूमि का अधिग्रहण	-	-	-	2.85	-	

@ विवरण संख्या 16 में सौ प्रतिशत से अधिक

\$ पूर्णांकित करने के कारण पूर्व वित्त लेखा से ₹ 0.01 लाख तक भिन्नता

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2017-18 के दौरान व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय			2018-19 के अंत में व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
			राज्य निधि से व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष							
(पूंजीगत लेखा)-(जारी)							
क- सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा (जारी)							
4059-	लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय (समाप्त)						
	01- कार्यालय भवन (समाप्त)						
799-	उचंत	-	-	-	0.12	-	
800-	अन्य व्यय	-	-	-	2,55,11.73 #	-	
	कुल-01	92,44.26	2,85,76.69	-	2,85,76.69	22,10,24.10 @	
	60- अन्य भवन						
051-	निर्माण	-	66.78	-	66.78	*	
117-	आंतरिक सुरक्षा	-	-	-	2,52.15	-	
800-	अन्य व्यय	2,63,54.21	1,29,97.85	16,82.33	1,46,80.18	(-) ⁴⁴	
	कुल-60	2,63,54.21	1,30,64.63	16,82.33	1,47,46.96	35,98,94.28 (-)⁴⁴	
	80- सामान्य						
001-	निदेशन एवं प्रशासन	-	-	-	44,01.32 \$	-	
051-	निर्माण	-	75.00	-	75.00	*	
052-	मशीनरी एवं उपकरण	-	-	-	4,10.64	-	
201-	भूमि का अधिग्रहण	16,99.14	3,37.07	-	3,37.07	(-) ⁸⁰	
800-	अन्य व्यय	26,35.72	19,22.92	-	19,22.92	(-) ¹¹	
	कुल-80	43,34.86	23,34.99	-	23,34.99	2,09,65.21 (-)¹¹	
	कुल-4059	3,99,33.33	4,39,76.31	16,82.33	4,56,58.64	60,18,83.60 (+)¹⁴	
4070-	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय						
003-	प्रशिक्षण	-	-	-	57.71 \$	-	
800-	अन्य व्यय	5,75.76	6,94.03	-	6,94.03	(+) ²¹	
	कुल-4070	5,75.76	6,94.03	-	6,94.03	1,02,54.56 (+)²¹	

1974-75 से पूर्व आबंटित परिव्यय नहीं में ₹ 44.35 लाख शामिल

\$ पूर्णांकित करने के कारण पूर्व वित्त लेखा से ₹ 0.01 लाख की भिन्नता

* विवरण में लागू नहीं

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2017-18 के दौरान व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय			2018-19 के अंत में व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
			राज्य निधि से व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष							
(पूंजीगत लेखा)-(जारी)							
(क) सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा							
(समाप्त)							
4075-	विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय						
204-	आयकर अधिनियम 1961 के अध्याय XX-सी के तहत अचल संपत्ति का अधिग्रहण	-	-	-	36.19	-	
800-	अन्य व्यय	2,14.76	26,43.44	-	26,43.44	1,60,36.50	
	कुल-4075	2,14.76	26,43.44	-	26,43.44	1,60,72.69	
	कुल-क सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा	8,03,02.38	7,39,78.00	78,30.22	8,18,08.22	74,48,47.99	
						(+)02	
ख- सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-							
(क) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति का पूंजीगत लेखा-							
4202-	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय						
	<i>01- सामान्य शिक्षा</i>						
201-	प्रारंभिक शिक्षा	2,42,30.50	3,63,11.99	1,09,39.94	4,72,51.93	21,37,18.35	
202-	माध्यमिक शिक्षा	2,57,61.67	69,07.78	-	69,07.78	10,69,82.12	
203-	विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा	1,97,02.53	80,67.89	51,20.96	1,31,88.85	17,56,86.77	
204-	वयस्क शिक्षा	-	-	-	-	1,27.81	
600-	सामान्य	-	-	-	-	6,88.69	
800-	अन्य व्यय	1,19,11.20	-	89,51.16	89,51.16	10,39,10.28	
	कुल-01	8,16,05.90	5,12,87.66	2,50,12.06	7,62,99.72	60,11,14.02	
						\$ (-)07	
	<i>02- तकनीकी शिक्षा-</i>						
103-	तकनीकी विद्यालय	-	-	-	-	44,81.94	
104-	पॉलिटेक्निक	31,82.23	-	25.00	25.00	86,55.07	

\$ पूर्णांकित करने के कारण पूर्व वित्त लेखा से भिन्नता

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2017-18 के दौरान व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय			2018-19 के अंत में व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
			राज्य निधि से व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष							
(पूंजीगत लेखा)-(जारी)							
ख- सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(जारी)							
(क) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति का पूंजीगत लेखा-(समाप्त)							
4202- शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-(समाप्त)							
<i>02- तकनीकी शिक्षा- (समाप्त)</i>							
105-	अभियांत्रिकी/ तकनीकी महाविद्यालय एवं संस्थान	19,08.22	17,08.42	2,25.13	19,33.55	4,15,43.81 \$	(-01
800-	अन्य व्यय	13.39	-	-	-	6,19.16 \$	(-100
	<i>कुल-02</i>	<u>51,03.84</u>	<u>17,08.42</u>	<u>2,50.13</u>	<u>19,58.54</u>	<u>5,52,99.97</u>	<u>(-62</u>
<i>03- खेल एवं युवा सेवाएं-</i>							
101-	युवा छात्रावास	-	-	-	-	15,09.81 \$	-
102-	खेल स्टेडियम	-	-	-	-	18,23.48	-
800-	अन्य व्यय	0.80	-	-	-	1,16,54.40 \$	(-100
	<i>कुल-03</i>	<u>0.80</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,49,87.69</u>	<u>(-100</u>
<i>04- कला एवं संस्कृति</i>							
101-	ललित कला शिक्षा	17,06.03	8,20.53	-	8,20.53	1,04,61.36	(-52
104-	अभिलेखागार	73.21	1,99.88	-	1,99.88	5,65.84 \$	@
105-	सार्वजनिक पुस्तकालय	-	75.20	-	75.20	75.20	*
106-	संग्रहालय	-	-	-	-	9,17.42 \$	-
800-	अन्य व्यय	-	-	-	-	14,03.26 \$	-
911-	अधिक भुगतानों की कटौतियों पर वसूली	-	-	-	-	(-4.65	-
	<i>कुल-04</i>	<u>17,79.24</u>	<u>10,95.61</u>	<u>-</u>	<u>10,95.61</u>	<u>1,34,18.43</u>	<u>(-38</u>
	कुल-4202	<u>8,84,89.78</u>	<u>5,40,91.69</u>	<u>2,52,62.19</u>	<u>7,93,53.88</u>	<u>68,48,20.11</u>	<u>(-10</u>
	कुल-(क)-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति का पूंजीगत लेखा	8,84,89.78	5,40,91.69	2,52,62.19	7,93,53.88	68,48,20.11	(-10

\$ पूर्णांकित करने के कारण पूर्व वित्त लेखा से भिन्नता

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2017-18 के दौरान व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय			2018-19 के अंत में व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
			राज्य निधि से व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष							
(पूंजीगत लेखा)-(जारी)							
ख- सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(जारी)							
(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा							
4210-	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय						
	<i>01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं</i>						
109-	विद्यालय स्वास्थ्य योजनाएं	-	-	-	70.02	-	
110-	अस्पताल एवं औषधालय	-	-	-	1,19,50.31	-	
200-	अन्य स्वास्थ्य योजनाएं	-	15,00.00	-	15,00.00	*	
800-	अन्य व्यय	5,03,69.99	2,92,55.55	-	2,92,55.55	35,90,98.18	
	<i>कुल-01</i>	5,03,69.99	3,07,55.55	-	3,07,55.55	37,55,07.93	
	<i>02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-</i>						
101-	स्वास्थ्य उप-केंद्र	-	-	-	7,47.29	-	
102-	सहायक स्वास्थ्य केंद्र	-	-	-	80.31	-	
103-	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	1,73.29	9,90.43	2,27,89.71	2,37,80.14	3,23,42.78	
104-	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	-	-	-	4.37	-	
110-	अस्पताल एवं औषधालय	-	-	-	21,19.50	-	
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	-	-	-	0.33	-	
800-	अन्य व्यय	-	-	-	22,15.83	\$	
	<i>कुल-02</i>	1,73.29	9,90.43	2,27,89.71	2,37,80.14	3,75,10.41	
	<i>03- चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान</i>						
101-	आयुर्वेद	-	-	-	1.00	-	
105-	ऐलोपैथी	-	30,65.92	2,65,64.04	2,96,29.96	5,01,28.96	
200-	अन्य पद्धतियाँ	-	-	6,70.30	6,70.30	7,48.46	
	<i>कुल-03</i>	-	30,65.92	2,72,34.34	3,03,00.26	5,08,78.42	

\$ पूर्णांकित करने के कारण पूर्व वित्त लेखा से भिन्नता

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2017-18 के दौरान व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय			2018-19 के अंत में व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
			राज्य निधि से व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष							
(पूंजीगत लेखा)-(जारी)							
ख- सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(जारी)							
(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा-(समाप्त)							
4210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-(समाप्त)							
<i>04- जन-स्वास्थ्य-</i>							
101-	रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण	3,66.40	-	2,85.43	2,85.43	28,54.67 \$	(-)22
106-	सेरा/ वैक्सीन का विनिर्माण	-	-	-	-	70.37	-
107-	जन-स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं	0.85	-	23,14.20	23,14.20	23,17.11 \$	@
112-	जन-स्वास्थ्य शिक्षा	-	-	-	-	8,64.53 \$	-
200-	अन्य कार्यक्रम	-	-	-	-	12,10.29	-
	<i>कुल-04</i>	3,67.25	-	25,99.63	25,99.63	73,16.97	@
<i>80- सामान्य-</i>							
800-	अन्य व्यय	1,47.36	-	-	-	44,98.71	(-)100
	<i>कुल-80</i>	1,47.36	-	-	-	44,98.71	(-)100
	कुल-4210	5,10,57.89	3,48,11.90	5,26,23.68	8,74,35.58	47,57,12.44	(+)71
4211- परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय							
101-	ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं	-	-	-	-	1,07.15	-
102-	शहरी परिवार कल्याण सेवाएं	-	-	-	-	1,08.96	-
800-	अन्य व्यय	-	-	-	-	5,80.93 \$	-
	कुल-4211	-	-	-	-	7,97.04	-
	कुल-(ख)- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा	5,10,57.89	3,48,11.90	5,26,23.68	8,74,35.58	47,65,09.48	(+)71

\$ पूर्णांकित करने के कारण पूर्व वित्त लेखा से भिन्नता

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2017-18 के दौरान व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय			2018-19 के अंत में व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
			राज्य निधि से व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष							
(पूंजीगत लेखा)-(जारी)							
ख- सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(जारी)							
(ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास का पूंजीगत लेखा							
4215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत लेखा							
01- जलापूर्ति							
101- शहरी जलापूर्ति-							
	जलापूर्ति जम्मू शहर	-	-	-	66,40.30	-	
	ट्यूबवैल श्रीनगर	-	-	-	30,94.16	-	
	बढ़ते श्रीनगर शहर की जलापूर्ति के लिए मास्टर प्लान	-	-	-	1,23,57.15	-	
	मास्टर प्लान के अंतर्गत जम्मू शहर की जलापूर्ति में सुधार/ वृद्धि निर्माण/ परियोजनाएं जिन पर पिछले पांच वर्षों के दौरान कोई व्यय नहीं	-	-	-	26,26.98	-	
	कुल-101	-	-	-	3,93,85.18	-	
102- ग्रामीण जलापूर्ति-							
	कश्मीर डिवीजन की जलापूर्ति योजनाओं में सुधार/ वृद्धि	2,36,67.68	1,25,14.47	-	16,14,26.06	(-)/47	
	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कश्मीर)	64,31.76	-	1,29,81.44	2,43,55.56	@	
	जम्मू डिवीजन की शहर जलापूर्ति का सुधार	1,98,68.22	1,59,61.47	-	10,95,80.47	(-)/20	
	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जम्मू)	93,43.91	-	1,08,66.60	2,98,06.77	(+)/16	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2017-18 के दौरान व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय			2018-19 के अंत में व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
			राज्य निधि से व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(₹ लाख में)							
	व्यय शीर्ष						
	(पूंजीगत लेखा)-(जारी)						
	ख -सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(जारी)						
	(ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास का पूंजीगत लेखा-(जारी)						
4215-	जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय-(समाप्त)						
	01- जलापूर्ति (समाप्त)						
102-	ग्रामीण जलापूर्ति- (समाप्त)						
	जलापूर्ति जम्मू कांडी क्षेत्र	-	-	-	-	13,54.70	-
	त्वरित जलापूर्ति योजना	-	-	-	-	4,37,05.76	-
	उचंत	-	-	-	-	(-),1,70.34	-
	निर्माण/ परियोजनाएं जिन पर पिछले पांच वर्षों के दौरान कोई व्यय नहीं	-	-	-	-	35,55,76.29 \$	-
	कुल-102	5,93,11.57	2,84,75.94	2,38,48.04	5,23,23.98	72,56,35.27 \$	(-),12
800-	अन्य व्यय	-	-	-	-	53,80.19 \$	-
	कुल-01	5,93,11.57	2,84,75.94	2,38,48.04	5,23,23.98	77,04,00.64	(-),12
	02- सीवरेज और सैनिटेशन (समाप्त)						
101-	शहरी स्वच्छता सेवाएं	-	-	-	-	7,85.84	-
102-	ग्रामीण स्वच्छता सेवाएं	-	-	-	-	12,12.01	-
106-	सीवरेज सेवाएं	-	-	-	-	1,12,75.22	-
800-	अन्य व्यय	-	-	-	-	8,58.31	-
	कुल-02	-	-	-	-	1,41,31.38	-
	कुल-4215	5,93,11.57	2,84,75.94	2,38,48.04	5,23,23.98	78,45,32.02	(-),12
4216-	आवास पर पूंजीगत परिव्यय						
	01- सरकारी आवासीय भवन						
106-	सामान्य पूल आवास	-	-	-	-	67,31.80	-
	\$ पूर्णांकित करने के कारण पूर्व वित्त लेखा से भिन्नता						

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2017-18 के दौरान व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय			2018-19 के अंत में व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
			राज्य निधि से व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष							
(पूंजीगत लेखा)-(जारी)							
ख- सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(जारी)							
(ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास का पूंजीगत लेखा-(जारी)							
4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय-(समाप्त)							
<i>01- सरकारी आवासीय भवन (समाप्त)</i>							
700-	अन्य आवासीय	9,02.28	4,50.14	-	4,50.14	2,11,71.12 \$	(-50
800-	अन्य व्यय	-	-	-	-	1,26,29	-
	<i>कुल-01</i>	<u>9,02.28</u>	<u>4,50.14</u>	<u>-</u>	<u>4,50.14</u>	<u>2,80,29.21 \$</u>	<u>(-50</u>
<i>02- शहरी आवासीय-</i>							
800-	अन्य व्यय	-	-	-	-	3,76.92	-
	<i>कुल-02</i>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3,76.92</u>	<u>-</u>
<i>03- ग्रामीण आवासीय-</i>							
800-	अन्य व्यय	-	-	-	-	4.60	-
	<i>कुल-03</i>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4.60</u>	<u>-</u>
<i>80- सामान्य'-</i>							
001-	निदेशन एवं प्रशासन	-	-	-	-	1,88.72	-
191-	आवासीय निगमों में निवेश	-	-	-	-	3.00	-
201-	आवासीय बोर्डों में निवेश	-	-	-	-	1,49.75	-
800-	अन्य व्यय	5,57.64	-	1,96.47	1,96.47	10,01.23 \$	(-65
	<i>कुल-80</i>	<u>5,57.64</u>	<u>-</u>	<u>1,96.47</u>	<u>1,96.47</u>	<u>13,42.70 \$</u>	<u>(-65</u>
	कुल-4216	14,59.92	4,50.14	1,96.47	6,46.61	2,97,53.43	(-56

\$ पूर्णांकित करने के कारण पूर्व वित्त लेखा से भिन्नता

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2017-18 के दौरान व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय			2018-19 के अंत में व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
			राज्य निधि से व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष							
(पूंजीगत लेखा)-(जारी)							
ख- सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(जारी)							
(ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास का पूंजीगत लेखा-(जारी)							
4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय							
01- राज्य पूंजीगत विकास							
001-	निदेशन एवं प्रशासन	-	-	-	18.05	-	
050-	भूमि	-	-	-	1.21	-	
051-	निर्माण	-	-	-	42.12	-	
052-	मशीनरी एवं उपकरण	-	-	-	1,37.51	-	
191-	स्थानीय निकाय निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता	-	-	-	8,07.04	-	
800-	अन्य व्यय	-	-	-	73.76	-	
	<i>कुल-01</i>	-	-	-	10,79.69	-	
03- छोटे एवं मध्यम शहरों का एकीकृत विकास							
051-	निर्माण	-	3,00,17.07	41,12.00	3,41,29.08	3,41,32.57 \$ *	
191-	स्थानीय निकाय निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों के नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता	-	-	-	55,67.34	-	
800-	अन्य व्यय	4,17,93.43 \$	-	1,29,53.88	1,29,53.87	41,80,53.95 \$ (-)69	
	<i>कुल-03</i>	4,17,93.43	3,00,17.07	1,70,65.88	4,70,82.95	45,77,53.86 (+)13	

\$ पूर्णांकित करने के कारण पूर्व वित्त लेखा से भिन्नता

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2017-18 के दौरान व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय			2018-19 के अंत में व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
			राज्य निधि से व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(₹ लाख में)							
	व्यय शीर्ष						
	(पूंजीगत लेखा)-(जारी)						
	ख- सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(जारी)						
	(ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास का पूंजीगत लेखा-(समाप्त)						
	4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-(समाप्त)						
	04- स्लम क्षेत्र सुधार						
	050- भूमि	-	-	-	0.50	-	
	051- निर्माण	-	-	-	36.17	-	
	800- अन्य व्यय	-	-	-	61.72	-	
	कुल -04	-	-	-	98.39	-	
	60- अन्य शहरी विकास योजनाएं						
	001- निदेशन एवं प्रशासन	-	-	-	1,23.60	-	
	051- निर्माण	-	-	-	7,46.89	-	
	052- मशीनरी एवं उपकरण	-	-	-	8,80.28	-	
	कुल -60	-	-	-	17,50.77	-	
	कुल-4217	4,17,93.43	\$ 3,00,17.07	1,70,65.88	4,70,82.95	46,06,82.71	(+) 13
	कुल-(ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास का पूंजीगत लेखा	10,25,64.92	5,89,43.15	4,11,10.39	10,00,53.54	1,27,49,68.16	(-) 02

\$ पूर्णांकित करने के कारण पूर्व वित्त लेखा से भिन्नता

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2017-18 के दौरान व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय			2018-19 के अंत में व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
			राज्य निधि से व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष							
(पूंजीगत लेखा)-(जारी)							
ख- सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(जारी)							
(घ) सूचना एवं प्रसारण पर पूंजीगत परिव्यय-							
4220-	सूचना एवं प्रसारण पर पूंजीगत परिव्यय						
60-	अन्य-						
800-	अन्य व्यय	2,31.98	1,06.36	-	1,06.36	33,44.74 (-)54	
	<i>कुल-60</i>	2,31.98	1,06.36	-	1,06.36	33,44.74 (-)54	
	कुल-4220	2,31.98	1,06.36	-	1,06.36	33,44.74 (-)54	
	कुल-(घ) सूचना एवं प्रसारण पर पूंजीगत परिव्यय-	2,31.98	1,06.36	-	1,06.36	33,44.74 (-)54	
(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा							
4225-	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय						
01-	अनुसूचित जातियों का कल्याण						
102-	आर्थिक विकास	-	-	-	-	77.55 -	
793-	अनुसूचित जाति योजना के घटकों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता	-	-	-	-	58.56 -	
800-	अन्य व्यय-	-	-	-	-	3,13.34 \$ -	
	<i>कुल-01</i>	-	-	-	-	4,49.45 \$ -	

\$ पूर्णांकित करने के कारण पूर्व वित्त लेखा से भिन्नता

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2017-18 के दौरान व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय			2018-19 के अंत में व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
			राज्य निधि से व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष							
(पूंजीगत लेखा)-(जारी)							
ख- सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(जारी)							
(इ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा-(जारी)							
4225-	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय (जारी)						
	02- अनुसूचित जनजाति कल्याण						
102-	आर्थिक विकास	-	-	-	1.54	-	
277-	शिक्षा	-	-	-	61.83	-	
283-	आवास	-	-	-	7.53	-	
794-	जनजातीय की उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता	-	-	-	1,21.21	-	
800-	अन्य व्यय	1,00,57.30	18,48.28	17,05.09	2,75,07.02	(-65)	
	कुल-02	1,00,57.30	18,48.28	17,05.09	2,76,99.13	(-65)	
	03- अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण						
102-	आर्थिक विकास	-	-	-	3,09.95	-	
283-	आवास	-	-	-	3.00	-	
800-	अन्य व्यय	-	-	-	3,67.76 \$	-	
	कुल-03	-	-	-	6,80.71 \$	-	

\$ पूर्णांकित करने के कारण पूर्व वित्त लेखा से भिन्नता

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2017-18 के दौरान व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय			2018-19 के अंत में व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
			राज्य निधि से व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(₹ लाख में)							
	व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा)-(जारी)						
	ख- सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(जारी)						
	(इ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा-(समाप्त)						
4225-	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-(समाप्त)						
80-	सामान्य- (समाप्त)						
190-	सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश						
	(i)- जम्मू एवं कश्मीर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के विकास निगमों में निवेश	-	-	-	5,10.00	-	
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	-	-	-	92.62	-	
800-	अन्य व्यय	-	-	-	11,03.49	-	
	कुल-80	-	-	-	17,06.11	-	
	कुल -4225	1,00,57.30	18,48.28	17,05.09	35,53.37	3,05,35.40	
	कुल-(इ)-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा	1,00,57.30	18,48.28	17,05.09	35,53.37	3,05,35.40	
						(-65)	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2017-18 के दौरान व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय			2018-19 के अंत में व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
			राज्य निधि से व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष							
(पूंजीगत लेखा)-(जारी)							
ख- सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(जारी)							
(छ) सामाजिक कल्याण एवं पोषण का पूंजीगत लेखा-							
4235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय							
<i>01- पुनर्वास-</i>							
201-	अन्य पुनर्वास योजनाएं	2,30,56.98	56,97.14	26,89.08	83,86.22	15,38,87.47 \$	(-64
800-	अन्य व्यय	-	-	-	-	0.82	-
	<i>कुल-01</i>	<u>2,30,56.98</u>	<u>56,97.14</u>	<u>26,89.08</u>	<u>83,86.22</u>	<u>15,38,88.29 \$</u>	<u>(-64</u>
<i>02- समाज कल्याण-</i>							
101-	दिव्यांग का कल्याण	-	-	-	-	36.33	-
102-	बाल कल्याण						
	सकल व्यय	46.50	41.32	-	41.32	5,70,16.67 \$	(-11
	प्राप्ति एवं वसूली कटौती	-	-	-	-	(-0.05	-
	निवल व्यय	<u>46.50</u>	<u>41.32</u>	<u>-</u>	<u>41.32</u>	<u>5,70,16.62 \$</u>	<u>(-11</u>
103-	महिलाओं का कल्याण	-	-	-	-	2,55.93	-
104-	वृद्ध, दुर्बल एवं निराश्रितों का कल्याण	-	-	-	-	2,24.53	-
190-	सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश						
	(i)- जम्मू एवं कश्मीर की अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विकास निगम में निवेश	-	-	-	-	7,79.81	-
\$ पूर्णांकित करने के कारण पूर्व वित्त लेखा से भिन्नता							

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2017-18 के दौरान व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय			2018-19 के अंत में व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
			राज्य निधि से व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(₹ लाख में)							
	व्यय शीर्ष						
	(पूंजीगत लेखा)-(जारी)						
	ख- सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा- (जारी)						
	(छ) समाज कल्याण एवं पोषण का पूंजीगत लेखा-(जारी)						
4235-	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-(जारी)						
	02- सामाजिक कल्याण-(समाप्त)						
190-	सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश (समाप्त)						
	(ii)- जम्मू एवं कश्मीर महिला विकास निगम लिमिटेड में निवेश	-	-	-	-	18,26.63	-
	कुल-190	-	-	-	-	26,06.44	-
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	-	-	-	-	66.44	-
800-	अन्य व्यय	5,47.16	1,51.26	-	1,51.26	20,85.65	\$ (-)72
	कुल-02	5,93.66	1,92.58	-	1,92.58	6,22,91.94	(-)72
60-	अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम						
800-	अन्य व्यय						
	चीनी-						
	सकल व्यय	-	29,60.93	-	29,60.93	16,27,52.14	*
	कटौती, प्राप्ति एवं वसूली	(-)6,93.51	(-)3.44	-	(-)3.44	(-)12,75,48.24	@
	निवल व्यय	(-)6,93.51	29,57.49	-	29,57.49	3,52,03.90	@

\$ पूर्णांकित करने के कारण पूर्व वित्त लेखा से भिन्नता

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2017-18 के दौरान व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय			2018-19 के अंत में व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
			राज्य निधि से व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष							
(पूंजीगत लेखा)-(जारी)							
ख- सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(जारी)							
(छ) समाज कल्याण एवं पोषण का पूंजीगत लेखा-(जारी)							
4235-	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-(समाप्त)						
60-	अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम (जारी)						
800-	अन्य व्यय- (जारी)						
	मिट्टी का तेल-						
	सकल व्यय	5,61.25	4,41.41	-	4,41.41	85,64.23	(-)21
	कटौती, प्राप्ति एवं वसूली	(-)25.07	(-)17.32	-	(-)17.32	(-)94,74.71	(-)31
	निवल व्यय	5,36.18	4,24.09	-	4,24.09	(-)9,10.48	(-)21
	हार्ड कोक-						
	सकल व्यय	-	-	-	-	8,20.43	-
	कटौती, प्राप्ति एवं वसूली	-	-	-	-	(-)7,14.31	-
	निवल व्यय	-	-	-	-	1,06.12	-
	अन्य व्यय						
	सकल व्यय	10,27.47	2,59.89	-	2,59.89	2,59,05.76	(-)75
	कटौती, प्राप्ति एवं वसूली	-	-	-	-	(-)20,27.18	-
	निवल व्यय	10,27.46	2,59.89	-	2,59.89	2,38,78.58	(-)75
	कुल-60	8,70.14	36,41.47	-	36,41.47	5,82,78.12	@
	कुल-4235	2,45,20.78	95,31.19	26,89.08	1,22,20.27	27,44,58.35 \$	(-)50

\$ पूर्णांकित करने के कारण पूर्व वित्त लेखा से भिन्नता

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2017-18 के दौरान व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय			2018-19 के अंत में व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
			राज्य निधि से व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(₹ लाख में)							
	व्यय शीर्ष						
	(पूंजीगत लेखा)-(जारी)						
	ख- सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा- (जारी)						
	(छ) समाज कल्याण एवं पोषण का पूंजीगत लेखा-(समाप्त)						
4236-	पोषण पर पूंजीगत परिव्यय						
02-	पौष्टिक आहार एवं पेय पदार्थों का वितरण						
102-	बाल कल्याण	5.59	-	0.63	0.63	41.57 (-)89	
800-	अन्य व्यय	92.49	19,57.80	8.29	19,66.09	25,35.59 \$ @	
	कुल-02	98.08	19,57.80	8.92	19,66.72	25,77.16 \$ @	
80-	सामान्य-						
800-	अन्य व्यय	6,30.32	29.65	-	29.65	3,45,05.14 (-)95	
	कुल-80	6,30.32	29.65	-	29.65	3,45,05.14 (-)95	
	कुल-4236	7,28.40	19,87.45	8.92	19,96.37	3,70,82.30 @	
	कुल-(छ)-समाज कल्याण एवं पोषण का पूंजीगत लेखा	2,52,49.18	1,15,18.64	26,98.00	1,42,16.64	31,15,40.65 (-)44	
	(ज) अन्य सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा						
4250-	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय						
001-	निदेशन एवं प्रशासन	-	-	-	-	0.20 -	
101-	प्राकृतिक आपदाएं	-	-	-	-	97,87.62 -	
191-	श्रम सहकारिताएं	-	-	-	-	2.27 -	

\$ पूर्णांकित करने के कारण पूर्व वित्त लेखा से भिन्नता

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2017-18 के दौरान व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय			2018-19 के अंत में व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
			राज्य निधि से व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष							
(पूंजीगत लेखा)-(जारी)							
ख- सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(समाप्त)							
(ज) अन्य सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा (समाप्त)							
4250-	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय (समाप्त)						
201-	श्रम	50.27	81.23	-	81.23	6,31.62 (+)62	
203-	रोजगार	9,99.82	41,89.24	-	41,89.24	2,17,29.25 @	
800-	अन्य व्यय	-	5,67.39	-	5,67.39	26,23.55 *	
	कुल-4250	10,50.09	48,37.86	-	48,37.86	3,47,74.51 @	
	कुल-(ज)-अन्य सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा	10,50.09	48,37.86	-	48,37.86	3,47,74.51 @	
	कुल-ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा	27,87,01.14	16,61,57.88	12,33,99.35	28,95,57.23	2,81,64,93.05 (+)04	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2017-18 के दौरान व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय			2018-19 के अंत में व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
			राज्य निधि से व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष							
(पूंजीगत लेखा)-(जारी)							
ग आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा							
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूंजीगत लेखा							
4401- फसल पैदावार पर पूंजीगत परिव्यय							
001-	निदेशन एवं प्रशासन	-	-	-	-	46.05	-
052-	मशीनरी एवं उपकरण	-	-	-	-	0.51	-
101-	खेती सहकारी समितियां	-	-	-	-	26,47.35	-
102-	खाद्यान फसलें	-	-	-	-	0.38	-
103-	बीज-						
	सकल व्यय	3,98.68	-	7,92.57	7,92.57	2,49,70.82	\$ (+)99
	कटौती, प्राप्ति एवं वसूली	(-),2,39.64	(-),2,22.36	-	(-),2,22.36	(-),1,96,27.91	(-),07
	निवल व्यय	1,59.04	(-),2,22.36	7,92.57	5,70.21	53,42.91	\$ @
104-	कृषि फार्म्स						
	सकल व्यय	0.15	-	-	-	1,90,44.02	(-),100
	कटौती, प्राप्ति एवं वसूली	-	-	-	-	(-),37,32.25	-
	निवल व्यय	0.15	-	-	-	1,53,11.77	(-),100
105-	खाद एवं उर्वरक-						
	सकल व्यय	8.00	8.00	-	8.00	50,17.56	\$ -
	कटौती, प्राप्ति एवं वसूली	-	-	-	-	(-),17,17.95	-
	निवल व्यय	8.00	8.00	-	8.00	32,99.61	\$ -
107-	पौध संरक्षण -						
	सकल व्यय	-	-	-	-	1,08,35.05	\$ -
	कटौती, प्राप्ति एवं वसूली	-	-	-	-	(-),37,24.66	-
	निवल व्यय	-	-	-	-	71,10.39	\$ -
108-	वाणिज्यिक फसलें	5,92.79	-	37.95	37.95	23,40.13	(-),94

\$ पूर्णांकित करने के कारण पूर्व वित्त लेखा से भिन्नता

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2017-18 के दौरान व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय			2018-19 के अंत में व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
			राज्य निधि से व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष							
(पूंजीगत लेखा)-(जारी)							
ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी)							
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूंजीगत लेखा (जारी)							
4401- फसल पैदावार पर पूंजीगत परिव्यय-(जारी)							
113-	कृषि अभियांत्रिकी						
	सकल व्यय	3,05.12	-	17,27.09	17,27.09	44,59.92 @	
	कटौती, प्राप्ति एवं वसूली	-	-	-	-	(-)1,99.88 -	
	निवल व्यय	3,05.12	-	17,27.09	17,27.09	42,60.04 @	
114-	तेल के बीजों का विकास	-	-	-	-	1,05.47	
119-	बागवानी एवं सब्जी फसलें-						
	सकल व्यय	70,03.05	9,93.62	87,81.85	97,75.47	3,37,66.94 \$ (+)40	
	कटौती, प्राप्ति एवं वसूली	-	-	-	-	(-)6,14.30 -	
	निवल व्यय	70,03.05	9,93.62	87,81.85	97,75.47	3,31,52.64 \$ (+)40	
190-	सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश						
	(i)- जम्मू एवं कश्मीर राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	-	-	-	-	2,56.18 -	
	(ii)- जम्मू एवं कश्मीर बागवानी उत्पादन विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	-	-	-	-	1,20.35 -	

\$ पूर्णांकित करने के कारण पूर्व वित्त लेखा से भिन्नता

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2017-18 के दौरान व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय			2018-19 के अंत में व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
			राज्य निधि से व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष							
(पूंजीगत लेखा)-(जारी)							
ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(जारी)							
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूंजीगत लेखा (जारी)							
4401- फसल पैदावार पर पूंजीगत परिव्यय-(जारी)							
190-	सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश-(समाप्त)						
(iii)-	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	-	-	-	-	19,53.86 \$	
	कुल-190	-	-	-	-	23,30.39 \$	
800-	अन्य व्यय						
	सकल व्यय	-	-	-	-	5,18,51.63	
	कटौती, प्राप्ति एवं वसूली	-	-	-	-	(-),2,15.00	
	निवल व्यय	-	-	-	-	5,16,36.63	
	कृषि उत्पादन						
	सकल व्यय	-	-	-	-	35,93.91	
	कटौती, प्राप्ति एवं वसूली	-	-	-	-	(-),3,18.72	
	निवल व्यय	-	-	-	-	32,75.19	
	अन्य व्यय	1,47,52.00	75,54.29	16,62.33	92,16.62	6,12,07.32	
	कुल-800	1,47,52.00	75,54.29	16,62.33	92,16.62	11,61,19.14	
						(-),38	

\$ पूर्णांकित करने के कारण पूर्व वित्त लेखा से भिन्नता

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2017-18 के दौरान व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय			2018-19 के अंत में व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
			राज्य निधि से व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष							
(पूंजीगत लेखा)-(जारी)							
ग-	आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा (जारी)						
(क)	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूंजीगत लेखा (जारी)						
4401-	फसल पैदावार पर पूंजीगत परिव्यय-(समाप्त)						
911-	अधिक भुगतानों की कटौतियों पर वसूली	-	-	-	-	(-)26.29	
	कुल-4401	2,28,20.15	83,33.55	1,30,01.79	2,13,35.34	19,20,40.47 \$ (-)30	
4402-	मृदा एवं जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय						
001-	निदेशन एवं प्रशासन	-	-	-	-	32,46.43	
101-	मृदा सर्वेक्षण एवं परीक्षण	1,44.20	-	4,46.30	4,46.30	13,27.08 @	
102-	मृदा संरक्षण	4,39.60	3,86.12	-	3,86.12	1,57,92.48 (-)12	
203-	भूमि सुधार एवं विकास	-	-	-	-	4.49	
800-	अन्य व्यय	38.14	-	-	-	1,86,67.22 \$ (-)100	
	कुल-4402	6,21.94	3,86.12	4,46.30	8,32.42	3,90,37.70 \$ (+)34	
4403-	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय						
001-	निदेशन एवं प्रशासन	-	-	-	-	11,71.60	
101-	पशु चिकित्सा सेवाएं एवं पशु	23,38.02	19,69.53	16,16.19	35,85.72	2,53,72.97 (+)53	
102-	मवेशी एवं भैंस विकास	-	-	-	-	3,60.23	

\$ पूर्णांकित करने के कारण पूर्व वित्त लेखा से भिन्नता

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2017-18 के दौरान व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय			2018-19 के अंत में व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
			राज्य निधि से व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष							
(पूंजीगत लेखा)-(जारी)							
ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा (जारी)							
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूंजीगत लेखा (जारी)							
4403-	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-(समाप्त)						
103-	मुर्गी पालन विकास	-	-	-	3,84.27 \$	-	
104-	भेड़ एवं ऊन विकास	79.01	-	-	56,35.90	(-)100	
106-	अन्य पशुधन विकास	-	-	-	12.52 \$	-	
107-	चारा एवं चारा विकास	-	-	2,76.73	13,18.55	*	
109-	विस्तार एवं प्रशिक्षण	-	-	-	1.72	-	
800-	अन्य व्यय	-	-	-	21,82.98 \$	-	
	कुल-4403	24,17.03	19,69.53	18,92.92	38,62.45	(+)60	
4404-	डेयरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय						
102-	डेयरी विकास परियोजनाएं	-	-	-	4,10.85	-	
190-	सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश						
(i)-	दुग्ध आपूर्ति सहकारी समितियों में शेयर पूंजी	-	-	-	5,60.15	-	
800-	अन्य व्यय	-	-	-	1,85.44	-	
900-	कटौती, प्राप्ति एवं वसूली	-	-	-	(-)0.30	-	
	कुल-4404	-	-	-	11,56.14	-	

\$ पूर्णांकित करने के कारण पूर्व वित्त लेखा से भिन्नता

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2017-18 के दौरान व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय			2018-19 के अंत में व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
			राज्य निधि से व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष							
(पूंजीगत लेखा)-(जारी)							
ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(जारी)							
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूंजीगत लेखा (जारी)							
4405-	मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय						
001-	निदेशन एवं प्रशासन	-	-	-	10,73.61 \$	-	
052-	मशीनरी एवं उपकरण	-	-	-	5.26	-	
101-	अंतर्देशीय मछली पालन	-	-	-	3,79.31	-	
102-	एस्टुरीन/ ब्रेकिश जल मछली पालन	-	-	-	4.07	-	
103-	समुद्री मछली पालन	-	-	-	17.33	-	
105-	प्रसंस्करण संरक्षण एवं विपणन	-	-	-	19.99	-	
109-	विस्तार एवं प्रशिक्षण	-	-	-	11.48	-	
191-	मछुआरों की सहकारिता	-	-	-	13.30	-	
800-	अन्य व्यय	14,52.26	7,56.32	3,80.57	2,03,54.20 \$	(-)22	
	कुल-4405	14,52.26	7,56.32	3,80.57	2,18,78.55	(-)22	
4406-	वानिकी एवं वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय						
01- वानिकी-							
070-	संचार एवं भवन	-	-	-	6,49.06	-	
101-	वन संरक्षण विकास एवं पुनर्जनन	-	-	-	49.43	-	
102-	सामाजिक एवं फार्म वानिकी	-	-	-	1,13.03	-	
105-	वन उत्पाद	-	-	-	2,85.78	-	
800-	अन्य व्यय	37,51.14	24,72.51	4,34.05	5,94,00.70	(-)23	
	कुल-01	37,51.14	24,72.51	4,34.05	6,04,98.00	(-)23	

\$ पूर्णांकित करने के कारण पूर्व वित्त लेखा से भिन्नता

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2017-18 के दौरान व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय			2018-19 के अंत में व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
			राज्य निधि से व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष							
(पूंजीगत लेखा)-(जारी)							
ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(जारी)							
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूंजीगत लेखा (जारी)							
4406- वानिकी एवं वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय-(समाप्त)							
<i>02- पर्यावरण वानिकी एवं वन्य जीवन</i>							
001-	निदेशन एवं प्रशासन	-	8.10	-	8.10	8.10	*
110-	वन्य जीवन	-	13.20	2,84.96	2,98.16	13,99.61	*
112-	सार्वजनिक उद्यान	20,50.54	15,75.27	-	15,75.27	2,73,22.26	\$ (-)23
800-	अन्य व्यय	-	-	-	-	20,64.29	\$ -
	<i>कुल-02</i>	20,50.54	15,96.57	2,84.96	18,81.53	3,07,94.26	(-)08
	कुल-4406	58,01.68	40,69.08	7,19.01	47,88.09	9,12,92.26	(-)17
4408- खाद्य संग्रहण एवं भण्डारण पर पूंजी परिव्यय							
<i>01- खाद्य</i>							
101-	खरीद एवं आपूर्ति चावल/ धान-						
	सकल व्यय	1,95,07.85	1,82,71.44	-	1,82,71.44	77,96,18.49	(-)06
	कटौती, प्राप्ति एवं वसूली	(-)5,19.23	-	-	-	(-)59,20,48.92	-
	निवल व्यय	1,89,88.62	1,82,71.44	-	1,82,71.44	18,75,69.57	(-)06
	गेहूं/ आटा-						
	सकल व्यय	1,03,49.75	67,08.35	-	67,08.35	28,84,58.12	(-)35
	कटौती, प्राप्ति एवं वसूली	-	-	-	-	(-)23,75,11.06	-
	निवल व्यय	1,03,49.75	67,08.35	-	67,08.35	5,09,47.06	(-)35

\$ पूर्णांकित करने के कारण पूर्व वित्त लेखा से भिन्नता

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2017-18 के दौरान व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय			2018-19 के अंत में व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
			राज्य निधि से व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(₹ लाख में)							
	व्यय शीर्ष						
	(पूंजीगत लेखा)-(जारी)						
	ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा (जारी)						
	(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूंजीगत लेखा (जारी)						
4408-	खाद्य संग्रहण एवं भण्डारण पर पूंजीगत परिव्यय (जारी)						
	01- खाद्य- (जारी)						
101-	अधिप्राप्ति एवं आपूर्ति - (समाप्त)						
	मक्का-						
	सकल व्यय	-	-	-	-	13.22	
	कटौती, प्राप्ति एवं वसूली	-	-	-	-	(-)10,34.71	
	निवल व्यय	-	-	-	-	(-)10,21.49	
	निदेशन एवं प्रशासन						
	सकल व्यय	-	-	-	-	8,46,39.63	
	कटौती, प्राप्ति एवं वसूली	-	-	-	-	(-)1,03,02.20	
	निवल व्यय	-	-	-	-	7,43,37.43	
	अन्य व्यय						
	सकल व्यय	35.58	-	-	-	3,54,56.19	
	कटौती, प्राप्ति एवं वसूली	-	-	-	-	(-)42,07.16	
	निवल व्यय	35.58	-	-	-	3,12,49.03	
	कुल-101	2,93,73.95	2,49,79.79		2,49,79.79	34,29,81.60	
103-	खाद्य प्रसंस्करण						
	सकल व्यय	-	-	-	-	12,65.28	
	कटौती, प्राप्ति एवं वसूली	-	-	-	-	(-)8,54.49	
	निवल व्यय	-	-	-	-	4,10.79	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2017-18 के दौरान व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय			2018-19 के अंत में व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
			राज्य निधि से व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(₹ लाख में)							
	व्यय शीर्ष						
	(पूंजीगत लेखा)-(जारी)						
	ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा (जारी)						
	(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूंजीगत लेखा (जारी)						
4408-	खाद्य संग्रहण एवं भण्डारण पर पूंजीगत परिव्यय-(समाप्त)						
	01- खाद्य- (समाप्त)						
800-	अन्य व्यय						
	सकल व्यय	-	-	-	2,02,05.92	-	
	कटौती, प्राप्ति एवं वसूली	-	-	-	(-)4,20,27.94	-	
	निवल व्यय	-	-	-	(-)2,18,22.02	-	
	<i>कुल-01</i>	2,93,73.95	2,49,79.79	-	2,49,79.79	(-)15	
	02- संग्रहण एवं भण्डारण-						
101-	ग्रामीण गोदाम कार्यक्रम	-	-	-	76.27	-	
190-	सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश						
	(i)- कोल्ड स्टोरेज सयंत्र की स्थापना के लिए शेयर पूंजी निवेश	-	-	-	37.62	-	
800-	अन्य व्यय	4,14.57	3,22.24	-	3,22.24	(-)22	
911-	अधिक भुगतानों की कटौतियों पर वसूली	-	-	-	(-)0.84	-	
	<i>कुल-02</i>	4,14.57	3,22.24	-	3,22.24	(-)22	
	कुल-4408	2,97,88.53	2,53,02.03	-	2,53,02.03	(-)15	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2017-18 के दौरान व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय			2018-19 के अंत में व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
			राज्य निधि से व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष							
(पूंजीगत लेखा)-(जारी)							
ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(जारी)							
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूंजीगत लेखा (जारी)							
4415-	कृषि अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय						
	01- फसल पैदावार						
	004- अनुसंधान						
	सकल व्यय	-	-	-	5,09.62	-	
	कटौती, प्राप्ति एवं वसूली	-	-	-	(-)18.51	-	
	निवल व्यय	-	-	-	4,91.11	-	
800-	अन्य व्यय	-	-	-	13.19	-	
	<i>कुल-01</i>	-	-	-	5,04.30	-	
	03- पशुपालन						
277-	शिक्षा	-	-	-	7.83	-	
	<i>कुल-03</i>	-	-	-	7.83	-	
	04- डेयरी विकास						
800-	अन्य व्यय	-	-	-	0.90	-	
	<i>कुल-04</i>	-	-	-	0.90	-	
	80- सामान्य-						
277-	शिक्षा	28,03.64	20,17.76	-	3,30,23.41	(-)28	
800-	अन्य व्यय	-	-	-	71.00	-	
	<i>कुल-80</i>	28,03.64	20,17.76	-	3,30,94.41	(-)28	
	कुल-4415	28,03.64	20,17.76	-	3,36,07.44	(-)28	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2017-18 के दौरान व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय			2018-19 के अंत में व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
			राज्य निधि से व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष							
(पूंजीगत लेखा)-(जारी)							
ग-	आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-						
	(जारी)						
(क)	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूंजीगत लेखा (जारी)						
4416-	कृषि वित्तीय संस्थानों में निवेश						
190-	सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश	-	-	-	0.40	-	
	कुल-4416	-	-	-	0.40	-	
4425-	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय						
001-	निदेशन एवं प्रशासन	-	-	-	25,07.79 \$	-	
004-	अनुसंधान एवं मूल्यांकन	-	-	-	32.34	-	
106-	बहुद्देशीय ग्रामीण सहकारी समितियों में निवेश	-	-	-	26.33	-	
107-	क्रेडिट को-ऑपरेटिव में निवेश						
(i)-	जम्मू एवं कश्मीर भूमि विकास बैंक लिमिटेड में शेयर पूंजीगत निवेश	-	-	-	82.27 \$	-	
(ii)-	जम्मू एवं कश्मीर सहकारी बैंक लिमिटेड में शेयर पूंजीगत निवेश	-	-	-	81.67	-	
(iii)-	प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में शेयर पूंजीगत निवेश	-	-	-	81.40	-	
(iv)-	क्रेडिट को-ऑपरेटिव में अन्य निवेश	-	-	-	1,25.55	-	
	कुल-107	-	-	-	3,70.89 \$	-	

\$ पूर्णांकित करने के कारण पूर्व वित्त लेखा से भिन्नता

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2017-18 के दौरान व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय			2018-19 के अंत में व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
			राज्य निधि से व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष							
(पूंजीगत लेखा)-(जारी)							
(ग)-	आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(जारी)						
(क)	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूंजीगत लेखा (जारी)						
4425-	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय-(जारी)						
108-	अन्य सहकारिता समितियों में निवेश						
(i)-	भण्डारण एवं विपणन सहकारी समितियां	-	-	-	49.30	-	
(ii)-	प्रसंस्करण सहकारी संस्थाएं	-	-	-	1,04.47	-	
(iii)-	उपभोक्ता सहकारी संस्थाएं	-	-	-	4,11.32	-	
(iv)-	अन्य सहकारी संस्थाएं	-	-	-	43,92.94	\$ -	
	कुल-108	-	-	-	49,58.04	-	
190-	सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश-						
(i)-	उपभोक्ता कारोबार विपणन समितियां कश्मीर में शेयर पूंजीगत निवेश	-	-	-	2,84.68	-	
(ii)-	उपभोक्ता कारोबार विपणन समितियां जम्मू में शेयर पूंजीगत निवेश	-	-	-	44.08	\$ -	
(iii)-	जम्मू एवं कश्मीर सहकारी / कृषि एवं ग्रामीण बैंक	2,55,71.00	-	-	2,65,18.50	(-)100	
	कुल-190	2,55,71.00	-	-	2,68,47.26	(-)100	

\$ पूर्णांकित करने के कारण पूर्व वित्त लेखा से भिन्नता

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2017-18 के दौरान व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय			2018-19 के अंत में व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
			राज्य निधि से व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(₹ लाख में)							
	व्यय शीर्ष						
	(पूंजीगत लेखा)-(जारी)						
ग-	आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा (जारी)						
(क)	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूंजीगत लेखा (जारी)						
4425-	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय-(समाप्त)						
200-	अन्य निवेश						
(i)-	अन्य निवेश	1,39.00	-	-	18,11.48	(-)100	
(ii)-	उर्वरक विपणन के लिए मार्जिन मनी	-	-	-	4,99.20	-	
	कुल-200	1,39.00	-	-	23,10.68	-	
800-	अन्य व्यय	2,86.33	3,75.29	-	30,23.60	(+)31	
	कुल-800	2,86.33	3,75.29	-	30,23.60	(+)31	
	कुल-4425	2,59,96.33	3,75.29	-	4,00,76.92	(-)99	
4435-	अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय						
01-	विपणन एवं गुणवत्ता नियंत्रण						
101-	विपणन सुविधाएं	-	-	-	3,87.37	-	
190-	सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश-	-	-	-	0.41	-	
800-	अन्य व्यय	-	-	-	16.87	-	
	कुल-01	-	-	-	4,04.65	-	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2017-18 के दौरान व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय			2018-19 के अंत में व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
			राज्य निधि से व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(₹ लाख में)							
	व्यय शीर्ष						
	(पूंजीगत लेखा)-(जारी)						
ग-	आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा (जारी)						
(क)	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूंजीगत लेखा (समाप्त)						
4435-	अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-(समाप्त)						
60-	अन्य-						
800-	अन्य व्यय-	-	-	-	-	2.68	
	कुल-60	-	-	-	-	2.68	
	कुल-4435	-	-	-	-	4,07.33	
	कुल-(क)-कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूंजीगत लेखा	9,17,01.56	4,32,09.68	1,64,40.59	5,96,50.27	77,97,78.20	(-)35
(ख)	ग्रामीण विकास का पूंजीगत लेखा						
4515-	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय						
101-	पंचायती राज	80,58.35	2,03,73.01	-	2,03,73.01	6,08,56.99	@
102-	सामुदायिक विकास	30,63.66	2,52,86.14	1,10,40.21	3,63,26.35	5,64,08.60	@

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2017-18 के दौरान व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय			2018-19 के अंत में व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
			राज्य निधि से व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(₹ लाख में)							
	व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा)-(जारी)						
ग-	आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा- (जारी)						
(ख)	ग्रामीण विकास का पूंजीगत लेखा- (समाप्त)						
4515-	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय (समाप्त)						
103-	ग्रामीण विकास	1,13,83.09	94.50	2,31,78.69	2,32,73.19	17,87,66.65 \$ @	
800-	अन्य व्यय	16,24,80.16	74,33.20	9,31,14.77	10,05,47.97	50,59,97.63 \$ (-)42	
	कुल-4515	<u>18,49,85.26</u>	<u>5,31,86.85</u>	<u>12,73,33.67</u>	<u>18,05,20.52</u>	<u>80,20,29.87</u> (-)02	
	कुल-(ख) ग्रामीण विकास का पूंजीगत लेखा	<u>18,49,85.26</u>	<u>5,31,86.85</u>	<u>12,73,33.67</u>	<u>18,05,20.52</u>	<u>80,20,29.87</u> (-)02	
(ग)	विशेष क्षेत्र के कार्यक्रमों का पूंजीगत लेखा						
4575-	अन्य विशेष क्षेत्रों के कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय						
02-	पिछड़ा क्षेत्र -क						
253-	जिला प्रशासन	3.29	-	-	-	20,12.15 (-)100	
259-	लोक निर्माण	-	-	-	-	3,00,85.25 -	
277-	शिक्षा	-	-	-	-	83.10 -	
280-	चिकित्सा	-	-	-	-	38.12 -	
282-	जन-स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं वाटर वर्क्स	-	-	-	-	29,67.13 -	

\$ पुनः मिलान के परिणामस्वरूप पिछले वित्तीय लेखा से ₹ 58,54.70 लाख की भिन्नता

क लघु शीर्ष के विकास पर व्यय को प्रस्तुत करता है।

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2017-18 के दौरान व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय			2018-19 के अंत में व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
			राज्य निधि से व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष							
(पूंजीगत लेखा)-(जारी)							
ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-							
(जारी)							
(ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों का पूंजीगत लेखा							
(जारी)							
4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-(जारी)							
02- पिछड़ा क्षेत्र- (समाप्त)							
285-	सूचना एवं प्रचार	-	-	-	5.35	-	
288-	खाद्य की उचित मूल्य की दुकाने	-	-	-	8,82.85	-	
298-	सहयोग	-	-	-	3,04.27	-	
305-	कृषि	-	-	-	46.32	-	
306-	लघु सिंचाई	-	-	-	15,54.96	-	
307-	मृदा एवं जल संरक्षण	-	-	-	1,81.92	-	
309-	खाद्य एवं पोषण	-	-	-	76.17	-	
310-	पशुपालन	-	-	-	15.69	-	
313-	वानिकी	57.01	(-)2.89 ^	(-)2.89	11,48.19	@	
314-	सामुदायिक विकास	-	-	-	3,30.46	-	
321-	ग्रामीण एवं लघु स्तरीय उद्योग	-	-	-	22.08	-	
333-	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं	-	-	-	29,88.00	-	
334-	विद्युत परियोजनाएं	-	-	-	1,08,69.98	-	
601-	मिनी बस की खरीद	-	-	-	0.51	-	

^ उचित जमा को प्रस्तुत करता है।

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2017-18 के दौरान व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय			2018-19 के अंत में व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
			राज्य निधि से व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष							
(पूंजीगत लेखा)-(जारी)							
ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-							
(जारी)							
(ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों का पूंजीगत लेखा							
(समाप्त)							
4575-	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-(समाप्त)						
602-	बाढ़ नियंत्रण एवं सागर अपरदन विरोधी परियोजनाएं	-	-	-	2,46.13	-	
603-	आठवें वित्त आयोग के अनुसार उन्नयन	-	-	-	2,20.23	-	
800-	अन्य व्यय	-	-	-	7,82.03	-	
	<i>कुल-02</i>	60.30	(-)2.89	-	5,48,60.89		
04-	लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद						
113-	लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद निधि	1,10,37.00	1,67,51.32	-	1,67,51.32	(+)52	
114-	कारगिल स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद निधि	1,15,36.36	1,50,17.88	-	1,50,17.88	(+)30	
	<i>कुल-04</i>	2,25,73.36	3,17,69.20		3,17,69.20 (क)	(+)41	
60-	अन्य-						
800-	अन्य व्यय	-	-	-	5,85.54	-	
	<i>कुल-60</i>	-	-	-	5,85.54	-	
	कुल-4575	2,26,33.66	3,17,66.31	-	3,17,66.31	(+)40	
	कुल- (ग) -विशेष क्षेत्रों के कार्यक्रमों का पूंजीगत लेखा	2,26,33.66	3,17,66.31	-	3,17,66.31	(+)40	

(क) एमएच 8448-113 "एलएचडीसी" को हस्तांतरित राशि को दर्शाता है। कृपया खण्ड-II विवरण संख्या-21 में एमएच 8448 के नीचे पाद टिप्पणी (ख) को और लेखाओं पर टिप्पणी खण्ड - 1 के अनुलग्नक-क को देखें

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2017-18 के दौरान व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय			2018-19 के अंत में व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
			राज्य निधि से व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष							
(पूंजीगत लेखा)-(जारी)							
ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-							
(जारी)							
(घ) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा							
4701- प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-							
01- प्रमुख वाणिज्यिक सिंचाई (समाप्त)							
001-	निदेशन एवं प्रशासन	-	-	-	-	26,63.66	-
052-	मशीनरी एवं उपकरण	-	-	-	-	1,59.81	-
601-	रणबीर नहर की रिमॉडलिंग	1,00.00	49.99	-	49.99	1,64,56.77	(-)50
602-	प्रताप नहर	-	-	-	-	51,34.46	-
603-	कठुआ फीडर नहर	-	23.54	-	23.54	18,09.57	*
612-	रावी तवी लिफ्ट सिंचाई योजना	-	-	-	-	28,85.65	-
619-	मार्तण्ड नहर	-	-	-	-	17,60.53	-
630-	इड़ी नहर	-	-	-	-	23,84.56	-
631-	अजी नहर	-	-	-	-	16,10.55	-
632-	जैनागीर नहर	54.80	-	-	-	7,48.27	(-)100
निर्माण/ परियोजनाएं जिन पर पिछले पांच वर्षों के दौरान कोई व्यय नहीं हुआ							
		-	-	-	-	4,15,41.88	-
	कुल-01	1,54.80	73.53	-	73.53	7,71,55.71	(-)53

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2017-18 के दौरान व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय			2018-19 के अंत में व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
			राज्य निधि से व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष							
(पूंजीगत लेखा)-(जारी)							
ग-	आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-						
	(जारी)						
(घ)	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा (जारी)						
4701-	मुख्य एवं मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-(समाप्त)						
02-	मुख्य सिंचाई गैर-वाणिज्यिक						
001-	निदेशन एवं प्रशासन	-	-	-	-	34.03	
	कुल-02	-	-	-	-	34.03	
04-	मध्यम सिंचाई गैर-वाणिज्यिक						
001-	निदेशन एवं प्रशासन	48,89.67	9,76.27	-	9,76.27	3,64,65.66	
612-	रावी तवी लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण/ परियोजनाएं जिन पर पिछले पांच वर्षों के दौरान कोई व्यय नहीं हुआ	4,03.07	3,79.89	-	3,79.89	82,35.09	
	कुल-04	52,92.74	13,56.16	-	13,56.16	4,51,42.49	
80-	सामान्य-						
001-	निदेशन एवं प्रशासन	-	-	-	-	18.66	
005-	सर्वेक्षण एवं जांच-पड़ताल	-	-	-	-	13.56	
052-	मशीनरी एवं उपकरण	-	-	28.15	28.15	90.69	
800-	अन्य व्यय	5,75.06	-	-	-	26,75.22	
	कुल-80	5,75.06	-	28.15	28.15	27,98.13	
	कुल-4701	60,22.60	14,29.69	28.15	14,57.84	12,51,30.36	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2017-18 के दौरान व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय			2018-19 के अंत में व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
			राज्य निधि से व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष							
(पूंजीगत लेखा)-(जारी)							
ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(जारी)							
(घ) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा (जारी)							
4702-	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय						
101-	सतही जल	1,27,44.60	32,64.61	50,35.87	83,00.48	16,97,53.85	(-)35
102-	भू-जल	-	-	-	-	17.04	-
800-	अन्य व्यय	10,69.67	-	39.41	39.41	3,48,16.62	(-)96
	कुल-4702	1,38,14.27	32,64.61	50,75.28	83,39.89	20,45,87.51	(-)40
4705-	कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय						
602-	कमान क्षेत्र कश्मीर	9,62.11	-	-	-	1,74,79.,71	(-)100
603-	कमान क्षेत्र जम्मू	2,87.47	-	-	-	86,94.17	(-)100
800-	अन्य व्यय	-	-	-	-	59,56.35	-
	कुल-4705	12,49.58	-	-	-	3,21,30.23	(-)100
4711-	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय						
	01- बाढ़ नियंत्रण						
001-	निदेशन एवं प्रशासन	-	-	-	-	16,20.14	-
052-	मशीनरी एवं उपकरण	-	-	-	-	15.28	-

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2017-18 के दौरान व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय			2018-19 के अंत में व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
			राज्य निधि से व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(₹ लाख में)							
	व्यय शीर्ष						
	(पूंजीगत लेखा)-(जारी)						
	ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-						
	(जारी)						
	(घ) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा (जारी)						
4711-	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-(जारी)						
	01- बाढ़ नियंत्रण-(समाप्त)						
103-	सिविल कार्य	1,62,65.17	88,71.90	90,79.51	1,79,51.41	16,09,64.71 \$ (+)10	
	अन्य कार्य जिनकी प्रत्येक की लागत ₹दस करोड़ या कम है	-	-	-	-	- \$ -	
799-	उचंत	-	-	-	-	(-)4.85 -	
800-	अन्य व्यय	-	-	-	-	11,17.18 -	
	<i>कुल-01</i>	<u>1,62,65.17</u>	<u>88,71.90</u>	<u>90,79.51</u>	<u>1,79,51.41</u>	<u>16,37,12.45 (+)10</u>	
	03- जल निकास-						
001-	निदेशन एवं प्रशासन	-	-	-	-	16.22 -	
103-	सिविल कार्य	-	-	-	-	6.01 -	

\$ पुनः मिलान के परिणामस्वरूप पिछले वित्तीय लेखा से ₹ 52,62.52 लाख की भिन्नता।

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2017-18 के दौरान व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय			2018-19 के अंत में व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
			राज्य निधि से व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष							
(पूंजीगत लेखा)-(जारी)							
ग-	आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-						
	(जारी)						
(घ)	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा (समाप्त)						
4711-	बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय-(समाप्त)						
	03- जल निकास- (समाप्त)						
800-	अन्य व्यय	-	-	-	-	0.05	
911-	अधिक भुगतानों की कटौतियों पर वसूली	-	-	-	-	(-)054	
	<i>कुल-03</i>	-	-	-	-	21.74	
	कुल-4711	1,62,65.17	88,71.90	90,79.51	1,79,51.41	(+)10	
	कुल -(घ)-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा	3,73,51.62	1,35,66.20	1,41,82.94	2,77,49.14	(-)26	
(इ)	विद्युत का पूंजीगत लेखा						
4801-	विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय						
	01- हाइडल जेनरेशन (जल विद्युत उत्पादन)						
001-	निदेशन एवं प्रशासन	-	-	-	-	4,14.58	
052-	मशीनरी एवं उपकरण	-	-	-	-	0.73	
190-	सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश						
(i)-	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड में निवेश	-	-	-	-	10.00	
(ii)-	बगलिहार विद्युत परियोजना में निवेश	-	-	-	-	1,47,81.72	
	कुल-190	-	-	-	-	1,47,91.72 (क)	

(क) राज्य सरकार द्वारा पिछले गलत वर्गीकरण में सुधार के कारण सूचित किये जाने पर 31 मार्च, 2013 तक ₹ 1,67,00.00 की राशि के शेष का प्रोफॉर्मा कम किया गया। कृपया खण्ड-II के मुख्य शीर्ष-6801 विवरण संख्या 18 में पाद टिप्पणी (क) का संदर्भ लें।

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2017-18 के दौरान व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय			2018-19 के अंत में व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
			राज्य निधि से व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(₹ लाख में)							
	व्यय शीर्ष						
	(पूंजीगत लेखा)-(जारी)						
ग-	आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा (जारी)						
(इ)	विद्युत का पूंजीगत लेखा (जारी)						
4801-	विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-(जारी)						
01-	हाइडल जेनरेशन (जल विद्युत उत्पादन) (जारी)						
799-	उचंत						
	इलेक्ट्रिक सेंट्रल स्टोर्स डिवीजन केंद्रीय पाम्पोर-श्रीनगर	-	-	-	-	(-)18.07	
	चेनानी हाइडल (जल विद्युत) परियोजना	-	-	-	-	16,11.48	
	लोअर झेलम हाइडल (जल विद्युत) परियोजना	-	-	-	-	1,86,41.55	
	ग्रिड स्टेशन वानपोह	-	-	-	-	17,66.24	
	नई सुरंग	-	-	-	-	49,41.43	
	ऊपरी सिंध (जलविद्युत) परियोजना-II (कंगन)	-	-	-	-	2,64,91.64	
	माइक्रो हाइडल (सूक्ष्म जलविद्युत) स्टेशन कारनाह	-	-	-	-	26,97.24	
	132-ग्रिड स्टेशन ग्लेडनी	-	-	-	-	14,76.25	
	ग्रिड स्टेशन पाम्पोर	-	-	-	-	12,36.92	
	सेवा परियोजना बसौली	-	-	-	-	1,76,19.48	
	अन्य निर्माण जिनकी प्रत्येक की लागत ₹दस करोड़ या कम है	-	-	-	-	2,92,11.80	
	कुल-799	-	-	-	-	10,56,75.96	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2017-18 के दौरान व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय			2018-19 के अंत में व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
			राज्य निधि से व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष							
(पूंजीगत लेखा)-(जारी)							
ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(जारी)							
(इ) विद्युत का पूंजीगत लेखा-(जारी)							
4801-	विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-(जारी)						
01-	हाइड्रल जेनरेशन (जलविद्युत उत्पादन) (समाप्त)						
800-	अन्य व्यय						
(i)-	बगलिहार हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को सहायता	-	-	-	2,04,63.39	-	
(ii)-	अन्य व्यय	1,33,49.46	10,10.40	-	10,10.40	(-92)	
	कुल-800	1,33,49.46	10,10.40	-	10,10.40	(-92)	
	कुल-01	1,33,49.46	10,10.40	-	10,10.40	(-92)	
02-	थर्मल विद्युत जेनरेशन						
001-	निदेशन एवं प्रशासन	-	-	-	3,77.15	-	
	अन्य निर्माण जिनकी प्रत्येक की लागत ₹दस करोड़ या कम है	-	-	-	2,10.24	-	
	कुल-02	-	-	-	5,87.39	-	
04-	डीजल/ गैस विद्युत जेनरेशन						
001-	निदेशन एवं प्रशासन	-	-	-	25.70	-	
648-	डीजी स्टेशन	-	-	-	38,26.72	-	
652-	डीजी स्टेशन कारगिल	-	-	-	33,34.96	-	

(क) राज्य सरकार द्वारा पिछले गलत वर्गीकरण में सुधार के कारण सूचित किये जाने पर 31 मार्च, 2013 तक ₹ 1,67,00.00 की राशि के शेष का प्रोफॉर्मो कम किया गया। कृपया खण्ड-II के मुख्य शीर्ष-6801 विवरण संख्या 18 में पाद टिप्पणी (क) का संदर्भ लें।

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2017-18 के दौरान व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय			2018-19 के अंत में व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
			राज्य निधि से व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष							
(पूंजीगत लेखा)-(जारी)							
ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(जारी)							
(इ) विद्युत का पूंजीगत लेखा-(जारी)							
4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-(जारी)							
04- डीजल/ गैस विद्युत जेनरेशन (समाप्त)							
डीजल स्टेशन श्रीनगर सहित जेनरेशन स्टेशन श्रीनगर की खरीद एवं स्थापना निर्माण/ परियोजनाएं जिन पर पिछले पांच वर्षों के दौरान कोई व्यय नहीं हुआ							
		-	-	-	-	4,90,10.51	-
		-	-	-	-	40,53.12	-
		-	-	-	-	37,93.51	-
		-	-	-	-	6,40,44.52	-
<i>कुल-04</i>							
05- संचरण एवं वितरण							
001- निदेशन एवं प्रशासन							
		-	-	-	-	13,41,72.13	-
052- उपकरण एवं मशीनरी							
		-	-	-	-	27.47	-
502- संचरण लाइन ग्लाडिनी उधमपुर							
		-	-	-	-	2.56	-
503- संचरण लाइन हीरानगर बातल मनवाल							
		-	-	-	-	10,28.61	-
507- बिस्नाह मिरानसाहिब संचरण लाइन							
		-	-	-	-	1,15.54	-

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2017-18 के दौरान व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय			2018-19 के अंत में व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
			राज्य निधि से व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(₹ लाख में)							
	व्यय शीर्ष						
	(पूंजीगत लेखा)-(जारी)						
ग-	आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-						
	(जारी)						
(ड)	विद्युत का पूंजीगत लेखा-(जारी)						
4801-	विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-(जारी)						
	05- संचरण एवं वितरण (जारी)						
536-	बर्म कैनाल संचरण लाइन	-	-	-	66.38	-	
537-	बर्म बिस्नाह संचरण लाइन	-	-	-	19,19.89	-	
540-	132/133 केवी ग्रिड स्टेशन का संवर्धन	-	-	-	3,23.46	-	
601-	132-केवी बदामपुरा संचरण लाइन	-	-	-	2,54,53.36	-	
602-	220-केवी ग्लेडिनी उधमपुर संचरण लाइन	-	-	-	71.26	-	
604-	बुरान किशेनपुर संचरण लाइन	-	-	-	18,09.12	-	
609-	राजौरी, पुंछ संचरण लाइन	-	-	-	16,08.45	-	
615-	रियासी कलाकोट संचरण लाइन	-	-	-	8,96.38	-	
625-	ग्रिड स्टेशन बेमिना	-	-	-	13,04.01	-	
636-	ग्रिड स्टेशन हीरानगर	-	-	-	1,01.73	-	
637-	ग्रिड स्टेशन बुरान	-	-	-	43,61.69	-	
638-	ग्रिड स्टेशन सांबा	-	-	-	1.78	-	
639-	ग्रिड स्टेशन महानपुर	-	-	-	1,59.97	-	
640-	ग्रिड स्टेशन दरबा/पुंछ	-	-	-	10,28.41	-	
641-	ग्रिड स्टेशन डोडा	-	-	-	46.00	-	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2017-18 के दौरान व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय			2018-19 के अंत में व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
			राज्य निधि से व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(₹ लाख में)							
	व्यय शीर्ष						
	(पूंजीगत लेखा)-(जारी)						
	ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(जारी)						
	(इ) विद्युत का पूंजीगत लेखा-(जारी)						
4801-	विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-(जारी)						
	05- संचरण एवं वितरण-(जारी)						
642-	ग्रिड स्टेशन सिधरा	-	-	-	24.49	-	
670-	उप-संचरण लाइने और वितरण प्रणाली में सुधार	-	-	-	5,37,30.71	-	
674-	132/66 केवी ग्रिड स्टेशन हीरानगर का 42.5 एमवीए से 72.5 एमवी तक संवर्धन	-	-	-	0.30	-	
686-	द्रबा चांडक संचरण लाइन	-	-	-	38.59	-	
688-	बुरान रियासी संचरण लाइन	-	-	-	66.01	-	
697-	ग्रिड स्टेशन बडी ब्राह्मन	-	-	-	21,89.33	-	
698-	ग्रिड स्टेशन गांगियाल	-	-	-	14,05.17	-	
699-	ग्रिड स्टेशन बिस्नाह	-	-	-	56,47.88	-	
700-	ग्रिड स्टेशन चांडक	-	-	-	7,66.53	-	
701-	ग्रिड स्टेशन कटरा	-	-	-	12,34.48	-	
704-	ग्रिड स्टेशन सीओट	-	-	-	19.05	-	
705-	ग्रिड स्टेशन पोनी चाक	-	-	-	13,45.34	-	
719-	ग्रिड स्टेशन बर्न पर केवी लाइन बेयस	-	-	-	73.85	-	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2017-18 के दौरान व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय			2018-19 के अंत में व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
			राज्य निधि से व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(₹ लाख में)							
	व्यय शीर्ष						
	(पूंजीगत लेखा)-(जारी)						
	ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(जारी)						
	(इ) विद्युत का पूंजीगत लेखा-(जारी)						
4801-	विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-(जारी)						
	05- संचरण एवं वितरण (जारी)						
720-	132 बार्न_सीओट कलाकोट संचरण लाइन	-	-	-	8,26.51	-	
721-	132 केवी एस/सी दरबा चांडक संचरण लाइन	-	-	-	47.73	-	
723-	132 केवी लाइन बेयस 2 नं. जी/एस चांडक	-	-	-	7.60	-	
724-	220/132 केवी ग्रिड/ स्टेशन बिस्नाह	-	-	-	1,77.31	-	
725-	132 केवी डी/सी लिलों मुख्य रिंग से पानी चक ग्रिड स्टेशन तक	-	-	-	29.99	-	
727-	डी/सी बर्न बिस्नाह हीरानगर संचरण लाइन	-	-	-	1,90.08	-	
728-	132 केवी 2 नं. लाइन बेयस द्रबा	-	-	-	6.76	-	
729-	132/33 केवी ग्रिड स्टेशन बटाल मनवाल	-	-	-	11,32.98	-	
730-	132/33 केवी ग्रिड स्टेशन जोरीयन कलीथ अखनूर	-	-	-	11,88.84	-	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2017-18 के दौरान व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय			2018-19 के अंत में व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
			राज्य निधि से व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(₹ लाख में)							
	व्यय शीर्ष						
	(पूंजीगत लेखा)-(जारी)						
	ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(जारी)						
	(इ) विद्युत का पूंजीगत लेखा-(जारी)						
4801-	विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-(जारी)						
	05- संचरण एवं वितरण (समाप्त)						
731-	22 केवी लाइन ग्रिड स्टेशन बेयस हीरानगर	-	-	-	-	2,85.35	
750-	120 एमवीए ग्रिड स्टेशन रियासी	-	-	-	-	29.76	
799-	उचंत	-	-	-	-	(-)35.18	
800-	अन्य व्यय	5,26,72.72	1,96,05.56	-	1,96,05.56	63,67,67.14	
	अन्य कार्य जिनकी प्रत्येक की लागत ₹दस करोड़ या कम है	-	-	-	-	8,23,84.21	
	निर्माण/ परियोजनाएं पिछले पांच वर्षों के दौरान कोई व्यय नहीं हुआ	-	-	-	-	12,09,24.05	
	<i>कुल-05</i>	5,26,72.72	1,96,05.56	-	1,96,05.56	1,08,50,03.06	
	06- ग्रामीण विद्युतीकरण-						
001-	निदेशन एवं प्रशासन	-	-	-	-	1,08,07.43	
052-	मशीनरी एवं उपकरण	-	-	-	-	18.77	
799-	उचंत	-	-	-	-	0.67	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2017-18 के दौरान व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय			2018-19 के अंत में व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
			राज्य निधि से व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष							
(पूंजीगत लेखा)-(जारी)							
ग-	आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(जारी)						
(इ)	विद्युत का पूंजीगत लेखा-(समाप्त)						
4801-	विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-(समाप्त)						
06-	ग्रामीण विद्युतीकरण-(समाप्त)						
800-	अन्य व्यय	-	-	-	-	95.77	
	अन्य कार्य जिनकी प्रत्येक की लागत दस करोड़ या कम है	-	-	-	-	16,65.63	
	कार्य/ परियोजनाएं जिन पर पिछले पांच वर्षों के दौरान कोई व्यय नहीं हुआ	-	-	-	-	11,62.91	
	<i>कुल-06</i>	-	-	-	-	1,37,51.18	
80-	सामान्य-						
004-	अनुसंधान एवं विकास	-	-	-	-	0.13	
799-	उचंत	-	-	-	-	6.73	
800-	अन्य व्यय	-	-	-	-	1,73,80.09	
911-	अधिक भुगतानों की कटौतियों पर वसूली	-	-	-	-	(-)1.99	
	<i>कुल -80</i>	-	-	-	-	1,73,84.96	
	कुल-4801	6,60,22.18	2,06,15.96	-	2,06,15.96	1,41,33,63.73 (क)	
	कुल-(इ)-विद्युत का पूंजीगत लेखा	6,60,22.18	2,06,15.96	-	2,06,15.96	1,41,33,63.73 (क)	

(क) राज्य सरकार द्वारा पिछले गलत वर्गीकरण में सुधार के कारण सूचित किये जाने पर 31 मार्च, 2013 तक ₹ 1,67,00.00 की राशि के शेष का प्रोफॉर्म कम किया गया। कृपया खण्ड-II के मुख्य शीर्ष-6801 विवरण संख्या 18 में पाद टिप्पणी (क) का संदर्भ लें।

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2017-18 के दौरान व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय			2018-19 के अंत में व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
			राज्य निधि से व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष							
(पूंजीगत लेखा)-(जारी)							
ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(जारी)							
(घ) उद्योग एवं खनिजों का पूंजीगत लेखा							
4851-	ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय						
001-	निदेशन एवं प्रशासन	48.35	-	-	1,95.70	(-)100	
101-	औद्योगिक संपदा	-	-	-	7,34,55.39	-	
102-	लघु पैमाना उद्योग	96,09.66	45,24.52	45,24.52	4,09,76.62	(-)53	
103-	हथकरघा उद्योग	8,74.63	12,15.54	12,15.54	91,70.86	(+)39	
104-	हस्तशिल्प उद्योग	11,28.25	13,46.04	13,46.04	1,65,07.83	(+)19	
105-	खादी एवं ग्राम उद्योग	59.15	17,99.15	17,99.15	39,71.01	@	
107-	रेशम उत्पादन उद्योग	4,14.62	1,71.39	1,71.39	1,01,44.18	(-)59	
108-	पावरलूम उद्योग	-	-	-	14.41	-	
109-	ग्राम एवं लघु उद्योग संयोजन सहकारिताएं	-	-	-	6.20	-	
190-	सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश	-	-	-	-	-	
(i)	जम्मू एवं कश्मीर हस्तशिल्प (एस और ई) निगम के पूंजीगत शेयर में निवेश	-	-	-	16,16.60	-	
(ii)	जम्मू एवं कश्मीर राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड में निवेश	-	-	-	13,29.75	-	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2017-18 के दौरान व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय			2018-19 के अंत में व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
			राज्य निधि से व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(₹ लाख में)							
	व्यय शीर्ष						
	(पूंजीगत लेखा)-(जारी)						
	ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(जारी)						
	(च) उद्योग एवं खनिजों का पूंजीगत लेखा-(जारी)						
4851-	ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय (जारी)						
190-	सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश (समाप्त)						
(iii)-	जम्मू एवं कश्मीर उद्योग लिमिटेड में निवेश	-	-	-	16,29.33	-	
(iv)-	औद्योगिक क्षेत्र में अन्य पूंजीगत निवेश हिस्सेदारी	-	-	-	63.03	-	
(v)-	हथकरघा क्षेत्र में अन्य पूंजीगत निवेश हिस्सेदारी	-	-	-	15,38.93	-	
(vi)-	हस्तशिल्प क्षेत्र में अन्य पूंजीगत निवेश हिस्सेदारी	-	-	-	18.50	-	
(vii)-	एसआईडीसीओ में निवेश	-	-	-	30,08.50	-	
(viii)-	एसआईसीओपी में निवेश	-	-	-	1,25.00	-	
(ix)-	जम्मू एवं कश्मीर खनिज लिमिटेड	-	-	-	45.00	-	
(x)-	बाजार विकास सहायता	-	-	-	21,66.16	-	
	कुल-190	-	-	-	1,15,40.80	-	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2017-18 के दौरान व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय			2018-19 के अंत में व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
			राज्य निधि से व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष							
(पूंजीगत लेखा)-(जारी)							
ग-	आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-						
	(जारी)						
(घ)	उद्योग एवं खनिजों का पूंजीगत लेखा-						
	(जारी)						
4851-	ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय (समाप्त)						
200-	अन्य ग्राम उद्योग	-	-	-	4.84	-	
800-	अन्य व्यय	28,50.15	21,72.50	-	1,30,88.17	(-)24	
911-	अधिक भुगतानों की कटौतियों पर वसूली	-	-	-	(-)3.13	-	
	कुल-4851	1,49,84.81	1,12,29.14	-	17,90,72.88	(-)25	
4852-	लोहा एवं इस्पात उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय						
01-	खनन-						
800-	अन्य व्यय	-	-	-	3,68.97	-	
	कुल-01	-	-	-	3,68.97	-	
02-	निर्माण-						
190-	सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश-						
(i)-	एसआईसीओपी	-	-	-	-	-	
(ii)-	एसआईडीसीओ	-	-	-	7,12.50	-	
	कुल-190	-	-	-	7,12.50	-	
800-	अन्य व्यय	57,93.56	2,07.00	-	1,95,29.27	(-)96	
	कुल-02	57,93.56	2,07.00	-	2,02,41.77	(-)96	
	कुल- 4852	57,93.56	2,07.00	-	2,06,10.74	(-)96	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2017-18 के दौरान व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय			2018-19 के अंत में व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
			राज्य निधि से व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(₹ लाख में)							
	व्यय शीर्ष						
	(पूंजीगत लेखा)-(जारी)						
	ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(जारी)						
	(च) उद्योग एवं खनिजों का पूंजीगत लेखा-(जारी)						
4853-	अलौह धातु खनन एवं धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय						
	01- खनिज उत्खनन और विकास						
004-	अनुसंधान एवं विकास	-	-	-	-	81.73	
190-	सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश-						
	(i)- भू-विज्ञान एवं खनन	-	-	-	-	16,79.41	
	(ii)- जम्मू एवं कश्मीर खनिज लिमिटेड	-	-	-	-	2,74.78	
	(iii)- जम्मू एवं कश्मीर सीमेंट	-	-	-	-	5,01.08	
	कुल-190	-	-	-	-	24,55.27	
800-	अन्य व्यय	3,13.91	1,71.50	-	1,71.50	50,89.85	
	कुल-01	3,13.91	1,71.50	-	1,71.50	76,26.85	
	60- सामान्य-						
800-	अन्य व्यय	-	-	-	-	25.95	
	कुल-60	-	-	-	-	25.95	
	कुल-4853	3,13.91	1,71.50	-	1,71.50	76,52.80	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2017-18 के दौरान व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय			2018-19 के अंत में व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
			राज्य निधि से व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(₹ लाख में)							
	व्यय शीर्ष						
	(पूंजीगत लेखा)-(जारी)						
ग-	आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-						
	(जारी)						
(च)	उद्योग एवं खनिजों का पूंजीगत लेखा-						
	(जारी)						
4854-	सीमेंट एवं गैर-धातु खनिज उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय						
	01- सीमेंट-						
004-	अनुसंधान एवं विकास	-	-	-	24.06	-	
	कुल-01	-	-	-	24.06	-	
	कुल-4854	-	-	-	24.06	-	
4858-	अभियांत्रिकी उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय						
	60- अन्य अभियांत्रिकी उद्योग						
190-	सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश-						
(i)-	तवी स्कूटर्स लिमिटेड में निवेश	-	-	-	10.00	-	
(ii)-	अन्य उद्योग	-	-	-	1,15.23	-	
	कुल-190	-	-	-	1,25.23	-	
	कुल-60	-	-	-	1,25.23	-	
	कुल-4858	-	-	-	1,25.23	-	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2017-18 के दौरान व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय			2018-19 के अंत में व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
			राज्य निधि से व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(₹ लाख में)							
	व्यय शीर्ष						
	(पूंजीगत लेखा)-(जारी)						
ग-	आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-						
	(जारी)						
(घ)	उद्योग एवं खनिजों का पूंजीगत लेखा-						
	(जारी)						
4860-	उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय						
	01- वस्त्र-						
800-	अन्य व्यय	-	-	-	-	1,39.40	
	कुल-01	-	-	-	-	1,39.40	
	05- कागज एवं समाचार पत्र मुद्रण						
800-	अन्य व्यय	-	-	-	-	1.52	
	कुल-05	-	-	-	-	1.52	
	60- अन्य उद्योग						
600-	अन्य-						
	सीमेंट	-	-	-	-	15,36.17	
	सेरामिक्स	-	-	-	-	28.36	
	ऊन	-	-	-	-	1,59.92	
	मैच कारखाना/ औषधीय	-	-	-	-	4.00	
	जोड़नरी मिल	-	-	-	-	60.00	
	जम्मू एवं कश्मीर उद्योग लिमिटेड में निवेश	-	-	-	-	9,45.49	
	जम्मू एवं कश्मीर खनिजों का पूंजीगत हिस्सा	-	-	-	-	2,58.91	
	कुल-60	-	-	-	-	29,92.85	
	कुल-4860	-	-	-	-	31,33.77	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2017-18 के दौरान व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय			2018-19 के अंत में व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
			राज्य निधि से व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(₹ लाख में)							
	व्यय शीर्ष						
	(पूंजीगत लेखा)-(जारी)						
ग-	आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-						
	(जारी)						
(घ)	उद्योग एवं खनिजों का पूंजीगत लेखा-						
	(जारी)						
4875-	अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय						
60-	अन्य उद्योग-						
800-	अन्य व्यय	-	-	-	-	6.01	
	<i>कुल-60</i>	-	-	-	-	6.01	
	कुल-4875	-	-	-	-	6.01	
4885-	उद्योगों और खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय						
01-	औद्योगिक वित्तीय संस्थानों में निवेश						
190-	सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश-						
(i)-	जम्मू एवं कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड में निवेश	-	-	-	-	30,76.54	
(ii)-	जम्मू एवं कश्मीर वित्तीय निगम लिमिटेड में पूंजीगत हिस्सेदारी	-	-	-	-	40.66	
(iii)-	जम्मू एवं कश्मीर लघु पैमाना औद्योगिक विकास लिमिटेड में निवेश	-	-	-	-	3,47.50	
	<i>कुल-190</i>	-	-	-	-	34,64.70	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2017-18 के दौरान व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय			2018-19 के अंत में व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
			राज्य निधि से व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(₹ लाख में)							
	व्यय शीर्ष						
	(पूंजीगत लेखा)-(जारी)						
	ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-						
	(जारी)						
	(च) उद्योग एवं खनिजों का पूंजीगत लेखा-						
	(समाप्त)						
4885-	उद्योगों एवं खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय-(समाप्त)						
	01- औद्योगिक वित्तीय संस्थानों में निवेश						
	(समाप्त)						
200-	अन्य निवेश						
	(i)- निजी क्षेत्र के साथ सहभागिता	-	-	-	17.27	-	
	(ii)- बिकेटिंग प्लांट	-	-	-	14.59	-	
	(iii)- निर्माण उद्योग	-	-	-	1,92.05	-	
	कुल-200	-	-	-	2,23.91	-	
	कुल-01	-	-	-	36,88.61	-	
60-	अन्य						
800-	अन्य व्यय-						
	(i)- औद्योगिक क्षेत्रों का विकास	-	-	-	4,43.66	-	
	(ii)- अन्य व्यय	-	-	-	1,40.64	-	
	कुल-800	-	-	-	5,84.30	-	
	कुल-60	-	-	-	5,84.30	-	
	कुल-4885	-	-	-	42,72.91	-	
	कुल-(च)-उद्योग एवं खनिजों का पूंजीगत लेखा	2,10,92.28	1,16,07.64	-	1,16,07.64	(-)/45	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2017-18 के दौरान व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय			2018-19 के अंत में व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
			राज्य निधि से व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष							
(पूंजीगत लेखा)-(जारी)							
ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(जारी)							
(छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा-							
5054- सड़कों एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय							
<i>01- राष्ट्रीय राजमार्ग</i>							
052-	मशीनरी एवं उपकरण	-	-	-	-	24.25	-
101-	स्थाई पुल	-	-	-	-	1,82.39	-
337-	सड़क निर्माण कार्य	-	-	-	-	50,31.67	-
800-	अन्य व्यय	-	-	-	-	12,64.44	-
	<i>कुल-01</i>	-	-	-	-	65,02.75	-
<i>02- रणनीतिक एवं सीमा सड़कें</i>							
101-	पुल	-	-	-	-	10.31	-
337-	सड़क निर्माण	-	-	-	-	8,87.07	-
800-	अन्य व्यय	-	-	-	-	37.53	-
	<i>कुल-02</i>	-	-	-	-	9,34.91	-
<i>03- राज्य राजमार्ग-</i>							
001-	निदेशन एवं प्रशासन	-	-	-	-	1,60.87	-
052-	मशीनरी एवं उपकरण	-	-	-	-	3,18.84	-
101-	पुल	16,40,34.17	1,61,10.03	-	1,61,10.03	90,37,35.09	(-)90
337-	सड़क निर्माण	-	-	-	-	2,29,19.40	-

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2017-18 के दौरान व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय			2018-19 के अंत में व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
			राज्य निधि से व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष							
(पूंजीगत लेखा)-(जारी)							
ग-	आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-						
	(जारी)						
(छ)	परिवहन का पूंजीगत लेखा-(जारी)						
5054-	सड़कों एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय-(जारी)						
	03- राज्य राजमार्ग-(समाप्त)						
794-	जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता	-	-	-	2,41.82	-	
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	-	-	-	63.57	-	
799-	उचंत	-	-	-	4.60	-	
800-	अन्य व्यय	-	-	-	17,82,61.01	-	
	<i>कुल-03</i>	16,40,34.17	1,61,10.03	-	1,61,10.03	1,10,57,05.20	(-90)
	04- जिला एवं अन्य सड़कें						
101-	पुल	-	-	-	32,90.34	-	
337-	सड़क निर्माण	-	-	-	2,41,25.47	-	
800-	अन्य व्यय	-	-	-	15,30,36.51	-	
	<i>कुल-04</i>	-	-	-	18,04,52.32	-	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2017-18 के दौरान व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय			2018-19 के अंत में व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
			राज्य निधि से व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष							
(पूंजीगत लेखा)-(जारी)							
ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(जारी)							
(छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा- (जारी)							
5054- सड़कों एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय-(जारी)							
<i>05- सड़के-</i>							
101-	पुल	-	-	-	-	11,73.87	-
337-	सड़क निर्माण कार्य	7,85.39	6,37,59.77	2,99,48.18	9,37,07.95	9,90,07.30	@
800-	अन्य व्यय	-	-	-	-	3,05.72	-
	<i>कुल-05</i>	<u>7,85.39</u>	<u>6,37,59.77</u>	<u>2,99,48.18</u>	<u>9,37,07.95</u>	<u>10,04,86.89</u>	<u>@</u>
<i>80- सामान्य-</i>							
001-	निदेशन एवं प्रशासन	-	-	-	-	2,50.86	-
004-	अनुसंधान	-	-	-	-	0.38	-
052-	मशीनरी एवं उपकरण	-	-	-	-	60.14	-
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	-	-	-	-	90.78	-
797-	आरिक्त निधियों एवं जमा लेखों से/ तक हस्तांतरण	-	-	-	-	3,99,59.00	-

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2017-18 के दौरान व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय			2018-19 के अंत में व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
			राज्य निधि से व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष							
(पूंजीगत लेखा)-(जारी)							
ग-	आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(जारी)						
(छ)	परिवहन का पूंजीगत लेखा-(जारी)						
5054-	सड़कों एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय-(समाप्त)						
80-	सामान्य- (समाप्त)						
800-	अन्य व्यय	-	-	-	50,21.25	-	
902-	केंद्रीय सड़क निधि से कटौती की गई आर्थिक सहायता राशि	(-82,47.16	-	(-2,99,48.18	(-2,99,48.18 (क)	(-11,80,66.61 (ख)	@
	<i>कुल-80</i>	(-82,47.16	-	(-2,99,48.18	(-2,99,48.18	(-7,26,84.20	@
	कुल-5054	15,65,72.40	7,98,69.80	-	7,98,69.80	1,32,13,97.87	(-49)
5055-	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय						
050-	भूमि और इमारत	-	-	-	5,51.68 \$	-	
102-	वाहन समूह का अधिग्रहण	-	-	-	17,27.37 \$	-	
103-	कार्यशाला सुविधाएं	-	-	-	1,58.26 \$	-	
190-	सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश-	-	-	-	-	-	
(i)-	जम्मू और कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड में निवेश	3,75.00	14,90.00	-	14,90.00	1,68,80.44 \$	@
800-	अन्य व्यय	1,52.68	7,69.74	-	7,69.74	69,69.27 \$	@
	कुल-5055	5,27.68	22,59.74	-	22,59.74	2,62,87.02 \$	@

(क) 'केंद्रीय सड़क निधि' से प्राप्त निरूपित सहायता राशि को एमएच-8449-103 को हस्तांतरित किया गया है। कृपया खण्ड-II विवरण संख्या 21 में एमएच-8449 के नीचे पाद टिप्पणी "ग" और लेखाओं पर टिप्पणी के खण्ड -1 के संलग्नक-क को देखें।

(ख) 2003-04 से 2018-19 तक

\$ पूर्णांकन के कारण पूर्व वित्त लेखा से भिन्नता

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2017-18 के दौरान व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय			2018-19 के अंत में व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
			राज्य निधि से व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष							
(पूंजीगत लेखा)-(जारी)							
ग-	आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-						
	(जारी)						
(छ)	परिवहन का पूंजीगत लेखा- (समाप्त)						
5056-	अन्तर्देशीय जल परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय						
104-	नेविगेशन						
	तुलबुल नेविगेशन लॉक	-	-	-	27,74.37	-	
	कुल-5056	-	-	-	27,74.37	-	
	कुल-(छ)-परिवहन का पूंजीगत लेखा	15,71,00.08	8,21,29.54	-	1,35,04,59.25	(-48)	
(ज)	संचार का पूंजी लेखा-						
5275-	अन्य संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय						
101-	अन्य संचार सुविधाएं	-	-	-	0.40	-	
800-	अन्य व्यय	-	-	-	1.69	-	
	कुल-5275	-	-	-	2.09	-	
	कुल-(ज)-संचार का पूंजी लेखा	-	-	-	2.09	-	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2017-18 के दौरान व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय			2018-19 के अंत में व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
			राज्य निधि से व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष							
(पूंजीगत लेखा)-(जारी)							
ग-	आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-						
	(जारी)						
(झ)	विज्ञान तकनीकी एवं पर्यावरण का पूंजीगत लेखा						
5425-	अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय						
208-	पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	22,00.00	1,31.53	-	1,34.28	23,31.54 \$ (-)94	
800-	अन्य व्यय	30,44.61	6,71.93	-	6,69.18	1,35,44.26 \$ (-)78	
	कुल-800	52,44.61	8,03.46	-	8,03.46	1,58,75.80 (-)78	
	कुल-5425	52,44.61	8,03.46	-	8,03.46	1,58,75.80 (-)85	
	कुल-(झ)-विज्ञान तकनीकी एवं पर्यावरण का पूंजीगत लेखा	52,44.61	8,03.46	-	8,03.46	1,58,75.80 (-)85	
(ञ)	सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा -						
5452-	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-						
	01- पर्यटक अवसंरचना						
101-	पर्यटक केंद्र	-	-	-	-	22,69.53 -	
102-	पर्यटक आवास	-	-	-	-	1,30,73.01 -	
103-	पर्यटक परिवहन	-	-	-	-	1.99 -	
800-	अन्य व्यय	-	-	-	-	44,58.10 -	
	कुल-01	-	-	-	-	1,98,02.63 -	
80-	सामान्य						
104-	प्रोन्नति एवं प्रचार	-	-	-	-	41,85.42 -	

\$ राज्य सरकार के साथ समाधान के परिणामस्वरूप पिछले वित्तीय लेखा से भिन्नता

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2017-18 के दौरान व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय			2018-19 के अंत में व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
			राज्य निधि से व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(₹ लाख में)							
	व्यय शीर्ष						
	(पूंजीगत लेखा)-(जारी)						
ग-	आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(जारी)						
(ज)	सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा (जारी)						
5452-	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-(समाप्त)						
80-	सामान्य-(समाप्त)						
190-	सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश-						
(i)-	जम्मू एवं कश्मीर पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	-	-	-	21,12.79	-	
(ii)-	शेर-ए-कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र	-	-	-	8,39.52	-	
(iii)-	जवाहर पर्वतारोहण संस्थान बटौत	-	-	-	7.00	-	
(iv)-	केबल कार निगम	-	-	-	10,28.25	-	
	कुल-190	-	-	-	39,87.56	-	
800-	अन्य व्यय	1,05,99.69	93,39.70	20.44	93,60.14	(-)12	
	कुल-80	1,05,99.69	93,39.70	20.44	93,60.14	(-)12	
	कुल-5452	1,05,99.69	93,39.70	20.44	93,60.14	(-)12	
5465-	सामान्य वित्तीय एवं व्यापारिक संस्थानों में निवेश-						
01-	सामान्य वित्तीय संस्थानों में निवेश						
190-	सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों, बैंकों इत्यादि में निवेश-						
(झ)	जम्मू एवं कश्मीर बैंक में निवेश	2,82,00.00	-	-	5,55,31.35	-	

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	2017-18 के दौरान व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय			2018-19 के अंत में व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
			राज्य निधि से व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(₹ लाख में)							
व्यय शीर्ष							
(पूंजीगत लेखा)-(जारी)							
ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(जारी)							
(ज) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा (जारी)							
5465-	सामान्य वित्तीय एवं व्यापारिक संस्थानों में निवेश-(समाप्त)						
01-	सामान्य वित्तीय संस्थानों में निवेश- (समाप्त)						
190-	सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों, बैंकों इत्यादि में निवेश-						
(ii)-	जम्मू एवं कश्मीर राज्य वित्तीय निगम में निवेश	-	-	-	-	44,83.64	
(iii)-	कामराज ग्रामीण बैंक में निवेश	-	-	-	-	2,15.79	
(iv)-	जम्मू ग्रामीण बैंक में निवेश	-	-	-	-	1,25.96	
(v)-	अन्य निवेश	-	-	-	-	3,87.60	
	कुल-190	2,82,00.00	-	-	-	6,07,44.34 (ख)	
800-	अन्य व्यय	-	-	-	-	74.90	
	कुल-01	2,82,00.00	-	-	-	6,08,19.24	
	कुल-5465	2,82,00.00	-	-	-	6,08,19.24	
5475-	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय						
101-	उच्चतम भूमि-सीमा (कृषि भूमि से भिन्न)	-	-	-	-	1,16.64	
102-	नागरिक आपूर्तियां	-	-	-	-	27.80	
103-	कृषि भूमि हेतु उच्चतम भूमि-सीमा	-	-	-	-	64.28	
112-	सांख्यिकी	-	22.50	-	22.50	34.92	
115-	अवसंरचनात्मक विकास हेतु वित्तीय सहायता	-	1,00.00	-	1,00.00	1,00.00	

(ख) प्रोफॉर्म समायोजन द्वारा विनिवेश के कारण ₹ 28,09.50 लाख की राशि को कम किया गया।

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष व्यय का प्रकृति	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय				2018-19 के अंत में व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) प्रतिशत
	2017-18 के दौरान व्यय	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस शामिल करते हुए)	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(₹लाख में)						
व्यय शीर्ष						
पूंजीगत लेखा-(समाप्त)						
ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(समाप्त)						
(ज) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(समाप्त)						
5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-(समाप्त)						
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों, बैंकों इत्यादि में निवेश-						
(i)- जम्मू एवं कश्मीर कामराज ग्रामीण बैंक में निवेश	-	-	-	-	1,71.00	-
(ii)- जम्मू एवं कश्मीर ग्रामीण बैंक में निवेश	-	-	-	-	94.00	-
(iii)- ऐल्लाक्वाई देहाती बैंक	-	-	-	-	4,83.00	-
कुल-190	-	-	-	-	7,48.00	-
202- भूमि धारकों को क्षति पूर्ति	-	-	-	-	5.77	-
800- अन्य व्यय	5,13,53.54	3,40,43.18	1,16,23.73	4,56,66.91	53,93,85.45	(-)11
कुल-5475	5,13,53.54	3,41,65.68	1,16,23.73	4,57,89.41	54,04,82.86	(-)11
कुल-(ज)-सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा	9,01,53.23	4,35,05.38	1,16,44.17	5,51,49.55	82,75,27.62	(-)39
कुल-ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा	67,62,84.48	30,03,91.02	16,96,01.36	46,99,92.38	6,28,65,31.25	(-)31
कुल पूंजीगत व्यय	1,03,52,88.00	54,05,26.90	30,08,30.93	84,13,57.83	9,84,78,72.29 (ग)	(-)19
वेतन	2,93.94	2,21.32	22.03	2,23.52	-	(-)24
सहायिकी	1,52,00.07	16,75.10	82,42.95	99,18.05	-	(-)35
सहायता अनुदान	32,80.19	7,55.00	1,18.50	8,73.50	-	(-)73

(ग) प्रोफॉर्म समायोजन के द्वारा विनिवेश और पूर्व गलत वर्गीकरण में सुधार के कारण ₹ 1,95,09.50 की राशि को कम किया गया। कृपया इस विवरण के मुख्यशीर्ष-4801 और 5465 के नीचे पाद टिप्पणी-(क) और (ख) को देखें। कृपया खण्ड -2 के विवरण संख्या 18 के मुख्य शीर्ष- 6801 के नीचे पाद टिप्पणी (क) का संदर्भ लें।

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)						
विवरण संख्या-16 के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी						
पूंजीगत लेखे पर व्यय:- पूंजीगत लेखे पर व्यय में ₹19,39,30.17 लाख की वृद्धि (2017-18 में ₹1,03,52,88.00 लाख से 2018-19 में ₹84,13,57.83 लाख तक) मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के तहत थी:-						
क्रम संख्या	लेखाओं के मुख्य शीर्ष	विवरण	2018-19 के दौरान व्यय	2017-18 के दौरान व्यय	वृद्धि	कारण
(₹ लाख में)						
1	4225-	अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियो, अन्य पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	35,53.37	1,00,57.30	65,03.93	अन्य व्यय के अधीन आरक्षित कम व्यय के कारण मुख्य रूप से अभाव
2	4408-	खाद्य संग्रहण एवं भण्डारण पर पूंजीगत परिव्यय	2,53,02.03	2,97,88.53	44,86.50	इस वर्ष के बजट में खाद्य संग्रहण एवं भण्डारण के लिए कम प्रावधान होने के कारण मुख्य रूप से कमी
3	4425-	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	3,75.29	2,59,96.33	2,56,21.04	निवेश पर शून्य व्यय के कारण कमी
4	4701-	मुख्य एवं मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	14,57.84	60,22.60	45,64.76	मध्यम सिंचाई (गैर-वाणिज्यिक) के अधीन कम व्यय के कारण कमी
5	4702-	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	83,39.89	1,38,14.27	54,74.38	धरातलीय जल के अधीन कम व्यय के कारण कमी
6	5425	अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	8,03.46	52,44.61	44,41.15	पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के अधीन आरक्षित कम व्यय के कारण कमी
7	5452-	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	93,60.14	1,05,99.69	12,39.55	अन्य व्यय के अधीन आरक्षित कम व्यय के कारण मुख्य रूप से कमी

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(समाप्त)						
विवरण संख्या-16 के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी-(समाप्त)						
व्यय में कमी को मुख्यतः निम्नलिखित लेखा शीर्षों के तहत कमी के द्वारा आंशिक रूप से ऑफ-सेट किया गया:-						
क्रम संख्या	लेखाओं के मुख्य शीर्ष	विवरण	2018-19 के दौरान व्यय	2017-18 के दौरान व्यय	कमी	कारण
			(₹ लाख में)			
1	4210-	चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	8,74,35.58	5,10,57.89	3,63,77.69	जन-स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं पर किए गए अधिक व्यय के कारण वृद्धि
2	4402-	मृदा एवं जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	8,32.42	6,21.94	2,10.48	मृदा सर्वेक्षण एवं परीक्षण पर किए गए अधिक व्यय के कारण वृद्धि
3	4403-	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	38,62.45	24,17.03	14,45.42	अन्य आवास पर किए गए अधिक व्यय के कारण वृद्धि
4	4216-	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	14,59.92	6,46.61	8,13.31	चारा एवं भोजन विकास पर किए गए अधिक व्यय के कारण वृद्धि
5	4236-	पोषण पर पूंजीगत परिव्यय	19,96.37	7,28.40	12,67.97	अन्य व्यय पर किए गए अधिक व्यय के कारण वृद्धि
6	4250-	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	48,37.86	10,50.09	37,87.77	रोजगार के अधीन आरक्षित अधिक व्यय के कारण कमी
7	4575-	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	3,17,66.31	2,26,33.66	91,32.65	एलएचडीसी लेह और कारगिल को हस्तांतरण योग्य राशि पर किए गए अधिक व्यय के कारण वृद्धि
8	5055-	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	22,59.74	5,27.68	17,32.06	जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम में निवेश पर अधिक व्यय के कारण वृद्धि

17. उधार एवं अन्य देयताओं का विस्तृत विवरण

(क) लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का विवरण

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2018 की शेष राशि	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान निर्वाहन	31 मार्च 2019 को शेष राशि	वर्ष 2018-19 के दौरान निवल		ब्याज भुगतान
					वृद्धि(+)/कमी(-) राशि	प्रतिशत	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(₹ लाख में)							
इ-लोक ऋण-							
6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-							
101- बाजार ऋण (क)	2,60,19,50.04	66,84,00.00	17,56,85.00	3,09,46,65.04	(+)49,27,15.00	(+)19	22,64,72.00
103- भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	14,15,90.25	-	1,46,15.84	12,69,74.41	(-)1,46,15.84	(-)10	1,24,43.47
104- भारतीय सामान्य बीमा निगम से ऋण	1,37.12	-	37.88	99.24	(-)37.88	(-)27	18.57
105- कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक से ऋण	18,43,56.46	3,96,02.53	2,51,95.89	19,87,63.10	(+)1,44,06.64	(+)08	85,49.25
106- क्षति पूर्ति एवं अन्य बॉण्ड-							
(i)- पॉवर बॉण्ड्स	-	4,03.30	4,03.30	-	-	-	22.68
(ii)- उदय बॉण्ड्स	35,37,55.00	-	-	35,37,55.00	-	-	2,84,12.21
कुल-106	35,37,55.00	4,03.30	4,03.30	35,37,55.00	-	-	2,84,34.89
109- अन्य संस्थानों से ऋण (क)	4,64,77.85	6,27.48	26,89.28	4,44,16.05	(-)20,61.78	(-)04	52,36.59
110- आरबीआई से आर्थोपाय अग्रिम-							
(i)- आर्थोपाय अग्रिम-	3,00,71.00	1,76,51,47.00	1,74,19,80.00	5,32,38.00	(+)2,31,67.00	(+)77	12,15.74
(ii)- ओवर ड्राफ्ट	-	5,90,47.36	5,90,47.36	-	-	-	15.39
कुल-110	3,00,71.00	1,82,41,94.36	1,80,10,27.36	5,32,38.00	(+)2,31,67.00	(+)77	12,31.13
111- केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	38,35,15.51	-	3,32,84.55	35,02,30.96	(-)3,32,84.55	(-)09	3,75,69.82
कुल-6003-राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	3,74,18,53.23	2,53,32,27.67	2,05,29,39.10	4,22,21,41.80	(+)48,02,88.57	(+)13	31,99,55.72

(क) कृपया ब्योरे हेतु इस विवरण के संलग्नक को देखिये।

17. उधार एवं अन्य देयताओं का विस्तृत विवरण (जारी)

(क) लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का विवरण-(जारी)

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2018 की शेष राशि	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान निर्वाहन	31 मार्च 2019 को शेष राशि	वर्ष 2018-19 के दौरान निवल		ब्याज भुगतान
					वृद्धि(+)/कमी(-) राशि	प्रतिशत	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(₹ लाख में)							
इ-लोक ऋण-(जारी)							
6004- केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम-							
01- गैर-योजना ऋण-							
201- अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को भवन निर्माण अग्रिम	1,07.59	-	-	1,07.59	-	-	-
800- अन्य ऋण	95,20.92	-	-	95,20.92	-	-	-
	<i>कुल-01</i> 96,28.51	-	-	96,28.51	-	-	-
02- राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र योजना के लिए ऋण-							
101- ब्लॉक ऋण	4,90,09.22	-	27,39.45	4,62,69.77	(-)27,39.45	(-)06	25,53.89
105- 12वें वित्त आयोग की 1979-2004 अनुशंसाओं की शर्तों के आधार पर समेकित राज्य योजना ऋण	7,39,83.23	-	89,03.26	6,50,79.97	(-)89,03.26	(-)12	53,41.96
	<i>कुल-02</i> 12,29,92.45	-	1,16,42.71	11,13,49.74	(-)1,16,42.71	(-)09	78,95.85
06- अर्थोपाय अग्रिम-							
800- अन्य अर्थोपाय अग्रिम-							
बाढ़ राहत हेतु अग्रिम	9,24.54	-	-	9,24.54	-	-	-
	9,24.54	-	-	9,24.54	-	-	-
07- 1984-85 से पूर्व ऋण-							
101- विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास, प्रत्यावर्तन, आदि	3,35.37	-	-	3,35.37	-	-	-
102- राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना	15.46	-	-	15.46	-	-	-

17. उधार एवं अन्य देयताओं का विस्तृत विवरण (जारी)

(क) लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का विवरण-(जारी)

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2018 की शेष राशि	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान निर्वाहन	31 मार्च 2019 को शेष राशि	वर्ष 2018-19 के दौरान निवल		ब्याज भुगतान
					वृद्धि(+)/कमी(-) राशि	प्रतिशत	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(₹ लाख में)							
इ-लोक ऋण-(समाप्त)							
6004- केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम-(समाप्त)							
07- 1984-85 से पूर्व ऋण-(समाप्त)							
105- लघु बचत ऋण	4,48.57	-	-	4,48.57	-	-	-
107- 1979-80 से पूर्व समेकित ऋण 25 वर्ष और 30 वर्ष के लिए पुनः समेकित - अन्य समेकित ऋण	28,29.21	-	-	28,29.21	-	-	-
109- स्वर्णकारों का पुनर्वास	20.43	-	-	20.43	-	-	-
800- अन्य ऋण-							
(i) समेकित ऋण 1984-85 (क)	1,29.92	-	-	1,29.92	-	-	-
कुल-07	37,78.96	-	-	37,78.96	-	-	-
08- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-							
201- भवन निर्माण अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-
800- अन्य ऋण-	-	-	-	-	-	-	-
कुल-08	-	-	-	-	-	-	-
09- विधायी योजनाओं योजनाओं के साथ राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के लिए अन्य ऋण-							
101- ब्लॉक ऋण	31,59.84	3,93.84	79.00	34,74.68	(+3,14.84)	(+10)	2,84.39
कुल-09	31,59.84	3,93.84	79.00	34,74.68	(+3,14.84)	(+10)	2,84.39
कुल-6004	14,04,84.30	3,93.84	1,17,21.71	12,91,56.43	(-1,13,27.87)	(-08)	81,80.24
कुल-इ-लोक ऋण	3,88,23,37.53	2,53,36,21.51	2,06,46,60.81	4,35,12,98.23 (ख)	(+46,89,60.70)	(+12)	32,81,35.96

(क) भारत सरकार से सम्बन्धित मंत्रालयों/ विभागों के वेतन एवं लेखा अधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए आँकड़ों से ₹2,60.30 लाख (स्वर्णकारों का पुनर्वास: ₹4.34 लाख; राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना; ₹4.80 लाख; लघु बचत संग्रह: ₹94.08 लाख और अन्य समेकित ऋण: ₹1,57.08 लाख) से भिन्नता। समाधान से सम्बन्धित विषय राज्य सरकार के साथ पत्राचार के तहत है क्योंकि भारत सरकार द्वारा ऋणों को राज्य सरकार द्वारा आपूर्ति किए गए आँकड़ों के आधार पर समेकित किया गया था (अक्टूबर 2019)।

(ख) भारत सरकार के मंत्रालयों/ ऋण संस्थानों एवं जम्मू एवं कश्मीर राज्य वित्त आयोग (अक्टूबर 2019) के साथ आँकड़े समाधान के अधीन हैं।

17. उधार एवं अन्य देयताओं का विस्तृत विवरण (जारी)

(क) लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का विवरण-(जारी)

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2018 की शेष राशि	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान निर्वाहन	31 मार्च 2019 को शेष राशि	वर्ष 2018-19 के दौरान निवल वृद्धि(+)/कमी(-)		ब्याज भुगतान
					राशि	प्रतिशत	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(₹ लाख में)							
अन्य दायित्व-(क)							
झ-लघु बचत, भविष्य निधियां इत्यादि-							
(ख) भविष्य निधि-							
8009- राज्य भविष्य निधियां	2,00,09,60.93	85,67,46.33	33,08,14.54	2,52,68,92.72	(+)52,59,31.79	(+)26	16,16,86.88
कुल-(ख)-भविष्य निधि	2,00,09,60.93	85,67,46.33	33,08,14.54	2,52,68,92.72	(+)52,59,31.79	(+)26	16,16,86.88
(ग) अन्य लेखे-							
8011- बीमा एवं पेंशन निधि	9,09,18.21	2,90,46.02	2,26,30.58	9,73,33.65	(+)64,15.44	(+)07	56,64.57
कुल-(ग)-अन्य लेखे	9,09,18.21	2,90,46.02	2,26,30.58	9,73,33.65	(+)64,15.44	(+)07	56,64.57
कुल-झ-लघु बचत, भविष्य निधि	2,09,18,79.14	88,57,92.35	35,34,45.12	2,62,42,26.37 (ख)	(+)53,23,47.23	(+)25	16,77,51.45
ज-आरक्षित निधि-							
(क) आरक्षित निधियों पर ब्याज वहन-							
8121- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां	7,29,52.78	3,31,60.33	1,68,87.87	8,92,25.24	(+)1,62,72.46	(+)22	58,89.06
कुल-(क)- आरक्षित निधियों पर ब्याज वहन-	7,29,52.78	3,31,60.33	1,68,87.87	8,92,25.24	(+)1,62,72.46	(+)22	58,89.06
(ख) आरक्षित निधियों पर ब्याज वहन नहीं-							
8222- ऋण-शोधन निधियां	2,19,55.00	97,05.00	-	3,16,60.00	(+)97,05.00	(+)44	-
8223- अकाल राहत निधि	8,66.96	-	-	8,66.96	-	-	-
8226- आरक्षित निधियों का मूल्यहास /नवीनीकरण	6,46,65.33	-	-	6,46,65.33	-	-	-
8229- विकास एवं कल्याण निधि	3,83,32.38	1,87,73.91	1,27,86.65	4,43,19.64	(+)59,87.26	(+)16	-

(क) कृपया ब्याज हेतु विवरण संख्या 21 देखिये।

(ख) आँकड़े समाधान के तहत हैं (जुलाई 2019)

17. उधार एवं अन्य देयताओं का विस्तृत विवरण (जारी)

(क) लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का विवरण-(समाप्त)

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2018 की शेष राशि	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान निर्वाहन	31 मार्च 2019 को शेष राशि	वर्ष 2018-19 के दौरान निवल वृद्धि(+)/कमी(-)		ब्याज भुगतान
					राशि	प्रतिशत	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(₹ लाख में)							
अन्य दायित्व-(क)-(समाप्त)							
ज-आरक्षित निधि-(समाप्त)							
(ख) आरक्षित निधियों पर ब्याज वहन नहीं-(समाप्त)							
8235- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां	1,76,66.52	78,67.80	76,31.04	1,79,03.28	(+)2,36.76	(+)01	-
कुल-(ख) - आरक्षित निधियों पर ब्याज वहन नहीं	14,34,86.19	3,63,46.71	2,04,17.69	15,94,15.21	(+)1,59,29.02	(+)11	-
कुल-ज-आरक्षित निधि -	21,64,38.97	6,95,07.04	3,73,05.56	24,86,40.45	(+)3,22,01.48	(+)15	49,98.71
ट-जमा एवं अग्रिम-							
(क) जमा राशि ब्याज-							
8342- अन्य जमा	59,41.12	8,45,49.01	7,83,22.17	1,21,67.96	(+)62,26.84	*	-
कुल-(क)- जमा राशि ब्याज	59,41.12	8,45,49.01	7,83,22.17	1,21,67.96	(+)62,26.84	*	-
(ख) जमा राशि ब्याज नहीं-							
8443- नागरिक जमा	49,56,33.95	(क) 20,21,01.31	17,17,05.88	52,60,29.38	(+)3,03,95.43	(+)06	-
8448- स्थानीय निधियों की जमा	8,03,58.51	(क) 17,02,57.98	15,60,28.91	9,45,87.58	(-)1,42,29.07	(+)18	-
8449- अन्य जमा	4,79,39.32	3,44,96.91	2,99,48.17	5,24,88.06	(+)45,48.74	(+)09	-
कुल-(ख)- जमा राशि ब्याज नहीं	62,39,31.78	(क) 40,68,56.20	35,76,82.96	67,31,05.02	(+)4,91,73.24	(+)08	-
कुल-ट-जमा एवं अग्रिम	62,98,72.90	(क) 49,14,05.21	43,60,05.13	68,52,72.98	(+)5,54,00.08	(+)09	-
कुल अन्य दायित्व	2,93,81,91.01	(क) 1,44,67,04.60	82,67,55.81	3,55,81,39.80	(ख) (+)61,99,48.79	(+)21	17,33,42.32
कुल लोक ऋण एवं अन्य दायित्व	6,82,05,28.54	(क) 3,98,03,26.11	2,89,14,16.62	7,90,94,38.03	(ख) (+)1,08,89,09.49	(+)16	50,04,86.12 (ग)

(क) त्रुटि/ पूर्णांकन में परिशोधन के कारण पूर्व वित्त लेखाओं से भिन्नता

(ख) राज्य सरकार के साथ आँकड़े समाधान के अधीन हैं (अक्टूबर 2019).

(ग) ऋण प्रबंधन (₹6,34.74 लाख) एवं अन्य दायित्वों (₹1,97,47.19 लाख) पर भुगतान किया गया ब्याज शामिल नहीं।

* 100 प्रतिशत से अधिक

17. उधार एवं अन्य देयताओं का विस्तृत विवरण (जारी)

विवरण संख्या 17 हेतु अनुलग्नक					
ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2018 तक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान उन्मोचन	31 मार्च 2019 तक शेष	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(₹ लाख में)					
इ-लोक ऋण-					
6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-					
101- बाजार ऋण -					
(क) ऋण पर ब्याज-					
8.26%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक	2020	5,00,00.00	-	5,00,00.00
7.30%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक	2019	5,38,85.00	-	5,38,85.00
8.40%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक	2020	27,04.00	-	27,04.00
8.40%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक	2021	29,38.00	-	29,38.00
8.42%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक	2020	5,00,00.00	-	5,00,00.00
8.42%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक	2020	5,00,00.00	-	5,00,00.00
8.42%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक	2021	4,79,10.00	-	4,79,10.00
8.48%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक	2021	5,50,00.00	-	5,50,00.00
8.55%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक	2021	7,50,00.00	-	7,50,00.00
8.58%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक	2020	5,43,04.00	-	5,43,04.00
8.61%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक	2021	7,00,00.00	-	7,00,00.00
8.83%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक	2021	2,00,00.00	-	2,00,00.00
9.06%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक	2021	5,00,00.00	-	5,00,00.00
9.33%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक	2021	1,75,00.00	-	1,75,00.00
8.89%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक	2021	5,00,00.00	-	5,00,00.00
9.00%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2021	6,00,00.00	-	6,00,00.00
9.01%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक	2022	2,00,00.00	-	2,00,00.00
9.49%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक	2022	12,00,00.00	-	12,00,00.00
7.60%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2023	2,00,00.00	-	2,00,00.00
7.83%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2023	3,00,00.00	-	3,00,00.00
8.27%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2023	2,00,00.00	-	2,00,00.00
8.66%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2023	5,00,00.00	-	5,00,00.00
8.74%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2023	5,50,00.00	-	5,50,00.00
8.80%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण	2023	5,00,00.00	-	5,00,00.00

17. उधार एवं अन्य देयताओं का विस्तृत विवरण (जारी)

ऋण का विवरण	विवरण संख्या 17 हेतु अनुलग्नक (जारी)			
	1 अप्रैल 2018 तक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान उन्मोचन	31 मार्च 2019 तक शेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(₹ लाख में)
इ-लोक ऋण-(जारी)				
6003-	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-(जारी)			
101-	बाजार ऋण-(जारी)			
(क)	ऋण पर ब्याज-(जारी)			
9.38%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2023	3,00,00.00	-	3,00,00.00
8.89%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2024	3,00,00.00	-	3,00,00.00
8.96%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2024	3,00,00.00	-	3,00,00.00
8.99%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2024	1,50,00.00	-	1,50,00.00
9.18%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2024	1,50,00.00	-	1,50,00.00
9.25%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2024	4,00,00.00	-	4,00,00.00
9.40%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2024	3,00,00.00	-	3,00,00.00
9.46%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2024	1,80,00.00	-	1,80,00.00
8.06%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2025	2,00,00.00	-	2,00,00.00
8.03%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2025	5,00,00.00	-	5,00,00.00
8.17%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2025	5,00,00.00	-	5,00,00.00
8.18%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2025	4,50,00.00	-	4,50,00.00
8.26%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2025	3,00,00.00	-	3,00,00.00
8.28%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2025	1,50,00.00	-	1,50,00.00
8.63%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2026	3,50,00.00	-	3,50,00.00
6.97%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2026	3,45,00.00	-	3,45,00.00
7.10%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2026	55,00.00	-	55,00.00
7.18%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2026	3,00,00.00	-	3,00,00.00
7.57%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2026	4,00,00.00	-	4,00,00.00
7.69%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2026	3,00,00.00	-	3,00,00.00
8.05%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2026	5,00,00.00	-	5,00,00.00
7.20%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2027	3,00,00.00	-	3,00,00.00
7.27%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2027	6,00,00.00	-	6,00,00.00
7.34%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2027	6,00,00.00	-	6,00,00.00

17. उधार एवं अन्य देयताओं का विस्तृत विवरण (जारी)

ऋण का विवरण	विवरण संख्या 17 हेतु अनुलग्नक (जारी)			
	1 अप्रैल 2018 तक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान उन्मोचन	31 मार्च 2019 तक शेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(₹ लाख में)
इ-लोक ऋण-(जारी)				
6003-	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-(जारी)			
101-	बाजार ऋण-(जारी)			
(क)	ऋण पर ब्याज-(जारी)			
7.42%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2027	3,00,00.00	-	3,00,00.00
7.44%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2027	3,00,00.00	-	3,00,00.00
7.50%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2027	3,00,00.00	-	3,00,00.00
7.56%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2027	4,00,00.00	-	4,00,00.00
7.58%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2027	5,00,00.00	-	5,00,00.00
7.59%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2027	6,00,00.00	-	6,00,00.00
7.75%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2027	5,00,00.00	-	5,00,00.00
8.05%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2027	3,90,00.00	-	3,90,00.00
8.00%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028	8,00,00.00	-	8,00,00.00
8.10%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028	5,00,00.00	-	5,00,00.00
8.33%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028	4,00,00.00	-	4,00,00.00
8.34%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028	6,00,00.00	-	6,00,00.00
8.26%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028	-	6,00,00.00	6,00,00.00
8.34%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028	-	6,00,00.00	6,00,00.00
8.52%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028	-	3,00,00.00	3,00,00.00
8.56%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028	-	4,00,00.00	4,00,00.00
8.59%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028	-	7,00,00.00	7,00,00.00
8.59%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028	-	4,75,40.00	4,75,40.00
8.61%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028	-	5,00,00.00	5,00,00.00
8.75%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028	-	3,00,00.00	3,00,00.00
8.86%	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028	-	3,24,60.00	3,24,60.00

17. उधार एवं अन्य देयताओं का विस्तृत विवरण (जारी)

ऋण का विवरण	विवरण संख्या 17 हेतु अनुलग्नक (जारी)			
	1 अप्रैल 2018 तक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान उन्मोचन	31 मार्च 2019 तक शेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(₹ लाख में)
इ-लोक ऋण-(जारी)				
6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-(जारी)				
101- बाजार ऋण-(समाप्त)				
(क) ऋण पर ब्याज-(समाप्त)				
8.20% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	-	8,00,00.00	-	8,00,00.00
8.37% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	-	5,84,00.00	-	5,84,00.00
8.38% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	-	8,00,00.00	-	8,00,00.00
8.44% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029	-	3,00,00.00	-	3,00,00.00
कुल-(क)- ऋण पर ब्याज	2,42,62,41.00	66,84,00.00	-	3,09,46,41.00
(ख) ऋण पर ब्याज नहीं -				
9.00% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 1999	22.04	-	-	22.04
11.00% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2002	1.00	-	-	1.00
14.00% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2005	1.00	-	-	1.00
8.54% जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक 2018	2,00,00.00	-	2,00,00.00	-
8.55% जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक 2018	2,11,80.00	-	2,11,80.00	-
8.68% जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक 2018	5,64,10.00	-	5,64,10.00	-
7.98% जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक 2019	4,44,57.00	-	4,44,57.00	-
8.34% जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक 2019	1,29,38.00	-	1,29,38.00	-
8.47% जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक 2019	2,07,00.00	-	2,07,00.00	-
कुल (ख) ऋण पर ब्याज नहीं	17,57,09.04	-	17,56,85.00	24.04
कुल 101- बाजार ऋण	2,60,19,50.04	66,84,00.00	17,56,85.00	3,09,46,65.04
103- भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	14,15,90.25	-	1,46,15.84	12,69,74.41
104- भारतीय सामान्य बीमा निगम से ऋण	1,37.12	-	37.88	99.24
105- कृषि एवं ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक से ऋण	18,43,56.46	3,96,02.53	2,51,95.89	19,87,63.10

17. उधार एवं अन्य देयताओं का विस्तृत विवरण (जारी)

विवरण संख्या 17 हेतु अनुलग्नक (समाप्त)

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2018 तक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान उन्मोचन	31 मार्च 2019 तक शेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(₹ लाख में)				
इ-लोक ऋण-(समाप्त)				
6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-(समाप्त)				
106- क्षति पूर्ति एवं अन्य बॉण्ड-				
(i)- पॉवर बॉण्ड	-	4,03.30	4,03.30	-
(ii)- उदय बॉण्ड	35,37,55.00	-	-	35,37,55.00
कुल-106-क्षति पूर्ति एवं अन्य बॉण्ड	35,37,55.00	4,03.30	4,03.30	35,37,55.00
109- अन्य संस्थानों से ऋण-				
(i)- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड से ऋण	62,67.75	6,27.48	26,73.28	42,21.95 #
(ii)- यूनाइटेड इंडिया बीमा कम्पनी से ऋण	63.99	-	16.00	47.99
(iii)- आवास विकास वित्त निगम से ऋण	1,46.11	-	-	1,46.11
(iv) विद्युत वित्त निगम से ऋण	4,00,00.00	-	-	4,00,00.00 #
कुल-109-अन्य संस्थानों से ऋण	4,64,77.85	6,27.48	26,89.28	4,44,16.05
110- आरबीआई से अर्थोपाय अग्रिम-				
(i)- अर्थोपाय अग्रिम	3,00,71.00	1,76,51,47.00	1,74,19,80.00	5,32,38.00
(ii)- ओवर ड्राफ्ट	-	5,90,47.36	5,90,47.36	-
कुल-110-आरबीआई से प्राप्त माध्यम एवं स्रोत अग्रिम	3,00,71.00	1,82,41,94.36	1,80,10,27.36	5,32,38.00
111- केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	38,35,15.51	-	3,32,84.55	35,02,30.96
कुल-6003-राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	3,74,18,53.23	2,53,32,27.67	2,05,29,39.10	4,22,21,41.80

राज्य सरकार के साथ समाधान के परिणामस्वरूप पूर्व वित्त लेखा से ₹2,00,00.00 लाख की भिन्नता

17. उधार एवं अन्य देयताओं का विस्तृत विवरण (जारी)

(ख) परिपक्वता प्रोफाइल

(i) आंतरिक ऋण की परिपक्वता प्रोफाइल

(₹ लाख में)

वर्ष	बाजार ऋणों का विवरण (जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण/ स्टॉक)	ऋण			आर ई सी/पी एफ सी	पॉवर बॉण्ड्स (उदय)	जारी किए गए विशेष प्रतिभूति	अन्य संस्थानों से ऋण	कुल
		एल आई सी	जी आई सी/ओ आईसी/ एन आई ए सी/ यू आई आई सी	नाबार्ड					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2019-20	11,08,93.07	1,41,84.49	51.00	3,14,88.28	-	-	3,39,54.05	-	19,05,70.89
2020-21	33,08,48.31	14,4,28.35	51.00	3,56,60.53	-	-	3,39,54.05	-	41,49,42.24
2021-22	29,75,00.00	1,31,55.02	36.00	3,15,24.07	-	2,14,00.00	3,39,54.05	-	39,75,69.14
2022-23	21,50,23.66	1,31,55.02	9.23	2,60,02.78	10,00.00	3,53,75.50	3,39,54.05	-	32,45,20.24
2023-24	20,80,00.00	1,24,89.75	-	1,94,36.40	20,00.00	3,53,75.50	3,39,54.05	-	31,12,55.70
2024-25	14,00,00.00	1,02,92.39	-	1,59,65.59	20,00.00	3,53,75.50	3,39,54.05	-	23,75,87.53
2025-26	22,50,00.00	1,02,29.28	-	3,86,85.45	20,00.00	3,53,75.50	2,72,36.40	-	33,85,26.63
2026-27	27,90,00.00	88,95.94	-	-	20,00.00	3,53,75.50	1,87,08.10	-	34,39,79.54
2027-28	62,00,00.00	75,19.35	-	-	20,00.00	3,53,75.50	1,78,51.15	-	68,27,46.00
2028-29	66,84,00.00	59,54.21	-	-	20,00.00	3,53,75.50	1,59,10.55	-	72,76,40.26
2029-30	-	28,96.45	-	-	20,00.00	3,53,75.50	1,34,26.75	-	5,36,98.70
2030-31	-	28,11.77	-	-	20,00.00	3,53,75.50	1,05,67.85	-	5,07,55.12
2031-32	-	12,89.03	-	-	20,00.00	1,39,75.50	76,12.30	-	2,48,76.83
2032-33	-	12,52.02	-	-	20,00.00	-	53,43.75	-	85,95.77
2033-34	-	12,23.97	-	-	20,00.00	-	50,34.45	-	52,58.42
2034-35	-	12,23.97	-	-	20,00.00	-	48,18.65	-	80,42.62
2035-36	-	10,10.33	-	-	20,00.00	-	41,81.35	-	71,91.68
2036-37	-	9,19.42	-	-	20,00.00	-	23,92.10	-	53,11.52
2037-38	-	8,41.33	-	-	20,00.00	-	18,52.85	-	46,94.18
2038-39	-	7,03.04	-	-	20,00.00	-	6,25.00	-	33,28.04
2039-40	-	15,66.85	-	-	20,00.00	-	1,08,56.41	-	1,44,23.26
2040-41	-	2,90.76	-	-	20,00.00	-	89.00	-	23,79.76
2041-42	-	1,35.87	-	-	20,00.00	-	-	-	21,35.87
2042-43	-	5,05.80	-	-	52,21.95	-	-	1,46.11	58,73.86
कुल	3,09,46,65.04	12,69,74.41	1,47.23	19,87,63.10	4,42,21.95	35,37,55.00	35,02,30.96	1,46.11	4,16,89,03.80

17. उधार एवं अन्य देयताओं का विस्तृत विवरण (समाप्त)

(ख) परिपक्वता प्रोफाइल

(ii) केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम की परिपक्वता प्रोफाइल

(₹ लाख में)

वर्ष	गैर-योजना ऋण	राज्य/ संघ शासित क्षेत्र योजनाओं हेतु ऋण	केंद्रीय योजनाओं हेतु ऋण	केंद्र प्रायोजित योजनाओं हेतु ऋण	1984-85 से पूर्व ऋण	विधानमण्डल युक्त राज्य/ संघ शासित क्षेत्र योजनाओं हेतु अन्य ऋण	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2019-20	-	1,17,31.08	-	-	-	88.84	1,18,19.92
2020-21	-	1,17,73.56	-	-	-	88.84	1,18,62.40
2021-22	-	1,18,30.93	-	-	-	88.84	1,19,19.77
2022-23	-	1,19,13.29	-	-	-	88.84	1,20,02.13
2023-24	-	1,19,13.28	-	-	-	194.17	1,21,07.45
2024-25	-	1,19,13.28	-	-	-	207.29	1,21,20.57
2025-26	-	1,00,42.16	-	-	-	207.29	1,02,49.45
2026-27	-	11,17.03	-	-	-	207.29	13,24.32
2027-28	-	10,91.93	-	-	-	207.30	12,99.23
2028-29	-	10,91.93	-	-	-	207.30	12,99.23
2029-30	-	10,32.77	-	-	-	207.30	12,40.07
2030-31	-	9,13.43	-	-	-	207.30	11,20.73
2031-32	-	7,35.23	-	-	-	207.30	9,42.53
2032-33	-	6,23.20	-	-	-	207.30	8,30.50
2033-34	-	4,90.71	-	-	-	207.30	6,98.01
2034-35	-	4,07.97	-	-	-	207.30	6,15.27
2035-36	-	3,18.84	-	-	-	207.29	5,26.13
2036-37	-	2,23,71.67	-	-	-	207.29	2,25,78.96
2037-38	-	37.45	-	-	-	207.29	2,44.74
2038-39	96,28.51*	-	9,24.54*	-	37,78.96*	23.01	1,43,55.02
कुल	96,28.51*	11,13,49.74	9,24.54*	-	37,78.96*	34,74.68	12,91,56.43

* राज्य सरकार से सूचना प्रतीक्षित (अगस्त 2019)

\$ मिलान के अधीन आँकड़ें (अगस्त 2019)

₹

18. सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण

खण्ड 1 : ऋणों एवं अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्ष अनुसार सारांश

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2018 की शेष राशि	वर्ष के दौरान अग्रिम	कुल	वर्ष के दौरान पुनः अदायगी	अपरिवर्तनीय ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डालना	31 मार्च 2019 की शेष राशि	वर्ष 2018-19 के दौरान निवल वृद्धि(+)/कमी(-)	ब्याज प्राप्ति और राजस्व में जमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(₹ लाख में)								
च- ऋण एवं अग्रिम-								
ख- सामाजिक सेवाओं के लिए ऋण-								
(क) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति-								
6202- शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति के लिए ऋण-								
01- सामान्य शिक्षा-								
203- विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा	0.01	-	0.01	-	-	0.01	-	-
600- सामान्य-	1,64.36	-	1,64.36	5.55	-	1,58.81	(-)5.55	-
	कुल-01		1,64.37	5.55		1,58.82	(-)5.55	
02- तकनीकी शिक्षा-								
800- अन्य ऋण	3,94.90	-	3,94.90	4.50	-	3,90.40	(-)4.50	-
	कुल-02		3,94.90	4.50		3,90.40	(-)4.50	
03- खेल एवं युवा सेवाएं-								
800- अन्य ऋण	4.39	-	4.39	0.23	-	4.16	(-)0.23	-
	कुल-03		4.39	0.23		4.16	(-)0.23	
	कुल-6202		5,63.66	10.28		5,53.38	(-)10.28	32.05
कुल-(क)-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	5,63.66	-	5,63.66	10.28	-	5,53.38	(-)10.28	32.05
(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण-								
6210- चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य के लिए ऋण-								
01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं								
800- अन्य ऋण	24.92	-	24.92	1.24	-	23.68	(-)1.24	-
	कुल-01		24.92	1.24		23.68	(-)1.24	

18. सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

खण्ड 1 : ऋणों एवं अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्ष अनुसार सारांश

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2018 की शेष राशि	वर्ष के दौरान अग्रिम	कुल	वर्ष के दौरान पुनः अदायगी	अपरिवर्तनीय ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डालना	31 मार्च 2019 की शेष राशि	वर्ष 2018-19 के दौरान निवल वृद्धि(+)/कमी(-)	ब्याज प्राप्ति और राजस्व में जमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(₹ लाख में)								
च- ऋण एवं अग्रिम-(जारी)								
ख- सामाजिक सेवाओं के लिए ऋण-(जारी)								
(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण-(समाप्त)								
6210- चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य के लिए ऋण-(समाप्त)								
03- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान-								
105- एलोपैथी	1,24.72	-	1,24.72	-	-	1,24.72	-	-
200- अन्य प्रणालियां	1.62	-	1.62	0.58	-	1.04	(-)0.58	-
कुल-03	1,26.34	-	1,26.34	0.58	-	1,25.76	(-)0.58	-
04- जन-स्वास्थ्य-								
800- अन्य ऋण	0.14	-	0.14	-	-	0.14	-	-
कुल-04	0.14	-	0.14	-	-	0.14	-	-
80- सामान्य-								
800- अन्य ऋण	45.50	-	45.50	1.03	-	44.47	(-)1.03	-
कुल-80	45.50	-	45.50	1.03	-	44.47	(-)1.03	-
कुल-6210	1,96.89	-	1,96.89	2.85	-	1,94.04	(-)2.85	-
6211- परिवार कल्याण के लिए ऋण-								
800- अन्य ऋण	0.09	-	0.09	-	-	0.09	-	-
कुल-6211	0.09	-	0.09	-	-	0.09	-	-
कुल-(ख)-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,96.98	-	1,96.98	2.85	-	1,94.13	(-)2.85	-

18. सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

खण्ड 1 : ऋणों एवं अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्ष अनुसार सारांश

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2018 की शेष राशि	वर्ष के दौरान अग्रिम	कुल	वर्ष के दौरान पुनः अदायगी	अपरिवर्तनीय ऋणों एवं अग्रिमों को बढ़े खाते में डालना	31 मार्च 2019 की शेष राशि	वर्ष 2018-19 के दौरान निवल वृद्धि(+)/कमी(-)	ब्याज प्राप्ति और राजस्व में जमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(₹ लाख में)								
च- ऋण एवं अग्रिम-(जारी)								
ख- सामाजिक सेवाओं के लिए ऋण-(जारी)								
(ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास-								
6216- आवास के लिए ऋण-								
02- शहरी आवास-								
201- आवास बोर्डों को ऋण-								
मध्यम आय समूह आवास योजनाएं	57.00	-	57.00	0.19	-	56.81	(-)0.19	-
800- अन्य ऋण	1,80.41	-	1,80.41	0.94	-	1,79.47	(-)0.94	-
कुल-02	2,37.41	-	2,37.41	1.13	-	2,36.28	(-)1.13	-
03- ग्रामीण आवास-								
201- आवास बोर्डों को ऋण	2,90.33	-	2,90.33	-	-	2,90.33	-	-
800- अन्य ऋण	1,82.93	-	1,82.93	-	-	1,82.93	-	-
कुल-03	4,73.26	-	4,73.26	-	-	4,73.26	-	-
कुल-6216	7,10.67	-	7,10.67	1.13	-	7,09.54	-	-
6217- शहरी विकास के लिए ऋण-								
01- राज्य का पूंजी विकास-								
191- स्थानीय निकायों, निगमों इत्यादि को ऋण								
नगरपालिकाओं को ऋण	5,17.45	-	5,17.45	-	-	5,17.45	-	-
विकास प्राधिकरणों, श्रीनगर को ऋण	1,91.78	-	1,91.78	-	-	1,91.78	-	-
कुल-191	7,09.23	-	7,09.23	-	-	7,09.23	-	-
800- अन्य ऋण	4,13.72	-	4,13.72	-	-	4,13.72	-	-
कुल-01	11,22.95	-	11,22.95	-	-	11,22.95	-	-

18. सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

खण्ड 1 : ऋणों एवं अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्ष अनुसार सारांश

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2018 की शेष राशि	वर्ष के दौरान अग्रिम	कुल	वर्ष के दौरान पुनः अदायगी	अपरिवर्तनीय ऋणों एवं अग्रिमों को बढ़े खाते में डालना	31 मार्च 2019 की शेष राशि	वर्ष 2018-19 के दौरान निवल वृद्धि(+)/कमी(-)	ब्याज प्राप्ति और राजस्व में जमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(₹ लाख में)								
च- ऋण एवं अग्रिम-(जारी)								
ख- सामाजिक सेवाओं के लिए ऋण-(जारी)								
(ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास-(समाप्त)								
6217- शहरी विकास के लिए ऋण-(समाप्त)								
03- लघु एवं मध्यम कस्बों का एकीकृत विकास								
191- स्थानीय निकायों, निगमों इत्यादि को ऋण	7,56.54	-	7,56.54	-	-	7,56.54	-	-
कुल-03	7,56.54	-	7,56.54	-	-	7,56.54	-	-
60- अन्य शहरी विकास योजनाएं-								
800- अन्य ऋण-								
फल मण्डी के विकास के लिए ऋण	1,27.11	-	1,27.11	-	-	1,27.11	-	-
अन्य ऋण	8,13.72	-	8,13.72	-	-	8,13.72	-	-
कुल-60	9,40.83	-	9,40.83	-	-	9,40.83	-	-
कुल-6217	28,20.32	-	28,20.32	-	-	28,20.32	-	-
कुल-(ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	35,30.99	-	35,30.99	1.13	-	35,29.86	(-)1.13	-
(ङ) अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण								
6225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों एवं अल्पसंख्यक कल्याण के लिए ऋण-								
01- अनुसूचित जातियों का कल्याण								
800- अन्य ऋण	8.20	-	8.20	-	-	8.20	-	-
कुल-01	8.20	-	8.20	-	-	8.20	-	-

18. सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

खण्ड 1 : ऋणों एवं अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्ष अनुसार सारांश

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2018 की शेष राशि	वर्ष के दौरान अग्रिम	कुल	वर्ष के दौरान पुनः अदायगी	अपरिवर्तनीय ऋणों एवं अग्रिमों को बढ़े खाते में डालना	31 मार्च 2019 की शेष राशि	वर्ष 2018-19 के दौरान निवल वृद्धि(+)/कमी(-)	ब्याज प्राप्ति और राजस्व में जमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(₹ लाख में)								
च- ऋण एवं अग्रिम-(जारी)								
ख- सामाजिक सेवाओं के लिए ऋण-(जारी)								
(इ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण-(समाप्त)								
6225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण के लिए ऋण-(समाप्त)								
02- अनुसूचित जातियों का कल्याण-								
800- अन्य ऋण	4.03	-	4.03	-	-	4.03	-	-
	<u>कुल-02</u>	<u>-</u>	<u>4.03</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4.03</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
03- अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण								
800- अन्य ऋण	0.42	-	0.42	-	-	0.42	-	-
	<u>कुल-03</u>	<u>-</u>	<u>0.42</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.42</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>कुल-6225</u>	<u>-</u>	<u>12.65</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>12.65</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
कुल-(इ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण	<u>12.65</u>	<u>-</u>	<u>12.65</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>12.65</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
(छ) सामाजिक कल्याण एवं पोषण								
6235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के लिए ऋण								
01- पुनर्वास								
112- भारत-पाक संघर्ष, 1971 में प्रभावित व्यक्तियों की राहत एवं पुनर्वास								
(i) सीमावर्ती क्षेत्रों में छापे और सैन्य अभियानों से प्रभावित व्यक्तियों को ऋण	48.21	-	48.21	-	-	48.21	-	-

18. सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

खण्ड 1 : ऋणों एवं अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्ष अनुसार सारांश

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2018 की शेष राशि	वर्ष के दौरान अग्रिम	कुल	वर्ष के दौरान पुनः अदायगी	अपरिवर्तनीय ऋणों एवं अग्रिमों को बढ़े खाते में डालना	31 मार्च 2019 की शेष राशि	वर्ष 2018-19 के दौरान निवल वृद्धि(+)/कमी(-)	ब्याज प्राप्ति और राजस्व में जमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(₹ लाख में)								
च- ऋण एवं अग्रिम-(जारी)								
ख- सामाजिक सेवाओं के लिए ऋण-(जारी)								
(छ) सामाजिक कल्याण एवं पोषण (जारी)								
6235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के लिए ऋण- (समाप्त)								
01- पुनर्वास- (समाप्त)								
112- भारत-पाक संघर्ष, 1971 में प्रभावित व्यक्तियों की राहत एवं पुनर्वास								
(ii) चाम्ब एवं जोरिया शरणार्थियों को ऋण	3,95.15	-	3,95.15	-	-	3,95.15	-	-
कुल 112	4,43.36	-	4,43.36	-	-	4,43.36	-	-
202- अन्य पुनर्वास योजनाएं	61.08	-	61.08	-	-	61.08	-	-
कुल 01	5,04.44	-	5,04.44	-	-	5,04.44	-	-
02- सामाजिक कल्याण-								
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को ऋण	87,73.07	-	87,73.07	5.40	-	87,67.67	(-)5.40	-
कुल-02	87,73.07	-	87,73.07	5.40	-	87,67.67	(-)5.40	-
60- अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम								
200- अन्य कार्यक्रम-								
स्वर्णकारों को ऋण	38.14	-	38.14	0.30	-	37.84	(-)0.30	-
800- अन्य								
(i) अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम	4,63.58	-	4,63.58	1.15	-	4,62.43	(-)1.15	-

18. सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

खण्ड 1 : ऋणों एवं अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्ष अनुसार सारांश

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2018 की शेष राशि	वर्ष के दौरान अग्रिम	कुल	वर्ष के दौरान पुनः अदायगी	अपरिवर्तनीय ऋणों एवं अग्रिमों को बढ़े खाते में डालना	31 मार्च 2019 की शेष राशि	वर्ष 2018-19 के दौरान निवल वृद्धि(+)/कमी(-)	ब्याज प्राप्ति और राजस्व में जमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(₹ लाख में)								
च- ऋण एवं अग्रिम-(जारी)								
ख- सामाजिक सेवाओं के लिए ऋण-(जारी)								
(छ) सामाजिक कल्याण एवं पोषण-(समाप्त)								
6235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के लिए ऋण- (समाप्त)								
60- अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम- (समाप्त)								
800- अन्य ऋण- (समाप्त)								
(ii)आपदा ऋण	96.73	-	96.73	-	-	96.73	-	-
कुल-800	5,60.31	-	5,60.31	1.15	-	5,59.16	(-)1.15	-
कुल-60	5,98.45	-	5,98.45	1.45	-	5,97.00	(-)1.45	-
कुल-6235	98,75.96	-	98,75.96	6.85	-	98,69.11	(-)6.85	-
6245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत के लिए ऋण								
03- आग एवं अन्य आपदाएं								
800- अन्य ऋण- (समाप्त)								
(i) आग एवं अन्य आपदाओं से पीड़ितों को ऋण	4,48.20	-	4,48.20	-	-	4,48.20	-	-
(ii) प्राकृतिक आपदाएं	60.28	-	60.28	-	-	60.28	-	-
कुल-800	5,08.48	-	5,08.48	-	-	5,08.48	-	-
कुल-03	5,08.48	-	5,08.48	-	-	5,08.48	-	-
कुल-6245	5,08.48	-	5,08.48	-	-	5,08.48	-	-
कुल-(छ)-सामाजिक कल्याण एवं पोषण	1,03,84.44	-	1,03,84.44	6.85	-	1,03,77.58	(-)6.85	-

18. सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

खण्ड 1 : ऋणों एवं अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्ष अनुसार सारांश

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2018 की शेष राशि	वर्ष के दौरान अग्रिम	कुल	वर्ष के दौरान पुनः अदायगी	अपरिवर्तनीय ऋणों एवं अग्रिमों को बढ़े खाते में डालना	31 मार्च 2019 की शेष राशि	वर्ष 2018-19 के दौरान निवल वृद्धि(+)/कमी(-)	ब्याज प्राप्ति और राजस्व में जमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(₹ लाख में)								
च- ऋण एवं अग्रिम-(जारी)								
ख- सामाजिक सेवाओं के लिए ऋण-(समाप्त)								
(ज) अन्य सामाजिक सेवाएं-								
6250- अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए ऋण								
60- अन्य-								
800- अन्य ऋण-								
रोजगार	13.17	-	13.17	-	-	13.17	-	-
कुल-6250	13.17	-	13.17	-	-	13.17	-	-
कुल-(ज)-अन्य सामाजिक सेवाएं	13.17	-	13.17	-	-	13.17	-	-
कुल-ख -सामाजिक सेवाओं के लिए ऋण	1,47,01.89	*	1,47,01.89	21.11	-	1,46,80.77	(-)21.11	32.05
ग- आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण-								
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण								
6401- फसल पैदावार के लिए ऋण								
106- उच्च पैदावार किस्मों के लिए कार्यक्रम	38.17	-	38.17	-	-	38.17	-	-
111- कृषि शिक्षा	6,99.01	-	6,99.01	0.28	-	6,98.73	(-)0.28	-
113- कृषि अभियांत्रिकी	2,89.86	-	2,89.86	-	-	2,89.86	-	-
119- बागवानी एवं शाक फसलें	47.51	-	47.51	-	-	47.51	-	-
800- अन्य ऋण-								
(i) तकावी अग्रिम	1,26.94	-	1,26.94	0.97	-	1,25.97	(-)0.97	-
(ii) अन्य कृषि ऋण	7,34.80	-	7,34.80	0.91	-	7,33.89	(-)0.91	-
कुल-800	8,61.74	-	8,61.74	1.88	-	8,59.86	(-)1.88	-
कुल-6401	19,36.29	-	19,36.29	2.16	-	19,34.13	(-)2.16	-
6402- मृदा एवं जल संरक्षण के लिए ऋण								
102- मृदा संरक्षण	5.12	-	5.12	-	-	5.12	-	-
कुल-6402	5.12	-	5.12	-	-	5.12	-	-

18. सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

खण्ड 1 : ऋणों एवं अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्ष अनुसार सारांश

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2018 की शेष राशि	वर्ष के दौरान अग्रिम	कुल	वर्ष के दौरान पुनः अदायगी	अपरिवर्तनीय ऋणों एवं अग्रिमों को बढ़े खाते में डालना	31 मार्च 2019 की शेष राशि	वर्ष 2018-19 के दौरान निवल वृद्धि(+)/कमी(-)	ब्याज प्राप्ति और राजस्व में जमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(₹ लाख में)								
च- ऋण एवं अग्रिम-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण-(जारी)								
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण-(जारी)								
6403- पशुपालन के लिए ऋण								
109- विस्तारण एवं प्रशिक्षण	43.06	-	43.06	-	-	43.06	-	-
800- अन्य ऋण	8.87	-	8.87	0.42	-	8.45	(-)0.42	-
कुल-6403	51.93	-	51.93	0.42	-	51.51	(-)0.42	-
6404- डेयरी विकास के लिए ऋण								
102- डेयरी विकास परियोजनाएं	30.08	-	30.08	-	-	30.08	-	-
कुल-6404	30.08	-	30.08	-	-	30.08	-	-
6406- वानिकी एवं वन्य जीवन के लिए ऋण-								
104- वानिकी- वन के लिए ऋण	1.64	-	1.64	-	-	1.64	-	-
कुल -6406	1.64	-	1.64	-	-	1.64	-	-
6425- सहकारिता के लिए ऋण-								
107- क्रेडिट सहकारिताओं के लिए ऋण-								
(i) सहकारी बैंकों को ऋण	44.95	-	44.95	-	-	44.95	-	-
(ii)स्थानीय अनाज की खरीद के लिए सहकारी बैंकों को अग्रिम	77.87	-	77.87	-	-	77.87	-	-
(iii) भूमि विकास बैंक का ऋण पत्र	65.52	-	65.52	-	-	65.52	-	-
कुल-107	1,88.34	-	1,88.34	-	-	1,88.34	-	-

18. सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

खण्ड 1 : ऋणों एवं अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्ष अनुसार सारांश								
लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2018 की शेष राशि	वर्ष के दौरान अग्रिम	कुल	वर्ष के दौरान पुनः अदायगी	अपरिवर्तनीय ऋणों एवं अग्रिमों को बढ़े खाते में डालना	31 मार्च 2019 की शेष राशि	वर्ष 2018-19 के दौरान निवल वृद्धि(+)/कमी(-)	ब्याज प्राप्ति और राजस्व में जमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(₹ लाख में)								
च- ऋण एवं अग्रिम-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण-(जारी)								
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण-(समाप्त)								
6425- सहकारिता के लिए ऋण- (समाप्त)								
108- अन्य सहकारिताओं को ऋण-								
(i) उपभोक्ता सहकारिताओं को ऋण	23.87	-	23.87	-	-	23.87	-	-
(ii) अन्य ऋण	4,05.26	-	4,05.26	-	-	4,05.26	-	-
(iii) अन्य सहकारिताएं	1,33.67	-	1,33.67	-	-	1,33.67	-	-
कुल-108	5,62.80	-	5,62.80	-	-	5,62.80	-	-
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को ऋण-								
(i) औद्योगिक सहकारिताएं	26.33	-	26.33	-	-	26.33	-	-
कुल-6425	7,77.47	-	7,77.47	-	-	7,77.47	-	-
6435- अन्य कृषि कार्यक्रमों के लिए ऋण								
01- विपणन एवं गुणवत्ता नियंत्रण-								
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को ऋण-								
(जम्मू एवं कश्मीर एचपीएमसी लिमिटेड)	12,66.58	-	12,66.58	-	-	12,66.57	-	-
कुल-01	12,66.58	-	12,66.58	-	-	12,66.57	-	-
कुल-6435	12,66.58	-	12,66.58	-	-	12,66.57	-	-
कुल-(क)-कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण	40,69.11	*	40,69.11	2.58	-	40,66.53	(-)2.58	-

* पूर्णांकन के कारण पूर्व लेखा से ₹0.01 लाख की भिन्नता

18. सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

खण्ड 1 : ऋणों एवं अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्ष अनुसार सारांश

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2018 की शेष राशि	वर्ष के दौरान अग्रिम	कुल	वर्ष के दौरान पुनः अदायगी	अपरिवर्तनीय ऋणों एवं अग्रिमों को बढ़े खाते में डालना	31 मार्च 2019 की शेष राशि	वर्ष 2018-19 के दौरान निवल वृद्धि(+)/कमी(-)	ब्याज प्राप्ति और राजस्व में जमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(₹ लाख में)								
च- ऋण एवं अग्रिम-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण-(जारी)								
(ख) ग्रामीण विकास के लिए ऋण								
6515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए ऋण-								
101- पंचायती राज	1.12	-	1.12	-	-	1.12	-	-
102- सामुदायिक विकास	4.29	-	4.29	-	-	4.29	-	-
कुल-6515	5.41	-	5.41	-	-	5.41	-	-
कुल -(ख)-ग्रामीण विकास के लिए ऋण	5.41	-	5.41	-	-	5.41	-	-
(ग) विशेष क्षेत्रों कार्यक्रमों के लिए ऋण-								
6575- अन्य विशेष क्षेत्रों कार्यक्रमों के लिए ऋण-								
02- पिछड़े क्षेत्र								
299- लद्दाख विकास	1,36.26	-	1,36.26	-	-	1,36.26	-	-
कुल-02	1,36.26	-	1,36.26	-	-	1,36.26	-	-
60- अन्य-								
800- अन्य ऋण	6.88	-	6.88	-	-	6.88	-	-
कुल-60	6.88	-	6.88	-	-	6.88	-	-
कुल-6575	1,43.14	-	1,43.14	-	-	1,43.14	-	-
कुल-(ग)-विशेष क्षेत्रों कार्यक्रमों के लिए ऋण	1,43.14	-	1,43.14	-	-	1,43.14	-	-

18. सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

खण्ड 1 : ऋणों एवं अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्ष अनुसार सारांश

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2018 की शेष राशि	वर्ष के दौरान अग्रिम	कुल	वर्ष के दौरान पुनः अदायगी	अपरिवर्तनीय ऋणों एवं अग्रिमों को बढ़े खाते में डालना	31 मार्च 2019 की शेष राशि	वर्ष 2018-19 के दौरान निवल वृद्धि(+)/कमी(-)	ब्याज प्राप्ति और राजस्व में जमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(₹ लाख में)								
च- ऋण एवं अग्रिम-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण-(जारी)								
(ड) ऊर्जा								
6801- विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण -								
800- विद्युत बोर्ड को ऋण (1) जेकेपीडीसी	85,04.81	-	85,04.81	-	-	85,04.81	-	-
कुल-क-6801	85,04.81	-	85,04.81	-	-	85,04.81	-	-
कुल-(ड)-ऊर्जा	85,04.81	-	85,04.81	-	-	85,04.81	-	-
(च) उद्योग एवं खनिजों के लिए ऋण								
6851- ग्राम एवं लघु उद्योगों के लिए ऋण								
101- औद्योगिक परिसंपत्तियां	0.06	-	0.06	-	-	0.06	-	-
102- लघु पैमाना उद्योग								
(i) औद्योगिक ऋण	4,22.06	-	4,22.06	-	-	4,22.06	-	-
(ii) छोटे व्यापारियों, दस्तकारों एवं शिल्पकारों को ऋण	45.13	-	45.13	-	-	45.13	-	-
(iii) लघु पैमाना उद्योगों को अन्य विविध ऋण	3,60.67	-	3,60.67	0.70	-	3,59.97	(-)0.70	-
कुल-102	8,27.86	-	8,27.86	0.70	-	8,27.16	(-)0.70	-
103- हथकरघा उद्योग	2,62.47	-	2,62.47	-	-	2,62.47	-	-
105- खादी एवं ग्रामोद्योग	0.12	-	0.12	-	-	0.12	-	-
108- पावरलूम उद्योग	24.45	-	24.45	-	-	24.45	-	-
200- अन्य ग्रामोद्योग								
(i) अन्य ग्रामोद्योग	25,53.80	-	25,53.80	-	-	25,53.80	-	-
(ii) अन्य ऋण	31.22	-	31.22	-	-	31.22	-	-
कुल-200	25,85.02	-	25,85.02	-	-	25,85.02	-	-
कुल-6851	36,99.98	-	36,99.98	0.70	-	36,99.28	(-)0.70	-

(क) राज्य सरकार द्वारा सूचित पूर्व गलत वर्गीकरण में सुधार के कारण 31 मार्च 2013 तक ₹ 1,67,00.00 लाख की राशि के रूप में शेष में प्रॉफार्मा वृद्धि की गई। कृपया खण्ड-1 विवरण संख्या 5 के मुख्यशीर्ष-4801 के पाद टिप्पणी का संदर्भ लें।

18. सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

खण्ड 1 : ऋणों एवं अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्ष अनुसार सारांश

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2018 की शेष राशि	वर्ष के दौरान अग्रिम	कुल	वर्ष के दौरान पुनः अदायगी	अपरिवर्तनीय ऋणों एवं अग्रिमों को बढ़े खाते में डालना	31 मार्च 2019 की शेष राशि	वर्ष 2018-19 के दौरान निवल वृद्धि(+)/कमी(-)	ब्याज प्राप्ति और राजस्व में जमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(₹ लाख में)								
च- ऋण एवं अग्रिम-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण-(जारी)								
(च) उद्योग एवं खनिजों के लिए ऋण-(जारी)								
6853- अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योगों के लिए ऋण								
01- खनिज अन्वेषण एवं विकास								
800- अन्य ऋण -								
जम्मू एवं कश्मीर खनिज को ऋण-	1,86.16	-	1,86.16	-	-	1,86.16	-	-
कुल-01	1,86.16	-	1,86.16	-	-	1,86.16	-	-
60- अन्य खनन एवं धातुकर्म उद्योग								
800- अन्य ऋण -								
धातुकर्म उद्योग	12.00	-	12.00	-	-	12.00	-	-
कुल-60	12.00	-	12.00	-	-	12.00	-	-
कुल-6853	1,98.16	-	1,98.16	-	-	1,98.16	-	-
6858 अभियांत्रिकी उद्योगों के लिए ऋण								
02- अन्य औद्योगिक मशीनरी उद्योग								
800- अन्य ऋण -	33.84	-	33.84	-	-	33.84	-	-
कुल-02	33.84	-	33.84	-	-	33.84	-	-
कुल-6858	33.84	-	33.84	-	-	33.84	-	-
6860 उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण -								
60- अन्य-								
600- अन्य	10,04.11	-	10,04.11	-	-	10,04.11	-	-
कुल-60	10,04.11	-	10,04.11	-	-	10,04.11	-	-
कुल-6860	10,04.11	-	10,04.11	-	-	10,04.11	-	-

18. सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

खण्ड 1 : ऋणों एवं अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्ष अनुसार सारांश

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2018 की शेष राशि	वर्ष के दौरान अग्रिम	कुल	वर्ष के दौरान पुनः अदायगी	अपरिवर्तनीय ऋणों एवं अग्रिमों को बढ़े खाते में डालना	31 मार्च 2019 की शेष राशि	वर्ष 2018-19 के दौरान निवल वृद्धि(+)/कमी(-)	ब्याज प्राप्ति और राजस्व में जमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(₹ लाख में)								
च- ऋण एवं अग्रिम-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण-(जारी)								
(च) उद्योग एवं खनिजों के लिए ऋण-(समाप्त)								
6885- अन्य उद्योग एवं खनिजों के लिए ऋण								
01- औद्योगिक वित्तीय संस्थानों को ऋण								
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को ऋण- कृषि उद्योगों को ऋण-	7,94.71	37,98.15	45,92.86	-	-	45,92.86	(+)37,98.15	-
सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों को सहायता अर्थोपाय अग्रिम (जम्मू एवं कश्मीर उद्योग लिमिटेड)	3,83,98.63	-	3,83,98.63	1,25.00	-	3,82,73.63	(-)1,25.00	-
कुल-190	3,91,93.34	37,98.15	4,29,91.49	1,25.00	-	4,28,66.49	(+)36,73.15	-
800- अन्य ऋण -								
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को सहायता-	2,10,22.48	-	2,10,22.48	1,25.00	-	2,08,97.48	(-)1,25.00	-
कुल-01	6,02,15.82	37,98.15	6,40,13.97	2,50.00	-	6,37,63.97	(+)35,48.15	-
02- पिछड़े क्षेत्रों का विकास								
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को ऋण- पायलट परियोजना (ग्रामीण औद्योगीकरण)	30,48.55	-	30,48.55	-	-	30,48.55	-	-
कुल-02	30,48.55	-	30,48.55	-	-	30,48.55	-	-
60- अन्य- 800- अन्य ऋण	75,29.41	-	75,29.41	-	-	75,29.41	-	-
कुल-60	75,29.41	-	75,29.41	-	-	75,29.41	-	-
कुल-6885	7,07,93.78	37,98.15	7,45,91.93	2,50.00	-	7,43,41.93	(+)35,48.15	-
कुल-(च)-उद्योग एवं खनिजों के लिए ऋण	7,57,29.87	37,98.15	7,95,28.02	2,50.70	-	7,92,77.32	(+)35,47.45	-

18. सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

खण्ड 1 : ऋणों एवं अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्ष अनुसार सारांश

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2018 की शेष राशि	वर्ष के दौरान अग्रिम	कुल	वर्ष के दौरान पुनः अदायगी	अपरिवर्तनीय ऋणों एवं अग्रिमों को बढ़े खाते में डालना	31 मार्च 2019 की शेष राशि	वर्ष 2018-19 के दौरान निवल वृद्धि(+)/कमी(-)	ब्याज प्राप्ति और राजस्व में जमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(₹ लाख में)								
च- ऋण एवं अग्रिम-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण-(जारी)								
(छ) परिवहन-								
7055- सड़क परिवहन के लिए ऋण-								
101- सड़क परिवहन निगम को शाश्वत ऋण- वाहकों के लिए ऋण	2,21,35.04	-	2,21,35.04	-	-	2,21,35.04	-	-
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को ऋण- जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड को ऋण	3,46,72.76	30,00.00	3,76,72.76	-	-	3,76,72.76	(+)30,00.00	-
कुल-7055	5,68,07.80	30,00.00	5,98,07.80	-	-	5,98,07.80	(+)30,00.00	-
7075- अन्य परिवहन सेवाओं के लिए ऋण-								
01- सड़क और पुल								
800- अन्य ऋण-								
जिला और अन्य सड़कें	5,54.42	-	5,54.42	-	-	5,54.42	-	-
कुल-7075	5,54.42	-	5,54.42	-	-	5,54.42	-	-
कुल -(छ)-परिवहन	5,73,62.22	30,00.00	6,03,62.22	-	-	6,03,62.22	(+)30,00.00	-
(ज) सामान्य आर्थिक सेवाएं-								
7452- पर्यटन के लिए ऋण								
60- अन्य-								
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को ऋण	14,93.68	-	14,93.68	-	-	14,93.68	-	-
800- अन्य ऋण -	1,28.37	-	1,28.37	-	-	1,28.37	-	-
कुल-7452	16,22.05	-	16,22.05	-	-	16,22.05	-	-

18. सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

खण्ड 1 : ऋणों एवं अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्ष अनुसार सारांश								
लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2018 की शेष राशि	वर्ष के दौरान अग्रिम	कुल	वर्ष के दौरान पुनः अदायगी	अपरिवर्तनीय ऋणों एवं अग्रिमों को बढ़े खाते में डालना	31 मार्च 2019 की शेष राशि	वर्ष 2018-19 के दौरान निवल वृद्धि(+)/कमी(-)	ब्याज प्राप्ति और राजस्व में जमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(₹ लाख में)								
च- ऋण एवं अग्रिम-(जारी)								
ग- आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण-(समाप्त))								
(ज) सामान्य आर्थिक सेवाएं-(समाप्त)								
7475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण-								
101- सामान्य वित्तीय संस्थान	9,06.97	-	9,06.97	-	-	9,06.97	-	-
102- व्यापारिक संस्थान	9,66.75	-	9,66.75	-	-	9,66.75	-	-
कुल-7475	18,73.72	-	18,73.72	-	-	18,73.72	-	-
कुल-(ज) सामान्य आर्थिक सेवाएं	34,95.77	-	34,95.77	-	-	34,95.77	-	-
कुल-ग-आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण	14,93,10.33	* 67,98.15	15,61,08.48	2,53.28	-	15,58,55.20	# (+)65,44.85	-
7610- सरकारी कर्मचारी इत्यादि को ऋण-								
201- आवास निर्माण अग्रिम	17,96.27	1,17.00	19,13.27	1,47.63	-	17,65.64	(-)30.63	44.24
202- मोटर वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम	2,04.16	-	2,04.16	1.10	-	2,03.06	(-)1.10	5.10
203- अन्य वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम	22.28	-	22.28	-	-	22.28	-	-
204- कंप्यूटर की खरीद के लिए अग्रिम	0.35	-	0.35	-	-	0.35	-	-
800- अन्य अग्रिम-								
(i) अन्य अग्रिम	50.14	-	50.14	0.58	-	49.56	(-)0.58	-
कुल-7610	20,73.20	1,17.00	21,90.20	1,49.31	-	20,40.89	(-)32.31	49.34
कुल योग-	16,60,85.42	69,15.15	17,30,00.57	4,23.70	-	17,25,76.87	# (+)64,91.45	81.39

कृपया इस विवरण के मुख्य शीर्ष- 6801 के पाद टिप्पणी (क) का संदर्भ लें। खण्ड-1 के विवरण संख्या पांच के मुख्य शीर्ष 4801 के नीचे पाद टिप्पणी (क) का भी संदर्भ लें।

18. सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(समाप्त)

2. वर्ष के दौरान राज्य योजना उद्देश्यों और केंद्र प्रायोजित योजनाओं (केंद्रीय योजनाएं सम्मिलित) के लिए अग्रिम ऋणों का ब्योरा नीचे दिया गया है।

मुख्य शीर्ष	राज्य योजनाएं	केंद्र प्रायोजित योजनाएं (केंद्रीय योजनाएं सम्मिलित)
		(₹ लाख में)

वर्ष के दौरान राज्य योजना उद्देश्यों या निम्न श्रेणी के अधीन कोई अग्रिम ऋण नहीं दिया गया
'केंद्र प्रायोजित योजनाएं' (केंद्रीय योजनाएं सम्मिलित)

19-सरकार के निवेश का विस्तृत विवरण

खण्ड.1 2018-19 तक निवेशों का विवरण

क्रम संख्या	व्यवसाय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल अदा की गई पूंजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते जमा एवं प्राप्त लाभांश/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते जमा न किए गए लाभांश/ ब्याज	अभियुक्तियाँ	
			प्रकार	हिस्सेदारी/ ऋण पत्रों की संख्या						प्रत्येक हिस्सेदारी/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(₹ लाख में)										
I.	सांविधिक निगम- कार्यशील निगम									
1	जम्मू एवं कश्मीर राज्य वित्तीय निगम	1959-60 से 2017-18	साधारण	14885400	100	1,48,85.40 *	83.83	शून्य	शून्य	2017-18 तक निगम के लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया। निगम को ₹ 40,64.85 लाख की हानि हुई, तथापि वर्ष 2017-18 के अंत में कंपनी को ₹ 1,76,15.06 लाख की संचित हानि हुई।
		2018-19		1500000	100	15,00.00	100.00	शून्य	शून्य	
				16385400	100	1,63,85.40	85.06	शून्य	शून्य	
2	जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम	1976-77 से 2017-18	शेयर जारी नहीं किए गए	-	-	1,64,85.39	80.55	शून्य	शून्य	2013-14 तक निगम के लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया। निगम को 2013-14 के दौरान ₹ 92,90.21 लाख की हानि हुई, और वर्ष के अंत में कंपनी को ₹ 11,48,11.6 6 लाख की संचित हानि हुई।
		2018-19		शून्य	शून्य	17,90.00	100.00	शून्य	शून्य	
				शून्य	शून्य	1,82,75.39	82.12	शून्य	शून्य	

* जम्मू एवं कश्मीर राज्य वित्त निगम ने 2017-18 के दौरान अपने प्रदत्त पूंजीगत हिस्सेदारी में ₹ 87,88.00 लाख की वृद्धि की जिसमें राज्य सरकार द्वारा ₹ 72,88.00 लाख की हस्तांतरित राशि सम्मिलित है। तथापि, वित्तीय लेखा के विवरण संख्या- 16 में इस प्रकार का कोई भी लेन-देन बकाया नहीं है। मामले को राज्य सरकार के सामने उठाया गया, परंतु राज्य सरकार से उत्तर प्रतीक्षित है (अगस्त 2018)।

19-सरकार के निवेश का विस्तृत विवरण - (जारी)

खण्ड.1 2018-19 तक निवेशों का विवरण - (जारी)

क्रम संख्या	व्यवसाय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण			निवेशित राशि	कुल अदा की गई पूंजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते जमा एवं प्राप्त लाभांश/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते जमा न किए गए लाभांश/ ब्याज	अभियुक्तियाँ
			प्रकार	हिस्सेदारी/ ऋण पत्रों की संख्या	प्रत्येक हिस्सेदारी/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(₹ लाख में)										
I.	सांविधिक निगम-(जारी)									
	कार्यशील निगम-(जारी)									
3	जम्मू एवं कश्मीर राज्य वन निगम	1979-80 से 2017-18	साधारण	शेयर जारी नहीं किए गए	उ.न.	9,03.00	100.00	शून्य	शून्य	निगम को 1 जुलाई, 1979 को निगमित किया गया और 1996-97 से नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा सौंप दी गई। तथापि, निगम ने इन वर्षों के दौरान अब तक (जून, 2019) अपने लेखाओं को लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया
		2018-19		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
				शून्य	शून्य	9,03.00	100.00	शून्य	शून्य	
				कुल-I सांविधिक निगम				शून्य	शून्य	
				कार्यशील निगम		3,55,63.79		शून्य	शून्य	
II	ग्रामीण बैंक									
1	जम्मू एवं कश्मीर ग्रामीण बैंक	2017-18 तक	साधारण	420960	100	4,20.96	15.00	शून्य	शून्य	2017-18 तक लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया। 2017-18 के दौरान बैंक ने ₹14,10.00 लाख का लाभ कमाया।
		2018-19		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
				420960	100	4,20.96	15.00	शून्य	शून्य	

19-सरकार के निवेश का विस्तृत विवरण - (जारी)

खण्ड.1 2018-19 तक निवेशों का विवरण - (जारी)

क्रम संख्या	व्यवसाय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल अदा की गई पूंजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते जमा एवं प्राप्त लाभांश/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते जमा न किए गए लाभांश/ ब्याज	अभियुक्तियाँ	
			प्रकार	हिस्सेदारी/ ऋण पत्रों की संख्या						प्रत्येक हिस्सेदारी/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(₹ लाख में)										
II	ग्रामीण बैंक (समाप्त)									
2	इलाकाई देहाती बैंक	2017-18 तक	साधारण	8643000	10	8,64.30	15.00	शून्य	शून्य	वर्ष 2018-19 तक बैंक ने लेखाओं को अंतिम रूप दिया और वर्ष के दौरान ₹17,37.93 लाख की हानि हुई और मार्च 2019 तक ₹1,88,68.02 लाख की संचित हानि हुई
		2018-19		शून्य				शून्य	शून्य	
				8643000	10	8,64.30	15.00	शून्य	शून्य	
			कुल-II ग्रामीण बैंक			12,85.26				
III	सरकारी कंपनियां- कार्यशील कंपनियां									
1	जम्मू एवं कश्मीर खनिज लिमिटेड	1960-61 से 2017-18	इक्विटी	2673550	100	26,73.55	100.00	शून्य	शून्य	1999-2000 तक लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया। 1999-2000 के दौरान कंपनी को ₹8,59.00 लाख की हानि हुई
		2018-19		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
				2673550	100	26,73.55	100.00	शून्य	शून्य	

19-सरकार के निवेश का विस्तृत विवरण - (जारी)

खण्ड.1 2018-19 तक निवेशों का विवरण - (जारी)

क्रम संख्या	व्यवसाय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल अदा की गई पूंजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते जमा एवं प्राप्त लाभांश/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते जमा न किए गए लाभांश/ ब्याज	अभियुक्तियाँ	
			प्रकार	हिस्सेदारी/ ऋण पत्रों की संख्या						प्रत्येक हिस्सेदारी/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(₹ लाख में)										
III	सरकारी कंपनियां-(जारी)									
	कार्यशील कंपनियां-(जारी)									
2	जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड	1939-40 से 2017-18	इक्विटी	329833032	1	32,98.33 *	59.23	45,10.84	शून्य	कम्पनी से सूचना प्रतीक्षित है (जून 2019)।
		2018-19		प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	
				329833032	1	32,98.33	59.23	शून्य	शून्य	
3	जम्मू एवं कश्मीर परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड	1965-66 से 2017-18	इक्विटी	15250	1000	1,52.50	100.00		शून्य	कम्पनी से सूचना प्रतीक्षित है (जुलाई 2019)।
		2018-19		प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	
				15250	1000	1,52.50	100.00	शून्य	शून्य	

* आंकड़ों में विभिन्नता वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के साथ मिलान के कारण हैं क्योंकि राज्य सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर बैंक में 2016-17 और 2017-18 के दौरान क्रमशः ₹ 2,50,00.00 लाख और ₹ 2,82,00.00 का निवेश किया जिसके प्रति बैंक ने 3.66 करोड़ की हिस्सेदारी (₹ 1 शेयर की अंकित मूल्य के प्रति ₹ 67 शेयर के प्रीमियम) और 3.55 करोड़ की हिस्सेदारी (₹ 1 प्रति शेयर की अंकित मूल्य के प्रति ₹ 78 प्रति शेयर के प्रीमियम पर) क्रमशः 2016-17 और 2017-18 के दौरान जारी किया। शेयर पूंजी में संवर्धनों को विवरण में तदनुसार दर्शाया गया तथापि, 2016-17 और 2017-18 के वित्त लेखाओं में विवरण संख्या-16 में ₹ 2,50,00.00 लाख और ₹ 2,82,00.00 लाख की राशि प्रतिबिंबित की गई। निवेश के पुष्टिकरण से संबंधित मामले को राज्य सरकार के सामने उठाया गया, परंतु राज्य से उत्तर प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2018)।

19-सरकार के निवेश का विस्तृत विवरण - (जारी)

खण्ड.1 2018-19 तक निवेशों का विवरण - (जारी)

क्रम संख्या	व्यवसाय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल अदा की गई पूंजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते जमा एवं प्राप्त लाभांश/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते जमा न किए गए लाभांश/ ब्याज	अभियुक्तियाँ	
			प्रकार	हिस्सेदारी/ ऋण पत्रों की संख्या						प्रत्येक हिस्सेदारी/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(₹ लाख में)										
III	सरकारी कंपनियां-(जारी)									
	कार्यशील कंपनियां-(जारी)									
4	जम्मू एवं कश्मीर पुलिस आवास निगम लिमिटेड	1997-98 से 2017-18	इक्विटी	205000	100	2,05.00	100.00	शून्य	शून्य	वर्ष 2009-10 तक लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया और कंपनी को वर्ष 2009-10 के दौरान ₹ 10,86.66 लाख का लाभ हुआ।
		2018-19		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
				205000	100	2,05.00	100.00	शून्य	शून्य	
5	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विदेश रोजगार निगम लिमिटेड	2009-10 से 2017-18	इक्विटी	13500	1000	1,35.00	100.00	शून्य	शून्य	कम्पनी से सूचना प्रतीक्षित है (जून 2019)।
		2018-19		प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	
				13500	1000	1,35.00	100.00	शून्य	शून्य	

19-सरकार के निवेश का विस्तृत विवरण - (जारी)

खण्ड.1 2018-19 तक निवेशों का विवरण - (जारी)

क्रम संख्या	व्यवसाय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल अदा की गई पूंजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते जमा एवं प्राप्त लाभांश/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते जमा न किए गए लाभांश/ ब्याज	अभियुक्तियाँ	
			प्रकार	हिस्सेदारी/ ऋण पत्रों की संख्या						प्रत्येक हिस्सेदारी/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(₹ लाख में)										
III	सरकारी कंपनियों-(जारी)									
	कार्यशील कंपनियों-(जारी)									
6	जम्मू एवं कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (एसआईडीसीओ)	1968-69 से 2017-18	इक्विटी	4580640	100	45,80.64	100.00	शून्य	शून्य	वर्ष 2012-13 तक लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया। कंपनी को वर्ष 2012-13 के दौरान ₹11,64.72 लाख की हानि हुई। 2012-13 के अंत तक ₹1,26,79.87 लाख की संचित हानि हुई।
		2018-19		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
				4580640	100	45,80.64	100.00	शून्य	शून्य	
7	जम्मू एवं कश्मीर राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	1975-76 से 2017-18	इक्विटी	259920	100	2,59.92	73.49	शून्य	शून्य	वर्ष 2009-10 तक लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया। वर्ष 2009-10 के दौरान कंपनी को ₹ 1,42.47 लाख की हानि हुई। 2009-10 के अंत तक, तथापि, ₹ 42,10,.27 लाख की संचित हानि हुई।
		2018-19		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
				259920	100	2,59.92	73.49	शून्य	शून्य	

19-सरकार के निवेश का विस्तृत विवरण - (जारी)

खण्ड.1 2018-19 तक निवेशों का विवरण - (जारी)

क्रम संख्या	व्यवसाय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण			निवेशित राशि	कुल अदा की गई पूंजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते जमा एवं प्राप्त लाभांश/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते जमा न किए गए लाभांश/ ब्याज	अभियुक्तियाँ
			प्रकार	हिस्सेदारी/ ऋण पत्रों की संख्या	प्रत्येक हिस्सेदारी/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(₹ लाख में)										
III	सरकारी कंपनियों-(जारी)									
	कार्यशील कंपनियों-(जारी)									
8	जम्मू एवं कश्मीर पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	1969-70 से 2017-18	इक्विटी	235083	1000	23,50.83	100.00	शून्य	शून्य	2012-13 तक लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया। 2012-13 के दौरान कंपनी को ₹ 26.04 का लाभ हुआ।
		2018-19		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
				235083	1000	23,50.83	100.00	शून्य	शून्य	
9	जम्मू एवं कश्मीर हस्तशिल्प (निर्यात एवं बिक्री) निगम लिमिटेड	1970-71 से 2017-18	इक्विटी	670120	100	6,70.12	84.98	शून्य	शून्य	2000-2001 तक लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया। वर्ष के दौरान कंपनी को ₹ 3,22.08 लाख की हानि हुई और 2000-2001 के अंत तक ₹ 39,24.65 लाख की संचित हानि हुई।
		2018-19		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
				670120	100	6,70.12	84.98	शून्य	शून्य	
10	जम्मू एवं कश्मीर उद्योग लिमिटेड	1963-64 से 2017-18	इक्विटी	180883	1000	18,08.83	100.00	शून्य	शून्य	2010-11 तक लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया 2010-11 के दौरान कंपनी को ₹ 39,84.06 लाख की हानि हुई और वर्ष 2010-11 के अंत में ₹ 6,14,40.92 लाख की संचित हानि हुई।
		2018-19		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
				180883	1000	18,08.83	100.00	शून्य	शून्य	

19-सरकार के निवेश का विस्तृत विवरण - (जारी)

खण्ड.1 2018-19 तक निवेशों का विवरण - (जारी)

क्रम संख्या	व्यवसाय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल अदा की गई पूंजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते जमा एवं प्राप्त लाभांश/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते जमा न किए गए लाभांश/ ब्याज	अभियुक्तियाँ	
			प्रकार	हिस्सेदारी/ ऋण पत्रों की संख्या						प्रत्येक हिस्सेदारी/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(₹ लाख में)										
III	सरकारी कंपनियों-(जारी)									
	कार्यशील कंपनियों-(जारी)									
11	जम्मू एवं कश्मीर सीमेंट लिमिटेड	1976-77 से 2017-18	इक्विटी	3476670	100	30,26.67	100.00	शून्य	शून्य	वर्ष 2009-10 तक लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया। वर्ष 2009-10 के दौरान कंपनी को ₹ 5,83.03 लाख का लाभ हुआ
		2018-19		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
				3476670	100	30,26.67	100.00	शून्य	शून्य	
12	जम्मू एवं कश्मीर लघु पैमाना उद्योग विकास निगम लिमिटेड (एसआईसीओपी)	1975-76 से 2017-18	इक्विटी	411850	100	4,11.85	100.00	शून्य	शून्य	वर्ष 2009-10 तक लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया 009-10 के दौरान कंपनी को ₹ 36.75 लाख की हानि हुई और वर्ष 2009-10 के अंत में ₹ 12,47.59 लाख की संचित हानि हुई
		2018-19		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
				411850	100	4,11.85	100.00	शून्य	शून्य	

19-सरकार के निवेश का विस्तृत विवरण - (जारी)

खण्ड.1 2018-19 तक निवेशों का विवरण - (जारी)

क्रम संख्या	व्यवसाय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल अदा की गई पूंजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते जमा एवं प्राप्त लाभांश/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते जमा न किए गए लाभांश/ ब्याज	अभियुक्तियाँ	
			प्रकार	हिस्सेदारी/ ऋण पत्रों की संख्या						प्रत्येक हिस्सेदारी/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(₹ लाख में)										
III	सरकारी कंपनियों-(जारी)									
	कार्यशील कंपनियों-(जारी)									
13	जम्मू एवं कश्मीर बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	1978-79 से 2017-18	इक्विटी	600000	100	6,00.00	65.21	शून्य	शून्य	वर्ष 2004-05 तक लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया वर्ष के दौरान कंपनी को ₹ 38.85 लाख का लाभ हुआ और 2004-05 के अंत में ₹ 75,48.55 लाख की संचित हानि हुई
		2018-19		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
				600000	100	6,00.00	65.21	शून्य	शून्य	
14	जम्मू एवं कश्मीर राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	1981-82 से 2017-18	इक्विटी	1280900	100	12,80.90	83.40	शून्य	शून्य	वर्ष 2010-11 तक लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया। कंपनी को वर्ष के दौरान ₹ 6,75.23 लाख की हानि हुई तथा 2010-11 के अंत में ₹ 86,17.89 लाख की संचित हानि हुई।
		2018-19		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
				1280900	100	12,80.90	83.40	शून्य	शून्य	

19-सरकार के निवेश का विस्तृत विवरण - (जारी)

खण्ड.1 2018-19 तक निवेशों का विवरण - (जारी)

क्रम संख्या	व्यवसाय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल अदा की गई पूंजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते जमा एवं प्राप्त लाभांश/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते जमा न किए गए लाभांश/ ब्याज	अभियुक्तियाँ	
			प्रकार	हिस्सेदारी/ ऋण पत्रों की संख्या						प्रत्येक हिस्सेदारी/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(₹ लाख में)										
III	सरकारी कंपनियों-(जारी)									
	कार्यशील कंपनियों-(जारी)									
15	जम्मू एवं कश्मीर अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड	1985-86 से 2017-18	इक्विटी	1757000	100	17,57.00 *	38.59	शून्य	शून्य	वर्ष 2001-02 तक लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया वर्ष के दौरान कंपनी को ₹ 1,26.79 लाख की हानि हुई और 2001-02 के अंत में ₹ 5,00.64 लाख की संचित हानि हुई
		2018-19		45000	100	45.00	100.00	शून्य	शून्य	
				1802000	100	18,02.00	39.11	शून्य	शून्य	
16	जम्मू एवं कश्मीर राज्य केबल कार निगम लिमिटेड	1988-89 से 2017-18	इक्विटी	238200	1000	23,82.00	100.00	शून्य	शून्य	वर्ष 2010-11 तक लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया वर्ष के दौरान कंपनी को ₹ 6,22.91 लाख का लाभ हुआ और 2010-11 के अंत में ₹ 3,96.74 लाख की संचित हानि हुई
		2018-19	इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
				238200	1000	23,82.00	100.00	शून्य	शून्य	

* यद्यपि पीएसयू ने निवेश दर्शाए हैं, तथापि राज्य सरकार ने इसे लघु शीर्ष-800-"अन्य व्यय" के तहत बुक किया है।

19-सरकार के निवेश का विस्तृत विवरण - (जारी)

खण्ड.1 2018-19 तक निवेशों का विवरण - (जारी)

क्रम संख्या	व्यवसाय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल अदा की गई पूंजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते जमा एवं प्राप्त लाभांश/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते जमा न किए गए लाभांश/ ब्याज	अभियुक्तियाँ	
			प्रकार	हिस्सेदारी/ ऋण पत्रों की संख्या						प्रत्येक हिस्सेदारी/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(₹ लाख में)										
III	सरकारी कंपनियों-(जारी)									
	कार्यशील कंपनियों-(जारी)									
17	चिनाब घाटी विद्युत परियोजना प्राइवेट लिमिटेड	2017-18 तक 2018-19	इक्विटी	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य	चिनाब घाटी विद्युत परियोजना प्राइवेट लिमिटेड जम्मू एवं कश्मीर विद्युत विकास निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड और पावर ट्रेडिंग निगम इण्डिया लिमिटेड का ₹ 14,39,18.00 लाख की पूंजीगत हिस्सेदारी का एक संयुक्त उपक्रम है जिसमें इनकी क्रमशः 47.77 प्रतिशत, 51.94 प्रतिशत और 0.28 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। इस प्रकार, जम्मू एवं कश्मीर सरकार की प्रत्यक्ष रूप से कंपनी में कोई हिस्सेदारी नहीं है।
18	जम्मू एवं कश्मीर महिला विकास निगम लिमिटेड	1991-92 से 2017-18 2018-19	इक्विटी	शून्य 1140820 शून्य	शून्य 100 शून्य	शून्य 13,65.82 शून्य	शून्य 100.00 शून्य	शून्य शून्य शून्य	शून्य शून्य शून्य	वर्ष 2016-17 हेतु लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया और वर्ष के दौरान कंपनी को ₹ 88.71 लाख का लाभ हुआ।

19-सरकार के निवेश का विस्तृत विवरण - (जारी)

खण्ड.1 2018-19 तक निवेशों का विवरण - (जारी)

क्रम संख्या	व्यवसाय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण			निवेशित राशि	कुल अदा की गई पूंजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते जमा एवं प्राप्त लाभांश/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते जमा न किए गए लाभांश/ ब्याज	अभियुक्तियाँ
			प्रकार	हिस्सेदारी/ ऋण पत्रों की संख्या	प्रत्येक हिस्सेदारी/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(₹ लाख में)										
III	सरकारी कंपनियों-(जारी)									
	कार्यकारी कंपनियों-(जारी)									
19	जम्मू एवं कश्मीर चिकित्सा आपूर्ति निगम लिमिटेड	तक	इक्विटी	50000	10	5.00	100.00	शून्य	शून्य	कंपनी पर पूर्ण रूप से जम्मू एवं कश्मीर सरकार का स्वामित्व है और यह 5-3-2014 को अस्तित्व में आई और इसे 1956 के कंपनी अधिनियम के अधीन निगमित किया गया। कंपनी ने अब तक अपने वार्षिक लेखाओं को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया है।
		2018-19		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
				50000	10	5.00	100.00	शून्य	शून्य	
20	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड	तक	इक्विटी	50,000	1000	7,45.00	100.00	शून्य	शून्य	वर्ष 2013-14 तक लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया। वर्ष के दौरान कंपनी को ₹ 1,60,23.07 लाख का लाभ हुआ और 2013-14 के अंत में ₹ 1,78,81.48 लाख की संचित हानि हुई
		2017-18		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
		2018-19		50,000	1000	7,45.00	100.00	शून्य	शून्य	

19-सरकार के निवेश का विस्तृत विवरण - (जारी)

खण्ड.1 2018-19 तक निवेशों का विवरण - (जारी)

क्रम संख्या	व्यवसाय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल अदा की गई पूंजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते जमा एवं प्राप्त लाभांश/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते जमा न किए गए लाभांश/ ब्याज	अभियुक्तियाँ	
			प्रकार	हिस्सेदारी/ ऋण पत्रों की संख्या						प्रत्येक हिस्सेदारी/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(₹ लाख में)										
III सरकारी कंपनियों-(जारी)										
कार्यकारी कंपनियों-(समाप्त)										
21	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड	1957-58 से 2017-18 2018-19	इक्विटी	1,000	1,000	10.00	100.00	शून्य	शून्य	कम्पनी से सूचना प्रतीक्षित है (जून 2019)।
			प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	
				1,000	1,000	10.00	100.00	शून्य	शून्य	
22	जम्मू एवं कश्मीर व्यापार संवर्धन संगठन	2018-19	इक्विटी	255,000	100	2,55.00	51.00	शून्य	शून्य	जम्मू एवं कश्मीर व्यापार संवर्धन संगठन एक निजी संगठन है जिसे 30 मई 2018 को निगमित किया गया था। इसे राज्य सरकार की कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा कंपनी रजिस्ट्रार, जम्मू के पास पंजीकृत है।
				255,000	100	2,55.00	51.00	शून्य	शून्य	
कुल-सरकारी कंपनियों (कार्यकारी कंपनियों)						2,80,18.96	शून्य			

19-सरकार के निवेश का विस्तृत विवरण - (जारी)

खण्ड.1 2018-19 तक निवेशों का विवरण-(जारी)

क्रम संख्या	व्यवसाय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल अदा की गई पूंजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते जमा एवं प्राप्त लाभांश/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते जमा न किए गए लाभांश/ ब्याज	टिप्पणियाँ	
			प्रकार	हिस्सेदारी/ ऋण पत्रों की संख्या						प्रत्येक हिस्सेदारी/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(₹ लाख में)										
गैर-कार्यकारी कंपनियां										
1	तवी स्कूटर लिमिटेड	1976-77 से 2017-18 2018-19	इक्विटी	804000	10	80.40	100.00	शून्य	शून्य	कम्पनी से सूचना प्रतीक्षित है (जून 2019)।
				शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
				804000	10	80.40	100.00	शून्य	शून्य	
2	हिमालय वूल कॉम्बर लिमिटेड	1977-78 से 2017-18 2018-19	इक्विटी	136500	100	1,36.50	100.00	शून्य	शून्य	कम्पनी से सूचना प्रतीक्षित है (जून 2019)।
				शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
				136500	100	1,36.50	100.00	शून्य	शून्य	
III	सरकारी कंपनियां-(समाप्त)									
गैर-कार्यकारी कंपनियां-(समाप्त)										
3	जम्मू एवं कश्मीर हथकरघा हस्तशिल्प कच्चा माल आपूर्ति संगठन लिमिटेड	2017-18 तक 2018-19	साधारण	40000	100	40.00	100.00	शून्य	शून्य	कम्पनी से सूचना प्रतीक्षित है (जून 2019)।
				शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
				40000	100	40.00	100.00	शून्य	शून्य	
				कुल सरकारी कंपनियां (गैर-कार्यकारी कंपनियां)		2,56.90		शून्य	शून्य	
				कुल III सरकारी कंपनियां		2,82,75.86		शून्य	शून्य	

19-सरकार के निवेश का विस्तृत विवरण - (जारी)

खण्ड.1 2018-19 तक निवेशों का विवरण-(जारी)

क्रम संख्या	व्यवसाय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल अदा की गई पूंजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते जमा एवं प्राप्त लाभांश/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते जमा न किए गए लाभांश/ ब्याज	टिप्पणियाँ	
			प्रकार	हिस्सेदारी/ ऋण पत्रों की संख्या						प्रत्येक हिस्सेदारी/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(₹ लाख में)										
IV	संयुक्त स्टॉक कंपनियां-									
1	प्लाई बोर्ड उद्योग लिमि.	1961-62 से 1964-65	साधारण	50000	10	5.00	20.00	शून्य	शून्य	₹20.00 लाख का ऋणपत्र सम्मिलित नहीं। कंपनी गैर-कार्यकारी है और कंपनी की नवीनतम स्थिति प्रतीक्षित थी (जून 2019)।
				50000	10	5.00	20.00	शून्य	शून्य	
2	कश्मीर सेरामिक्स लिमिटेड	1961-62 से 1970-71	साधारण	29400	100	29.40	49.00	शून्य	शून्य	कंपनी गैर-कार्यशील थी। नवीनतम स्थिति प्रतीक्षित थी (जून 2019)।
				29400	100	29.40	49.00	शून्य	शून्य	
			कुल-IV संयुक्त स्टॉक कंपनियां			34.40		शून्य	शून्य	
V	सहकारी बैंकों/ सोसायटी में निवेश									
1	जम्मू एवं कश्मीर राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, श्रीनगर	1965-66 से 2017-18	साधारण	68450	100	68.45	41.17	शून्य	शून्य	कंपनी से सूचना प्रतीक्षित है (जून 2019)।
		2018-19		प्रतीक्षित 68450	प्रतीक्षित 100	प्रतीक्षित 68.45	प्रतीक्षित 41.17	प्रतीक्षित शून्य	प्रतीक्षित शून्य	

19-सरकार के निवेश का विस्तृत विवरण - (जारी)

खण्ड.1 2018-19 तक निवेशों का विवरण-(जारी)

क्रम संख्या	व्यवसाय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल अदा की गई पूंजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते जमा एवं प्राप्त लाभांश/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते जमा न किए गए लाभांश/ ब्याज	टिप्पणियाँ	
			प्रकार	हिस्सेदारी/ ऋण पत्रों की संख्या						प्रत्येक हिस्सेदारी/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(₹ लाख में)										
V सहकारी बैंकों/ सोसायटी में निवेश-(जारी)										
2	नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जम्मू	2017-18 तक	साधारण	67400	10	6.74	2.00	शून्य	शून्य	वर्ष 2018-19 तक लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया। वर्ष के दौरान बैंक को ₹79.02 लाख की हानि हुई और ₹15,25.39 लाख की संचित हानि हुई।
		2018-19		शून्य 67400	शून्य 10	शून्य 6.74	शून्य 2.00	शून्य शून्य	शून्य शून्य	
3	जम्मू सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जम्मू	1962-63 से 2017-18	साधारण	150500	100	1,50.50	27.99	शून्य	शून्य	वर्ष 2017-18 तक लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया। वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार बैंक को ₹17,79.85 लाख की हानि हुई और 31 मार्च 2018 तक ₹ 1,77,78.85 लाख की संचित हानि हुई।
		2018-19		शून्य 150500	शून्य 100	शून्य 1,50.50	शून्य 27.99	शून्य शून्य	शून्य शून्य	

19-सरकार के निवेश का विस्तृत विवरण - (जारी)

खण्ड.1 2018-19 तक निवेशों का विवरण-(जारी)

क्रम संख्या	व्यवसाय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल अदा की गई पूंजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते जमा एवं प्राप्त लाभांश/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते जमा न किए गए लाभांश/ ब्याज	टिप्पणियाँ	
			प्रकार	हिस्सेदारी/ ऋण पत्रों की संख्या						प्रत्येक हिस्सेदारी/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(₹ लाख में)										
V	सहकारी बैंकों/ सोसायटी में निवेश-(जारी)									
4	शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अनंतनाग	2017-18 तक 2018-19	साधारण	285 शून्य 285	1000 शून्य 1000	2.85 शून्य 2.85	24.97 शून्य 24.97	शून्य शून्य शून्य	शून्य शून्य शून्य	वर्ष 2017-18 तक लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया और वर्ष के दौरान बैंक ने 2.91 लाख का लाभ अर्जित किया।
5	बारामूला सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	2017-18 तक 2018-19	साधारण	2715 शून्य 2715	1000 शून्य 1000	27.15 शून्य 27.15	15.00 शून्य 15.00	शून्य शून्य शून्य	शून्य शून्य शून्य	वर्ष 2017-18 तक लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया। वर्ष के दौरान बैंक को ₹ 54,14.79 लाख की हानि हुई और 31 मार्च 2018 तक ₹ 93,60.81 लाख की संचित हानि हुई।

19-सरकार के निवेश का विस्तृत विवरण - (जारी)

खण्ड.1 2018-19 तक निवेशों का विवरण-(जारी)

क्रम संख्या	व्यवसाय का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल अदा की गई पूंजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत	वर्ष के दौरान सरकारी खाते जमा एवं प्राप्त लाभांश/ ब्याज	घोषित परंतु सरकारी खाते जमा न किए गए लाभांश/ ब्याज	टिप्पणियाँ	
			प्रकार	हिस्सेदारी/ ऋण पत्रों की संख्या						प्रत्येक हिस्सेदारी/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(₹ लाख में)										
V	सहकारी बैंकों/ सोसायटी में निवेश-(जारी)									
6	जम्मू एवं कश्मीर राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड, श्रीनगर	2017-18 तक	साधारण	16374000	10	16,37.40	79.00	शून्य	शून्य	वर्ष 2017-18 तक लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया। वर्ष के दौरान बैंक को ₹ 06,93.10 लाख की हानि हुई और 31 मार्च 2018 तक ₹ 68,00.34 लाख की संचित हानि हुई।
		2018-19		शून्य 16374000	शून्य 10	शून्य 16,37.40	शून्य 79.00	शून्य शून्य	शून्य शून्य	
7	जम्मू एवं कश्मीर हथकरघा कपड़ा विपणन सहकारी समितियां लिमिटेड	2017-18 तक	साधारण	508	100	0.51	33.66	शून्य	शून्य	कम्पनी से सूचना प्रतीक्षित है (जून 2019)।
		2018-19		प्रतीक्षित 508	प्रतीक्षित 100	प्रतीक्षित 0.51	प्रतीक्षित 33.66	प्रतीक्षित शून्य	प्रतीक्षित शून्य	

19-सरकार के निवेश का विस्तृत विवरण - (समाप्त)

खण्ड-2 वर्ष 2018-19 के दौरान मुख्य एवं लघु शीर्षवार निवेशों का विवरण
(केवल वही मामले जिनके आंकड़ें विवरण संख्या-16 में दर्शाए गए आंकड़ों से मेल नहीं खाते।)

विवरण संख्या- 19 की क्रम संख्या	मुख्य/ लघु शीर्ष	पिछले वर्ष के अंत में निवेश	2018-19 के दौरान निवेश	वर्ष के दौरान विनिवेश	वर्ष के अंत में निवेश
(₹ लाख में)					
I/1	4885 190	40.66	-	-	40.66
I/2	5055 190	1,53,90.44	14,90.00	-	1,68,80.44
II/2	5465 190	5,40,64.30	-	-	5,40,64.30
III/6	4852 190	6,97.50	-	-	6,97.50
III/11	4853 190	5,01.08	-	-	5,01.08
III/15	4225 190	5,42.50	-	-	5,42.50
III/18	4235 190	19,16.63	-	-	19,16.63
V/6	4425 190	2,65,18.50	-	-	2,65,18.50

20-सरकार द्वारा दी गई गारंटियों का विस्तृत विवरण

ख. गारंटियों के विवरण नीचे दिए गए हैं:				
क्रम संख्या	सार्वजनिक या अन्य निकाय जिनके लिए गारंटी दी गई है और गारंटी की संक्षिप्त प्रकृति	अधिकतम गारंटी राशि (केवल मूल)	31 मार्च 2019 तक बकाया गारंटी राशि	
			मूल	ब्याज (₹ लाख में)
1	विद्युत (2)*			
(i)	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विद्युत बोर्ड [1]* आरईसी लिमिटेड/ विद्युत वित्त निगम/ भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त बॉण्ड्स द्वारा ऋण बाजार उधारी राशि की पुनः अदायगी हेतु गारंटी	6,53,70.00	2,29,31.00	-
(ii)	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम निवेश और बॉण्ड विद्युत वित्त निगम (पीएफसी), ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी), हुडको, जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड केनरा बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया से लिए गए ऋण के संबंध में गारंटी प्रदान की गई है।	32,80,11.00	16,87,12.00	-
	कुल -1	39,33,81.00	19,16,43.00	-
2-क	सहकारी बैंक (2)*			
(i)	जम्मू केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड जम्मू जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड से प्राप्त नकद क्रेडिट सीमा की पुनः अदायगी हेतु गारंटी जो राज्य सरकार द्वारा मार्च 2008 से 04 करोड़ की 20 समान किस्तों में पुनः अदा करना होगा।	80,00.00	32,00.00	-

* विवरण संख्या-20 में कोष्ठकों में आंकड़ें संस्थानों की संख्या को इंगित करते हैं।

[1] 2004 के सरकारी आदेश संख्या 37-पीडीडी दिनांक 13-02-2004 द्वारा बोर्ड को समाप्त कर दिया गया और परिसंपत्तियां एवं देयताओं को विकास आयुक्त (विद्युत) को हस्तांतरित कर दिया गया।

20-सरकार द्वारा दी गई गारंटियों का विस्तृत विवरण (जारी)

ख. गारंटियों के विवरण नीचे दिए गए हैं:

क्रम संख्या	सार्वजनिक या अन्य निकाय जिनके लिए गारंटी दी गई है और गारंटी की संक्षिप्त प्रकृति	अधिकतम गारंटी राशि (केवल मूल)	31 मार्च 2019 तक बकाया गारंटी राशि	
			मूल	ब्याज (₹ लाख में)
2-क	सहकारी बैंक (2)*-(समाप्त)			
(ii)	जम्मू एवं कश्मीर राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड, श्रीनगर अन्य वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋणों की पुनर्भुगतान हेतु गारंटी	1,02,16.00	3,36.72	-
	कुल-2क	1,82,16.00	35,36.72	-
2-ख	सहकारी समितियां (4)*			
(i)	रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, जम्मू एवं कश्मीर	प्रतीक्षित	-	-
(ii)	जम्मू सहकारी थोक बिक्री भण्डार, जम्मू	प्रतीक्षित	-	-
(iii)	जम्मू एवं कश्मीर भूतपूर्व सैनिक स्टोर, जम्मू	प्रतीक्षित	-	-
(iv)	जम्मू एवं कश्मीर सहकारी आपूर्ति एवं विपणन संघ, जम्मू	प्रतीक्षित	-	-
	कुल-2ख	-	-	-
	कुल-2	1,82,16.00	35,36.72	-
3	राज्य वित्त निगम (1) जम्मू एवं कश्मीर राज्य वित्त निगम जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड द्वारा अभिदाता बॉण्ड्स के प्रतिदान हेतु गारंटी	50,00.00	-	-
	कुल-3	50,00.00	-	-
4	अन्य संस्थान (7)*			
क	निजी फर्म (3)*			
(i)	वन पट्टाधारी	-	-	-
(ii)	टेक्नोक्रेट्स	-	-	-
(iii)	टोगां वालेस	-	-	-

20-सरकार द्वारा दी गई गारंटियों का विस्तृत विवरण-(जारी)

ख. गारंटी के विवरण नीचे दिए गए हैं:				
क्र. सं.	सार्वजनिक या अन्य निकाय जिसके लिए गारंटी और गारंटी की संक्षिप्त प्रकृति दी गई है	अधिकतम राशि की गारंटी (केवल मूल)	31 मार्च 2019 तक बकाया गारंटी राशि	
			मूल	ब्याज (₹ लाख में)
4	अन्य संस्थान (7)*-(समाप्त)			
	ख- सरकारी कंपनियाँ (4)*-(समाप्त)			
(i)	जम्मू और कश्मीर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड अन्य वित्तीय संस्थानों से अनुबंधित दरों पर ऋणों के पुनर्भुगतान और ब्याज के भुगतान की गारंटी।	92,15.46	58,14.22	30.72
(ii)	जम्मू और कश्मीर महिला विकास निगम लिमिटेड अन्य वित्तीय संस्थानों से उठाए गए ऋणों के पुनर्भुगतान की गारंटी।	1,01,49.89	58,67.87	-
(iii)	हिमालयन वूल कॉमर्स लिमिटेड अन्य वित्तीय संस्थानों से अनुबंधित दरों पर ऋण की अदायगी और ब्याज के भुगतान की गारंटी।	1,18.45	1,18.45	1,64.66
(iv)	जम्मू और कश्मीर राज्य हथकरघा हस्तशिल्प कच्चा माल आपूर्ति संगठन लिमिटेड नोट :- कंपनी 2000-01 के कैबिनेट निर्णय संख्या 129/12 दिनांक 18-08-2010 में समाप्त हो गई थी। हालाँकि, गारंटी राशि 31-03-2018 तक बकाया रहेगी।	40.00	40.00	-
		कुल-4	1,95,23.80	1,18,40.54
		कुल योग =1+2+3+4	43,61,20.80	1,95.38

20-सरकार द्वारा दी गई गारंटियों का विस्तृत विवरण-(समाप्त)

व्याख्यात्मक टिप्पणी

(क)	गारंटी विमोचन निधि: राज्य सरकार ने वर्ष 2005-06 में गारंटी विमोचन निधि स्थापित की। निधि का ब्योरेवार लेखा निम्नानुसार है:	
		(₹ लाख में)
(i)	01.04.2018 तक आरंभिक शेष	15,42.00
(ii)	जोड़े: वर्ष 2018-19 के दौरान निधि में हस्तांतरित राशि	4,00.00 \$
(iii)	कुल	19,42.00
(iv)	घटाइए: अवलंबित के उन्मोचन हेतु निधि से प्राप्त राशि	शून्य
(v)	31.03.2019 तक अंत:शेष	19,42.00
(vi)	गारंटी से निर्मित निवेश राशि	शून्य
	विमोचन निधि:	
	<p>एफआरबीएम अधिनियम, 2006 वे सीमाएं निर्धारित करता है जिनके अंतर्गत राज्य सरकार, राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूतियों पर गारंटी दे सकती है। अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार को वर्तमान वर्ष से पूर्व वर्ष वार्षिक जोखिम वृद्धि भारित गारंटी की राशि को 75 प्रतिशत तक या वर्तमान वर्ष से पूर्व वर्ष के जीएसडीपी के 7.5 प्रतिशत, जो भी कम हो, पर सीमित करना चाहिए। 2018-19 के अंत में कुल बकाया गारंटियों का योग ₹ 20,70.20 करोड़ थी जो कि 2017-18 में ₹ 4,85,11.88 के कुल राजस्व प्राप्तियों का 4.27 प्रतिशत है और ₹ 1,38,488 करोड़ की जीएसडीपी का 1.49 प्रतिशत है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, भारत सरकार की वेबसाइट पर (1 अगस्त 2019) 2017-18 हेतु यथा उपलब्ध है जो कि सांविधिक सीमा के भीतर था।</p>	
(ख)	अवलंबित गारंटियों का ब्योरा	शून्य
(ग)	वर्ष के दौरान जारी 'चुकोती आश्वासन पत्र' का ब्योरा	शून्य

\$ 2018-19 के दौरान प्राप्त ₹3,00.00 लाख प्रतिदाय शुल्क/ कमीशन की राशि सम्मिलित

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा के संव्यवहारों का विस्तृत विवरण

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2018 को आरंभिक शेष	प्राप्तियाँ	संवितरण	31 मार्च 2019 तक अंतः शेष	2018-19 के दौरान निवल वृद्धि	
					(+) कमी (-) राशि	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					(₹ लाख में)	
भाग-II आकस्मिकता निधि						
8000- आकस्मिक निधि	क्रे. 83.38	16.62	-	क्रे. 1,00.00	(+)16.62	(+)20
कुल-भाग-II आकस्मिकता निधि	क्रे. 83.38	16.62	-	क्रे. 1,00.00	(+)16.62	(+)20
भाग-III लोक लेखा						
I- लघु बचत, भविष्य निधियां						
इत्यादि-						
(ख) भविष्य निधियां-						
8009- राज्य भविष्य निधि-						
01- सिविल-						
101- सामान्य भविष्य निधि	क्रे. 1,99,22,63.44	85,62,71.53	33,08,14.54	क्रे. 2,51,77,20.43	(+)52,54,56.99	(+)26
102- अंशदायी भविष्य निधि	क्रे. 54,44.20	2,13.48	-	क्रे. 56,57.68	(+)2,13.48	(+)04
104- अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि	क्रे. 32,53.29	2,61.32	-	क्रे. 35,14.61	(+)2,61.32	(+)08
कुल -01	क्रे. 2,00,09,60.93	85,67,46.33	33,08,14.54	क्रे. 2,52,68,92.72	(+)52,59,31.79	(+)26
कुल-8009	क्रे. 2,00,09,60.93	85,67,46.33 (क)	33,08,14.54	क्रे. 2,52,68,92.72 (ख)	(+)52,59,31.79	(+)26
कुल -(ख)- भविष्य निधि	क्रे. 2,00,09,60.93	85,67,46.33 (क)	33,08,14.54	क्रे. 2,52,68,92.72 (ख)	(+)52,59,31.79	(+)26

(क) कृपया "लेखाओं पर टिप्पणी" के खण्ड-1 के अनुलग्नक "क" को देखिए।

(ख) आंकड़ें मिलानाधीन के अधीन (अक्टूबर 2019)

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा के संव्यवहारों का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2018 को आरंभिक शेष	प्राप्तियाँ	संवितरण	31 मार्च 2019 तक अंतः शेष	2018-19 के दौरान निवल वृद्धि		
					(+) कमी (-) राशि	(-) प्रतिशत	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
							(₹ लाख में)
भाग-III लोक लेखा-(जारी)							
I- लघु बचत, भविष्य निधियां							
इत्यादि-(समाप्त)							
(ग) अन्य लेखा-							
8011- बीमा एवं पेंशन निधियां-							
105-	राज्य सरकार बीमा निधि	क्र. 7,19,53.88	1,13,45.44 (क)	20,31.72	क्र. 8,12,67.60	(+)93,13.72	(+)13
106-	अन्य बीमा एवं पेंशन निधियां	क्र.			क्र.		
	(i) श्रीनगर नगरपालिका पेंशन निधि	क्र. 25,71.51	26,64.32	34,20.61	क्र. 18,15.22	(-)7,56.29	(-)29
	(ii) जम्मू नगरपालिका पेंशन निधि	क्र. 17,15.61	26,42.48	43,44.71	क्र. 13.38	(-)17,02.23	(-)99
	(iii) टीएसी/ एनएसी पेंशन निधि	क्र. 1,36,22.16	1,02,53.20	99,65.82	क्र. 1,39,09.54	(+)2,87.38	(+)02
	(iv) अन्य बीमा एवं पेंशन निधियां	क्र. 10,55.05	21,40.58	28,67.72	क्र. 3,27.91	(-)7,27.14	(-)69
	कुल -106	क्र. 1,89,64.33	1,77,00.58	2,05,98.86	क्र. 1,60,66.05	(-)28,98.28	(-)15
	कुल-8011	क्र. 9,09,18.21	2,90,46.02	2,26,30.58	क्र. 9,73,33.65	(+)64,15.44	(+)07
	कुल-(ग)-अन्य लेखा	क्र. 9,09,18.21	2,90,46.02	2,26,30.58	क्र. 9,73,33.65	(+)64,15.44	(+)07
	कुल-I लघु बचत, भविष्य निधि	क्र. 2,09,18,79.14	88,57,92.35	35,34,45.12	क्र. 2,62,42,26.37 (ख)	(+)53,23,47.23	(+)25

(क) कृपया "लेखाओं पर टिप्पणी" के खण्ड-1 के अनुलग्नक "क" को देखिए।

(ख) आंकड़ें मिलानाधीन के अधीन (अक्टूबर 2019)

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा के संव्यवहारों का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2018 को आरंभिक शेष	प्राप्तियाँ	संवितरण	31 मार्च 2019 तक अंतः शेष	2018-19 के दौरान निवल वृद्धि (+) कमी (-)	राशि	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
						(₹ लाख में)	
भाग-III लोक लेखा-(जारी)							
ज- आरक्षित निधियां							
(क) आरक्षित निधियों पर ब्याज वहन							
8121-	सामान्य और अन्य आरक्षित निधियां						
122-	राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष	क्रे. 7,40,38.85	3,31,60.33 (क)	1,68,87.87 (ख)	क्रे. 9,03,11.31	(+)1,62,72.46	(+)22
126-	राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष-निवेश लेखा	डे. 10,86.07	-	-	डे. 10,86.07	-	-
	कुल 8121						
	सकल शेष	क्रे. 7,40,38.85	3,31,60.33	1,68,87.87	क्रे. 9,03,11.31	(+)1,62,72.46	(+)22
	निवेश	डे. 10,86.07	-	-	डे. 10,86.07	-	-
कुल-(क)- आरक्षित निधियों पर ब्याज वहन							
	सकल शेष	क्रे. 7,40,38.85	3,31,60.33	1,68,87.87	क्रे. 9,03,11.31 (ग)	(+)1,62,72.46	(+)22
	निवेश	डे. 10,86.07	-	-	डे. 10,86.07 (ग)	-	-

(क) वर्ष 2018-19 के दौरान जमा निधि पिछले वर्ष ₹ 3,30,88.71 लाख (भारत सरकार की हिस्सेदारी ₹ 2,52,90.00 लाख, राज्य हिस्सेदारी ₹ 28,00.00 लाख तथा ₹ 4,998.71 लाख का ब्याज) तथा ₹ 21.62 लाख अत्यंतीत शेष को दर्शाता है। कृपया 'लेखाओं पर टिप्पणी' के खण्ड-1 के पैरा 3(5)(क) आई और अनुलग्नक - क को भी देखिए।

(ख) एमएच 2245-05-101 से "आरक्षित निधि एवं जमा को स्थानांतरित" और 2245-05-901 "एसडीआरएफ से प्राप्त अभाव राशि" स्थानांतरित राशि को दर्शाता है। कृपया "लेखाओं पर टिप्पणी" खण्ड-1 और अनुलग्नक क और खण्ड-2 के विवरण संख्या 15 के मुख्य शीर्ष- 2245 के नीचे पाद टिप्पणी क का संदर्भ लीजिए।

(ग) शेष मिलानाधीन (अक्टूबर 2019)

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा के संव्यवहारों का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2018 को आरंभिक शेष	प्राप्तियाँ	संवितरण	31 मार्च 2019 तक अंतः शेष	2018-19 के दौरान निवल वृद्धि (+) कमी (-)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	राशि (6)	प्रतिशत (7)
					(₹ लाख में)	
भाग-III लोक लेखा-(जारी)						
अ- आरक्षित निधियां						
(ख) आरक्षित निधियों पर ब्याज वहन नहीं						
8222-	ऋण-शोधन निधियां-					
01-	<i>ऋण परिवर्जन या अभाव हेतु विनियोजन</i>					
101-	क्रे.			क्रे.		
	क्रे.	2,19,55.00	97,05.00 (घ)	क्रे.	3,16,60.00	(+)97,05.00 (+)44
	कुल-8222	2,19,55.00	97,05.00	क्रे.	3,16,66.00	(+)97,05.00 (+)44
8223-	अकाल राहत निधि					
101-	क्रे.			क्रे.		
	क्रे.	8,66.96	-	क्रे.	8,66.96	-
	कुल-8223	8,66.96	-	क्रे.	8,66.96	-
8226-	आरक्षित निधियों का मूल्यहास/ नवीनीकरण					
101-	क्रे.			क्रे.		
	क्रे.	5,73,79.34	-	क्रे.	5,73,79.34	-
102-	क्रे.	72,85.99	-	क्रे.	72,85.99	-
	कुल-8226	6,46,65.33	-	क्रे.	6,46,65.33	-

(घ) मुख्य शीर्ष 2048-101 "ऋण शोधन निधि" से हस्तांतरित राशि को दर्शाता है। कृपया लेखाओं पर टिप्पणी के खण्ड-1 के अनुलग्नक क और खण्ड-2 के विवरण संख्या 15 के मुख्य शीर्ष- 2048 के नीचे पाद टिप्पणी (क) को देखिए।

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा के संव्यवहारों का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2018 को आरंभिक शेष	प्राप्तियाँ	संवितरण	31 मार्च 2019 तक अंतः शेष	2018-19 के दौरान निवल वृद्धि (+) कमी (-)		
					राशि	प्रतिशत	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
					(₹ लाख में)		
भाग-III लोक लेखा-(जारी)							
ज- आरक्षित निधियां-(समाप्त)							
(ख) आरक्षित निधियों पर ब्याज वहन नहीं-(समाप्त)							
8229- विकास एवं कल्याण निधियां							
103-	कृषि उद्देश्यों हेतु विकास निधियां	क्रे. 40,52.06	-	-	क्रे. 40,52.06	-	-
109-	सहकारी विकास निधियां	क्रे. 0.10	-	-	क्रे. 0.10	-	-
200-	अन्य विकास एवं कल्याण निधियां	क्रे. 3,42,80.22	1,87,73.91	1,27,86.65	क्रे. 4,02,67.48	(+)59,87.26	(+)17
	कुल-8229	क्रे. 3,83,32.38	1,87,73.91	1,27,86.65	क्रे. 4,43,19.64	(+)59,87.26	(+)16
8235- सामान्य और अन्य आरक्षित निधियां							
105-	सामान्य बीमा निधि-जनता बीमा	क्रे. 66,84.87	51,96.51	76,31.04	क्रे. 42,50.34	(-)24,35.53	(-)36
117-	गारंटी मोचन निधि	क्रे. 15,42.00	4,00.00 (₹)	-	क्रे. 19,42.00	(+)4,00.00	(+)26
200-	अन्य निधियां	क्रे. 94,39.65	22,71.29	-	क्रे. 1,17,10.94	(+)22,71.29	(+)27
	कुल-8235	क्रे. 1,76,66.52	78,67.80	76,31.04	क्रे. 1,79,03.28	(+)2,36.76	(+)01
कुल-(ख) आरक्षित निधियों पर ब्याज वहन नहीं							
	क्रे. 14,34,86.19	3,63,46.71	2,04,17.69	क्रे. 15,94,15.21	(+)1,59,29.02	(+)11	
कुल-ज-आरक्षित निधियां							
	क्रे. 21,75,25.04	6,95,07.04	3,73,05.56	क्रे. 24,97,26.52	(+)3,22,01.48	(+)15	
सकल शेष निवेश							
	डे. 10,86.07			डे. 10,86.07	-	-	

(इ) 2018-19 के दौरान एमएच 2075-800 "अन्य व्यय" से अंशदान के रूप में ₹ 1,00.00 लाख हस्तांतरित किए गए और राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई प्रतिदाय पर कमीशन/ शुल्क के कारण ₹ 3,00.00 लाख की राशि प्राप्त की गई। कृपया खण्ड-II विवरण संख्या-15 के मुख्य शीर्ष 2075 के नीचे पाद टिप्पणी "ख" और खण्ड-I विवरण संख्या-9 के पृष्ठ संख्या 41 पर पाद टिप्पणी "घ" देखें। कृपया "लेखाओं पर टिप्पणी" के खण्ड-1 के अनुलग्नक "क" को भी देखें।

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा के संव्यवहारों का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2018 को आरंभिक शेष	प्राप्तियाँ	संवितरण	31 मार्च 2019 तक अंतः शेष	2018-19 के दौरान निवल वृद्धि (+) कमी (-)		
					राशि	प्रतिशत	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
					(₹ लाख में)		
भाग-III लोक लेखा-(जारी)							
ट-जमा एवं अग्रिम-							
(क) ब्याज धारित जमा-							
8342- अन्य जमा-							
117-	परिभाषित पेंशन अंशदायी योजना (नई पेंशन योजना)	₹. 59,41.12	₹. 8,45,49.01	(क) ₹. 7,83,22.17	₹. 1,21,67.96	(+)62,26.84	*
	कुल- 8342	₹. 59,41.12	₹. 8,45,49.01	(क) ₹. 7,83,22.17	₹. 1,21,67.96	(+)62,26.84	*
	कुल-(क)-ब्याज धारित जमा-	₹. 59,41.12	₹. 8,45,49.01	(क) ₹. 7,83,22.17	₹. 1,21,67.96	(+)62,26.84	*
(ख) जमा राशि पर ब्याज नहीं-							
8443- सिविल जमा-(ख)							
101-	राजस्व जमा	₹. 23,23,37.28	₹. 12,02,27.46	₹. 9,94,08.64	₹. 25,31,56.10	(+)2,08,18.82	(+)09
102-	सीमा शुल्क एवं अफीम जमा	₹. 70,90.86	-	-	₹. 70,90.86	-	-
103-	सुरक्षा जमा	₹. 1,71,32.48	₹. 47,89.21	₹. 56,96.52	₹. 1,62,25.17	(-)9,07.31	(-)05
104-	सिविल कोर्ट जमा	₹. 2,58,83.05	₹. 9,78.61	₹. 14,39.21	₹. 2,54,22.45	(-)4,60.60	(-)02
105-	आपराधिक कोर्ट जमा	₹. 18,98.05	₹. 12.93	₹. 15.92	₹. 18,95.06	(-)2.99	#
108-	लोक निर्माण जमा	₹. 14,80,74.56	₹. 5,98,81.68	₹. 5,45,77.32	₹. 15,33,78.92	(+)53,04.36	(+)04
109-	वन जमा	₹. 2,84.44	-	-	₹. 2,84.44	-	-
111-	अन्य विभागीय जमा	₹. 93,72.96	₹. 14,22.17	₹. 98,83.51	₹. 9,11.62	(-)84,61.34	(-)90
115-	सरकारी वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा प्राप्त जमा	₹. 34.90	-	-	₹. 34.90	-	-
116-	विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य अधिनियमों- अनुबंधित श्रम अधीन जमा (नियामक एवं उन्मूलन अधिनियम 1970) के अधीन जमा	₹. 0.01	-	-	₹. 0.01	-	-
118-	सरकारी सेवकों द्वारा निजी निकायों के लिए किए गए कार्यों के लिए प्राप्त शुल्क की जमा	₹. 0.20	-	-	₹. 0.20	-	-

(क) 2018-19 के दौरान, ₹ 4,23,87.86 लाख सरकार के तथा ₹ 4,21,61.15 लाख कर्मचारियों के अंशदान को दर्शाता है। वर्ष 2018-19 की शुरुआत में ₹ 59,41.12 लाख के बकाया शेष पर देय ब्याज ₹ 4,63.42 लाख की राशि को 2018-19 के दौरान निधि में हस्तांतरित नहीं किया गया था। कृपया पैरा 3 (i) ख तथा 3 (vii) लेखाओं पर टिप्पणियां खण्ड-1 का भी संदर्भ लें।

(ख) कृपया विवरण सं. 13, खण्ड-1 के नीचे दी गई व्याख्यात्मक टिप्पणी "ख" का अवलोकन करें।

* पूरे विवरण में सौ प्रतिशत से अधिक।

विवरण में नगण्य है।

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा के संव्यवहारों का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2018 को आरंभिक शेष	प्राप्तियाँ	संवितरण	31 मार्च 2019 तक अंतः शेष	2018-19 के दौरान निवल वृद्धि (+) कमी (-)	राशि	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
						(₹ लाख में)	
भाग-III लोक लेखा-(जारी)							
ट-जमा एवं अग्रिम-(जारी)							
(ख) जमा राशि पर ब्याज नहीं-(जारी)							
8443- सिविल जमा-(समाप्त)							
121- निर्वाचन संबंधी जमा	क्रे. 97.02	-	0.53	क्रे. 96.49	(-)0.53	(-)01	
123- शिक्षा संस्थानों की जमा	क्रे. 2,64.63	-	-	क्रे. 2,64.63	-	-	
124- भविष्य निधि में गैर-दावा जमा	क्रे. 92.35	-	-	क्रे. 92.35	-	-	
800- अन्य जमा	क्रे. 5,30,71.16	1,47,89.25	6,84.23	क्रे. 6,71,76.18	(+)1,40,05.02	(+)26	
	कुल-8443	49,56,33.95	20,21,01.31	17,17,05.88	52,60,29.38	(+)3,03,95.43	(+)06
8448- स्थानीय निधियों की जमा-							
101- जिला निधियां	क्रे. 22,75.15	-	-	क्रे. 22,75.15	-	-	
102- नगरपालिका निधियां	क्रे. 2,44,09.87	5,57,15.06	6,03,19.70	क्रे. 1,98,05.23	(-)46,04.64	(-)19	
107- राज्य विद्युत बोर्ड कार्यकारी निधियां	क्रे. 79.04	-	-	क्रे. 79.04	-	-	
108- राज्य आवास बोर्ड निधिया	क्रे. 8.07	-	-	क्रे. 8.07	-	-	
109- पंचायत निकाय निधियां	क्रे. 27.48	-	-	क्रे. 27.48	-	-	
110- शिक्षा निधियां	क्रे. 2,58.98	-	-	क्रे. 2,58.98	-	-	
111- चिकित्सा एवं परोपकारी निधियां	क्रे. 58.02	-	-	क्रे. 58.02	-	-	
113- लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद निधि	क्रे. 4,49,27.88	11,45,41.76	(ख) 9,24,74.60	क्रे. 6,69,95.04	(+)2,20,67.16	(+)49	
120- अन्य जमा	क्रे. 83,14.02	1.16	32,34.61	क्रे. 50,80.57	(-)32,33.45	(-)39	
	कुल-8448	8,03,58.51	17,02,57.98	15,60,28.91	9,45,87.58	(+)1,42,29.07	(+)18

(ख) एमएच 2575-04-113 "एलएचडीसी", 2575-04-114 "केएचडीसी", 4575-04-113 "एलएचडीसी" और 4575-04-114 "केएचडीसी" से हस्तांतरित ₹ 11,44,18.91 लाख की राशि, सम्मिलित। कृपया खण्ड-II विवरण संख्या-16 में एमएच-2575 और एमएच-4575 के नीचे पाद टिप्पणी को देखें और "लेखाओं पर टिप्पणी" के खण्ड-I के अनुलग्नक 'क' को देखें।

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा के संव्यवहारों का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2018 को आरंभिक शेष	प्राप्तियाँ	संवितरण	31 मार्च 2019 तक अंतः शेष	2018-19 के दौरान निवल वृद्धि (+) कमी (-)	राशि	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						(₹ लाख में)	
भाग-III लोक लेखा-(जारी)							
ट-जमा एवं अग्रिम- (समाप्त)							
(ख) जमा राशि पर ब्याज नहीं-(समाप्त)							
8449- अन्य जमा-							
103- केंद्रीय सड़क निधि से प्राप्त सरकारी अनुदान	क्रे. 4,79,39.32	3,44,75.00 (ग)	2,99,48.17 (ग)	क्रे. 5,24,66.15	(+)45,26.83	(+)09	
123- राष्ट्रीय खनिज उत्खनन न्यास	क्रे. -	21.91	-	क्रे. 21.91	(+)21.91	^	
कुल-8449	क्रे. 4,79,39.32	3,44,96.91	2,99,48.17	क्रे. 5,24,88.06	(+)45,48.74	(+)09	
कुल-(ख)- जमा राशि पर ब्याज नहीं	क्रे. 62,39,31.78	40,68,56.20	35,76,82.96	क्रे. 67,31,05.02	(+)4,91,73.24	(+)08	
(ग) अग्रिम-							
8550- सिविल अग्रिम							
101- वन अग्रिम	डे. 6,71.51	-	-	डे. 6,71.51	-	-	
103- अन्य विभागीय अग्रिम	डे. 2,12.25	-	-	डे. 2,12.25	-	-	
104- अन्य अग्रिम	डे. 3,85.43	-	-	डे. 3,85.43	-	-	
कुल-8550	डे. 12,69.19	-	-	डे. 12,69.19	-	-	
कुल-(ग)-अग्रिम	डे. 12,69.19	-	-	डे. 12,69.19	-	-	
कुल-ट-जमा एवं अग्रिम	क्रे. 62,86,03.71	49,14,05.21	43,60,05.13	क्रे. 68,40,03.79	(+)5,54,00.08	(+)09	

(ग) एमएच-3054-797 से "आरक्षित निधि जमा को/ से स्थानांतरित" और एमएच-5054-80-902 'कटौती-केंद्रीय सड़क निधि से सरकारी अनुदान राशि' से हस्तांतरित को निरूपित करता है। कृपया खण्ड-11 विवरण संख्या-16 में एमएच-5054 क नीचे पाद टिप्पणी "क" और विवरण संख्या-15 में एमएच-3054 के नीचे पाद टिप्पणी "क" का संदर्भ लें और लेखाओं पर टिप्पणी खण्ड संख्या 'क' के अनुलग्नक का भी संदर्भ लें।

^ पूरे विवरण में नगण्य

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा के संव्यवहारों का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2018 को आरंभिक शेष	प्राप्तियाँ	संवितरण	31 मार्च 2019 तक अंतः शेष	2018-19 के दौरान निवल वृद्धि (+) कमी (-)	राशि	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
						(₹ लाख में)	
भाग-III लोक लेखा-(जारी)							
ठ-उचंत एवं विविध							
(ख) उचंत-							
8658- उचंत लेखा-							
101- वेतन एवं लेखा कार्यालय का उचंत	₹.	2,73,32.20	15,24.81	52,78.97	₹.	3,10,86.36	(+)37,54.16 (+)14
102- उचंत लेखा- (सिविल)	₹.	89,52.49	22,21.32	25,28.45	₹.	92,59.62 (घ)(इ)	(+)3,07.13 (+)03
107- रोकड़ व्ययस्थापन उचंत लेखा	₹.	6,69.05	-	-	₹.	6,69.05	- -
109- आरबीआई उचंत (मुख्यालय)	₹.	2,71.17	23.81	(-)32.53	₹.	3,27.51	(+)56.34 (+)21

(घ) जनवरी 1977 से मार्च 1977 की अवधि में सामान्य भविष्य निधि, राज्य जीवन बीमा और इस शीर्ष के अधीन बही खाता किए अग्रिमों के कारण वसूलियों में से 1976-77 हेतु 5,02.34 लाख अभिलेखों के नष्ट होने के कारण और अंतिम लेखा शीर्ष के अधीन समायोजन हेतु प्रतीक्षारत है, अब तक (अक्टूबर 2019) 2,08.57 लाख की राशि को समायोजित किया गया है।

(इ) अप्रैल 1976 से दिसंबर 1976 की अवधि हेतु लघु शीर्ष अनुसार लेखा आकांक्षा हेतु 1976-77 में शीर्षाधीन 22,25.52 लाख (खाते जमा' और (-) और 8.62 लाख (नामे जमा) को बही खाते किया गया। इनमें से 26.36 लाख और (खाते जमा) 2,09.63 लाख को अब तक लेखाओं में समायोजित किया जा चुका है। बची हुई राशि को अभी भी अंतिम लेखा शीर्ष के अधीन समायोजित (अक्टूबर 2019) किया जाना बाकी है।

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा के संव्यवहारों का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2018 को आरंभिक शेष	प्राप्तियाँ	संवितरण	31 मार्च 2019 तक अंतः शेष	2018-19 के दौरान निवल वृद्धि (+) कमी (-)	राशि	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
						(₹लाख में)	
भाग-III लोक लेखा-(जारी)							
ठ- उचंत एवं विविध-(जारी)							
(ख) उचंत-(समाप्त)							
8658- उचंत लेखा-(समाप्त)							
110- आरबीआई उचंत (केंद्रीय लेखा)	₹.	2,37.86	1.77	(-)67.27 \$	₹.	1,68.82	(-)69.04 (-)29
112- उचंत स्रोत (टी डी एस) पर कटौती कर	₹.	1,04.87	10,14,86.38	5,71,47.94	₹.	4,44,43.31	(+)4,43,30.48 *
113- भविष्य निधि उचंत	₹.	2,25.35	-	-	₹.	2,25.35	-
120- अतिरिक्त महंगाई भत्ता जमा उचंत लेखा	₹.	1,52.56	-	-	₹.	1,52.56	-
123- अखिल भारतीय सेवा अधिकारी समूह बीमा योजना	₹.	2,14.61	0.42	-	₹.	2,15.03	(+)0.42 #
136- सीमा शुल्क	₹.	67.00	-	-	₹.	67.00	-
137- वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत	₹.	28,25.68	-	-	₹.	28,25.68	-
	₹.	3,98,71.54	10,52,58.51	6,48,55.56	₹.	5,31.41	(-)4,04,02.95 *
	₹.	3,98,71.54	10,52,58.51	6,48,55.56	₹.	5,31.41	(-)4,04,02.95 *
(ग) अन्य लेखा-							
8671- विभागीय शेष							
101- सिविल	₹.	4,96.97	-	-	₹.	4,96.97	-
	₹.	4,96.97	-	-	₹.	4,96.97	-

* पूरे विवरण में सौ प्रतिशत से अधिक।

\$ ऋणात्मक आंकड़ा पिछले गलत वर्गीकरण के सुधार के कारण है।

विवरण में नगण्य है।

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा के संव्यवहारों का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2018 को आरंभिक शेष	प्राप्तियाँ	संवितरण	31 मार्च 2019 तक अंतः शेष	2018-19 के दौरान निवल वृद्धि (+) कमी (-)	राशि	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
						(₹ लाख में)	
भाग-III लोक लेखा-(जारी)							
ठ - उचंत एवं विविध-(समाप्त)							
(ग) अन्य लेखा-(समाप्त)							
8672- स्थाई रोकड़ अग्रदाय							
101- सिविल	डे. 12.59	-	-	डे. 12.59	-	-	
	कुल-8672	डे. 12.59	-	डे. 12.59	-	-	
8673- रोकड़ शेष निवेश लेखा							
101- रोकड़ शेष निवेश लेखा	डे. 3,83,91.91	2,08,45,88.96	2,08,45,88.96	डे. 3,83,91.91	-	-	
	कुल-8673	डे. 3,83,91.91	2,08,45,88.96	डे. 3,83,91.91	-	-	
	कुल-(ग)-अन्य लेखा	डे. 3,89,01.47	2,08,45,88.96	डे. 3,89,01.47	-	-	
8680- विविध सरकारी लेखा							
102- अंतःशेष पर लेखा शीर्ष पूर्णांकन	-	-	-	-	-	-	
	कुल- 8680	-	-	-	-	-	
	कुल-ठ -उचंत एवं विविध	डे. 7,87,73.02	2,18,98,47.48	डे. 2,14,94,44.52	(-4,04,02.96)	(-51)	
ड -प्रेषण-							
(क) धन आदेश एवं अन्य प्रेषण							
8782- समान महालेखाकार/ लेखा अधिकारियों को लेखा प्रदान करने वाले अधिकारियों के मध्य रोकड़ प्रेषण एवं समायोजन							
101- कोषागारों एवं मुद्रा खजानों के मध्य रोकड़ प्रेषण	क्रे. 57,61.34	-	-	क्रे. 57,61.34	-	-	

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा के संव्यवहारों का विस्तृत विवरण-(जारी)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2018 को आरंभिक शेष	प्राप्तियाँ	संवितरण	31 मार्च 2019 तक अंतः शेष	2018-19 के दौरान निवलवृद्धि (+) कमी (-)	राशि	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
					(₹ लाख में)		
भाग-III लोक लेखा-(जारी)							
ड-प्रेषण-(जारी)							
(क) धन आदेश एवं अन्य प्रेषण-(समाप्त)							
8782-	समान महालेखाकार/ लेखा अधिकारियों को लेखा प्रदान करने वाले अधिकारियों के मध्य रोकड़ प्रेषण एवं समायोजन-(समाप्त)						
102-	लोक निर्माण लेखा प्रेषण	क्रे. 4,15,92.98	(-)3,11.02 (क)	(-)47,59.61 (क)	क्रे. 4,60,41.57	(+)44,47.59	(+)11
103-	वन प्रेषण	क्रे. 52,85.62	(-)1,06,76.14	(-)1,06,76.14	क्रे. 52,85.62	-	-
104-	सरकारी वाणिज्यिक उपक्रमों के प्रेषण	डे. 11,19.77	-	-	डे. 11,19.77	-	-
108-	अन्य विभागीय प्रेषण	क्रे. 1,87,06.55	-	-	क्रे. 1,87,06.55	-	-
110-	विविध प्रेषण	क्रे. 68,49.04	28,51,14.98	8,91,40.24	क्रे. 20,28,23.78	(+)19,59,74.74	*
	कुल-8782	क्रे. 7,70,75.76	27,41,27.82	7,37,04.49	क्रे. 27,74,99.09	(+)20,04,23.33	*
	कुल-(क) धन आदेश एवं अन्य प्रेषण-	क्रे. 7,70,75.76	27,41,27.82	7,37,04.49	क्रे. 27,74,99.09	(+)20,04,23.33	*
(ख) अंतर सरकार समायोजन लेखा							
8786-	केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य लेखा समायोजन-(ख)	डे. 5,46.43	-	-	डे. 5,46.43	-	-
	कुल-8786	डे. 5,46.43	-	-	डे. 5,46.43	-	-

(क) ऋणात्मक आंकड़ें पूर्व में किए गए त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण को सुधारने के कारण हैं।

(ख) मार्च 1977 से पूर्व अशेषित किए गए शेषों का समायोजन एवं विश्लेषण का प्रस्तुतीकरण आग में अभिलेखों के नष्ट हो जाने के कारण कठिन है, मामला जांच के अधीन है। (अक्टूबर 2019)

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा के संव्यवहारों का विस्तृत विवरण-(जारी)

मुख्य शीर्ष	1 अप्रैल 2018 को आरंभिक शेष	प्राप्तियाँ	संवितरण	31 मार्च 2019 तक अंतः शेष	2018-19 के दौरान निवल वृद्धि (+) कमी (-)	
					राशि	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					(₹ लाख में)	
भाग-III लोक लेखा-(समाप्त)						
ड-प्रेषण-(समाप्त)						
(ख) अंतर सरकार लेखा समायोजन-(समाप्त)						
8793- अंतरराज्य उचंत लेखा	डे. 1,71.09	0.17	3,11.06	डे. 4,81.98	(+)3,10.88	*
कुल-8793	डे. 1,71.09	0.17	3,11.06	डे. 4,81.98	(+)3,10.88	*
कुल-(ख) अंतर सरकार लेखा						
समायोजन-	डे. 7,17.52	0.17	3,11.06	डे. 10,28.41	(+)3,10.89	*
कुल-ड-प्रेषण-	क्रे. 7,63,58.24	27,41,27.99	7,40,15.55	क्रे. 27,64,70.68	(+)20,01,12.44	*
कुल-भाग-III लोक लेखा		3,91,06,80.07	3,05,02,15.88			
कुल-भाग I भाग II और भाग-III प्राप्ति/ संवितरण		11,56,78,13.23	11,57,21,47.62			
द्व-रोकड़ शेष-						
8999-रोकड़ शेष (क)-		1,54,51.10	1,11,16.71			
कुल योग		11,58,32,64.33	11,58,32,64.33			
(क) आरंभिक एवं अन्तः रोकड़ शेषों का सार-		(₹ लाख में)				
	आरंभिक शेष		अंत शेष			
(i) कोषागारों में रोकड़	6,76.64		6,76.64			
(ii) बैंकों में रोकड़	21,01.92		21,01.92			
(iii) आरबीआई के पास जमा	1,26,72.54		83,38.15	(ख)		
कुल	1,54,51.10		1,11,16.71			

(ख) 'रिजर्व बैंक के साथ डिपोजिट्स' के प्रति शेष सरकारी लेखा के अनुसार शेष को प्रस्तुत करता है, जिसमें 15 अप्रैल 2019 तक भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श अनुसार सरकारी समायोजन शामिल हैं। लेखाओं में जैसा कि आंकड़ें प्रतिबिंबित हुए हैं, के मध्य ₹82,55.58 लाख (डेबिट जमा) का निवल अंतर है, [83,38.15 लाख (डे.)] और जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सूचित किया गया है [82.57 लाख (क्रे.)] यह अंतर आरबीआई के साथ-साथ राज्य सरकार के समायोजन के अधीन है। (अक्टूबर 2019)

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा के संव्यवहारों का विस्तृत विवरण-(जारी)

विवरण संख्या-21 का अनुलग्नक

उचंत शेष एवं प्रेषण शेष का विश्लेषण

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष एवं मंत्रालय/ विभाग जिनके साथ लंबित है	(₹ लाख में)		संक्षिप्त में लेन-देन की प्रकृति	सबसे पहले का वर्ष जब से लंबित है	रोकड़ शेष पर बकाया का प्रभाव
		31 मार्च 2019 तक शेष डे.	शेष क्रे.			
(क)	8658 - उचंत लेखा					
1	101- वेतन एवं लेखा कार्यालय					
	(i) सीपीएओ, नई दिल्ली	2,97,05.06	4,71.59	राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के सिविल पेंशन भोगियों को भुगतान	2003-04	बकाया डेबिट की सीमा तक नकद शेष तथा निकासी पर क्रेडिट क्रमशः बढ़ेगा और कम होगा
	(ii) अन्य	81,23.10	62,70.21	ये बहुत पुराने शेष हैं अतः लेन-देन की वास्तविक प्रकृति ज्ञात नहीं है	1976-77	व्ययस्थापन समायोजन पर रोकड़ शेष की वृद्धि होगी
2	102- उचंत लेखा (सिविल)					
	(i) सीडीए, पेंशन इलाहाबाद	22,45.69	8,51.90	राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के डिफेंस पेंशन भोगियों को भुगतान	2003-04	निकासी पर रोकड़ शेष की वृद्धि होगी
	(ii) सीडीए (डब्ल्यूसी) चण्डीगढ़	1,80.73	-	पेंशन, परिवहन व्यय इत्यादि के कारण किया गया भुगतान	2003-04	बकाया डेबिट की सीमा तक नकद शेष तथा निकासी पर क्रेडिट क्रमशः बढ़ेगा और कम होगा
	(iii) सीडीए (एससी) पुणे	88.45	80.02	पेंशन, परिवहन व्यय इत्यादि के कारण किया गया भुगतान	2003-04	बकाया डेबिट की सीमा तक नकद शेष तथा निकासी पर क्रेडिट क्रमशः बढ़ेगा और कम होगा
	(iv) सीडीए (एनसी) जम्मू	5,56.98	36.81	पेंशन, परिवहन व्यय इत्यादि के कारण किया गया भुगतान	2003-04	बकाया डेबिट की सीमा तक नकद शेष तथा निकासी पर क्रेडिट क्रमशः बढ़ेगा और कम होगा
	(v) उत्तर रेलवे, नई दिल्ली	3,66.60	9.29	उत्तर रेलवे के पेंशन भोगियों को पेंशन का भुगतान किया गया	1998-99	बकाया डेबिट की सीमा तक नकद शेष तथा निकासी पर क्रेडिट क्रमशः बढ़ेगा और कम होगा

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा के संव्यवहारों का विस्तृत विवरण-(जारी)

विवरण संख्या-21 का अनुलग्नक-(जारी)

उचंत शेष एवं प्रेषण शेष का विश्लेषण-(जारी)

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष एवं मंत्रालय/ विभाग जिनके साथ लंबित है	(₹ लाख में)		संक्षिप्त में लेन-देन की प्रकृति	सबसे पहले का वर्ष जब से लंबित है	रोकड़ शेष पर बकाया का प्रभाव
		31 मार्च 2019 तक शेष डे.	शेष क्रे.			
(क)	8658 - उचंत लेखा-(जारी)					
	102- उचंत लेखा- (सिविल)					
	(vi) पी एण्ड टी, कपूरथला	11,97.58	67.13	प्रेषण एवं पीएलआई की वसूली के कारण लेन-देन	2003-04	बकाया डेबिट की सीमा तक नकद शेष तथा निकासी पर क्रेडिट क्रमशः बढ़ेगा और कम होगा
	(vii) अन्य	3,29,04.48	2,72,35.74	पुराना शेष। मामला संबंधित अभिकरणों के साथ पत्राचार के अधीन	1976-77	बकाया डेबिट की सीमा तक नकद शेष तथा निकासी पर क्रेडिट क्रमशः बढ़ेगा और कम होगा
3	107- रोकड़ व्ययस्थापन उचंत लेखा- (सिविल)	6,69.05	-	लोक निर्माण प्रभागों के मध्य स्टॉक/ सेवा लेन-देन का अंतिम रोकड़ व्ययस्थापन समायोजन लंबित	1976-77	रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं
4	109- रिजर्व बैंक का उचंत- (मुख्यालय)	1,55.92	4,83.43	2011-12 के दौरान पेंशन/ टीए इत्यादि के कारण किया गया भुगतान	2011-12	बकाया डेबिट की सीमा तक नकद शेष तथा निकासी पर क्रेडिट क्रमशः बढ़ेगा और कम होगा
5	110-रिजर्व बैंक का उचंत- केंद्रीय लेखा	5,51.62	3,82.80	2011-12 के दौरान पेंशन/ टीए इत्यादि के कारण किया गया भुगतान	2011-12	बकाया डेबिट की सीमा तक नकद शेष तथा निकासी पर क्रेडिट क्रमशः बढ़ेगा और कम होगा
6	112-स्रोत पर कर कटौती	-	4,44,43.31	सीबीडीटी को देय स्रोत पर आय कर इत्यादि की कटौती के कारण प्राप्तियाँ	2009-10	बकाया डेबिट की सीमा तक नकद शेष तथा निकासी पर क्रेडिट क्रमशः बढ़ेगा और कम होगा
7	113-भविष्य निधि उचंत	2,25.35	-	सामान्य भविष्य निधि खाते क्रेडिट/ डेबिट जमा को अभिदाताओं के खाते में समायोजन प्रामाणिक साक्ष्यों के आधार पर अंतिम समायोजन तक प्रतीक्षित	1976-77	रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा के संव्यवहारों का विस्तृत विवरण-(जारी)

विवरण संख्या-21 का अनुलग्नक-(जारी)

उचंत शेष एवं प्रेषण शेष का विश्लेषण-(जारी)

		(₹ लाख में)		संक्षिप्त में लेन-देन की प्रकृति	सबसे पहले का वर्ष जब से लंबित है	रोकड़ शेष पर बकाया का प्रभाव
क्रम संख्या	लेखा शीर्ष एवं मंत्रालय/ विभाग जिनके साथ लंबित है	31 मार्च 2019 तक शेष डे.	शेष क्रे.			
(क)	8658 -उचंत लेखा-(समाप्त)					
8	123- अखिल भारतीय सेवा अधिकारी समूह बीमा योजना	-	2,15.03	केंद्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना कमी/ वसूलियों का सामंजस्य करती है	1976-77	निकासी पर रोकड़ शेष की वृद्धि होगी
(ख)	8782-समान महालेखाकार/ लेखा अधिकारियों को लेखा प्रदान करने वाले अधिकारियों के मध्य रोकड़ प्रेषण एवं समायोजन-					
10	102-लोक निर्माण प्रेषण	12,78,82.95	17,39,24.52	(i) कोषागारों में प्रेषण एवं (ii) लोक निर्माण चेक को प्रभागीय लेखाओं में क्रमशः डेबिट और क्रेडिट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्राप्ति पर संबंधित कोषागार इस शीर्ष को क्रेडिट और डेबिट के माध्यम से करती है।	1976-77	रोकड़ या लेखा शेष पर कोई प्रभाव नहीं
11	103-वन प्रेषण	1,07,26.09	1,60,11.71	(i) कोषागारों में प्रेषण एवं (ii) लोक निर्माण चेक को प्रभागीय लेखाओं में क्रमशः डेबिट और क्रेडिट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्राप्ति पर संबंधित कोषागार इस शीर्ष को क्रेडिट और डेबिट के माध्यम से करती है।	1976-77	रोकड़ पर कोई प्रभाव नहीं

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा के संव्यवहारों का विस्तृत विवरण-(जारी)

विवरण संख्या-21 का अनुलग्नक-(समाप्त)

उचंत शेषों एवं प्रेषण शेष का विश्लेषण-(समाप्त)

		(₹ लाख में)		संक्षिप्त में लेन-देन की प्रकृति	सबसे पहले का वर्ष जब से लंबित है	रोकड़ शेष पर बकाया का प्रभाव
क्रम संख्या	लेखा शीर्ष एवं मंत्रालय/ विभाग जिनके साथ लंबित है	31 मार्च 2019 तक शेष डे.	शेष क्रे.			
(ख)	8782-समान महालेखाकार/ लेखा अधिकारियों को लेखा प्रदान करने वाले अधिकारियों के मध्य रोकड़ प्रेषण एवं समायोजन- (समाप्त)					
12	108-अन्य विभागीय प्रेषण	-	1,87,06.55	यह शीर्ष उन विभागों जैसे "उत्पाद शुल्क" इत्यादि के द्वारा संचालित किया जाता है जिन्हें कोषागारों के साथ प्रेषण लेन-देन की सुविधा प्रदान की गई होती है	1976-77	रोकड़ या लेखा पर कोई प्रभाव नहीं
13	8793-अंतरराज्य उचंत लेखा	5,03.73	21.75	पेंशन/ टीए इत्यादि के कारण किए गए भुगतान को निरूपण करता है	2011-12	बकाया डेबिट की सीमा तक नकद शेष तथा निकासी पर क्रेडिट क्रमशः बढ़ेगा और कम होगा

22. चिह्नित शेषों के निवेशों पर विस्तृत विवरण

आरक्षित निधि या जमा लेखा का नाम (1)	31 मार्च 2018 को शेष राशि			31 मार्च 2019 तक शेष		
	रोकड़ (2)	निवेश (3)	कुल (4)	रोकड़ (5)	निवेश (6)	कुल (7)
						(₹ लाख में)
ज- आरक्षित निधि-						
(क) आरक्षित निधियों पर ब्याज वहन						
8121- सामान्य और अन्य आरक्षित निधियां						
122- राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष	7,29,52.79	10,86.07	7,40,38.86	8,92,25.24	10,86.07	9,03,11.31
कुल -(क) आरक्षित निधियों पर ब्याज वहन	7,29,52.79	10,86.07	7,40,38.86	8,92,25.24	10,86.07	9,03,11.31 (क)
(ख) आरक्षित निधियों पर ब्याज वहन नहीं						
8222- ऋण-शोधन निधियां-	2,19,55.00	-	2,19,55.00	3,16,60.00	-	3,16,60.00
कुल -8222	2,19,55.00	-	2,19,55.00	3,16,60.00	-	3,16,60.00
8223- अकाल राहत निधि-						
101- अकाल राहत निधि	8,66.96	-	8,66.96	8,66.96	-	8,66.96
कुल-8223	8,66.96	-	8,66.96	8,66.96	-	8,66.96
8226- आरक्षित निधियों का मूल्यहास/ नवीनीकरण						
101- सरकारी वाणिज्यिक विभागों/ उपक्रमों की आरक्षित निधियों का मूल्यहास	5,73,79.34	-	5,73,79.34	5,73,79.34	-	5,73,79.34
102- सरकारी गैर-वाणिज्यिक विभागों की आरक्षित निधियों का मूल्यहास	72,85.99	-	72,85.99	72,85.99	-	72,85.99
कुल -8226	6,46,65.33	-	6,46,65.33	6,46,65.33	-	6,46,65.33
8229- विकास एवं कल्याण निधियां-						
103- कृषि उद्देश्यों हेतु विकास निधियां	40,52.06	-	40,52.06	40,52.06	-	40,52.06
109- सहकारिता विकास निधियां	0.10	-	0.10	0.10	-	0.10
200- अन्य विकास एवं कल्याण निधि	3,42,80.21	-	3,42,80.21	4,02,67.48	-	4,02,67.48
कुल -8229	3,83,32.37	-	3,83,32.37	4,43,19.64	-	4,43,19.64

(क) आंकड़ें राज्य सरकार के साथ (जुलाई 2019) मिलानधीन के अधीन हैं।

22. चिह्नित शेषों के निवेशों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

आरक्षित निधि या जमा लेखा का नाम (1)	31 मार्च 2018 को शेष राशि			31 मार्च 2019 तक शेष		
	रोकड़ (2)	निवेश (3)	कुल (4)	रोकड़ (5)	निवेश (6)	कुल (7)
						(₹ लाख में)
ज- आरक्षित निधियां-(समाप्त)						
(ख) आरक्षित निधियों पर ब्याज वहन नहीं-(समाप्त)						
8235- सामान्य और अन्य आरक्षित निधियां-						
105- सामान्य बीमा निधि (जनता बीमा)	66,84.87	-	66,84.87	42,50.34	-	42,50.34
111- राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष	-	-	-	-	-	-
117- गारंटी मोचन निधि	15,42.00	-	15,42.00	19,42.00	-	19,42.00
200- अन्य निधियां	94,39.65	-	94,39.65	1,17,10.94	-	1,17,10.94
कुल -8235	1,76,66.52	-	1,76,66.52	1,79,03.28	-	1,79,03.28
कुल -(ख) आरक्षित निधियों पर ब्याज वहन नहीं	14,34,86.18	-	14,34,86.18	15,94,15.21	-	15,94,15.21
कुल-ज-आरक्षित निधियां	21,64,38.97	10,86.07	21,75,25.04	24,86,40.45	10,86.07	24,97,26.52
ट-जमा एवं अग्रिम						
(ख) आरक्षित निधियों पर ब्याज वहन नहीं						
8449- अन्य जमाएं-						
103- केंद्रीय सड़क निधि से प्राप्त सहायता	4,79,39.32	-	4,79,39.32	5,24,66.15	-	5,24,66.15
123- राष्ट्रीय खनिज उत्खनन न्यास जमाएं	-	-	-	21.91	-	21.91
कुल -8449	4,79,39.32	-	4,79,39.32	5,24,88.06	-	5,24,88.06
कुल-ट-जमा एवं अग्रिम	4,79,39.32	-	4,79,39.32	5,24,88.06	-	5,24,88.06
कुल योग-	26,43,78.29	10,86.07	26,54,64.36	30,11,28.51	10,86.07	30,22,14.58

(क) आंकड़ें मिलानधीन (जुलाई 2019) के अधीन

(क)

22. चिह्नित शेषों के निवेशों पर विस्तृत विवरण-(समाप्त)

विवरण संख्या-22 की व्याख्यात्मक टिप्पणी

ऋण-शोधन निधि का ब्योरा

ऋण शोधन निधियाँ	1 अप्रैल 2018 को शेष राशि	राजस्व से प्राप्त विनयोजित राशि को जोड़ें	निवेश पर ब्याज जोड़ें	कुल	प्रतिभूतियों के क्रय पर दिया गया ब्याज	वर्ष के दौरान कम निर्वहन	विविध को हस्तांतरित राशि ऋण की पिरपक्वता पर सरकारी लेखा	31 मार्च 2019 को शेष	टिप्पणियाँ
									(₹ लाख में)
ऋण शोधन निधियाँ	2,19,55.00	97,05.00	-	3,16,60.00	-	-	-	3,16,60.00	-

निपेक्ष निधि निवेश लेखे का ऋण परिशोधन ब्योरा

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2018 को शेष	प्रतिभूतियों का क्रय	कुल	प्रतिभूतियों का विक्रय	31 मार्च 2019 को शेष	अंकित मूल्य	बाजार मूल्य
							(₹ लाख में)

राज्य सरकार द्वारा (अगस्त 2019) कोई राशि निवेश नहीं की गई

परिशिष्ट

भाग-II

परिशिष्ट-I

वेतन पर तुलनात्मक व्यय

(इटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2018-19			2017-18		
			राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					(रूलाख में)			(रूलाख में)

व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)

सामान्य प्रशासन	2012-	राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/ राज्यपाल/ केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक	8,29.70	-	8,29.70	5,08.27	-	5,08.27
	2013-	मंत्रिपरिषद्	1,44.74	-	1,44.74	5,42.33	-	5,42.33
	2015-	निर्वाचन	23.26	-	23.26	10.56	-	10.56
	2051-	लोक सेवा आयोग	8,25.87	-	8,25.87	5,44.80	-	5,44.80
	2052-	सचिवालय - सामान्य सेवाएं	87,13.57	-	87,13.57	61,00.59	-	61,00.59
	2062	सतर्कता	37,40.36	-	37,40.36	28,45.77	-	28,45.77
	2070-	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	10,64.22	-	10,64.22	3,21.64	-	3,21.64
	2251-	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	37,17.50	-	37,17.50	24,87.33	-	24,87.33
	3435-	पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	1,67.48	-	1,67.48	8,50.30	-	8,50.30
	3451-	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	72,21.03	-	72,21.03	49,40.73	-	49,40.73
	3452-	पर्यटन	2,74.50	-	2,74.50	4,83.39	-	4,83.39
			कुल सामान्य प्रशासन	2,53,36.13	-	2,69,91.70	1,85,82.64	-
			<i>16,55.57</i>			<i>10,53.07</i>		

परिशिष्ट-I-(जारी)

वेतन पर तुलनात्मक व्यय-(जारी)

(इंटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2018-19			2017-18		
			राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(रुंलाख में)			(रुंलाख में)		
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)-(जारी)								
गृह	2055-	पुलिस	55,32,34.59	-	55,32,34.59	35,52,09.29	-	35,52,09.29
	2056-	जेले	68,79.41	-	68,79.41	48,76.99	-	48,76.99
	2070-	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2,56,00.87	-	2,56,00.87	1,80,94.43	-	1,80,94.43
	2235-	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	7,48.73	-	7,48.73	5,21.09	-	5,21.09
कुल गृह			58,64,63.60		58,64,63.60	37,87,01.80		37,87,01.80
योजना एवं विकास	3454-	जनगणना सर्वेक्षण एवं आंकड़े	73,79.87	-	73,79.87	49,84.00	-	49,84.00
	3475-	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	-	17.02	17.02	1.09	-	1.09
कुल योजना एवं विकास			73,79.87	17.02	7396.89.	49,85.09	-	49,85.09
सूचना	2220-	सूचना एवं प्रचार	27,52.02	-	27,52.02	18,90.09	-	18,90.09
कुल सूचना			27,52.02	-	27,52.02	18,90.09	-	18,90.09
लद्दाख मामले	2575-	अन्य विशेष क्षेत्रों के कार्यक्रम	43.23.57	-	43.23.57	33,32.67	-	33,32.67
कुल लद्दाख मामले			43.23.57	-	43.23.57	33,32.67	-	33,32.67
विद्युत विकास	2801-	विद्युत	9,07,07.98	-	9,07,07.98	6,45,36.99	-	6,45,36.99
कुल विद्युत विकास			9,07,07.98	-	9,07,07.98	6,45,36.99	-	6,45,36.99

परिशिष्ट-I-(जारी)

वेतन पर तुलनात्मक व्यय-(जारी)

(इटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2018-19			2017-18		
			राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(रूलाख में)			(रूलाख में)		
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)-(जारी)								
शिक्षा	2055-	पुलिस	-	-		-	-	-
	2202-	सामान्य शिक्षा	58,30,25.65	-	58,30,25.65	37,36,92.52	10,06.90	37,46,99.42
	2204-	खेल एवं युवा सेवाएं	10,33.37	-	10,33.37	2,05,63.29	-	2,05,63.29
कुल शिक्षा			58,40,59.02	-	58,40,59.02	39,42,55.81	10,06.90	39,52,62.71
वित्त	2030-	स्टांप एवं पंजीकरण	2,81.70	-	2,81.70	1,76.14	-	1,76.14
	2039-	राज्य आबकारी	35,56.28	-	35,56.28	24,17.18	-	24,17.18
	2040-	बिक्री कर	1,14.28	-	1,14.28	42,31.52	-	42,31.52
	2043	राज्य वस्तु एवं सेवा के अंतर्गत संग्रहण शुल्क	63,43.07	-	63,43.07			
	2045-	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	2,61.76	-	2,61.76	2,06.47	-	2,06.47
	2047-	अन्य राजकोषीय सेवाएं	3.94	-	3.94	4.74	-	4.74
	2054-	कोषागार एवं लेखा प्रशासन	1,55,73.13	-	1,55,73.13	1,05,20.47	-	1,05,20.47
	2075-	विविध सामान्य सेवाएं	15.58	-	15.58	25.05	-	25.05
	2235-	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	9,00.80	-	9,00.80	7,12.86	-	7,12.86
कुल वित्त			2,70,50.54	-	2,70,50.54	1,82,94.43		1,82,94.43
संसदीय मामले	2011-	संसद/ राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश विधानसभाएं	46,05.13	-	46,79.89	38,83.65	-	39,23.25
			74.76			39.60		
कुल संसदीय मामले			45,30.37	-	46,79.89	38,83.65	-	39,23.25
			74.76			39.60		

परिशिष्ट-1-(जारी)

वेतन पर तुलनात्मक व्यय-(जारी)

(इटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2018-19			2017-18		
			राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(रुंलाख में)			(रुंलाख में)		
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)-(जारी)								
विधि	2014-	न्याय प्रशासन	1,81,91.94 45,87.31	-	2,27,79.25	1,29,83.92 32,22.34	-	1,62,06.26
	2015-	निर्वाचन	12,10.85	-	12,10.85	8,08.82	-	8,08.82
	2030-	स्टांप एवं पंजीकरण	92.58	-	92.58	66.95	-	66.95
	2041-	वाहनों पर कर	72.02	-	72.02	34.43	-	34.43
	2070-	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	4,81.93	-	4,81.93	2,92.82	-	2,92.82
	2230-	श्रम एवं रोजगार	75.66	-	75.66	54.44	-	54.44
कुल विधि			2,01,24.99 45,87.31	-	2,47,12.30	1,42,41.38 32,22.34	-	1,74,63.72
उद्योग एवं वाणिज्य	2055-	पुलिस		-	-	10.12	-	10.12
	2851-	गांव एवं लघु उद्योग	2,08,02.87	-	2,08,02.87	1,47,81.58	-	1,47,81.58
	2853-	अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	52,20.60	-	52,20.60	34,40.97	-	34,40.97
कुल उद्योग एवं वाणिज्य			2,60,23.47	-	2,60,23.47	1,82,32.67	-	1,82,32.67

परिशिष्ट-I-(जारी)

वेतन पर तुलनात्मक व्यय-(जारी)

(इटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2018-19			2017-18		
			राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(रुंलाख में)			(रुंलाख में)		
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)-(जारी)								
कृषि	2029-	भू-राजस्व	3,36.96	-	3,36.96	2,11.24	-	2,11.24
	2236-	पोषण	-	-	-	2,80.67	-	2,80.67
	2250-	अन्य सामाजिक सेवाएं	2,10.61	-	2,10.61	1,44.49	-	1,44.49
	2401-	कृषि	4,59,47.09	0.03	4,59,47.12	3,89,15.05	59.18	3,89,74.23
	2402-	मृदा एवं जल संरक्षण	29,48.18	-	29,48.18	18,58.98	-	18,58.98
	2403-	पशुपालन	5,55.75	-	5,55.75	3,09.93	-	3,09.93
	2406-	वानिकी एवं वन्य जीवन	85,19.79	-	85,19.79	58,48.17	-	58,48.17
	2415-	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	4,10.48	-	4,10.48	2,71.70	-	2,71.70
	2425-	सहकारिता	-	-	-	31,44.77	-	31,44.77
	2435-	अन्य कृषि कार्यक्रम	11,98.83	-	11,98.83	25,11.30	-	25,11.30
	2705-	कमान क्षेत्र विकास	38,22.59	-	38,22.59	25,69.19	-	25,69.19
	2851-	गांव एवं लघु उद्योग	1,13.89.66	-	1,13.89.66	77,42.43	-	77,42.43
कुल कृषि			7,53,39.94	0.03	7,53,39.97	6,38,07.92	59.18	6,38,67.10
पशुपालन	2403-	पशुपालन	5,36,60.44	-	5,36,60.44	3,69,54.57	-	3,69,54.57
कुल पशुपालन			5,36,60.44	-	5,36,60.44	3,69,54.57	-	3,69,54.57

परिशिष्ट-I-(जारी)

वेतन पर तुलनात्मक व्यय-(जारी)

(इटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2018-19			2017-18		
			राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(रुलाख में)			(रुलाख में)		
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)-(जारी)								
राजस्व	2029-	भू-राजस्व	90.63	-	90.63	1,39,15.88	-	1,39,15.88
	2053-	जिला प्रशासन	4,42,14.30	-	4,42,14.30	1,61,14.82	-	1,61,14.82
	2055-	पुलिस	-	-	-	80,30.54	-	80,30.54
	2070-	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	1,03.23	-	1,03.23	1,70.56	-	1,70.56
	2235-	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	-	-	-	32.95	-	32.95
	2245-	प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	-	-	-	52.18	-	52.18
	2250-	अन्य सामाजिक सेवाएं	1,12.56	-	1,12.56	83.01	-	83.01
	2401-	फसल पैदावार	-	1,93.62	1,93.62	-	1,46.49	1,46.49
	2506-	भूमि सुधार	1.18	-	1.18	15,07.35	-	15,07.35
	3475-	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	-	-	-	2.76	-	2.76
कुल राजस्व			4,45,21.90	1,93.62	4,47,15.52	3,99,10.05	1,46.49	4,00,56.54
उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण	2408-	खाद्य, एवं संग्रहण भंडारण	1,70,30.68	-	1,70,30.68	1,24,82.92	-	1,24,82.92
	3475-	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	9,47.07	-	9,47.07	6,34.16	-	6,34.16
कुल उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण			1,75,79.77	-	1,75,79.77	1,31,17.08	-	1,31,17.08
लोक निर्माण	2059-	लोक निर्माण	7,04,47.80	-	7,04,47.80	4,74,25.84	-	4,74,25.84
	2216-	आवास	-	-	-	1.26	-	1.26
	3054-	सड़क एवं पुल	23.14	-	23.14	21.65	-	21.65
कुल लोक निर्माण			9,51,83.24	-	9,51,83.24	4,74,48.75	-	4,74,48.75

परिशिष्ट-I-(जारी)

वेतन पर तुलनात्मक व्यय-(जारी)

(इटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2018-19			2017-18		
			राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(रुलाख में)			(रुलाख में)		
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)-(जारी)								
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा	2210-	चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य	24,83,73.47	-	24,83,73.47	17,03,38.94	3,08.58	17,06,47.52
	2211-	परिवार कल्याण	36,40.29	-	36,40.29	33,70.87	1,24,96.09	1,58,66.96
कुल स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा			25,20,13.76	-	25,20,13.76	17,37,09.81	1,28,04.67	18,65,14.48
सामाजिक कल्याण	2070-	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	-	-	-	2,12.88	-	2,12.88
	2225-	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण	7,32.75	-	7,32.75	15,15.91	-	15,15.91
	2235-	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	59,88.36	86,49.61	1,46,37.97	41,74.45	64,31.38	1,06,05.83
	2236-	पोषण	42,80.56	-	42,80.56	9,75.95	1.27	9,77.22
कुल सामाजिक कल्याण			1,10,01.67	86,49.61	1,96,51.28	68,79.19	64,32.65	1,33,11.84
आवास एवं शहरी विकास	2217-	शहरी विकास	91,94.39	-	91,94.39	61,10.12	-	61,10.12
कुल आवास एवं शहरी विकास			91,94.39	-	91,94.39	61,10.12	-	61,10.12
पर्यटन	2202-	सामान्य शिक्षा	-	-	-	1,72.16	-	1,72.16
	2205-	कला एवं संस्कृति	-	-	-	15,44.69	-	15,44.69
	3452-	पर्यटन	45,99.10	-	45,99.10	38,61.52	-	38,61.52
	3454-	जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	-	-	-	65.11	-	65.11
कुल पर्यटन			45,99.10	-	45,99.10	56,43.48	-	56,43.48

परिशिष्ट-I-(जारी)

वेतन पर तुलनात्मक व्यय-(जारी)

(इटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2018-19			2017-18		
			राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					(रुलाख में)			(रुलाख में)
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)-(जारी)								
वन	2402-	मृदा एवं जल संरक्षण	60,15.54	-	60,15.54	40,52.72	-	40,52.72
	2406-	वानिकी एवं वन्य जीवन	7,02,13.32	-	7,02,13.32	5,02,57.86	-	5,02,57.86
	3435-	पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	28,64.68	-	28,64.68	19,72.53	-	19,72.53
		कुल वन	7,90,93.54	-	7,90,93.54	5,62,83.11	-	5,62,83.11
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	2700-	प्रमुख सिंचाई	5,09.25	-	5,09.25	1,22.35	-	1,22.35
	2701-	मध्यम सिंचाई	31,11.90	-	31,11.90	21,48.15	-	21,48.15
	2702-	लघु सिंचाई	3,98,23.97	-	3,98,23.97	2,75,27.01	-	2,75,27.01
	2711-	बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी	1,06,34.78	-	1,06,34.78	73,97.24	-	73,97.24
		कुल सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	5,40,79.9	-	5,40,79.9	3,71,94.75	-	3,71,94.75
जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	2055-	पुलिस	931.59	-	931.59	7,25.48	-	7,25.48
	2215-	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	11,87,95.68	-	11,87,95.68	8,11,72.46	-	8,11,72.46
		कुल जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	11,97,27.27	-	11,97,27.27	8,18,97.94	-	8,18,97.94
आतिथ्य एवं प्रोटोकॉल	2055-	पुलिस	25,99.57	-	25,99.57	28,30.49	-	28,30.49
	2070-	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	22,66.84	-	22,66.84	15,41.46	-	15,41.46
	2216-	आवासीय	41,62.89	-	41,62.89	26,56.07	-	26,56.07
		कुल आतिथ्य एवं प्रोटोकॉल	90,29.30	-	90,29.30	70,28.02	-	70,28.02
श्रम, लेखन-सामग्री एवं मुद्रण	2058-	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	31,95.85	-		20,79.70	-	20,79.70
	2230-	श्रम एवं रोजगार	37,44.16	1.02	37,45.18	24,56.04	-	24,56.04
		कुल श्रम, लेखन-सामग्री एवं मुद्रण	69,40.01	1.02	69,41.03	45,35.74	-	45,35.74
मत्स्य पालन	2405-	मछली पालन	94,29.36	-	94,29.36	63,79.42	-	63,79.42
		कुल मत्स्य पालन	94,29.36	-	94,29.36	63,79.42	-	63,79.42

परिशिष्ट-I-(जारी)

वेतन पर तुलनात्मक व्यय-(जारी)

(इटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2018-19			2017-18		
			राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					(रुलाख में)			(रुलाख में)
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)-(जारी)								
उच्चतर शिक्षा	2202-	सामान्य शिक्षा	5,39,78.87	-	5,39,78.87	3,42,88.77	-	3,42,88.77
	2203-	तकनीकी शिक्षा	19,97.93	-	19,97.93	82,46.21	-	82,46.21
	2230-	श्रम एवं रोजगार	-	-	-	5,75.34	-	5,75.34
कुल उच्चतर शिक्षा			5,59,76.80	-	5,59,76.80	4,31,10.32	-	4,31,10.32
ग्रामीण विकास	2236-	पोषण	8,18.34	-	8,18.34	4,86.09	-	4,86.09
	2501-	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	20,95.17	8,70.45	29,65.62	22,76.34	2,73.06	25,49.40
	2515-	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	3,97,27.17	-	3,97,27.17	2,92,69.26	-	2,92,69.26
कुल ग्रामीण विकास			4,26,40.68	8.70.45	4,35,11.13	3,20,31.69	2,73.06	3,23,04.75
परिवहन	2041-	वाहनों पर कर	15,01.85	-	15,01.85	11,16.66	-	11,16.66
	2070-	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	41,29.64	-	41,29.64	29,06.89	-	29,06.89
कुल परिवहन			56,31.49	-	56,31.49	40,23.55	-	40,23.55
जनजातीय मामले	2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण	14,30.25	-	14,30.25	-	-	-
कुल जनजातीय मामले			14,30.25	-	14,30.25	-	-	-
संस्कृति	2202	शिक्षा	3,75.44	-	3,75.44	-	-	-
	2205	कला एवं संस्कृति	21,72.72	-	21,72.72	-	-	-
	3454	जनगणना सर्वेक्षण एवं आंकड़े	1,02.76	-	1,02.76	-	-	-
कुल संस्कृति			26,50.92	-	26,50.92	-	-	-

परिशिष्ट-I-(जारी)

वेतन पर तुलनात्मक व्यय-(जारी)

(इटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2018-19			2017-18		
			राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(रूलाख में)			(रूलाख में)		
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)-(जारी)								
बागवानी	2236	पोषण	4,11.15	-	4,11.15	-	-	-
	2401	कृषि	97,25.73	-	97,25.73	-	-	-
	2435	अन्य कृषि कार्यक्रम	27,66.15	-	27,66.15	-	-	-
कुल बागवानी			1,29,03.03	-	1,29,03.03	-	-	-
आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण	2055	पुलिस	1,19,38.18	-	1,19,38.18	-	-	-
	2235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	28.17	-	28.17	-	-	-
	2245	प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	87.15	4.48	91.63	-	-	-
कुल आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण			1,20,53.50	4.48	1,20,57.98	-	-	-
युवा सेवाएं एवं तकनीकी शिक्षा	2203	तकनीकी शिक्षा	1,04,66.03	-	1,04,66.03	-	-	-
	2204	खेल एवं युवा सेवाएं	2,95,65.89	-	2,95,65.89	-	-	-
	2230	श्रम एवं रोजगार	8,13.50	-	8,13.50	-	-	-
कुल युवा सेवाएं एवं तकनीकी शिक्षा			4,08,45.42	-	4,08,45.42	-	-	-
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	3435	पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	11,47.67	-	11,47.67	-	-	-
कुल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी			11,47.67	-	11,47.67	-	-	-
सहकारी	2425	सहकारी	46,63.87	-	46,63.87	-	-	-
कुल सहकारी			46,63.87	-	46,63.87	-	-	-
	कुल - वेतन (राजस्व लेखा) पर व्यय शीर्ष		2,37,58,59.20	3,28,18.73	2,41,49,85.57	1,58,70,02.73	2,07,22.95	1,61,20,40.69
			63,17.64			43,15.01		

परिशिष्ट-I-(जारी)

वेतन पर तुलनात्मक व्यय-(जारी)

(इटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2018-19			2017-18		
			राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					(रूलाख में)			(रूलाख में)
व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)								
योजना एवं विकास	5475-	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	-	-	-	1.35	-	1.35
कुल योजना एवं विकास			-	-	-	1.35	-	1.35
उद्योग एवं वाणिज्य	4851-	ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	-	-	-	-	-	-
कुल उद्योग एवं वाणिज्य			-	-	-	-	-	-
कृषि	4401-	फसल पैदावार पर पूँजीगत परिव्यय	14.98	15.88	30.86	5.28	69.39	74.67
कुल कृषि			14.98	15.88	30.86	5.28	69.39	74.67
राजस्व	4235-	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	-	-	-	1,49.50	-	1,49.50
कुल राजस्व			-	-	-	1,49.50	-	1,49.50

परिशिष्ट-I-(जारी)

वेतन पर तुलनात्मक व्यय-(जारी)

(इटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2018-19			2017-18		
			राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					(रुलाख में)			(रुलाख में)
व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण	4235-	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	-	-	-	54.28	-	54.28
	4408-	खाद्य, भंडार एवं भंडारण पर पूँजीगत परिव्यय	-	-	-	-	-	-
कुल उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण			-	-	-	54.28	-	54.28
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा	4210-	चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	-	5.25	5.25	-	-	-
कुल स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा			-	5.25	5.25	-	-	-
सामाजिक कल्याण	4225-	अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	-	0.90	0.90	0.55	-	0.55
	4235-	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	-	-	-	-	-	-
	4236-	पोषण पर पूँजीगत परिव्यय	-	-	-	-	-	-
कुल सामाजिक कल्याण			-	0.90	0.90	0.55	-	0.55
पर्यटन	5452-	पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	-	-	-	-	-	-
कुल पर्यटन			-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट-I-(समाप्त)

वेतन पर तुलनात्मक व्यय-(समाप्त)

(इटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2018-19			2017-18		
			राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					(रुलाख में)			(रुलाख में)
व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-(समाप्त)								
श्रम, लेखन सामग्री एवं मुद्रण	4250-	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	-	-	-	-	-	-
कुल श्रम, लेखन सामग्री एवं मुद्रण			-	-	-	-	-	-
उच्चतर शिक्षा	4202-	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	-	-	-	13.59	-	13.59
कुल उच्चतर शिक्षा			-	-	-	13.59	-	13.59
आपदा प्रबंधन, राहत	4235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	1,76.95	-	1,76.95	13.59	-	13.59
कुल आपदा प्रबंधन राहत			1,76.95	-	1,76.95	13.59	-	13.59
युवा सेवाएं एवं तकनीकी शिक्षा	4202	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	5.32	-	5.32	54.28	-	54.28
	4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	4.24	-	4.24	-	-	-
कुल युवा सेवा एवं तकनीकी शिक्षा			9.56	-	9.56	54.28	-	54.28
कुल-वेतन पर व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)			2,01.49	22.03	2,23.52	2,24.55	69.39	2,93.94
कुल योग-वेतन पर व्यय शीर्ष (राजस्व तथा पूँजीगत लेखा)			2,37,60,60.69	3,28,40.76	2,41,52,19.09	1,58,72,27.28	2,07,92.34	1,61,23,34.63
			63,17.64			43,15.01		

परिशिष्ट-II

सहायिकी पर तुलनात्मक व्यय
(इटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं)

विभाग	लेखा शीर्ष	विवरण	2018-2019			2017-2018		
			राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल
		1	2	3	4	5	6	7
व्यय शीर्ष-(राजस्व लेखा)								
(रुलाख में)								
विद्युत	2801-06-001-0099-0911	रखरखाव एवं ग्रामीण विद्युतीकरण पर सहायिकी, जम्मू	6,00,00.00	-	6,00,00.00	6,00,00.00	-	6,00,00.00
	2801-06-001-0099-0978	रखरखाव एवं ग्रामीण विद्युतीकरण पर सहायिकी, कश्मीर	6,00,00.00	-	6,00,00.00	5,50,00.00	-	5,50,00.00
		कुल- विद्युत	12,00,00.00	-	12,00,00.00	11,50,00.00	-	11,50,00.00
कृषि	2401-108-0031-2393	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पर सहायिकी	-	5,13.79	5,13.79	-	-	-
	2401-109-2191	कृषि विस्तार एवं किसान प्रशिक्षण पर सहायिकी, कश्मीर	-	-	-	-	24.28	24.28
	2401-119-2381	राष्ट्रीय बागवानी मिशन पर सहायिकी	-	-	-	-	3,93.88	3,93.88
	2402-001-0014	मृदा सर्वेक्षण पर सहायिकी जम्मू	-	-	-	-	-	-
	2402-001-0016	मृदा सर्वेक्षण पर सहायिकी कश्मीर	-	-	-	-	-	-
	2402-101-0014	मृदा सर्वेक्षण पर सहायिकी जम्मू	-	-	-	-	8.13	8.13
	2402-101-0016	मृदा सर्वेक्षण पर सहायिकी कश्मीर	-	-	-	-	7.44	7.44
		कुल- कृषि	-	5,13.79	5,13.79	-	4,33.73	4,33.73
		कुल- सहायिकी पर व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	12,00,00.00	5,13.79	12,05,13.79	11,50,00.00	4,33.73	11,54,33.73

परिशिष्ट-II-(जारी)

सहायिकी पर तुलनात्मक व्यय-(जारी)

(इटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं)

विभाग	लेखा शीर्ष	विवरण	2018-2019			2017-2018		
			राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल
		1	2	3	4	5	6	7
व्यय शीर्ष-(पूँजीगत लेखा)-(जारी)								
(रुलाख में)								
सामान्य प्रशासन विभाग	4075-800-0712	सूचना प्रौद्योगिकी पर सहायिकी	-	-	-	-	-	-
	5425-800-1700	ऊर्जा के नए नवीकरणीय स्रोतों पर सहायिकी	-	-	-	3,68.75	-	3,68.75
		कुल-सामान्य प्रशासन विभाग	-	-	-	3,68.75	-	3,68.75
उद्योग एवं वाणिज्य	4851-102-0407	सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों पर सहायिकी	9,17.88	-	9,17.88	1,44.07	-	1,44.07
	4851-102-0408	डीआईसी योजना पर सहायिकी कश्मीर	3,20.67	-	3,20.67	15,25.76	-	15,25.76
	4581-102-2271	डीआईसी योजना पर सहायिकी जम्मू	2.71	-	2.71	2,23.72	-	2,23.72
	4851-103-0367	हथकरघा उद्योगों पर सहायिकी	1,22.94	-	1,22.94	1,63.47	-	1,63.47
	4851-104-0363	हस्तशिल्प उद्योगों पर सहायिकी	2,66.37	-	2,66.37	5,63.90	-	5,63.90
		कुल- उद्योग एवं वाणिज्य	16,30.57	-	16,30.57	26,20.92	-	26,20.92

परिशिष्ट-II-(जारी)

सहायिकी पर तुलनात्मक व्यय-(जारी)

(इटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं)

विभाग	लेखा शीर्ष	विवरण	2018-2019			2017-2018		
			राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल
		1	2	3	4	5	6	7

व्यय शीर्ष-(पूँजीगत लेखा)- (जारी)

(रुलाख में)

कृषि	4401-103-0081	बीज खरीद पर सहायिकी	-	-	-	-	1.50	1.50
	4401-103-2221	तिलहन के विकास पर सहायिकी	-	1,31.68	1,31.68	-	-	-
	4401-108-2393	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पर सहायिकी	-	3.21	3.21	-	-	-
	4401-113-0054	उन्नत कृषि उपकरणों पर सहायिकी	-	7.00	7.00	-	26.41	26.41
	4401-119-2415	राष्ट्रीय बागवानी मिशन पर सहायिकी	-	1,42.29	1,42.29	-	57,59.62	57,59.62
	4401-800-0039	निदेशक कृषि, जम्मू के लिए सहायिकी	24.28	-	24.28	2,14.90	-	2,14.90
	4401-800-0061	निदेशक कृषि, कश्मीर के लिए सहायिकी	3.31	-	3.31	1,01.18	-	1,01.18
	4401-800-0222	बागवानी निर्माण कार्यक्रम कश्मीर पर सहायिकी	-	-	-	8,32.71	-	8,32.71
	4401-800-0612	बागवानी योजना एवं विपणन पर सहायिकी	-	-	-	2,00.78	-	2,00.78
	4401-800-2088	निदेशक बागवानी जम्मू के लिए सहायिकी	-	-	-	2,27.19	-	2,27.19
	4401-800-2297	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पर सहायिकी	2.55	4,62.40	4,64.95	17,97.72	13,21.36	31,19.08
	4401-800-2191	कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण पर सहायिकी	-	0.30	0.30	-	4,36.23	4,36.23

परिशिष्ट-II-(जारी)

सहायिकी पर तुलनात्मक व्यय-(जारी)
(इटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं)

विभाग	लेखा शीर्ष	विवरण	2018-2019			2017-2018		
			राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल
		1	2	3	4	5	6	7
व्यय शीर्ष-(पूँजीगत लेखा)-(समाप्त)								
(रूलाख में)								
कृषि-(समाप्त)	4401-800-2393	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पर सहायिकी	7.01	-	7.01	-	8,45.81	8,45.81
	4401-800-2249	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पर सहायिकी	-	4,78.54	4,78.54	-	-	-
	4402-101-0014	मृदा सर्वेक्षण पर सहायिकी जम्मू	-	0.22	0.22	-	22.96	22.96
	4402-101-0016	मृदा सर्वेक्षण पर सहायिकी कश्मीर	-	-	-	-	5.17	5.17
	4425-800-1274	ग्यारहवीं वित्त आयोग के अंतर्गत कार्यक्रमों के उन्नयन पर सहायिकी	-	-	-	1,69.89	-	1,69.89
	4851-107-1202	रेशम कीट पालन पर सहायिकी	0.05	-	0.06	26.72	-	26.72
		कुल कृषि	37.20	12,25.64	12,62.84	35,71.09	84,19.06	1,19,90.15
पशुपालन	4403-101-0195	भेड़ पालन पर सहायिकी	1.20	-	1.20	25.80	-	25.80
	4403-101-2062	भेड़ पालन पर सहायिकी	-	-	-	2.40	-	2.40
		कुल पशुपालन	1.20	-	1.20	28.20	-	28.20
सामाजिक कल्याण	4225-02-800-1827	अनुसूचित जाति/ जनजाति का कल्याण जम्मू	-	-	-	4.12	1,85.52	1,89.64
	4235-01-201-2158	पीडित के लिए पुनर्वास	-	-	-	0.41	-	0.41
	4236-80-800-1815	पोषण पर सहायिकी	-	-	-	2.00	-	2.00
		कुल सामाजिक कल्याण	-	-	-	6.53	1,85.52	1,92.05

परिशिष्ट-II-(समाप्त)

सहायिकी पर तुलनात्मक व्यय-(समाप्त)

(इटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं)

विभाग	लेखा शीर्ष	विवरण	2018-2019			2017-2018		
			राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल
		1	2	3	4	5	6	7
बागवानी	4401-119-2415	राष्ट्रीय बागवानी मिशन पर सहायिकी	-	70,17.31	70,17.31	-	-	-
	4401-800-0222	बागवानी निर्माण कार्यक्रम पर सहायिकी कश्मीर	3.94		3.94	-	-	-
		कुल बागवानी	3.94	70,17.31	70,21.25	-	-	-
सहकारिता	4425-800-0369	वाणिज्यिक फसलों पर सहायिकी	2.19	-	2.19	-	-	-
		सहकारिता कुल	2.19	-	2.19	-	-	-
		कुल- सहायिकी पर व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)	16,75.10	82,42.95	99,18.05	65,95.49	86,04.58	1,52,00.07
	कुल योग-सहायिकी पर व्यय (राजस्व तथा पूँजीगत लेखा)	12,16,75.10	87,56.74	13,04,31.84	12,15,95.49	90,38.31	13,06,33.80	

परिशिष्ट-III

राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता अनुदान/ आर्थिक सहायता

(संस्थावार और योजनावार)

प्राप्तकर्ता	योजना	टीएसपी/ एससीएस पी/ सामान्य/ एफसी/ ईएपी	2018-19			जारी की गई कुल राशि में से, परिसंपत्तियों के सृजन के लिए स्वीकृत राशि	2017-18			जारी की गई कुल राशि में से, परिसंपत्तियों के सृजन के लिए स्वीकृत राशि (क)
			राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
जम्मू नगरपालिका	बजटीय सहायता/ पेंशन पूल निधि	सामान्य	73,80.00	-	73,80.00	-	1,63,42.03	-	1,63,42.03	-
श्रीनगर नगरपालिका	बजटीय सहायता/ पेंशन पूल निधि	सामान्य	1,08,53.03	-	1,08,53.03	-	1,08,47.34	-	1,08,47.34	-
शहरी स्थानीय निकाय, कश्मीर	बजटीय सहायता/ पेंशन पूल निधि	सामान्य	61,62.53	-	61,62.53	-	1,05,17.01	-	1,05,17.01	-
शहरी स्थानीय निकाय, जम्मू	बजटीय सहायता/ पेंशन पूल निधि	सामान्य	45,99.98	-	45,99.98	-	76,28.74	-	76,28.74	-
शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कश्मीर	बजटीय सहायता	सामान्य	2,28,60.00	-	2,28,60.00	-	94,62.00	-	94,62.00	-

(क) परिशिष्ट (जुलाई 2019) में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए कॉलम संख्या (7) और (11) के संबंध में सूचना।

परिशिष्ट-III-(जारी)

राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता अनुदान/ आर्थिक सहायता

(संस्थावार और योजनावार)

प्राप्तकर्ता	योजना	टीएसपी/ एससीएस पी/ सामान्य/ एफसी/ ईएपी	2018-19			जारी की गई कुल राशि में से, परिसंपत्तियों के सृजन के लिए स्वीकृत राशि	2017-18			जारी की गई कुल राशि में से, परिसंपत्तियों के सृजन के लिए स्वीकृत राशि (क)
			राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जम्मू	बजटीय सहायता	सामान्य	1,01,00.00	-	1,01,00.00	-	1,46,38.00	-	1,46,38.00	-
खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	बजटीय सहायता	सामान्य	23,00.00	-	23,00.00	-	18,00.00	-	18,00.00	-
जम्मू एवं कश्मीर खेल परिषद	बजटीय सहायता	सामान्य	34,86.90	-	34,86.90	-	33,65.00	-	33,65.00	-
जम्मू एवं कश्मीर कला, संस्कृति और भाषा अकादमी	बजटीय सहायता	सामान्य	18,66.84	-	18,66.84	-	24,29.50	-	24,29.50	-
कश्मीर विश्वविद्यालय	बजटीय सहायता	सामान्य	2,11,00.00	-	2,11,00.00	-	1,60,00.00	-	1,60,00.00	-

(रुलाख में)

परिशिष्ट-III-(जारी)

राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता अनुदान/ आर्थिक सहायता

(संस्थावार और योजनावार)

प्राप्तकर्ता	योजना	टीएसपी/ एससीएस पी/ सामान्य/ एफसी/ ईएपी	2018-19			जारी की गई कुल राशि में से, परिसंपत्तियों के सृजन के लिए स्वीकृत राशि	2017-18			जारी की गई कुल राशि में से, परिसंपत्तियों के सृजन के लिए स्वीकृत राशि (क)
			राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
जम्मू विश्वविद्यालय	बजटीय सहायता	सामान्य	1,58,94.00	-	1,58,94.00	-	1,37,00.00	-	1,37,00.00	-
अन्य विश्वविद्यालय	बजटीय सहायता	सामान्य	43,46.64	-	43,46.64	-	44,04.95	-	44,04.95	-
गैर-सरकारी महाविद्यालय	बजटीय सहायता	सामान्य	42,44.00	-	42,44.00	-	30,88.00	4,20,00.00	4,50,88.00	-
गैर-सरकारी शैक्षित संस्थान	बजटीय सहायता	सामान्य	13,72,85.87	-	13,72,85.87	-	6,40,61.98	-	6,40,61.98	-
विभिन्न विकास प्राधिकरण	बजटीय सहायता	सामान्य	54,53.10	-	54,53.10	-	31,40.71	-	31,40.71	-
प्रबंधन एवं लोक प्रशासन संस्थान	बजटीय सहायता	सामान्य	16,50.00	-	16,50.00	-	13,70.00	-	13,70.00	-

(रुलाख में)

परिशिष्ट-III-(जारी)

राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता अनुदान/ आर्थिक सहायता

(संस्थावार और योजनावार)

प्राप्तकर्ता	योजना	टीएसपी/ एससीएस पी/ सामान्य/ एफसी/ ईएपी	2018-19			जारी की गई कुल राशि में से, परिसंपत्तियों के सृजन के लिए स्वीकृत राशि	2017-18			जारी की गई कुल राशि में से, परिसंपत्तियों के सृजन के लिए स्वीकृत राशि (क)
			राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
जम्मू एवं कश्मीर राज्य उच्च न्यायालय/ राज्य विधिक सेवाएं	बजटीय सहायता	सामान्य	12,48.21	-	12,48.21	-	6,94.41	-	6,94.41	-
सामाज कल्याण	मरकज़ बहबोदी खवातीन मिस्कीन बाग की स्थापना	सामान्य	1,40.00	-	1,40.00	-	1,23.62	-	1,23.62	-
	गूजर और बकरवाल छात्रावास मिस्कीन बाग	सामान्य	35.00	-	35.00	-	33.51	-	33.51	-
	विशेष अधिकारी औकाफ	सामान्य	75.00	-	75.00	-	98.00	-	98.00	-

(₹लाख में)

परिशिष्ट-III-(समाप्त)

राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता अनुदान/ आर्थिक सहायता

(संस्थावार और योजनावार)

प्राप्तकर्ता	योजना	टीएसपी /एससीएस पी/ सामान्य/ एफसी/ ईएपी	2018-19			जारी की गई कुल राशि में से, परिसंपत्तियों के सृजन के लिए स्वीकृत राशि	2017-18			जारी की गई कुल राशि में से, परिसंपत्तियों के सृजन के लिए स्वीकृत राशि (क)
			राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल		राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
सहकारिता	बजटीय सहायता	सामान्य	7,00.00	-	7,00.00	-	7,00.00	-	7,00.00	-
शहरी विकास	बजटीय सहायता	सामान्य	3,29,09.95	-	3,29,09.95	-	1,71,41.66	-	1,71,41.66	-
अन्य	बजटीय सहायता	सामान्य	82,49.62	2,96,17.69	3,78,67.31	-	95,97.88	2,06,41.43	3,02,39.31	-
		कुल	30,29,40.67	2,96,17.69	33,25,58.36	\$ -	21,27,69.45	6,26,41.43	27,54,10.88	-

(₹लाख में)

(\$ पंजीगत व्यय से किए गए ₹8,73.50 लाख सम्मिलित हैं)

परिशिष्ट-IV

बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विवरण

सहायता एजेंसी	योजना/परियोजना	कुल अनुमोदित सहायता			प्राप्त राशि*						चुकाई गई राशि*		व्यय*			
		अनुदान	ऋण	कुल	वर्ष के दौरान			वर्ष तक			वर्ष के दौरान	वर्ष तक	वर्ष के दौरान	वर्ष तक		
					अनुदान	ऋण	कुल	अनुदान	ऋण	कुल						
																(रुलाख में)
एशियाई विकास बैंक	2151-आईएनडी जम्मू एवं कश्मीर में बुनियादी ढांचे के पुनर्वास के लिए मल्टी सेक्टर परियोजना	10,12,50.00	1,12,50.00	11,25,00.00	-	-	-	10,89,82.80	1,21,09.20	12,10,92.00	6,71.56	32,25.04	-	12,10,92.00		
एशियाई विकास बैंक	2331-आईएनडी जम्मू एवं कश्मीर शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम-परियोजना- I	1,89,90.00	21,00.00	2,11,00.00	-	-	-	1,80,96.01	20,10.67	2,01,06.68	82.04	2,62.04	-	2,01,06.68		
एशियाई विकास बैंक	2925-आईएनडी जम्मू एवं कश्मीर शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम परियोजना- I और II	4,95,00.00	55,00.00	5,50,00.00	-	-	-	4,56,12.20	50,68.02	5,06,80.22	1,26.70	1,58.94	-	5,06,80.22		

परिशिष्ट-IV-(समाप्त)

बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विवरण-(समाप्त)

सहायता एजेंसी	योजना/ परियोजना	कुल अनुमोदित सहायता			प्राप्त राशि						चुकाई गई राशि		व्यय		
		अनुदान	ऋण	कुल	वर्ष के दौरान			वर्ष तक			वर्ष के दौरान	वर्ष तक	वर्ष के दौरान	वर्ष तक*	
					अनुदान	ऋण	कुल	अनुदान	ऋण	कुल					
															(₹लाख में)
एशियाई विकास बैंक	3132-आईएनडी जम्मू एवं कश्मीर शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम-परियोजना-III	32,40.00	3,60.00	36,00.00	-	-	-	2,65,40.48	29,48.94	2,94,89.42	73.72	64.14	-	2,94,89.42	
अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ	5695-आईएन झेलम तथा तवी बाढ़ वसूली राहत परियोजना	(क)	(क)	(क)	35,44.46	3,93.84	39,38.30	37,65.50	4,18.40	41,83.90	9.85	9.85	-	52,30.00	

(क) राज्य सरकार से सूचना प्रतिक्रित (दिसम्बर 2019)

परिशिष्ट-V

योजनाओं पर व्यय

क्र. सं.	भारत सरकार योजना (सीएसएस, सीपी) /शेयरिंग पैटर्न सेंटर: राज्य	व्यय शीर्ष लेखा के अंतर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजातीय उप योजना/ अनुसूचित जाति उप योजना	क-केंद्रीय योजनाएं (केंद्र प्रायोजित योजनाएं और केंद्रीय योजनाएं)			बजट प्रावधान 2018-2019				वास्तविक 2018-2019				वास्तविक 2017-2018			
							व्यय				व्यय							
				भारत सरकार का हिस्सा	राज्य का हिस्सा	कुल	भारत सरकार निर्माण	भारत सरकार का हिस्सा	राज्य का हिस्सा	कुल #	भारत सरकार निर्माण	भारत सरकार का हिस्सा	राज्य का हिस्सा	कुल				
(रुलाख में)																		
1	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) (90:10)	कृषि	सामान्य															
				2,00,00.00	5,00.00	2,05,00.00	9,59.00	10,08.16	90.32	10,98.48	24,76.00	44,62.75	2,37.72	47,00.47				
2	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) (90:10)	योजना	सामान्य															
				1,20,00.00	17,33.00	1,37,33.00	84,00.00	1,37,06.81	12,92.53	1,49,99.34	1,98,88.60	1,68,70.83	7,97.11	1,76,67.94				
3	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (90:10)	कृषि	सामान्य															
				6,23,81.42	54,87.07	6,78,68.49	1,28,29.95	80,44.09	24,55.57	1,04,99.66	3,00.00	1,36,15.84	50,43.24	1,86,59.08				
4	राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (90:10)	कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम	सामान्य															
				18,11.79	1,95.48	20,07.27	10,62.34	12,19.24	20.24	12,39.48	3,06.00	2,69.66	28.65	2,98.31				
5	तिलहन और तेल पाम हेतु राष्ट्रीय मिशन (90:10)	तिलहन, दलहन, तेल पाम और मक्का के विकास के लिए एकीकृत योजनाएं	सामान्य															
				3,50.00	20.00	3,70.00	55.19	29.16	3.56	32.72	9,32.59	0.00	0.00	0.00				
6	रेशम उद्योगों के विकास हेतु एकीकृत योजना (सीडीपी) (90:10)	कृषि	सामान्य															
				10,01.00	39.50	10,40.50	-	3,89.34	25.95	4,15.29	-	2,31.47	1,00.48	3,31.95				
7	वन्य जीव आवासों का एकीकृत विकास (90:10)	वन्य जीव संरक्षण विभाग	सामान्य															
				12,50.00	1,25.00	13,75.00	4,92.40	7,66.34	44.85	8,11.19	5,77.92	4,81.52	42.68	5,24.20				

परिशिष्ट-V (क) में 2018-19 के दौरान पिछले वर्षों की पुनः सत्यापित अव्ययित शेष राशि सम्मिलित है।

परिशिष्ट-V-(जारी)

योजनाओं पर व्यय-(जारी)

क्र. सं.	भारत सरकार योजना (सीएसएस, सीपी) /शेयरिंग पैटर्न सेंटर: राज्य	व्यय शीर्ष लेखा के अंतर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजातीय उप योजना/ अनुसूचित जाति उप योजना	क-केंद्रीय योजनाएं (केंद्र प्रायोजित योजनाएं और केंद्रीय योजनाएं)-(जारी)			बजट प्रावधान 2018-2019				वास्तविक 2018-2019				वास्तविक 2017-2018			
							व्यय				व्यय							
				भारत सरकार का हिस्सा	राज्य का हिस्सा	कुल	भारत सरकार द्वारा जारी	भारत सरकार का हिस्सा	राज्य का हिस्सा	कुल	भारत सरकार द्वारा जारी	भारत सरकार का हिस्सा	राज्य का हिस्सा	कुल				
(रुलाख में)																		
8	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (90:10)	पीएमजीएसवाई	सामान्य	4,79,24.30	42,50.00	5,21,74.30	5,74,86.00	10,72,61.00	42,50.00	11,15,11.00	14,00,00.00	6,54,40.00	55,00.00	7,09,40.00				
9	मिड-डे मील (90:10)	मिड-डे मील	सामान्य	1,44,00.00	-	1,44,00.00	1,06,65.80	85,42.56	5,99.34	91,41.90	63,28.69	84,78.65	8,66.07	93,44.72				
10	समग्र शिक्षा (90:10)	माध्यमिक शिक्षा	सामान्य	7,26,43.13	45,70.48	7,72,13.61	3,87,64.22	1,59,32.40	-	1,59,32.40	-	-	-	-				
11	सर्व शिक्षा अभियान (90:10)	सर्व शिक्षा अभियान	सामान्य	-	-	-	-	-	-	-	15,37,97.98	18,13.38	35,96.19	54,09.57				
12	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (90:10)	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	सामान्य	1,58,06.00	15,00.00	1,73,06.00	5,31,84.00	5,13,01.00	15,00.00	5,28,01.00	8,11,03.80	4,46,61.00	13,80.00	4,60,41.00				
13	जनजाती उप योजना (अनु. 275 (1) (100))	टीएसपी	टीएसपी	16,99.00	-	16,99.00	20,51.79	14,24.86	-	14,24.86	-	-	-	-				
14	कौशल विकास के अंतर्गत नए पॉलिटेक्निक की स्थापना (100)	तकनीकी शिक्षा	सामान्य	25,26.00	10,00.00	35,26.00	-	2,39.97	13,25.00	15,64.97	-	-	-	-				
15	एकीकृत बाल संरक्षण योजना (90:10)	आईसीपीएस	सामान्य	-	-	-	22,90.22	14,80.91	2,67.24	17,48.15	-	-	-	-				
16	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) (90:10)	आवासीय	सामान्य	14,50.00	75.00	15,25.00	3,23.00	4,03.00	72.00	4,75.00	1,89.31	3,02.00	1,20.00	4,22.00				
17	राष्ट्रीय शिशुशाला योजना (90:10)	सामाजिक कल्याण	सामान्य	-	-	-	4,11.65	4,11.65	-	4,11.65	-	-	-	-				
18	एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम (90:10)	एकीकृत बाल विकास सेवा- जीआईए	सामान्य	2,57,32.00	20,00.00	2,77,32.00	20,75.29	77,94.71	20,05.02	97,99.73	-	1,84.72	3.31	1,88.03				
19	एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम (90:10)	राष्ट्रीय पोषण मिशन	सामान्य	-	-	-	71,15.11	14,17.25	-	14,17.25	1,93,28.24	17,18.39	3,00.00	20,18.39				
20	राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (90:10)	ग्रीन इंडिया प्रोग्राम	सामान्य	31,08.88	1,00.00	32,08.88	-	5,38.26	-	5,38.26	7,20.40	1,59.14	72.00	231.14				

परिशिष्ट-V-(जारी)

योजनाओं पर व्यय-(जारी)

क्र. सं.	भारत सरकार योजना (सीएसएस, सीपी) /शेयरिंग पैटर्न सेंटर: राज्य	व्यय शीर्ष लेखा के अंतर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजातीय उप योजना/ अनुसूचित जाति उप योजना	क-केंद्रीय योजनाएं (केंद्र प्रायोजित योजनाएं और केंद्रीय योजनाएं)-(जारी)			बजट प्रावधान 2018-2019				वास्तविक 2018-2019				वास्तविक 2017-2018			
							व्यय				व्यय							
				भारत सरकार का हिस्सा	राज्य का हिस्सा	कुल	भारत सरकार द्वारा जारी	भारत सरकार का हिस्सा	राज्य का हिस्सा	कुल	भारत सरकार द्वारा जारी	भारत सरकार का हिस्सा	राज्य का हिस्सा	कुल				
(रुलाख में)																		
21	राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन कार्यक्रम (90:10)	पशुधन प्रबंधन कार्यक्रम	सामान्य	13,33.63	1,48.18	14,81.81	18,99.13	6,24.41	15.77	6,40.18	-	5,14.68	99.31	6,13.99				
22	एमजीएनआरईजीए (90:10)	एनआरईजीए	सामान्य	8,59,19.10	89,49.90	9,48,69.00	7,93,34.12	8,20,71.13	44,74.95	8,65,46.08	12,54,17.69	10,89,19.47	88,10.06	11,77,29.53				
23	इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) (90:10)	इंदिरा आवास योजना (आईएवाई)	सामान्य	1,48,87.08	16,54.12	1,65,41.20	2,26,83.11	1,55,41.55	8,27.05	1,63,68.60	49,82.11	82,57.23	13,25.27	95,82.50				
24	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (100)	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	सामान्य	12,83.00	-	12,83.00	8,57.75	12,91.40	-	12,91.40	-	7,29.13	0.00	7,29.13				
25	न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं का विकास (90:10)	न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं का विकास	सामान्य	50,65.00	5,62.00	56,27.00	19,01.00	17,93.72	2,81.00	20,74.72	10,00.00	10,36.00	2,30.00	12,66.00				
26	इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आईजीएमएसवाई) (90:10)	इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आईजीएमएसवाई)	सामान्य	-	-	-	7,73.42	26,60.53	-	26,60.53	30,18.71	28.00	83.32	1,11.32				
27	किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना आरजीएसईएजी (90:10)	किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना आरजीएसईएजी	सामान्य	-	-	-	5,60.39	2,11.83	-	2,11.83	-	26.67	32.00	58.67				
28	एकीकृत विद्युत विकास योजनाएं (90:10)	विद्युत विकास	सामान्य	1,00,00.00	3,00.00	1,03,00.00	37,99.00	30,49.00	2,47.00	32,96.00	-	-	-	-				
29	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (90:10)	एनआरएलएम	सामान्य	75,21.00	8,35.66	83,56.66	1,87,88.30	1,53,18.61	4,17.83	1,57,36.44	1,28,10.43	98,77.01	265.93	1,01,42.94				

परिशिष्ट-V-(जारी)

योजनाओं पर व्यय-(जारी)

क्र. सं.	भारत सरकार योजना (सीएसएस, सीपी) /शेयरिंग पैटर्न सेंटर: राज्य	व्यय शीर्ष लेखा के अंतर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजातीय उप योजना/ अनुसूचित जाति उप योजना	क-केंद्रीय योजनाएं (केंद्र प्रायोजित योजनाएं और केंद्रीय योजनाएं)-(जारी)			बजट प्रावधान 2018-2019				वास्तविक 2018-2019				वास्तविक 2017-2018				
							व्यय				व्यय								
				भारत सरकार का हिस्सा	राज्य का हिस्सा	कुल	भारत सरकार द्वारा जारी	भारत सरकार का हिस्सा	राज्य का हिस्सा	कुल	भारत सरकार द्वारा जारी	भारत सरकार का हिस्सा	राज्य का हिस्सा	कुल					
(रुलाख में)																			
30	औषधीय पौधों पर मिशन सहित एवाईयूएसएच पर राष्ट्रीय मिशन (90:10)	एवाईयूएसएच	सामान्य																
				11,00.00	67.00	11,67.00	11,52.00	6,67.30	-	6,67.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम (90:10)	सौर होम लाइटिंग सिस्टम	सामान्य																
				5,00,00.00	-	5,00,00.00	29,66.00	1,21,26.00	-	1,21,26.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (90:10)	आरएमएसए	सामान्य																
				-	-	-	-	-	-	-	-	2,92,35.18	1,95,62.46	29,22.80	2,24,85.26				
33	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (90:10)	उच्च शिक्षा	सामान्य																
				-	8,40.00	8,40.00	46,20.00	45,93.00	-	45,93.00	73,33.19	47,02.41	4,48.00	51,50.41					
34	राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (90:10)	स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा	सामान्य																
				-	-	-	-	-	-	-	4,77.00	-	-	-					
35	जनजातीय उप-योजनाओं को विशेष केंद्रीय सहायता (100)	टीएसपी	टीएसपी																
				42,92.00	6,54.00	49,46.00	37,49.80	12,43.24	3,18.76	15,62.00	-	-	-	-					
36	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (90:10)	कृषि	सामान्य																
				50,00.00	2,60.00	52,60.00	6,20.65	5,65.45	61.68	6,27.13	9,04.64	8,31.72	78.75	9,10.47					
37	एआईबीपी (80:20)	एआईबीपी	सामान्य																
				1,07,44.32	13,50.00	1,20,94.32	13,78.02	30,28.07	11,67.40	41,95.47	-	8,48.04	24,99.33	33,47.37					
38	राष्ट्रीय बागवानी मिशन (90:10)	कृषि	सामान्य																
				54,00.00	4,00.00	58,00.00	35,00.00	31,57.16	3,39.12	34,96.28	1,16,50.00	31,51.13	3,30.65	34,81.78					
39	स्वच्छ भारत मिशन, एएमआरयूटी, स्मार्ट सिटी (90:10)	आवासीय	सामान्य																
				2,00,00.00	15,00.00	2,15,00.00	11,32.00	1,26,97.00	7,50.00	1,34,47.00	-	48,00.00	14,50.00	62,50.00					

परिशिष्ट-V-(जारी)

योजनाओं पर व्यय-(जारी)

क्र. सं.	भारत सरकार योजना (सीएसएस, सीपी) /शेयरिंग पैटर्न सेंटर: राज्य	व्यय शीर्ष लेखा के अंतर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजातीय उप योजना/ अनुसूचित जाति उप योजना	क-केंद्रीय योजनाएं (केंद्र प्रायोजित योजनाएं और केंद्रीय योजनाएं)-(जारी)			बजट प्रावधान 2018-2019				वास्तविक 2018-2019				वास्तविक 2017-2018			
							व्यय				व्यय							
				भारत सरकार का हिस्सा	राज्य का हिस्सा	कुल	भारत सरकार द्वारा जारी	भारत सरकार का हिस्सा	राज्य का हिस्सा	कुल	भारत सरकार द्वारा जारी	भारत सरकार का हिस्सा	राज्य का हिस्सा	कुल				
(रुलाख में)																		
40	सभी के लिए आवास (पीएमएवाई) (90:10)	आवासीय	सामान्य	51,26.00	4,13.00	55,39.00	31,22.00	41,40.00	4,13.00	45,53.00	11,28.85	10,79.00	4,00.00	14,79.00				
41	स्वच्छ भारत मिशन- शहरी (90:10)	आवासीय	सामान्य	2,00,00.00	25,00.00	2,25,00.00	66,09.00	8,96.00	16,25.00	25,21.00	-	0.00	0.00	0.00				
42	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (100)	सामाजिक कल्याण	सामान्य	-	-	-	-	-	-	-	-	70.72	0.00	70.72				
43	स्मार्ट सिटी मिशन (90:10)	आवासीय	सामान्य	4,00,00.00	40,00.00	4,40,00.00	68,00.00	23,19.00	-	23,19.00	-	-	-	-				
44	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (90:10)	एनआरडीडब्ल्यूपी	सामान्य	2,80,00.00	43,00.00	3,23,00.00	2,49,34.18	2,51,63.12	25,54.44	2,76,17.56	3,25,33.32	3,41,28.52	51,21.30	3,92,49.82				
45	कृषि विस्तार का उप-मिशन (एटीएमए) (90:10)	कृषि	सामान्य	-	-	-	-	-	-	-	7,07.27	-	-	-				
46	राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम (पीएमएफबीवाई) (75:25)	कृषि	सामान्य	50,00.00	12,50.00	62,50.00	-	-	12,50.00	12,50.00	-	-	-	-				
47	कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन (एसएमएमएम) (90:10)	कृषि	सामान्य	-	-	-	-	-	-	-	1,80.00	-	-	-				
48	राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन (एनएमएसएम) (90:10)	आरएडीपी, एसएचएम, मृदा गुणवत्ता कार्ड आदि	सामान्य	30,00.00	2,05.00	32,05.00	6,46.54	4,44.86	46.57	4,91.43	-	1,88.22	11.63	1,99.85				
49	डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय योजना (एनपीडीडी)	पशु/ भेड़ पालन	सामान्य	12,91.32	30.00	13,21.32	15,39.00	-	-	-	-	-	-	-				

परिशिष्ट-V-(जारी)

योजनाओं पर व्यय-(जारी)

क्र. सं.	भारत सरकार योजना (सीएसएस, सीपी) /शेयरिंग पैटर्न सेंटर: राज्य	व्यय शीर्ष लेखा के अंतर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजातीय उप योजना/ अनुसूचित जाति उप योजना	क-केंद्रीय योजनाएं (केंद्र प्रायोजित योजनाएं और केंद्रीय योजनाएं)-(जारी)			बजट प्रावधान 2018-2019				वास्तविक 2018-2019				वास्तविक 2017-2018			
							व्यय				व्यय							
				भारत सरकार का हिस्सा	राज्य का हिस्सा	कुल	भारत सरकार द्वारा जारी	भारत सरकार का हिस्सा	राज्य का हिस्सा	कुल	भारत सरकार द्वारा जारी	भारत सरकार का हिस्सा	राज्य का हिस्सा	कुल				
(रुलाख में)																		
50	स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण (90:10)	ग्रामीण विकास	सामान्य															
				3,98,05.00	20,00.00	4,18,05.00	2,78,37.32	2,30,42.18	10,00.00	2,40,42.18	-	-	-	-	-	-	-	-
51	नीली क्रांति (90:10)	पशु/ भेड़ पालन	सामान्य	6,40.00	1,20.00	7,60.00	2,05.00	4,00.78	-	4,00.78	-	5,57.52	90.45	6,47.97				
52	राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना (90:10)	विद्युत विकास	सामान्य	45,57.70	2,62.00	48,19.70	7,96.00	5,35.00	-	5,35.00	-	-	-	-				
53	राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन (एनएमएईटी) (90:10)	बीज और रोपण सामग्री पर मिशन	सामान्य	1,00,00.00	5,00.00	1,05,00.00	27,08.30	26,06.86	2,81.80	28,88.66	-	17,26.76	1,11.46	18,38.22				
54	केंद्रीय सड़क निधि (100)	पीडब्ल्यूडी (आरएंडबी)	सामान्य	6,83,51.59	-	6,83,51.59	3,44,75.00	3,40,12.02	-	3,40,12.02	3,32,57.00	2,34,27.81	-	2,34,27.81				
55	पुलिस बल का आधुनिकीकरण (100)	गृह	सामान्य	90,00.00	10,00.00	1,00,00.00	24,57.00	7,95.07	-	7,95.07	7,07,96.66	38,38.03	2,39.39	40,77.42				
56	कौशल विकास मिशन (100)	पीएचवाई/ टीईसीएच	सामान्य	18,00.00	1,00.00	19,00.00	18,12.40	1,04.03	-	1,04.03	-	0.00	50.00	50.00				
57	कृषि के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्ननेंस योजना (एनईजीपी) (90:10)	कृषि	सामान्य	3,00.00	20.00	3,20.00	49.21	33.56	-	33.56	-	-	-	-				

परिशिष्ट-V-(जारी)

योजनाओं पर व्यय-(जारी)

ख-राज्य योजनाएं *

क्र. सं.	राज्य योजना	एन/ टीएसपी/ एससीएसपी	योजना परिव्यय		बजट आबंटन		व्यय	
		सामान्य/ जनजातीय उप-योजना या अनुसूचित जाति उप-योजना	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
(रूलाख में)								
1	प्रारंभिक शिक्षा	सामान्य						
2	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	सामान्य						
3	निर्माण विकास योजनाएं	सामान्य						
4	पोषण	सामान्य						
5	अवसंरचना विकास जिला उद्योग केंद्र	सामान्य						
6	डल विकास	सामान्य						
7	पार्क और उद्यान का विकास	सामान्य						
8	अनुसूचित जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण	अनुसूचित जाति						
9	रावी तवी सिंचाई नहर	सामान्य						
10	रणबीर नहर का आधुनिकीकरण	सामान्य						
11	प्रताप नहर का आधुनिकीकरण	सामान्य						
12	दादी नहर का आधुनिकीकरण	सामान्य						
13	आहजी नहर का आधुनिकीकरण	सामान्य						
14	ग्रामीण स्वच्छता	सामान्य						
15	मिड डे मील (एमडीएम)	सामान्य						
16	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	सामान्य						
17	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	सामान्य						
18	सर्व शिक्षा अभियान	सामान्य						
19	एसजीएसवाई	सामान्य						
20	केंद्रीय सड़क निधि से आर्थिक सहायता	सामान्य						
21	आर्थिक पुनर्निर्माण एजेंसी	सामान्य						
22	पुलों का पुनर्निर्माण	सामान्य						
23	प्रबंधन और लोक प्रशासन संस्थान	सामान्य						
24	वन प्रादेशिक	सामान्य						
25	वन्य जीवन संरक्षण	सामान्य						

* विवरण में राज्य सरकार से सूचना प्रतिक्षित (नवंबर 2019)।

परिशिष्ट-V-(जारी)

योजनाओं पर व्यय-(जारी)

ख-राज्य योजनाएं-(जारी)

क्र. सं.	राज्य योजना	एन/ टीएसपी/ एससीएसपी	योजना परिव्यय		बजट आबंटन		व्यय	
		सामान्य/ जनजातीय उप-योजना या अनुसूचित जाति उप-योजना	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
(रूलाख में)								
26	राज्य वन अनुसंधान संस्थान	सामान्य						
27	मृदा संरक्षण	सामान्य						
28	सीवरेज और ड्रेनेज	सामान्य						
29	शहरी विकास	सामान्य						
30	शहरी गरीबी उन्मूलन	सामान्य						
31	हथकरघा विकास निगम	सामान्य						
32	डीआईसी योजनाएं (एसएसआई)	सामान्य						
33	जम्मू एवं कश्मीर मिनरल लिमिटेड	सामान्य						
34	लघु सिंचाई	सामान्य						
35	पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन	सामान्य						
36	विद्युत ग्रामीण विद्युतीकरण	सामान्य						
37	प्रधानमंत्री पुनर्निर्माण कार्यक्रम	सामान्य						
38	बाढ़ के लिए प्रधानमंत्री का पैकेज	सामान्य						
39	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	सामान्य						
40	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	सामान्य						
41	पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राष्ट्रीय योजना	सामान्य						
42	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	सामान्य						

नोट वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए राज्य योजनाओं से संबंधित सूचना राज्य सरकार (नवंबर-2019) से प्रतिक्रित है। हालांकि, भारत सरकार ने कुछ योजनाओं के लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए राज्य/ भारत सरकार की योजनाओं के लिए अनुदान जारी किया है। विवरण नीचे दिए गए हैं:

परिशिष्ट-V-(जारी)

योजनाओं पर व्यय-(जारी)

ख-राज्य योजनाएं-(जारी)

क्र.सं.	योजना का नाम-	(रूलाख में)
	राज्य/ भारत सरकार की योजनाओं पर अनुदान विवरण	जारी निधि
1	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं (ईएपी)	35,44.46
2	सूचना प्रौद्योगिकी	49.21
3	मछली पालन का एकीकृत विकास और प्रबंधन	4,39.54
4	पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण	10,69.84
5	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	6,20.65
6	बागवानी पर राष्ट्रीय मिशन	1,10,00.00
7	किशोरियों के लिए योजना	5,60.39
8	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)	7,80.00
9	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)	9,59.00
10	कृषि विस्तार का उप-मिशन	8,38.97
11	कृषि यंत्रीकरण पर उपमिशन	10,21.50
12	जलीय पारिस्थिति की प्रणाली का संरक्षण	86.57
13	स्वाधार गृह	36.20
14	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	3,22.69
15	राष्ट्रीय आयुष मिशन-(एनएएम)	11,96.73
16	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम)	8,19,07.81
17	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए)	59,25.00
18	पुलिस बल का आधुनिकीकरण	8,38,71.98
19	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी)	84,00.00
20	जनजातीय उप-योजनाओं के लिए विशेष केंद्रीय सहायता	37,49.80
21	न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाएं	19,01.00
22	महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन	2,41.71
23	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन	2,49,34.18
24	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमएनआरईजीए)	7,93,34.12
25	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)	1,98,40.02
26	राष्ट्रीय पोषण मिशन (आईएसएसएनआईपी सहित)	83,43.52
27	प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएआई)	99,58.19
28	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)	5,90,77.06

परिशिष्ट-V-(जारी)

योजनाओं पर व्यय-(जारी)

ख-राज्य योजनाएं-(जारी)

क्र.सं.	योजना का नाम-	(₹ लाख में)
		जारी निधि
	राज्य/ भारत सरकार की योजनाओं पर अनुदान विवरण :-(जारी)	
29	स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-ग्रामीण)	2,78,37.32
30	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए)	3,05,70.00
31	हर खेत को पानी	31,70.55
32	शिक्षक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा	14,89.30
33	सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)	13,99,81.44
34	मिड डे मील (एमडीएम)	1,066,65.80
35	बालक तथा बालिका छात्रावास	40.62
36	सिंचाई जनगणना	1,37.78
37	ओबीसी के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप	8,01.10
38	अवसंरचना विकास	7,38.40
39	पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप-जनजातीय	6,37.93
40	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	2,26.00
41	राष्ट्रीय पशुधन मिशन	18,99.13
42	कृषि वानिकी पर राष्ट्रीय परियोजना	3,00.00
43	कौशल विकास	4,04.75
44	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)	25,06.00
45	रेनफेड क्षेत्र विकास और जलवायु परिवर्तन	1,00.00
46	बीज और रोपण सामग्री पर उप मिशन	5,91.70
47	मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता पर राष्ट्रीय परियोजना	2,46.54
48	100 स्मार्ट शहरों के विकास के लिए मिशन	80,00.00
49	राज्य प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्य मद	41.64
50	स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-शहरी)	65,85.91
51	शहरी कायाकल्प मिशन-500 शहर	11,32.00
52	बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम	55,03.09
53	आंगनबाड़ी सेवाएं (पूर्व कोर आईसीडीएस)	3,74,06.56
54	बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस)	21,06.94
55	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास के लिए योजना	2,44.45

परिशिष्ट-V-(समाप्त)

योजनाओं पर व्यय-(समाप्त)

ख-राज्य योजनाएं-(समाप्त)

		(₹ लाख में)
क्र.सं.	योजना का नाम-	जारी निधि
	राज्य/ भारत सरकार की योजनाओं पर अनुदान विवरण :- (समाप्त)	
56	राष्ट्रीय शिशुशाला योजना	4,11.65
57	वन्यजीव आवासों का एकीकृत विकास	4,92.40
58	स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	5,29,87.30
59	राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन	9,17.00
60	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन	88.19
61	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	43,71.55
62	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	2,59.75
63	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड विकास घटक	31,10.00
64	राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	44.74
65	विशेष केंद्रीय सहायता	3,71.00
66	दिव्यांगों के लिए योजना	10,73.98
67	शराब और मादक पदार्थ (ड्रग्स) दुरुपयोग की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय नीति	1,35.00
68	तेल बीज और तेल पाम पर राष्ट्रीय मिशन	55.19
69	राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम	30,00.00
70	जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता	97.00
	कुल योग	76,07,89.85

परिशिष्ट-VI					
राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय योजना निधियों का प्रत्यक्ष हस्तांतरण (राज्य बजट के अलावा दी गई निधियाँ)					
(अलेखापरीक्षित आंकड़े)					
भारत सरकार की योजना	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार द्वारा जारी (क)			
		2018-2019	2017-2018	2016-2017	
योजना का नाम		(₹लाख में)			
अलाइंस और आर एंड डी मिशन	केंद्रीय विश्वविद्यालय कश्मीर	-	-	4,36.76	
एमएंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम (एटीयूएफएस)	जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड	2,01.59	3,57.12	8,47.33	
आईएचएमएस/ एफसीआईएस/ आईआईटीटीएम/ एनआईडब्ल्यूएस आदि की सहायता	होटल प्रबंधन एवं खानपान प्रौद्योगिकी संस्थान	6,59.05	3,58.30	27.91	
सामाजिक रक्षा सेवाएं प्रदान करने हेतु स्वयं सेवी संगठनों को सहायता	विधवाओं, अनाथों, दिव्यांगों और वृद्ध व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए परिषद्	3,00.00	-	-	
स्वरोजगार और प्रतिभा उपयोग (सेतु) सहित अटल नवाचार मिशन (एआईएम)	विभिन्न उच्च माध्यमिक विद्यालय	2,52.00	-	-	
बौद्ध और तिब्बती संस्थान और स्मारक	बौद्ध अध्ययन संस्थान	25,67.08	23,15.58	-	
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	उप आयुक्त बीबीबी सांबा, पुलवामा, जिला विकास आयुक्त शोपियां, जिला मेजिस्ट्रेट जम्मू, ऊधमपुर, राजौरी, अनंतनाग आदि	3,80.17	2,62.91	-	
जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इस्लामिक विश्वविद्यालय, एसकेआईएमएस, एसकेयूएसटी	11,31.44	11,47.65	2,70.00	
चिनाब वैली पावर को जम्मू एवं कश्मीर पीएमडीपी अनुदान के अंतर्गत पकुल दुल एचईपी के लिए केंद्रीय सहायता	चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (पी) लिमिटेड	1,00,00.00	2,00,00.00	2,00,00.00	
सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण	होटल प्रबंधन एवं खानपान प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर/ खाद्य शिल्प संस्थान (सोसायटी) जम्मू।	-	1,88.40	-	
व्यापक हथकरघा विकास योजना (सीएचडीएस)	निदेशक हथकरघा विकास विभाग, जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर	-	-	8,71.50	
खादी, ग्राम और कॉयर उद्योगों का विकास	जम्मू एवं कश्मीर खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	-	-	5,23.49	
विज्ञान में महिलाओं के लिए डीआईएसएचए कार्यक्रम	भारतीय समवेत औषध संस्थान, श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय, एसकेयूएसटी जम्मू/ कश्मीर, कश्मीर विश्वविद्यालय	-	79.52	1,08.74	

(क) आंकड़े 10-04-2019 को लेखा महानियंत्रक के 'सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) पोर्टल से लिए गए हैं। ये अलेखापरीक्षित आंकड़े हैं।

परिशिष्ट-VI-(जारी)					
राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय योजना निधियों का प्रत्यक्ष हस्तांतरण (राज्य बजट के अलावा दी गई निधियाँ) (अलेखापरीक्षित आँकड़े)					
भारत सरकार की योजना	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार द्वारा जारी			
		2018-2019	2017-2018	2016-2017	
योजना का नाम		(₹लाख में)			
ई-कोर्ट फेज-II	रजिस्ट्रार जनरल, जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय।	26.00	1,76,79.54	-	
इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस	जम्मू एवं कश्मीर ई-गवर्नेंस (जेकेईजीए) ।	3,79.00	-	-	
स्थापना व्यय-एवाईयूएसएच	जम्मू विश्वविद्यालय/ एसकेयूएसटी कश्मीर/ भद्रवाह विकास प्राधिकरण/ सोवा-रिग्पा के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान	1,42.50	-	1,36.65	
परिवार कल्याण योजनाएं	कश्मीर विश्वविद्यालय	77.80	-	84.92	
अल्पसंख्यकों के लिए मुफ्त कोचिंग और संबद्ध योजनाएं	मेसर्स राष्ट्रीय तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान (एनआईटीटी)-[एनआईआईटीजेके] /मानव कल्याण संगठन/ हिलाल संस्थान/ नागरिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सोपोर/ एसेन्टग्रुप	-	1,05.64	-	
अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों और दिव्यांग छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग	सूचना प्रौद्योगिकी महाविद्यालय बांडीपोरा	-	1,06.27	-	
राज्यों को ई एंड आई के लिए सीआरएफ से अनुदान	एमजी कान्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	-	7,63.66	-	
ग्रिड इंटरएक्टिव रिन्यूएबल पावर एमएनआरई	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड और जम्मू एवं कश्मीर नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी	-	-	14,48.88	
मानव संसाधन विकास जैव प्रौद्योगिकी	एस.के. कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कश्मीर, श्रीनगर एचआरडी एनीमल बायोटेक, जम्मू विश्वविद्यालय, कश्मीर विश्वविद्यालय, भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान आदि	-	-	6,13.85	

परिशिष्ट-VI-(जारी)					
राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय योजना निधियों का प्रत्यक्ष हस्तांतरण (राज्य बजट के अलावा दी गई निधियाँ) (अलेखापरीक्षित आँकड़े)					
भारत सरकार की योजना	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार द्वारा जारी (क)			
		2018-2019	2017-2018	2016-2017	
योजना का नाम		(₹लाख में)			
ईएमआर सहित स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी और प्रबंधन	राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जम्मू	-	1,40.00	-	
पिछड़े और दूरदराज के क्षेत्रों का औद्योगिक विकास	जम्मू एवं कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड	-	-	10,40.07	
औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना (आईआईयूस)	राज्य औद्योगिक विकास निगम (एसआईडीसीओ), जम्मू एवं कश्मीर	72.80	8,20.50	5,06.70	
अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण	जम्मू एवं कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम-[एसआईडीसीओ]	3,32.82	4,91.12	1,10.62	
नवीनीकरण, प्रौद्योगिकी विकास और तैनाती	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू एवं कश्मीर- [एसकेयूएसटी- जेएंडके], कश्मीर विश्वविद्यालय, जम्मू विश्वविद्यालय, श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी व्यापार उद्भवन केंद्र	1,97.46	3,61.89	-	
विशिष्ट विषयों (स्वदेश दर्शन) के आसपास पर्यटक क्षेत्र का एकीकृत विकास	जम्मू एवं कश्मीर पर्यटन विकास निगम लिमिटेड-[जेकेटीडीसीएल], जम्मू एवं कश्मीर स्टेट केबल कार निगम लिमिटेड-[जेएंडकेसीसीसी]	34,54.28	1,15,50.08	1,18,62.79	
औद्योगिक और उद्यमिता विकास	भारतीय समवेत औषध संस्थान (आईआईआईएम)	22,08.87	-	-	
कला संस्कृति विकास योजना	जम्मू एवं कश्मीर में विभिन्न सांस्कृतिक और कल्याण समितियां	5,72.74	4,34.61	2,71.38	

परिशिष्ट-VI-(जारी)				
राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय योजना निधियों का प्रत्यक्ष हस्तांतरण (राज्य बजट के अलावा दी गई निधियाँ) (अलेखापरीक्षित आँकड़े)				
भारत सरकार की योजना	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियाँ	भारत सरकार द्वारा जारी (क)		
		2018-2019	2017-2018	2016-2017
योजनाका नाम		(₹लाख में)		
खेलों के विकास के लिए खेलो इंडिया राष्ट्रीय कार्यक्रम	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इस्लामिक विश्वविद्यालय (आईयूएसटी), अवंतीपोरा, पुलवामा, कश्मीर और निदेशक, युवा सेवाएं तथा खेल, जम्मू एवं कश्मीर	15,84.00	5,31.34	7,86.87
भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम	जम्मू एवं कश्मीर भू अभिलेख प्रबंधन एजेंसी (जेकेएलएआरएमए)	30.00	4,77.00	-
लीगल मेट्रोलाॅजी और गुणवत्ता आश्वासन वजन और माप कार्यक्रम	जम्मू एवं कश्मीर आवासीय बोर्ड जम्मू/ श्रीनगर	-	-	6,50.00
ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रबंधन सहायता और जिला योजना प्रक्रिया को मजबूत करना	भारतीय प्रबंधन एवं लोक-प्रशासन संस्थान (आईएमपीए)/ क्षेत्रीय विस्तार प्रशिक्षण केंद्र बडगाम	17.50	1,00.40	7,50.45
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडी)	जिला उपायुक्त	40,00.00	45,00.00	32,50.00
नई मंजिल-एकीकृत शिक्षा और आजीविका पहल	कॉमटेक प्रौद्योगिकी संस्थान/ राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी और सामाजिक कल्याण संगठन /विकास एवं प्रशिक्षण सोसाइटी/ राष्ट्रीय तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान	6,87.34	4,79.85	4,93.25
राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम	जम्मू एवं कश्मीर राज्य एड्स रोकथाम एवं नियंत्रण सोसायटी- [जेकेएसएपीसीएस]	8,57.76	7,77.04	8,03.06
राष्ट्रीय शिक्षा मिशन-साक्षर भारत सीएस	जन शिक्षण संस्थान जम्मू / टंगडार/ राज्य संसाधन केंद्र श्रीनगर	-	-	1,95.60

परिशिष्ट-VI-(जारी)				
राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय योजना निधियों का प्रत्यक्ष हस्तांतरण (राज्य बजट के अलावा दी गई निधियाँ) (अलेखापरीक्षित आँकड़े)				
भारत सरकार की योजना	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियाँ	भारत सरकार द्वारा जारी (क)		
		2018-2019	2017-2018	2016-2017
योजनाका नाम		(₹लाख में)		
न्याय प्रतिपादन और कानूनी सुधार हेतु राष्ट्रीय मिशन	रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय/ अनुसंधान एवं विकास संगठन हेतु कश्मीर प्रतिष्ठान	-	-	5,31.31
खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय मिशन	इंडो कश्मीर/ कच्ची इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन/ केसर मसाले और फूड्स/ वाजान फूड्स, सेफ एंड फ्रेश फूड्स/ शफात ऑयल मिल्स एंड स्पाइस/ मीर कृषि उद्योग एग्री आदि	-	20.29	13,25.22
शिक्षकों और प्रशिक्षण पर राष्ट्रीय मिशन	श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय (एसएमवीडीयू)	2,69.00	-	-
डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय योजना	जम्मू एवं कश्मीर राज्य कार्यान्वयन एजेंसी	-	1,00.00	-
डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	जम्मू एवं कश्मीर दुग्ध उत्पादक सहकारी लिमिटेड	15,39.35	-	-
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	जम्मू एवं कश्मीर ग्रामीण आजीविका सोसायटी (जेकेआरएलएस)	-	6,59.74	46,75.75
राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम	जम्मू एवं कश्मीर राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, हरिओम पश्मीना हथकरघा औद्योगिक सहकारी सोसायटी, जन कल्याण हथकरघा बुनाई औद्योगिक सहकारी सोसायटी लिमिटेड, द एस्क्वायर रैफल्स पश्मीना हथकरघा डब्ल्यूआईसीएस लिमिटेड, मेसर्स बादाम पश्मीना एवं रैफल हथकरघा डब्ल्यूआईसीएस लिमिटेड, मेसर्स झेलम घाटी निराश्रित बुनकर औद्योगिक सहकारी सोसायटी लिमिटेड, मेसर्स शोकीन पश्मीना रैफल एवं कॉटन हथकरघा डब्ल्यूआईसीएस लिमिटेड	-	2,95.90	1,81.25

परिशिष्ट-VI-(जारी)					
राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय योजना निधियों का प्रत्यक्ष हस्तांतरण (राज्य बजट के अलावा दी गई निधियाँ) (अलेखापरीक्षित आँकड़े)					
भारत सरकार की योजना	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार द्वारा जारी (क)			
		2018-2019	2017-2018	2016-2017	
योजना का नाम		(₹लाख में)			
युवा और किशोर विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	जवाहर पर्वतारोहण एवं शीतकालीन खेल संस्थान	3,03.88	85.95	-	
वन स्टॉप सेंटर	उपायुक्त/ ओएससी, जिला कार्यक्रम अधिकारी	1,50.20	87.52	-	
अन्य स्वायत्त निकाय	सोवा-रिग्पा के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान (एनआरआईएसआर)	1,00.00	-	-	
पश्मीना ऊन विकास कार्यक्रम	लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद्, लेह/ कारगिल	-	-	1,62.00	
तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान (पीआरएएसएडी)	जम्मू एवं कश्मीर स्टेट केबल कार निगम लिमिटेड	5,52.09	11,52.11	8,40.42	
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	जम्मू एवं कश्मीर कौशल विकास पहल- मॉड्यूलर रोजगार परक कौशल सोसायटी	-	-	10,53.88	
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	सामाजिक कल्याण विभाग, जम्मू एवं कश्मीर/ जम्मू एवं कश्मीर सरकार	6,02.42	29,00.45	-	
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि	कृषि उत्पादन विभाग।	91,47.70	-	-	
प्रधानमंत्री संपदा योजना	खैबर कृषि फर्म्स (पी) लिमिटेड	1,50.07	-	-	
राष्ट्रीय गोकुल मिशन	जम्मू एवं कश्मीर राज्य कार्यान्वयन एजेंसी	17,44.97	1,96.75	-	
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एसकेयूएसटी) जम्मू	1,33.00	-	-	

परिशिष्ट-VI-(जारी)				
राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय योजना निधियों का प्रत्यक्ष हस्तांतरण (राज्य बजट के अलावा दी गई निधियाँ) (अलेखापरीक्षित आँकड़े)				
भारत सरकार की योजना	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियाँ	भारत सरकार द्वारा जारी (क)		
		2018-2019	2017-2018	2016-2017
योजना का नाम		(₹लाख में)		
अनुसंधान और विकास	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू एवं कश्मीर, कश्मीर विश्वविद्यालय, जम्मू विश्वविद्यालय, पारिस्थितिकी पर्यावरण और सुदूर संवेदन विभाग, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर	3,64.93	1,19.42	-
अनुसंधान शिक्षा प्रशिक्षण और आउटरीच	कश्मीर विश्वविद्यालय, कश्मीर पर्यावरण और सामाजिक संगठन	82.10	50.50	-
अनुसंधान प्रशिक्षण और अध्ययन और अन्य सड़क सुरक्षा योजनाएं	परिवहन आयुक्त, जम्मू एवं कश्मीर/ जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम	7,47.50	3,49.25	-
विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण	कश्मीर विश्वविद्यालय/ श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय/ भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान/ शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू एवं कश्मीर	9,58.85	15,17.28	-
पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि के लिए योजना (एसएफयूआरटीआई)	जम्मू एवं कश्मीर खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	8,73.59	4,30.50	-
भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहन (एफएएमई-इंडिया) के तेजी से अंगीकार करने और विनिर्माण के लिए योजना	जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम (जेकेएसआरटीसी)	4,49.40	-	-
शराब और पदार्थ (ड्रग्स) दुरुपयोग की रोकथाम के लिए योजना।	विधवाओं, अनाथों, दिव्यांगों और वृद्ध व्यक्तियों (उग्रवाद के शिकार) के पुनर्वास के लिए परिषद्- [आरसीएमवी]	20.04	3,00.00	3,00.00
दिव्यांगों के लिए योजनाएं	सूचना प्रौद्योगिकी महाविद्यालय बांडीपोरा, कंपोजिट क्षेत्रीय केंद्र, श्रीनगर/ शिक्षा एवं सोलर तकनीकी का कश्मीर अनुसंधान संस्थान	2,54.16	2,08.08	7,33.89

परिशिष्ट-VI-(जारी)					
राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय योजना निधियों का प्रत्यक्ष हस्तांतरण (राज्य बजट के अलावा दी गई निधियाँ) (अलेखापरीक्षित आँकड़े)					
भारत सरकार की योजना	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियाँ	भारत सरकार द्वारा जारी (क)			
		2018-2019	2017-2018	2016-2017	
योजना का नाम		(₹लाख में)			
सीखो और कमाओ - कौशल विकास पहल	मेसर्स राष्ट्रीय तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान (एनआईटीटी) -[एनआईआईटीजेके]/ विकास एवं प्रशिक्षण सोसाइटी/ टैड्रिल सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान/ सोफटेक सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान/ मानव कल्याण संगठन/ एवरग्रीन कंप्यूटर एवं तकनीकी शिक्षा संस्थान	-	13,24.22	1,09.76	
नए आईआईएम की स्थापना	भारतीय प्रबंधन संस्थान, जम्मू	5,44.00	16,45.00	-	
नए आईआईटी की स्थापना	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जम्मू	31,01.00	1,39,28.00	-	
राज्य स्पाइनल इंजरी सेंटरों की स्थापना	पीएमएनआरएफ/ बाढ़ राहत जम्मू-कश्मीर प्रिंसिपल/ सीएओ जीएमसी श्रीनगर/ राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय जम्मू	-	-	3,17.00	
स्माल हाइड्रो पावरग्रिड इंटरएक्टिव	अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी कारगिल/ जम्मू-कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड	70,44.84	14,33.35		
सौर ऊर्जा-ऑफग्रिड	लद्दाख अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी	14,82.39	90.33	35,15.92	
मौजूदा शाखाओं को मजबूत करना और एनसीडीसी की 27 शाखाओं की स्थापना	शेर-ए-कश्मीर चिकित्सा विज्ञान संस्थान, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय जम्मू	1,12.75	-	-	

परिशिष्ट-VI-(समाप्त)				
राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय योजना निधियों का प्रत्यक्ष हस्तांतरण (राज्य बजट के अलावा दी गई निधियाँ) (अलेखापरीक्षित आँकड़े)				
भारत सरकार की योजना	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार द्वारा जारी (क)		
		2018-2019	2017-2018	2016-2017
योजना का नाम		(रुलाख में)		
कौशल विकास पहल	राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी और सामाजिक कल्याण संगठन, एवरग्रीन कंप्यूटर एवं तकनीकी शिक्षा संस्थान, सूचना प्रौद्योगिकी महाविद्यालय बांडीपोरा, सुपर कंप्यूटर महाविद्यालय, कॉमटेक सूचना प्रौद्योगिकी शैक्षिक न्यास	7,90.23	-	-
अंतरिक्ष विज्ञान संवर्धन	केंद्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू	1,18.68	-	-
कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जम्मू एवं कश्मीर/ जम्मू एवं कश्मीर राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	-	5,21.20	-
पीडीएस के अंतर्गत देय चीनी सब्सिडी	केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान	-	16,81.64	-
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) को सहायता	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर	1,91,59.00	1,30,90.00	-
राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू/ जम्मू एवं कश्मीर राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् /एसकेआईएमएस/ श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय	-	-	1,56.78
विकास के लिए पारंपरिक कला/ शिल्प में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन (यूएसटीटीएडी)	सूचना प्रौद्योगिकी महाविद्यालय बांडीपोरा	5,60.00	82.20	1,67.00
मतदाता शिक्षा	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जम्मू एवं कश्मीर	-	3,28.75	-
पवन ऊर्जा-ऑफगिड	लद्दाख नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी	27.19	85.72	-
सड़क विंग के अंतर्गत निर्माण कार्य	विभिन्न व्यक्ति और निजी निर्माण कंपनियां	69,16.08	26,81.19	-
कल्याण अनुदान और विविध	विभिन्न व्यक्ति	1,14.50	-	-
	अन्य योजनाएं	9,68.34	8,75.80	28,59.16
	कुल योग	8,95,14.45	11,04,91.13	6,27,98.59

* राज्य में संचालित केंद्र सरकार की स्वायत्त निकायों/ अन्य संस्थाओं को जारी किए गए 1,05,42.28 लाख सम्मिलित नहीं हैं।

परिशिष्ट-VII

(क) शेषों की स्वीकृति एवं मिलान (जैसा कि विवरण 18 और 21 में दर्शाया गया है)

क्र.सं.	खाता शीर्ष एवं संस्था का नाम	प्रतीक्षित स्वीकृतियों की संख्या	पूर्व के वर्षों से प्रतीक्षित स्वीकृतियाँ	पूर्व के वर्षों से 31 मार्च 2019 तक राशियों का अंतर (₹लाख में)
---------	------------------------------	----------------------------------	---	---

लघु शीर्ष 201-गृह निर्माण अग्रिमों तथा 202-मोटर वाहनों की खरीद जोकि मुख्य शीर्ष 7610-सहकारी कर्मचारियों को ऋण देना, के अधीनस्थ है, केवल महालेखाकार (ले. व ह.) द्वारा ही अनुरक्षित किए जाते हैं। 2017-18 की समाप्ति पर बचे शेष की सूचना सभी कर्जदारों को दी गई, हालांकि, शेष राशि की स्वीकृति अभी भी संबंधितों से प्रतीक्षित है।

परिशिष्ट-VII-(समाप्त)

(क) शेषों की स्वीकृति एवं मिलान (जैसा कि विवरण 18 और 21 में दर्शाया गया है)

खाता शीर्ष	पूर्व के वर्ष जिनसे अंतर का संबंध है।	राशि का अंतर	विभागीय अधिकारी/ कोषागार अधिकारी जिनके अंतर मिलानाधीन है।	प्रतीक्षित/ दस्तावेजों के विवरणों आदि का ब्यौरा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(रुलाख में)				
7610- सरकारी कर्मचारियों को ऋण				
201- गृह निर्माण अग्रिम	2002-03	1.30	शेषों का मिलान सभी विभागीय अधिकारियों/ कोषागार अधिकारियों से प्रतीक्षित है।	वाउचर/ चालान
202- मोटर वाहनों की खरीद हेतु अग्रिम	2002-03	7.64	शेषों का मिलान सभी विभागीय अधिकारियों/ कोषागार अधिकारियों से प्रतीक्षित है।	वाउचर/ चालान
8782- एक ही महालेखाकार/ लेखा अधिकारियों को लेखा-जोखा प्रदान करने वाले अधिकारियों के बीच नकद प्रेषण और समायोजन				
102- लोक निर्माण प्रेषण	1975-76	3,49,40.00	शेषों का मिलान सभी विभागीय अधिकारियों/ कोषागार अधिकारियों से प्रतीक्षित है।	प्रेषण कार्यक्रम/ चैक
103- वन प्रेषण	1972-73	9,65.51	शेषों का मिलान सभी विभागीय अधिकारियों/ कोषागार अधिकारियों से प्रतीक्षित है।	प्रेषण कार्यक्रम/ चैक

परिशिष्ट-VIII

सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम

क्र.सं.	परियोजना का नाम	वर्ष के दौरान पूंजीगत परिव्यय			वर्ष के अंत तक पूंजीगत परिव्यय			वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ			वर्ष के दौरान कार्यों पर होने वाले व्यय और रखरखाव			ब्याज हटाकर निवल राजस्व			ब्याज प्राप्ति उपरांत निवल लाभ व हानि			
		प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	कुल	प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	कुल	प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	कुल	वर्ष के दौरान राजस्व की माफी या राजस्व की छूट	वर्ष के दौरान कुल राजस्व (कॉलम 11 तथा 12)	प्रत्यक्ष #	अप्रत्यक्ष	कुल	व्यय पर (कॉलम 16)	वर्ष के अंत में पूंजीगत परिव्यय पर प्रतिशत दर	प्रत्यक्ष पूंजीगत परिव्यय पर ब्याज	व्यय पर राजस्व का अधिशेष (+) या राजस्व से अधिक व्यय (-)	वर्ष के अंत में पूंजीगत परिव्यय पर प्रतिशत दर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
(₹लाख में)																				
1	कठुआ फीडर नहर	23.52	5.41	28.93	1809.55	416.20	2225.75	-	-	-	-	-	16.37	3.77	20.14	(-)20.14	(-)0.90	(-)0.94	(-)19.20	(-)0.86
2	प्रताप नहर	-	-	-	16206.78	3727.55	23661.88	9.51	2.19	11.70	-	11.70	36.69	8.44	45.13	(-)33.43	(-)0.14	(-)0.18	(-)33.25	(-)0.14
3	रणबीर नहर	-	-	-	15716.28	3614.74	19331.02	5.32	1.22	6.54	-	6.54	131.00	30.13	161.13	(-)154.59	(-)0.80	(-)0.58	(-)154.01	(-)0.80
4	मार्तण्ड नहर	-	-	-	1760.53	404.93	2165.46	0.10	0.02	0.12	-	0.12	-	-	-	0.12	-	0.01	0.11	0.01
5	जैनागीर नहर	-	-	-	198.44	45.64	244.09	0.24	0.06	0.30	-	0.30	-	-	-	0.30	0.12	0.04	0.26	0.11
6	आहजी नहर	-	-	-	1610.55	370.43	1980.98	0.80	0.18	0.98	-	0.98	-	-	-	0.98	0.05	0.04	0.94	0.05
7	दादी नहर	-	-	-	269.05	61.88	330.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल	23.52	5.41	28.93	37571.18	8641.37	49940.11	15.97	3.67	19.64	-	19.64	184.06	42.34	226.40	(-)206.76	(-)0.41	(-)0.19	(-)206.66	(-)0.41

कॉलम 14 के अंतर्गत आंकड़े एमएच-2700 "मुख्य सिंचाई" से लिए गए हैं क्योंकि प्रमुख सिंचाई का कार्य व्यय एमएच-2700 "मुख्य सिंचाई" के तहत बुक किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 13-05-2004 को पत्र सं. 508 के माध्यम से सुधार पचीं जारी की गईं और दिनांक 28.06.2006 को पत्र सं.डी.ओ एफडी-8 VII (110) के माध्यम से राज्य सरकार का पत्राचार हुआ। सभी सिंचाई परियोजनाएं जिन्हें वाणिज्यिक स्टैंड घोषित किया गया है। विवरण में सम्मिलित किए गए।

परिशिष्ट-IX

सरकार की प्रतिबद्धताएं-₹1 करोड़ या अधिक लागत वाले अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची

क्र.सं.	परियोजना/ कार्य का नाम	कार्य की लागत	संस्वीकृति की दिनांक	प्रारंभ करने का वर्ष	लक्ष्य पूरा करने का वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत में प्रगामी व्यय	लंबित भुगतान	संशोधित लागत (यदि कोई हो)/ संशोधन* की दिनांक	स्थिति*
(₹लाख में)											
(क) पीएचई विभाग, कश्मीर-											
जलापूर्ति योजनाएं:-											
1	चेची थुन	247.00	04.12.2012	2007-08	2017-18	99.10	5.97	244.77	2.23	-	-
2	गुलशन नगर नई थीद	246.00	30.12.2012	2012-13	2017-18	97.11	69.35	238.88	7.12	-	-
3	बजरी मुफती बाग	237.50	22.01.2013	2013-14	2018-19	15.25	-	36.21	201.29	-	-
4	ऑग. खिम्बर	227.00	03.01.2013	2013-14	2018-19	84.79	32.80	192.47	34.53	-	-
5	टेकनवारी डार मोहल्ला खान मोहल्ला	354.00	13.12.2003	2003-04	2017-18	83.38	-	295.18	58.82	-	-
6	वटीपोरा टुमरीपोरा	160.00	15.12.2012	2012-13	2016-17	77.66	19.32	124.26	35.74	-	-
7	बाबा हनीफ़-उद-दीन साहिब यारिमुकम	249.50	28.04.2014	2013-14	2018-19	64.87	21.82	161.85	87.65	253.35	-
8	चातरगुल	264.75	14.01.2008	2008-09	2017-18	-	-	-	264.75	-	-
9	हेरपोरा डर्सम	430.65	20.01.2010	2010-11	2018-19	94.71	51.74	407.89	22.76	-	-
10	गुरेज़ कॉलोनी नूनर	349.00	05.05.2014	2013-14	2018-19	65.89	82.94	229.94	119.06	360.00	-
11	चेवा फलीपोरा (सोपोर से स्थानांतरित)	356.46	01.09.2005	2005-06	2017-18	84.07	39.74	299.68	58.78	-	-
12	लछमनपोरा ब्रास	183.20	30.08.2014	2013-14	2018-19	-	36.64	182.13	1.07	-	-

* संपूर्ण जानकारी राज्य सरकार द्वारा परिशिष्ट-IX में उपलब्ध नहीं कराई गई है (अगस्त 2019)

परिशिष्ट-IX-(जारी)

सरकार की प्रतिबद्धताएं-₹1 करोड़ या अधिक लागत वाले अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची

क्र.सं.	परियोजना/ कार्य का नाम	कार्य की लागत	संस्वीकृति की दिनांक	प्रारंभ करने का वर्ष	लक्ष्य पूरा करने का वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत में प्रगामी व्यय	लंबित भुगतान	संशोधित लागत (यदि कोई हो)/ संशोधन की दिनांक	स्थिति
(₹लाख में)											
(क) पीएचई विभाग, कश्मीर-(जारी)											
जलापूर्ति योजनाएं:- (जारी)											
13	नई कॉलोनी सेमसन	257.70	03.11.2014	2013-14	2018-19	-	40.79	256.50	1.20	-	-
14	पकरपोरा कांगरीपोरा	142.00	16.11.2012	2011-12	2017-18	-	37.72	140.92	1.08	-	-
15	वाटरेड शालीनार	321.75	08.12.2011	2011-12	2018-19	99.23	82.26	319.27	2.48	-	-
16	कावोसा नरबल	436.16	28.03.2009	2009-10	2017-18	-	-	-	436.16	-	-
17	बामडोरा खग (एसटी)	147.35	16.11.2012	2011-12	2017-18	80.75	77.00	118.98	28.37	-	-
18	चेवड़ेरा रेजवानी	443.00	19.04.2011	2010-11	2018-19	99.27	111.86	439.77	3.23	-	-
19	ईचकूट	144.00	17.12.2012	2011-12	2017-18	93.72	35.00	134.96	9.04	-	-
20	हकनीपोरा	115.03	07.01.2008	2008-09	2017-18	-	-	-	115.03	114.00	-
21	हरवानियन गुंडी दरवेश	111.00	-	-	2017-18	97.87	66.17	108.64	2.36	-	-
22	चून	318.20	21.11.2014	2013-14	2018-19	40.44	43.85	128.67	189.53	-	-
23	हार्ड दलवान	328.83	24.11.2014	2007-08	2017-18	99.57	42.70	327.42	1.41	-	-
24	शेखपुरा पुटलाब	192.22	24.11.2015	2013-14	2017-18	92.31	47.50	177.44	14.78	-	-
25	जागीपोरा	365.23	02.03.2009	2008-09	2018-19	52.63	34.94	192.21	173.02	-	-
26	नई कॉलोनी नाँवपोरा	359.00	21.12.2012	2011-12	2018-19	60.76	61.00	218.12	140.88	-	-
27	हयातपोरा कैस्मुल्ला भाग I, II	935.00	24.07.2007	2007-08	2017-18	-	-	-	935.00	-	-
28	दड्डू	526.85	18.03.2007	2007-08	2016-17	-	-	-	526.85	-	-

परिशिष्ट-IX-(जारी)

सरकार की प्रतिबद्धताएं-₹1 करोड़ या अधिक लागत वाले अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची

क्र.सं.	परियोजना/ कार्य का नाम	कार्य की लागत	संस्वीकृति की दिनांक	प्रारंभ करने का वर्ष	लक्ष्य पूरा करने का वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत में प्रगामी व्यय	लंबित भुगतान	संशोधित लागत (यदि कोई हो)/ संशोधन की दिनांक	स्थिति
(₹लाख में)											
(क) पीएचई विभाग, कश्मीर-(जारी)											
जलापूर्ति योजनाएं:-(जारी)											
29	क्रालपोरा ब्रैकपोरा	190.54	11.04.2014	2013-14	2017-18	97.62	57.94	186.01	4.53		
30	ऊपड़ डांडीपोरा	216.00	28.11.2014	2014-15	2018-19	25.31	17.48	54.68	161.32		
31	पेपाबाई अनंतनाग	175.00	-	-	2018-19	11.90	1.44	20.82	154.18		
32	सिरहामा	197.00	03.05.2012	2011-12	2017-18	99.98	6.87	196.96	0.04		
33	बलयार	930.00	09.03.2015	2012-13	2018-19	16.58	18.16	154.16	775.84		
34	नयना (गुंडीबाबा खल्ली)	321.00	-	-	2018-19	31.69	24.59	101.71	219.29		
35	जियारत शरीफ मतपोरा	198.00	24.12.2012	2012-13	2017-18	-	-	-	198.00		
36	रैटेंगरी	115.00	29.12.2012	2012-13	2016-17	-	-	-	115.00		
37	कामरिवन फ्रेशवार	122.00	02.01.2013	2012-13	2017-18	82.8	32.50	101.01	20.99		
38	खोसरो खलन	248.76	12.12.2012	2012-13	2017-18	-	-	-	248.76		
39	विदेय	163.00	12.12.2012	2012-13	2017-18	99.29	38.36	161.85	1.15		
40	नोव्बुघ	116.40	15.12.2012	2012-13	2017-18	99.86	5.57	116.24	0.16		
41	अरिचेक	201.00	18.02.2012	2011-12	2018-19	27.26	10.00	54.80	146.20		
42	प्रकासपोरा	340.00	15.12.2012	2012-13	2018-19	33.36	35.00	113.41	226.59		
43	गोहन वैलू	136.00	-	2012-13	2017-18	97.26	36.98	132.28	3.72		
44	दरगमुल्ला फ्रेमू फट्टन	365.00	26.11.2008	2008-09	2017-18	-	-	-	365.00		
45	हार्डपोरा (मेहनीपोरा)	832.00	07.10.2008	2008-09	2017-18	-	-	-	832.00		
46	स्थानीय डब्ल्यू एस एस वटनार	2514.93	14.11.2014	2014-15	2017-18	9.48	161.17	237.94	2276.99		

परिशिष्ट-IX-(जारी)

सरकार की प्रतिबद्धताएं-₹1 करोड़ या अधिक लागत वाले अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची

क्र.सं.	परियोजना/ कार्य का नाम	कार्य की लागत	संस्वीकृति की दिनांक	प्रारंभ करने का वर्ष	लक्ष्य पूरा करने का वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत में प्रगामी व्यय	लंबित भुगतान	संशोधित लागत (यदि कोई हो)/ संशोधन की दिनांक	स्थिति
(₹लाख में)											
(क) पीएचई विभाग, कश्मीर-(जारी)											
जलापूर्ति योजनाएं:- (जारी)											
47	खतना बस्ती (एसटी)	508.00	29.11.2014	2014-15	2017-18	24.33	68.16	123.59	384.41		
48	ऐशमुक (एसटी) जैन-उ-दनवाली	892.00	06.06.2008	2008-09	2017-18	-	-	-	892.00		
49	मोवूरा वेहदन	164.27	11.01.2014	2014-15	2018-19	71.79	57.11	117.93	46.34		
50	कुलनचिनार	220.00	-	2012-13	2018-19	97.45	15.30	214.40	5.60		
51	ऑग. लार्किपोरा (लिफ्ट)	250.00	-	-	2018-19	29.52	34.00	73.80	176.20		
52	ऑग. मनिगम वेश्यू	146.66	13.12.2012	2012-13	2017-18	98.98	16.47	145.16	1.50		
53	टैगपोरा (पंजथ)	188.44	28.11.2014	2012-13	2017-18	91.10	29.41	171.67	16.77		
54	नई कॉलोनी सादोरा	187.00	11.06.2014	2012-13	2017-18	49.47	40.04	92.51	94.49		
55	गुलाब बाग (लिफ्ट)	127.00	28.11.2014	2013-14	2017-18	-	-	-	127.00		
56	टांगलू चक वांगुंडी (लिफ्ट)	234.00	-	2010-11	2017-18	84.74	31.05	198.29	35.71		
57	हीडवार्ड	133.85	26.02.2013	2012-13	2017-18	72.66	18.08	97.26	36.59		
58	हिलर शाहाबाद	460.00	16.12.2013	2013-14	2018-19	44.60	55.06	205.17	254.83		
59	मंजमोह	172.30	-	2012-13	2017-18	84.60	35.02	145.76	26.54		
60	सैदवारा लिफ्ट	172.30	18.11.2014	2012-13	2017-18	99.79	7.18	171.94	0.36		
61	ऑग. अगनू	139.00	10.11.2014	2011-12	2017-18	93.92	86.93	130.55	8.45		
62	गुटलीगुंड	137.40	-	2012-13	2017-18	88.38	17.52	121.43	15.97		
63	राजार्ड डोनवानी	181.00	28.11.2014	2013-14	2017-18	36.69	21.16	68.41	114.59		
64	वावधोरा अर्दबल	184.70	18.11.2014	2012-13	2017-18	47.45	15.47	87.64	97.06		

परिशिष्ट-IX-(जारी)

सरकार की प्रतिबद्धताएं-₹1 करोड़ या अधिक लागत वाले अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची

क्र.सं.	परियोजना/ कार्य का नाम	कार्य की लागत	संस्वीकृति की दिनांक	प्रारंभ करने का वर्ष	लक्ष्य पूरा करने का वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत में प्रगामी व्यय	लंबित भुगतान	संशोधित लागत (यदि कोई हो)/ संशोधन की दिनांक	स्थिति
(₹लाख में)											
(क) पीएचई विभाग, कश्मीर-(जारी)											
जलापूर्ति योजनाएं:- (जारी)											
65	शेखपूरा गुचान	161.75	28.11.2014	2012-13	2017-18	89.63	33.03	144.97	16.78		
66	शेशहतरगाम लोनपोरा	172.00	09.01.2014	2012-13	2017-18	48.21	19.30	82.92	89.08	182.00	
67	नौगाम साहाबाद	313.00	-	-	2018-19	85.21	100.71	266.71	46.29		
68	लेवदोरा कुचिपुरा	191.00	16.05.2014	2012-13	2017-18	31.15	23.16	59.49	131.51	193.20	
69	देवसर	1300.00	12.03.2007	2003-04	2017-18	-	-	-	1300.00		
70	मसखुद	220.55	12.09.2008	2008-09	2017-18	-	-	-	220.55		
71	हांजीपोरा	261.00	23.09.2008	2007-08	2017-18	79.37	37.35	207.15	53.85		
72	ऑग. चमगुंड	210.00	14.08.2014	2012-13	2018-19	37.29	22.50	78.30	131.70		
73	प्रनहाल	142.00	-	2012-13	2017-18	45.29	3.00	64.31	77.69		
74	सतराजन नाग्रेस	192.00	-	2012-13	2017-18	-	-	-	192.00		
75	कुलनंद	124.84	-	2013-13	2017-18	-	-	-	124.84		
76	बदरू डेमिडुल्ला	225.00	-	2012-13	2017-18	99.66	35.52	224.24	0.76		
77	रेडवानी	261.00	-	-	2017-18	-	-	-	261.00		
78	कांजीकुल्ला	223.00	12.06.2014	2013-14	2017-18	53.39	57.00	119.06	103.94	223.91	
79	सुनिगम	127.85	10.06.2014	2013-14	2017-18	-	-	-	127.85		
80	सी.आर.पोरा	300.00	-	-	2018-19	26.94	49.00	80.81	219.19		
81	सरसुना तंत्रेयपोरा	171.00	-	2012-13	2017-18	94.55	25.00	161.68	9.32		
82	खी जोगीपोरा	131.00	-	2012-13	2017-18	-	-	-	131.00		

परिशिष्ट-IX-(जारी)

सरकार की प्रतिबद्धताएं-₹1 करोड़ या अधिक लागत वाले अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची

क्र.सं.	परियोजना/ कार्य का नाम	कार्य की लागत	संस्वीकृति की दिनांक	प्रारंभ करने का वर्ष	लक्ष्य पूरा करने का वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत में प्रगामी व्यय	लंबित भुगतान	संशोधित लागत (यदि कोई हो)/ संशोधन की दिनांक	स्थिति
(₹लाख में)											
(क) पीएचई विभाग, कश्मीर-(जारी)											
जलापूर्ति योजनाएं:- (जारी)											
83	चांदगिरी	144.90	-	2012-13	2017-18	-	-	-	144.90		
84	वेवीखुल	207.69	-	-	2017-18	99.72	20.02	207.11	0.58		
85	डैमहॉल	281.00	-	2012-13	2018-19	99.24	73.92	278.87	2.13		
86	हकवस केबी पोरा गुर्जर बस्ती	195.25	-	2013-13	2017-18	99.45	37.18	194.17	1.08		
87	गुज्जरपोरा द्यानीपोरा	224.60	-	2014-15	2018-19	27.85	29.16	62.56	162.04		
88	पालपोरा अस्तनपोरा	707.00	19.09.2006	2007-08	2017-18	81.52	69.32	576.32	130.68		
89	महजोराबाद मितंगम	323.91	20.02.2007	2012-13	2017-18	50.38	40.32	163.20	160.71		
90	चेकी दीवान बट्टीनाथ	506.00	-	2014-15	2017-18	68.37	54.80	345.93	160.07		
91	इंद्रवाली जी.बी.	464.27	-	2014-15	2017-18	77.17	94.00	358.27	106.00		
92	बानपोरा	199.94	25.04.2015	2015-16	2018-19	90.10	68.38	180.14	19.80		
93	करीमाबाद बाला	671.18	18.08.2014	2012-13	2017-18	72.62	42.88	487.42	183.76		
94	अशमंदर	681.00	18.08.2018	-	2018-19	70.43	48.32	479.61	201.39		
95	साइकलू	594.10	-	2014-15	2017-18	77.16	64.32	458.43	135.67		
96	आगलर मेन	583.00	-	2013-14	2018-19	73.21	43.64	426.84	156.16		
97	जंदवाल बैडो	711.50	14.08.2015	2014-15	2018-19	75.07	62.16	534.09	171.41		
98	ऑगमेंटेशन नौपोरा	289.98	11.01.2016	2015-16	2018-19	43.41	24.09	125.89	164.09		
99	मुनघामा	654.50	19.08.2015	2014-15	2017-18	71.82	44.60	470.07	184.43		
100	वानपुरा बंगौद	450.00	01.04.2015	2014-15	2017-18	43.09	61.49	193.89	256.11		

परिशिष्ट-IX-(जारी)

सरकार की प्रतिबद्धताएं-₹1 करोड़ या अधिक लागत वाले अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची

क्र.सं.	परियोजना/ कार्य का नाम	कार्य की लागत	संस्वीकृति की दिनांक	प्रारंभ करने का वर्ष	लक्ष्य पूरा करने का वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत में प्रगामी व्यय	लंबित भुगतान	संशोधित लागत (यदि कोई हो)/ संशोधन की दिनांक	स्थिति
(₹लाख में)											
(क) पीएचई विभाग, कश्मीर-(जारी)											
जलापूर्ति योजनाएं:- (जारी)											
101	आरमोला तंत्रेयपोरा	492.00	30-01-2008	2007-08	2017-18	99.69	58.15	490.48	1.52		
102	अचथन अस्तनपोरा	180.00	26-10-2007	2006-07	2017-18	98.97	31.60	178.15	1.85		
103	चनपोरा शालीहार्ड	643.00	19-08-2014	2013-14	2017-18	70.15	46.32	451.05	191.95		
104	रेशीपोरा कुसाबायर	606.51	13-08-2014	2012-13	2018-19	63.55	61.16	385.41	221.10		
105	हरगम रामू	476.80	19-08-2014	2012-13	2018-19	45.2	97.96	215.51	261.29		
106	ऑग. गासो	476.40	19-08-2014	2012-13	2018-19	84.6	65.27	403.05	73.35		
107	हाजन बल्ला	390.00	-	2012-13	2017-18	55.64	85.00	217.00	173		
108	राजपोरा लिफ्ट	538.50	-	2014-15	2017-18	61.86	59.16	333.10	205.40		
109	उमगर गुंड	175.52	03.09.2014	03.09.20	2017-18	36.81	28.00	64.61	110.91		
110	जबदाजी	365.07	11.12.2007	2007-08	2017-18	0.00	0.00	0.00	365.07		
111	सम्बोरा फे-II	496.50	31.01.2013	2012-13	2018-19	89.87	98.50	446.21	50.29		
112	डोडगम मीरबाग	200.00	24.03.2007	2007-08	2016-17	0.00	0.00	0.00	200		
113	अवंतीपोरा क्यारै	167.00	-	2012-13	2017-18	99.66	20.06	166.44	0.56		
114	नया कोनीबल	225.00	-	2012-13	2017-18	98.7	36.06	222.08	2.92		
115	गोरीपोरा अस्तनपोरा	427.00	-	2013-14	2018-19	50.3	58.00	214.78	212.22		
116	पीरनार लालगम	257.00	16.12.2013	2012-13	2017-18	0.00	0.00	0.00	257.00		
117	बुननार्ड गशिनार	288.00	18.10.2008	2013-14	2017-18	0.00	0.00	0.00	288.00		
118	हरबुचो सिख बस्ती	245.00	18.10.2008	2014-15	2017-18	0.00	0.00	0.00	245.00		

परिशिष्ट-IX-(जारी)

सरकार की प्रतिबद्धताएं-₹1 करोड़ या अधिक लागत वाले अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची

क्र.सं.	परियोजना/ कार्य का नाम	कार्य की लागत	संस्वीकृति की दिनांक	प्रारंभ करने का वर्ष	लक्ष्य पूरा करने का वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत में प्रगामी व्यय	लंबित भुगतान	संशोधित लागत (यदि कोई हो)/ संशोधन की दिनांक	स्थिति
(₹लाख में)											
(क) पीएचई विभाग, कश्मीर-(जारी)											
जलापूर्ति योजनाएं:- (जारी)											
119	नया मदोरा बुंगम	199.00	02.02.2013	2012-13	2017-18	94.94	39.82	188.93	10.07		
120	डार लुर्गम	390.00	-	2016-17	2018-19	84.16	65.00	328.24	61.76		
121	हरिपारी गम	351.46	-	2016-17	2018-19	63.17	27.50	222.02	129.44		
122	नागपाथिर चाणकतार	299.13	-	-	2018-19	34.96	72.70	104.59	194.54		
123	लारियार	354.84	26.03.2010	2014-15	2017-18	0.00	0.00	0.00	354.84		
124	मनदूरा बटनूर	287.00	18.10.2008	2007-08	2017-18	0.00	0.00	0.00	287		
125	प्लानपोरा नायिना	274.50	04.02.2008	2007-08	2017-18	0.00	0.00	0.00	274.50		
126	चैकी गुलाबतंग	531.90	31.07.2013	2012-13	2018-19	80.78	53.16	429.65	102.25		
127	जाएपोरा	159.00	-	2007-08	2017-18	0.00	0.00	0.00	159		
128	काकपोरा	610.00	16.01.09	2007-08	2017-18	0.00	0.00	0.00	610		
129	आदिपोरा त्रिचाल	165.79	26.10.2007	2006-07	2017-18	0.00	0.00	0.00	165.79		
130	विभिन्न हेतु स्रोत का विकास	248.60	-	2013-14	2018-19	29.21	38.00	72.61	175.99		
131	मुगलपोरा तुर्कीवागन	175.60	17.12.2012	2012-13	2017-18	89.65	42.10	157.42	18.18		
132	ट्रेंज़ खुर्मपोरा	461.73	06.12.2007	2007-08	2017-18	0.00	0.00	0.00	461.73		
133	नौगाम रंगमार्ग	437.00	23.10.2007	2007-08	2017-18	99.73	39.42	435.84	1.16		
134	चैकी सहपोरा	478.00	02.08.2007	2007-08	2017-18	0.00	0.00	0.00	478.00		
135	विषरू (क्राल मोहल्ला)	434.87	24.07.2007	2007-08	2017-18	0.00	0.00	0.00	434.87		
136	गट्टीपोरा दचनू	482.50	28.03.2007	2007-08	2017-18	0.00	0.00	0.00	482.50		

परिशिष्ट-IX-(जारी)

सरकार की प्रतिबद्धताएं-₹1 करोड़ या अधिक लागत वाले अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची

क्र.सं.	परियोजना/ कार्य का नाम	कार्य की लागत	संस्वीकृति की दिनांक	प्रारंभ करने का वर्ष	लक्ष्य पूरा करने का वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत में प्रगामी व्यय	लंबित भुगतान	संशोधित लागत (यदि कोई हो)/ संशोधन की दिनांक	स्थिति
(₹लाख में)											
(क) पीएचई विभाग, कश्मीर-(जारी)											
जलापूर्ति योजनाएं:- (जारी)											
137	गुंडी हार्ड	462.00	06.12.2007	2007-08	2017-18	89.47	44.12	413.37	48.63		
138	पडपावन	323.00	23.10.2007	2013-14	2017-18	0.00	0.00	0.00	323.00		
139	टचलु तुलरन	107.00	23.10.2007	2012-13	2017-18	0.00	0.00	0.00	107.00		
140	अमशीपोरा शेमीपोरा	144.00	26.03.2012	2012-13	2017-18	95.72	22.00	137.84	6.16		
141	मुजपथरी	327.72	26.03.2012	2012-13	2018-19	59.23	35.42	194.12	133.60		
142	मनीहाल बाटपोरा	178.30	04.09.2013	2012-13	2017-18	89.98	66.13	160.43	17.87		
143	टूलीहल्लन	397.71	13.06.2014	2012-13	2018-19	29.86	57.27	118.76	278.95		
144	नासरपोरा	256.00	06.02.2015	2012-13	2018-19	37.49	35.13	95.97	160.03		
145	दुनारो	250.00	04.09.2013	2012-13	2018-19	32.42	21.00	81.04	168.96		
146	ज़ारकन	334.58	16.12.2013	2012-13	2018-19	39.97	44.00	133.74	200.84		
147	कुंसो नोली	300.00	-	2012-13	2018-19	39.69	60.00	119.06	180.94		
148	चोतीपोरा	319.00	26.03.2012	2014-15	2017-18	0.00	0.00	0.00	319.00		
149	नई कॉलोनी हेरमैन	455.00	16.12.2013	2012-13	2018-19	32.91	63.00	149.72	305.28		
150	कुंगन्नू छत्रीगूम	298.00	11.01.2016	2015-16	2018-19	24.77	35.00	73.80	224.20		
151	कुमार मोहल्ला वाची	171.00	-	2014-15	2017-18	0.00	0.00	0.00	171.00		
152	चटरपोरा नौगाम	495.00	23.10.2007	2007-08	2017-18	0.00	0.00	0.00	495.00		
153	लूज़ डेन्यू	217.00	-	2015-16	2017-18	94.68	63.22	205.45	11.55		

परिशिष्ट-IX-(जारी)

सरकार की प्रतिबद्धताएं-₹1 करोड़ या अधिक लागत वाले अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची

क्र.सं.	परियोजना/ कार्य का नाम	कार्य की लागत	संस्वीकृति की दिनांक	प्रारंभ करने का वर्ष	लक्ष्य पूरा करने का वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत में प्रगामी व्यय	लंबित भुगतान	संशोधित लागत (यदि कोई हो)/ संशोधन की दिनांक	स्थिति
---------	------------------------	---------------	----------------------	----------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------	------------------------------	--------------	---	--------

(₹लाख में)

(क) पीएचई विभाग, कश्मीर-(जारी)

जलापूर्ति योजनाएं:- (जारी)

154	जेहामा	354.00	13.12.2003	2003-04	2017-18	0.00	0.00	0.00	354.00		
155	सैयद जांबाज वली खानपोरा	188.00	28.09.2012	2012-13	2017-18	99.99	35.67	187.98	0.02		
156	ऑग. सिंगपोरा	327.25	-	2007-08	2018-19	40.82	52.43	133.59	193.66		
157	वडेराबाद	225.00	-	-	2018-19	22.56	31.50	50.75	174.25		
158	भट्ट मोहल्ला सांगरी	324.73	07.01.2011	2010-11	2017-18	96.06	94.74	311.94	12.79		
159	पाकीपोरा	253.00	03.01.2013	2012-13	2017-18	75.11	75.29	190.04	62.96		
160	खानपाती गुंड चैक	321.00	12.12.2012	2011-12	2018-19	27.18	35.02	87.26	233.74		
161	द्रंगपट्टी चैकी - दुदबाग	294.00	12.12.2012	2011-12	2018-19	22.11	27.00	65.00	229.00		
162	कवहर कालेबन	248.72	16.10.2008	2012-13	2017-18	0.00	0.00	0.00	248.72		
163	थांदकसी राजपोरा	416.60	12.01.2013	2013-14	2018-19	31.55	59.29	131.45	285.15		
164	गतियार	243.20	21.04.2017	-	2018-19	34.15	29.90	83.05	160.15		
165	सिंगपोरा (डेलिना)	327.25	-	2016-17	2018-19	31.68	37.00	103.66	223.59		
166	कारेवा ओएचटी	149.00	01.02.2014	2012-13	2017-18	85.21	44.60	126.96	22.04		
167	खवाजा गुंडी कासिम	366.00	-	2012-13	2018-19	21.45	22.00	78.50	287.50		
168	त्रिकुलबल हंजीवेरा	609.00	16.10.2008	2008-09	2017-18	100	23.49	609.00	0.00		
169	चेकी सुल्पानपोरा	375.00	04.10.2008	2015-16	2017-18	99.83	21.60	374.38	0.62		
170	डाज़ना बोखीपोरा	244.00	23.05.2009	2009-10	2017-18	0.00	0.00	0.00	244.00		

परिशिष्ट-IX-(जारी)

सरकार की प्रतिबद्धताएं-₹1 करोड़ या अधिक लागत वाले अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची

क्र.सं.	परियोजना/ कार्य का नाम	कार्य की लागत	संस्वीकृति की दिनांक	प्रारंभ करने का वर्ष	लक्ष्य पूरा करने का वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत में प्रगामी व्यय	लंबित भुगतान	संशोधित लागत (यदि कोई हो)/ संशोधन की दिनांक	स्थिति
(₹लाख में)											
(क) पीएचई विभाग, कश्मीर-(जारी)											
जलापूर्ति योजनाएं:- (जारी)											
171	गुज्जरपट्टी राफियाबाद बिनर	873.00	07.02.2009	2008-09	2018-19	75.39	65.10	658.16	214.84		
172	कितरदाजी कंगोस	244.00	23.05.2009	2008-09	2017-18	0.00	0.00	0.00	244.00		
173	अस्तनपोरा अछबल	532.00	08.11.2008	2008-09	2017-18	78.61	29.00	418.19	113.81		
174	कितरू नारीबल	259.00	16.10.2008	2014-15	2017-18	100	7.00	259.00	0.00		
175	रावोचा	441.53	16.10.2008	2008-09	2017-18	99.33	96.66	438.57	2.96		
176	चटसू शेखपोरा	205.00	26.02.2013	2012-13	2017-18	53.83	57.19	110.36	94.64		
177	फ्रेसथर डोलीपोरा	451.28	23.04.2008	2007-08	2017-18	94.05	51.12	424.42	26.86		
178	खुशालपोरा चानन्द	317.82	14.02.2013	2012-13	2018-19	55.73	23.04	177.13	140.69		
179	सुल्तानपोरा कांडी	296.72	-	2016-17	2018-19	39.54	38.50	117.32	179.40		
180	वलरमन मस्जिद अनगम (4 एसआर का निर्माण)	200.31	14.02.2013	2012-13	2017-18	55.65	31.00	111.47	88.84		
181	वागोरा मोनागम	455.00	19.03.2011	2010-11	2017-18	100	0.00	455.00	0.00		
182	नाजी भट्ट	214.71	14.02.2013	2012-13	2017-18	66.43	34.17	142.63	72.08		
183	एत्तरपोरा पैरपोरा	288.00	08.11.2008	2013-14	2017-18	0.00	0.00	0.00	288.00		
184	बटपोरा चीचलोरा	447.00	-	-	2017-18	67.94	0.00	303.69	143.31		
185	प्रहासपोरा क्षेत्रीय (लिफ्ट)	2324.00	01.07.2011	2010-11	2018-19	11.23	0.00	261.06	2062.94		

परिशिष्ट-IX-(जारी)

सरकार की प्रतिबद्धताएं-₹1 करोड़ या अधिक लागत वाले अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची

क्र.सं.	परियोजना/ कार्य का नाम	कार्य की लागत	संस्वीकृति की दिनांक	प्रारंभ करने का वर्ष	लक्ष्य पूरा करने का वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत में प्रगामी व्यय	लंबित भुगतान	संशोधित लागत (यदि कोई हो)/ संशोधन की दिनांक	स्थिति
(₹लाख में)											
(क) पीएचई विभाग, कश्मीर-(जारी)											
जलापूर्ति योजनाएं:- (जारी)											
186	शाह मोहल्ला पंजनारा	352.75	17.07.2009	2012-13	2018-19	70.90	91.52	250.11	102.64		
187	हामरे पट्टन	319.45	07.02.2013	2013-14	2018-19	56.07	17.00	179.10	140.35		
188	राखी हायगम हरितार	246.83	-	-	2018-19	30.70	37.37	75.77	171.06		
189	फुट पार्क कॉलोनी गुलिगम (सोपोर)	210.00	-	-	2018-19	75.00	141.90	157.51	52.49		
190	निंगली घाट	259.00	-	-	2018-19	51.37	20.49	133.04	125.96		
191	सिद्दीक जागीर	164.31	27.11.2007	2007-08	2017-18	99.69	55.10	163.80	0.51		
192	बोमई खास	242.00	-	-	2017-18	56.21	17.70	136.03	105.97		
193	रज्जाकपोरा शेगीपोरा	264.50	-	-	2018-19	90.57	126.19	239.57	24.93		
194	ब्रूनार काहीपोरा	625.53	23.04.2008	2008-09	2018-19	73.18	23.87	457.76	167.77		
195	वेल् क्रालपोरा	570.00	18.03.2007	2007-08	2018-19	75.23	43.73	428.82	141.18		
196	हारचीनो जसपोरा	623.93	23.04.2008	2008-09	2017-18	79.53	31.60	496.20	127.73		
197	हालीबल शलगम	506.73	23.04.2008	2008-09	2017-18	79.51	31.78	402.88	103.85		
198	शाहपोरा गोगलदारा	170.80	-	-	2017-18	36.87	14.78	62.98	107.82		
199	नांबलनार सतरेसरण	291.78	06.03.2014	2013-14	2017-18	61.39	20.86	179.11	112.67		
200	जालपोरा नौगाम पयीन	293.08	11.08.2009	2009-10	2017-18	99.99	1.28	293.04	0.04		
201	सनबर्न नौगाम	187.74	27.11.2007	2013-14	2017-18	95.87	60.55	179.99	7.75		
202	सैदनारा	148.46	-	2014-15	2017-18	0.00	0.00	0.00	148.46		
203	कावापोरा डेंजरपोरा	250.31	-	2013-14	2017-18	99.53	6.36	249.13	1.18		

परिशिष्ट-IX-(जारी)

सरकार की प्रतिबद्धताएं-₹1 करोड़ या अधिक लागत वाले अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची

क्र.सं.	परियोजना/ कार्य का नाम	कार्य की लागत	संस्वीकृति की दिनांक	प्रारंभ करने का वर्ष	लक्ष्य पूरा करने का वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत में प्रगामी व्यय	लंबित भुगतान	संशोधित लागत (यदि कोई हो)/ संशोधन की दिनांक	स्थिति
(₹लाख में)											
(क) पीएचई विभाग, कश्मीर-(जारी)											
जलापूर्ति योजनाएं:- (जारी)											
204	गुलशनपोरा मैदानपोरा	518.94	23.02.2008	2008-09	2017-18	99.97	48.83	517.73	1.20		
205	नौपोरा गुलशनपोरा	298.00	01.09.2005	2010-11	2017-18	61.92	40.90	184.52	113.48		
206	मलिकपोरा त्रिगाम	292.80	-	-	2018-19	73.52	49.44	215.28	77.52		
207	नीरू शरत	105.86	17.01.2013	2013-14	2016-17	0.00	0.00	0.00	105.86		
208	हीवान कॉलोनी निशात बाग	653.00	15.09.2008	2008-09	2018-19	100	100.00	653.00	0.00		
209	कानीबाची कहनोसा	390.88	18.09.2008	2008-09	2018-19	88.53	95.43	346.05	44.83		
210	पोतशाही अपर/ डिग्री कॉलेज	335.00	09.03.2009	2008-09	2018-19	95.04	66.70	318.40	16.60		
211	अपर मालंगम	309.00	09.03.2009	2008-09	2017-18	0.00	0.00	0.00	309.00		
212	ऑग. आहमीशेरीफ	174.41	01.05.2013	2013-14	2017-18	87.82	56.60	153.16	21.25		
213	अलूसा घाट	407.17	30.04.2013	2013-14	2018-19	64.42	18.50	262.31	144.86		
214	मित्रिगम	469.00	01.05.2013	2013-14	2018-19	26.08	18.71	122.32	346.68		
215	ऑग. कुनर	284.49	01.05.2013	2013-14	2018-19	34.11	19.18	97.03	187.46		
216	बुदबाथ बांदीपोरा	350.00	-	-	2018-19	12.25	0.00	42.89	307.11		
217	आजस बाजीपोरा	165.70	-	-	2017-18	57.37	41.00	95.06	70.64		
218	द्रोगमुल्ला	288.34	21.10.2008	2008-09	2017-18	0.00	0.00	0.00	288.34		
219	फैजाबाद चड़पोरा	248.00	02.02.2013	2013-14	2018-19	26.99	39.35	66.93	181.07		

परिशिष्ट-IX-(जारी)

सरकार की प्रतिबद्धताएं-₹1 करोड़ या अधिक लागत वाले अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची

क्र.सं.	परियोजना/ कार्य का नाम	कार्य की लागत	संस्वीकृति की दिनांक	प्रारंभ करने का वर्ष	लक्ष्य पूरा करने का वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत में प्रगामी व्यय	लंबित भुगतान	संशोधित लागत (यदि कोई हो)/ संशोधन की दिनांक	स्थिति
(₹लाख में)											
(क) पीएचई विभाग, कश्मीर-(जारी)											
जलापूर्ति योजनाएं:- (जारी)											
220	डोड चेक रखचेक	425.66	24.12.2007	2007-08	2017-18	75.98	40.66	323.42	102.24		
221	वारसन	159.00	30.03.2011	2011-12	2017-18	98.22	0.00	156.17	2.83		
222	कच्छम्मा	217.32	15.06.2009	2009-10	2017-18	99.07	12.91	215.30	2.02		
223	सोनिरपोरा मिरवायन	317.55	26.11.2008	2008-09	2017-18	0.00	0.00	0.00	317.55		
224	फारकिन	237.69	31.01.2013	2013-14	2018-19	33.59	34.66	79.85	157.84		
225	बाबापोरा माछिलपोरा	254.00	31.01.2013	2013-14	2018-19	27.08	18.50	68.78	185.22		
226	हफरादा	152.00	31.01.2013	2013-14	2017-18	88.25	28.09	134.14	17.86		
227	चेक हायन	150.00	10.03.2014	-	2017-18	14.49	0.00	21.73	128.27		
228	डोलीपोरा	192.00	-	-	2017-18	35.38	5.00	67.93	124.07		
229	क्रालपोरा	198.81	31.01.2013	2013-14	2017-18	64.22	52.47	127.68	71.13		
230	झुनिरेशी गुज्जामर्द	240.00	31.01.2013	2013-14	2017-18	86.25	53.51	207.00	33.00		
231	हांजीपोरा कुनर	223.00	-	-	2017-18	34.81	11.97	77.63	145.37		
232	दारापोरा	303.83	-	2012-13	2017-18	77.38	41.57	235.09	68.74		
233	बदाइबरे तांगचेक	440.18	-	2011-12	2018-19	65.46	61.73	288.13	152.05		
234	थंडोसा बाबा हयातपोरा	409.37	-	-	2017-18	93.86	62.24	384.23	25.14		
235	कशीरा खबनाई	378.00	-	-	2018-19	39.48	44.71	149.25	228.75		

परिशिष्ट-IX-(जारी)

सरकार की प्रतिबद्धताएं-₹1 करोड़ या अधिक लागत वाले अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची

क्र.सं.	परियोजना/ कार्य का नाम	कार्य की लागत	संस्वीकृति की दिनांक	प्रारंभ करने का वर्ष	लक्ष्य पूरा करने का वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत में प्रगामी व्यय	लंबित भुगतान	संशोधित लागत (यदि कोई हो)/ संशोधन की दिनांक	स्थिति
(₹लाख में)											
(क) पीएचई विभाग, कश्मीर-(समाप्त)											
जलापूर्ति योजनाएं:- (समाप्त)											
236	चुंतवारी माछिल	166.00	02.02.2013	2013-14	2017-18	72.49	27.03	120.33	45.67		
237	पलपोरा बद्र पथीन	105.60	-	-	2017-18	0.00	0.00	0.00	105.60		
238	पीर खान मोहल्ला (पोहरू पेठ)	314.10	29.09.2009	2009-10	2017-18	0.00	0.00	0.00	314.10		
239	लोवर मवार	355.77	14.06.2016	2016-17	2018-19	99.69	37.80	354.68	1.09		
240	शतपाला लोनथन	269.78	01.02.2008	2008-09	2017-18	76.28	21.73	205.79	63.99		
(ख) पीएचई विभाग, जम्मू:-											
जलापूर्ति योजनाएं-											
1	डब्ल्यूएसएस भटयारी	105.27	-	2010-11	2012-13	93	13.08	135.08	-	145.20	
2	डब्ल्यूएसएस संदवान	127.84	-	2011-12	2016-17	96	4.61	122.77	-	127.84	
3	डब्ल्यूएसएस खानपुर नगरोटा	212.84	06.08.2018	2011-12	2018-19	97	60.82	204.94	-	212.08	
4	डब्ल्यूएसएस खीतराएन बनतलाब	199.00	06.08.2018	2011-12	2018-19	98	61.38	194.81	-	199.00	
5	डब्ल्यूएसएस चिब्बा चक मैकलिन	156.70	16.08.2018	2011-12	2018-19	89	30.98	140.18	-	156.70	
6	डब्ल्यूएसएस प्रांबली फेज-II	155.57	16.08.2018	2012-13	2018-19	98	25.86	152.56	-	155.57	
7	टी/वैल कुम्फी डब्ल्यूएसएस कुम्फी	20.00	27.10.2015	2010-11	2012-13	76	34.62	92.98	-	122.95	
8	डब्ल्यूएसएस नाज़िया चक	187.58	18.08.2018	2012-13	2018-19	82	14.97	154.09	-	187.58	
9	डब्ल्यूएसएस सोनारा	156.00	16.08.2018	2013-14	2018-19	69	49.10	107.12	-	156.00	
10	जामोटियन/ कोगर खो	149.78	21.12.2015	2013-14	2018-19	82	16.32	123.34	-	149.78	
11	टी/ वैल चीरिएन डब्ल्यूएसएस मावा ब्राहन	126.38	22.01.2016	2010-11	2018-19	76	27.63	95.57	-	126.38	
12	डब्ल्यूएसएस डेरियन दत्याल	250.93	14.11.2018	2011-12	2018-19	94	25.55	235.36	-	250.93	
13	डब्ल्यूएसएस असारवन	149.22	02.01.2016	2011-12	2018-19	90	15.80	133.58	-	149.22	
14	डब्ल्यूएसएस मनयाल ब्राहन	225.63	24.08.2018	2006-07	2018-19	87	18.03	196.32	-	225.63	

परिशिष्ट-IX-(जारी)

सरकार की प्रतिबद्धताएं-₹1 करोड़ या अधिक लागत वाले अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची

क्र.सं.	परियोजना/ कार्य का नाम	कार्य की लागत	संस्वीकृति की दिनांक	प्रारंभ करने का वर्ष	लक्ष्य पूरा करने का वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत में प्रगामी व्यय	लंबित भुगतान	संशोधित लागत (यदि कोई हो)/ संशोधन की दिनांक	स्थिति
(₹लाख में)											
(ख) पीएचई विभाग, जम्मू:- (जारी)											
जलापूर्ति योजनाएं-(जारी)											
15	डब्ल्यूएसएस कांगर मलगाम	147.66	27.10.2015	2011-12	2018-19	85	17.19	125.53	-	147.66	
16	डब्ल्यूएसएस पूरन नगर/ कबीर नगर	199.50	16.04.2015	2012-13	2017-18	64	11.07	158.26	-	247.50	
17	डब्ल्यूएसएस पटोली ब्राह्मन बनतलाब	394.96	-	2007-08	2018-19	98	68.19	386.26	-	394.96	
18	डब्ल्यूएसएस करन बाग	157.00	-	2007-08	2012-13	97	4.70	351.71	-	362.22	
19	डब्ल्यूएसएस राजीव गांधी अस्पताल गंगयाल	146.19	-	2011-12	2017-18	73	6.58	106.41	-	146.19	
20	डब्ल्यूएसएस एससी जोगियां मोहल्ला	234.00	-	2011-12	2017-18	88	4.00	166.46	-	190.00	
21	डब्ल्यूएसएस ड्यानी	204.11	-	2008-09	2016-17	76	16.00	204.11	-	267.17	
22	डब्ल्यूएसएस पापर	191.90	-	2011-12	2018-19	92	43.02	201.89	-	220.00	
23	डब्ल्यूएसएस बगूना	234.00	-	2013-14	2018-19	90	73.40	234.00	-	261.12	
24	डब्ल्यूएसएस काथर	161.21	-	2011-12	2012-13	87	33.84	164.99	-	189.75	
25	टी/ वैल धोलियां चालू करना	131.70	-	2011-12	2016-17	88	90.60	132.69	-	151.45	
26	डब्ल्यूएसएस रंदवाल	112.62	-	2007-08	2012-13	84	22.56	198.82	-	236.00	

परिशिष्ट-IX-(जारी)

सरकार की प्रतिबद्धताएं-₹1 करोड़ या अधिक लागत वाले अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची

क्र.सं.	परियोजना/ कार्य का नाम	कार्य की लागत	संस्वीकृति की दिनांक	प्रारंभ करने का वर्ष	लक्ष्य पूरा करने का वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत में प्रगामी व्यय	लंबित भुगतान	संशोधित लागत (यदि कोई हो)/ संशोधन की दिनांक	स्थिति
(₹लाख में)											
(ख) पीएचई विभाग, जम्मू:- (जारी)											
जलापूर्ति योजनाएं-(जारी)											
27	डब्ल्यूएसएस तंदयारी-I	249.00	13.09.2018	2006-07	2018-19	86	32.76	248.99	-	290.36	
28	डब्ल्यूएसएस टोल्डी	180.00	-	2010-11	2018-19	82	5.00	180.00	-	220.00	
29	डब्ल्यूएसएस जगनू	234.10	-	2006-07	2016-17	62	0.00	234.10	-	379.38	
30	डब्ल्यूएसएस महानी	137.75	-	2007-08	2018-19	60	50.00	195.53	-	325.00	
31	डब्ल्यूएसएस रथियान	375.00	06.10.2018	2012-13	2018-19	49	124.14	335.00	-	688.90	
32	डब्ल्यूएसएस नक्की खून	250.00	25.04.2018	2011-12	2018-19	85	37.90	249.99	-	295.19	
33	डब्ल्यूएसएस कोसर	190.00	06.10.2018	2012-13	2018-19	55	42.14	189.98	-	344.49	
34	डब्ल्यूएसएस सेनाबती	227.27	-	2006-07	2018-19	97	30.52	220.94	-	227.27	
35	डब्ल्यूएसएस कसकूत ज़निहाल	116.90	24.07.2018	2011-12	2018-19	91	29.67	105.90	-	116.90	
36	डब्ल्यूएसएस शेनार बैकोट	130.10	08.08.2018	2011-12	2018-19	85	26.56	111.10	-	130.10	
37	डब्ल्यूएसएस चंगिलू	174.14	-	2009-10	2018-19	86	50.36	149.13	-	174.14	
38	डब्ल्यूएसएस कांगा परमोट	302.64	06.10.2018	2007-08	2018-19	98	52.49	297.98	-	302.64	-
39	डब्ल्यूएसएस चीचा दछन	177.50	08.08.2018	2003-04	2018-19	82	52.67	145.29	-	177.50	

परिशिष्ट-IX-(जारी)

सरकार की प्रतिबद्धताएं-₹1 करोड़ या अधिक लागत वाले अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची

क्र.सं.	परियोजना/ कार्य का नाम	कार्य की लागत	संस्वीकृति की दिनांक	प्रारंभ करने का वर्ष	लक्ष्य पूरा करने का वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत में प्रगामी व्यय	लंबित भुगतान	संशोधित लागत (यदि कोई हो)/ संशोधन की दिनांक	स्थिति
(₹लाख में)											
(ख) पीएचई विभाग, जम्मू:- (समाप्त)											
जलापूर्ति योजनाएं- (समाप्त)											
40	डब्ल्यूएसएस पलमर	359.10	29.02.2017	2000-01	2018-19	94	69.81	339.05	-	359.10	
41	डब्ल्यूएसएस मास्सुगढ़	229.00	06.09.2018	2010-11	2018-19	90	71.85	205.83	-	229.00	
42	डब्ल्यूएसएस मचैल लहासिनी	191.38	08.03.2008	2009-10	2018-19	88	46.53	168.38	-	191.38	
43	डब्ल्यूएसएस जेबबर ढांका	166.06	-	2011-12	2012-13	82	28.67	136.10	-	166.06	
44	डब्ल्यूएसएस दोघनी (बैद गाला)	160.76	-	2010-11	2012-13	79	22.50	126.77	-	160.76	
(ग) ईएम एवं आरई विभाग, जम्मू-											
1	33/11 केवी रिसेविंग स्टेशन का निर्माण, डंग केरी, राजौरी	400.58	2014-15	2014-15	2018-19	71	50.00	283.95	-	-	जारी
2	क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों/ पावर ट्रांसफार्मरों की मरम्मत	150.00	2018-19	2018-19	2018-19	92	138.16	138.16	-	-	जारी
(घ) आर एंड बी विभाग, जम्मू-											
1	सखी मैदान कलाई रोड 11 से 19 किमी, तहसील मेंधर का सुधार/ उन्नयन	313.00	2016-17	2016-17	2017-18	95	139.12	256.12	-	-	-
2	मंदकबास से त्राना तक का रोड़ निर्माण	604.00	2014-15	2012-13	2015-16	30	13.55	286.12	-	-	-

परिशिष्ट-IX-(समाप्त)

सरकार की प्रतिबद्धताएं-₹1 करोड़ या अधिक लागत वाले अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची

क्र.सं.	परियोजना/ कार्य का नाम	कार्य की लागत	संस्वीकृति की दिनांक	प्रारंभ करने का वर्ष	लक्ष्य पूरा करनेका वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत में प्रगामी व्यय	लंबित भुगतान	संशोधित लागत (यदि कोई हो)/ संशोधन की दिनांक	स्थिति
(₹लाख में)											
(घ) आर एण्ड बी विभाग, जम्मू- (समाप्त)											
3	आरसीसी पुल शामबरन से दसकल अखनूर बस स्टैंड से होते हुए और पन्नू चौक तथा संबद्ध लिंक को जोड़ती हुई सड़क का उन्नयन/ सुधार	2000.00	2018-19	2018-19	2018-19	-	-	-	-	-	-
4	भारत केशवन सड़क का निर्माण एवं उन्नयन	1790.00	2013-14	2016-17	2016-17	-	-	-	-	-	-
(ड.) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग, जम्मू											
1	अज्जपुर ट्रेवा एलआईएस का निर्माण	255.00	2003-04	2003-04	2018-19	50	-	255.00	-	-	-

परिशिष्ट-X

वेतन और गैर वेतन भाग के वर्गीकरण के साथ अनुरक्षण व्यय
(रुलाख में)

अनुदान सं.	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष	विवरण	व्यय के घटक		
				वेतन	गैर-वेतन	कुल
व्यय शीर्ष (राजस्व शीर्ष)-						
01	सामान्य प्रशासन	2012-03-090-023	रखरखाव और मरम्मत	-	7.63	7.63
		2051-00-102-023	रखरखाव और मरम्मत	-	1.27	1.27
		2052-00-090-023	रखरखाव और मरम्मत	-	6.89	6.89
		3452-80-001-023	रखरखाव और मरम्मत	-	5,76.60	5,76.60
		कुल सामान्य प्रशासन		-	5,92.39	5,92.39
02	गृह	2055-00-001-363-023	रखरखाव की आउटसोर्सिंग रखरखाव और मरम्मत	9.39	10,07.27	10,16.66
		2055-00-101-023	मजदूरी	0.59	-	0.59
		2055-00-109-025-023	मजदूरी रखरखाव और मरम्मत	10.57	3.44	14.01
		2055-00-117-023	रखरखाव और मरम्मत	-	29,59.52	29,59.52
		2056-00-001-023	रखरखाव और मरम्मत	-	9.88	9.88
		2056-00-101-023	रखरखाव और मरम्मत	-	1,39.99	1,39.99
		2070-00-107-023	रखरखाव और मरम्मत	-	1.50	1.50
		2235-02-001-023	रखरखाव और मरम्मत	-	6.20	6.20
		कुल गृह		20.55	41,27.80	41,48.35
03	योजना एवं विकास	3454-02-112-363	रखरखाव की आउटसोर्सिंग	14.76	-	14.76
		कुल योजना एवं विकास		14.76	-	14.76

परिशिष्ट-X-(जारी)

वेतन और गैर वेतन भाग के वर्गीकरण के साथ अनुरक्षण व्यय

(रुलाख में)

अनुदान सं.	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष	विवरण	व्यय के घटक		
				वेतन	गैर-वेतन	कुल
व्यय शीर्ष (राजस्व शीर्ष)-(जारी)						
04	सूचना	2220-60-001-023	रखरखाव और मरम्मत	-	7.97	7.97
		कुल सूचना		-	7.97	7.97
05	लद्दाख मामले	2575-02-334-025-023	मज़दूरी	0.07	2,99.76	2,99.83
		2575-02-670-023	रखरखाव और मरम्मत	-	18.44	18.44
		कुल लद्दाख मामले		0.07	3,18.20	3,18.27
06	विद्युत विकास	2801-05-001-023	रखरखाव और मरम्मत	-	3,83.14	3,83.14
		2801-05-602-023	रखरखाव और मरम्मत	-	1,45.78	1,45.78
		2801-05-603-023	रखरखाव और मरम्मत	-	60.00	60.00
		2801-05-60-023	रखरखाव और मरम्मत	-	1,10.00	1,10.00
		2801-05-605-363-023	रखरखाव की आउटसोर्सिंग रखरखाव और मरम्मत	3.39	1,11.65	1,15.04

परिशिष्ट-X-(जारी)

वेतन और गैर वेतन भाग के वर्गीकरण के साथ अनुरक्षण व्यय

(रुलाख में)

अनुदान सं	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष	विवरण	व्यय के घटक		
				वेतन	गैर-वेतन	कुल
व्यय शीर्ष (राजस्व शीर्ष)-(जारी)						
06	विद्युत विकास-(जारी)	2801-05-606-023	रखरखाव और मरम्मत	-	1,13.21	1,13.21
		2801-05-607-023	रखरखाव और मरम्मत	-	1,24.45	1,24.45
		2801-05-609-023	रखरखाव और मरम्मत	-	59.26	59.26
		2801-05-610-023	रखरखाव और मरम्मत	-	20.14	20.14
		2801-06-001-023	रखरखाव और मरम्मत	-	18.95	18.95
		2801-06-611-023	रखरखाव और मरम्मत	-	8,02.16	8,02.16
		2801-06-612-363-023	रखरखाव की आउटसोर्सिंग रखरखाव और मरम्मत	70.26	1,89.41	2,59.67
		2801-06-613-023	रखरखाव और मरम्मत	-	77.30	77.30
		2801-06-614-023	रखरखाव और मरम्मत	-	2,00.05	2,00.05
		2801-06-615-363-023	रखरखाव की आउटसोर्सिंग रखरखाव और मरम्मत	28.77	2,44.95	2,73.72

परिशिष्ट-X-(जारी)

वेतन और गैर वेतन भाग के वर्गीकरण के साथ अनुरक्षण व्यय

(रुलाख में)

अनुदान सं	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष	विवरण	व्यय के घटक		
				वेतन	गैर-वेतन	कुल
06	विद्युत विकास- (जारी)	2801-06-616-023	रखरखाव और मरम्मत	-	74.94	74.94
		2801-06-617-023	रखरखाव और मरम्मत	-	75.00	75
		2801-06-618-023	रखरखाव और मरम्मत	-	12,72.80	12,72.80
		2801-06-619-023	रखरखाव और मरम्मत	-	60.00	60.00
		2801-06-620-363-025-023	रखरखाव की आउटसोर्सिंग मजदूरी रखरखाव और मरम्मत	2.46	61.17	63.63
		2801-06-621-363-023	रखरखाव की आउटसोर्सिंग रखरखाव और मरम्मत	1.26	1,84.71	1,85.97
		2801-06-622-023	रखरखाव और मरम्मत	-	64.73	64.73
		2801-06-623-023	रखरखाव और मरम्मत	-	1,14.66	1,14.66
		2801-06-624-023	रखरखाव और मरम्मत	-	1,34.49	1,34.49
		2801-06-625-023	रखरखाव और मरम्मत	-	68.21	68.21

परिशिष्ट-X-(जारी)

वेतन और गैर वेतन भाग के वर्गीकरण के साथ अनुरक्षण व्यय

(रुलाख में)

अनुदान स.	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष	विवरण	व्यय के घटक		
				वेतन	गैर-वेतन	कुल
व्यय शीर्ष (राजस्व शीर्ष)-(जारी)						
06	विद्युत विकास- (समाप्त)	2801-06-626-363-023	रखरखाव की आउटसोर्सिंग रखरखाव और मरम्मत	1.43	87.87	89.30
		2801-06-627-023	रखरखाव और मरम्मत	-	3,43.38	3,43.38
		2801-06-628-023	रखरखाव और मरम्मत	-	1,07.50	1,07.50
		2801-06-629-023	रखरखाव और मरम्मत	-	1,16.42	1,16.42
		2801-06-630-023	रखरखाव और मरम्मत	-	1,39.02	1,39.02
		2801-06-633-363-023	रखरखाव की आउटसोर्सिंग रखरखाव और मरम्मत	1.57	60.37	61.94
		2801-80-001-023	रखरखाव और मरम्मत	-	17.58	17.58
		2801-80-004-023	रखरखाव और मरम्मत	-	3.21	3.21
		कुल विद्युत विकास		1,09.14	56,46.51	57,55.65
07	शिक्षा	2202-01-101-023	रखरखाव और मरम्मत	-	1.38	1.38
		2202-01-104-023	रखरखाव और मरम्मत	-	12.54	12.54
		2202-02-001-023	रखरखाव और मरम्मत	-	6.20	6.20
		2202-80-003-023	रखरखाव और मरम्मत	-	0.74	0.74
		कुल शिक्षा		-	20.86	20.86

परिशिष्ट-X-(जारी)

वेतन और गैर वेतन भाग के वर्गीकरण के साथ अनुरक्षण व्यय

(रूलाख में)

अनुदान स.	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष	विवरण	व्यय के घटक		
				वेतन	गैर-वेतन	कुल
व्यय शीर्ष (राजस्व शीर्ष)-(जारी)						
08	वित्त	2039-00-001-025-023	मजदूरी रखरखाव और मरम्मत	0.10	12.38	12.48
		2043-00-001-023	रखरखाव और मरम्मत	-	82.43	82.43
		2054-00-003-363-023	रखरखाव की आउटसोर्सिंग रखरखाव और मरम्मत	0.32	5.66	5.98
		2054-00-095-023	रखरखाव और मरम्मत	-	1.70	1.70
		2054-00-097-363-023	रखरखाव की आउटसोर्सिंग रखरखाव और मरम्मत	0.87	76.11	77.25
		2054-00-098-023	रखरखाव और मरम्मत	-	0.04	0.04
		2054-00-800-025	मजदूरी रखरखाव और मरम्मत	0.14	-	0.14
		कुल वित्त		1.43	1,78.32	1,79.75
09	संसदीय मामले	2011-02-103-363-023	रखरखाव की आउटसोर्सिंग रखरखाव और मरम्मत	5.02	56.55	61.57
		कुल संसदीय मामले		5.02	56.55	61.57
10	विधि	2014-00-102-023	रखरखाव और मरम्मत	-	50.09	50.09
		2014-00-105-025-023	मजदूरी रखरखाव और मरम्मत	0.70	6.92	7.62
		2015-00-102-023	रखरखाव और मरम्मत	-	15.47	15.47
		कुल विधि		0.70	72.48	73.18

परिशिष्ट-X-(जारी)

वेतन और गैर वेतन भाग के वर्गीकरण के साथ अनुरक्षण व्यय
(रुलाख में)

अनुदान स.	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष	विवरण	व्यय के घटक		
				वेतन	गैर-वेतन	कुल
व्यय शीर्ष (राजस्व शीर्ष)-(जारी)						
11	उद्योग एवं वाणिज्य	2851-00-001-023	रखरखाव और मरम्मत	-	0.36	0.36
		2851-00-101-023	रखरखाव और मरम्मत	-	0.07	0.07
		2851-00-102-023	रखरखाव और मरम्मत	-	5.29	5.29
		2851-00-103-023	रखरखाव और मरम्मत	-	3.21	3.21
		2851-00-104-025-023	मज़दूरी रखरखाव और मरम्मत	0.04	1.77	1.81
		2853-02-001-363-025-023	रखरखाव की आउटसोर्सिंग मज़दूरी रखरखाव और मरम्मत	1.43	3.12	4.55
	कुल उद्योग एवं वाणिज्य			1.47	13.82	15.29
12	कृषि	2029-00-800-023	रखरखाव और मरम्मत	-	0.23	0.23
		2401-00-001-025-023	मज़दूरी रखरखाव और मरम्मत	0.11	4.98	5.09
		2401-00-104-023	रखरखाव और मरम्मत	-	50.13	50.13
		2401-00-119-363	रखरखाव की आउटसोर्सिंग	0.90	-	0.90
		2402-00-101-023	रखरखाव और मरम्मत	-	0.62	0.62

परिशिष्ट-X-(जारी)

वेतन और गैर वेतन भाग के वर्गीकरण के साथ अनुरक्षण व्यय

(रुलाख में)

अनुदान स.	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष	विवरण	व्यय के घटक		
				वेतन	गैर-वेतन	कुल
व्यय शीर्ष (राजस्व शीर्ष)-(जारी)						
12	कृषि-(समाप्त)					
		2406-02-001-023	रखरखाव और मरम्मत	-	1,32.55	1,32.55
		2406-02-112-023	रखरखाव और मरम्मत	-	2.58	2.58
		2435-01-102-363	रखरखाव की आउटसोर्सिंग	1.32	-	1.32
		2705-00-602-023	रखरखाव और मरम्मत	-	2.00	2.00
		2705-00-603-025-023	मजदूरी रखरखाव और मरम्मत	0.45	2.16	2.61
		2851-00-107-363-025-023	रखरखाव की आउटसोर्सिंग मजदूरी रखरखाव और मरम्मत	20.71	0.99	21.70
		कुल कृषि		23.49	1,96.24	2,19.73
13	पशुपालन					
		2403-00-001-363	रखरखाव की आउटसोर्सिंग	0.96	-	0.96
		2403-00-101-025	मजदूरी	0.82	-	0.82
		2403-00-104-363	रखरखाव की आउटसोर्सिंग	0.82	-	0.82
		2403-00-107-363	रखरखाव की आउटसोर्सिंग	0.35	-	0.35
		कुल पशुपालन		2.95	-	2.95

परिशिष्ट-X-(जारी)

वेतन और गैर वेतन भाग के वर्गीकरण के साथ अनुरक्षण व्यय

(रूलाख में)

अनुदान सं.	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष	विवरण	व्यय के घटक		
				वेतन	गैर-वेतन	कुल
व्यय शीर्ष (राजस्व शीर्ष)-(जारी)						
14	राजस्व	2506-00-102-025-363	मज़दूरी रखरखाव की आउटसोर्सिंग	34.70	-	34.70
		कुल राजस्व		34.70	-	34.70
15	उपभोक्ता मामले और लोक वितरण	2408-01-001-025-363-023	रखरखाव की आउटसोर्सिंग मज़दूरी रखरखाव और मरम्मत	7.18	29.46	36.64
		कुल उपभोक्ता मामले और लोक वितरण		7.18	29.46	36.64
16	लोक निर्माण	2059-80-001-363-025-023	रखरखाव की आउटसोर्सिंग मज़दूरी रखरखाव और मरम्मत	17.98	26,05.77	26,23.75
		2216-01-700-023	रखरखाव और मरम्मत	-	7,71.80	7,71.80
		3054-80-001-025-023	मज़दूरी रखरखाव और मरम्मत	12.70	94,12.88	94,25.58
		कुल लोक निर्माण		30.68	1,27,90.45	1,28,21.13
17	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा	2210-01-001-363-023	रखरखाव की आउटसोर्सिंग रखरखाव और मरम्मत	0.41	2,23.38	2,23.79
		2210-01-104-023	रखरखाव और मरम्मत	-	8.45	8.45
		2210-01-110-363-023	रखरखाव की आउटसोर्सिंग रखरखाव और मरम्मत	79.67	15,06.37	15,86.04
		2210-02-101-023	रखरखाव और मरम्मत	-	3.34	3.34
		2210-03-103-363-025-023	रखरखाव की आउटसोर्सिंग मज़दूरी रखरखाव और मरम्मत	11.88	24.37	36.25

परिशिष्ट-X-(जारी)

वेतन और गैर वेतन भाग के वर्गीकरण के साथ अनुरक्षण व्यय

(रूलाख में)

अनुदान सं.	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष	विवरण	व्यय के घटक		
				वेतन	गैर-वेतन	कुल
व्यय शीर्ष (राजस्व शीर्ष)-(जारी)						
17	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा-(समाप्त)	2210-03-110-363-025-023	रखरखाव की आउटसोर्सिंग मज़दूरी रखरखाव और मरम्मत	17.29	5.05	22.34
		2210-05-105-363-025-023	रखरखाव की आउटसोर्सिंग मज़दूरी रखरखाव और मरम्मत	2,86.01	8,98.66	11,84.67
		2210-06-101-363-025-023	रखरखाव की आउटसोर्सिंग मज़दूरी रखरखाव और मरम्मत	2.48	4.66	7.15
		2210-06-102-023	रखरखाव और मरम्मत	-	2.31	2.31
		2210-06-104-363-023	रखरखाव की आउटसोर्सिंग रखरखाव और मरम्मत रखरखाव और मरम्मत	1.35	7.32	8.67
		2210-06-107-023	रखरखाव और मरम्मत	-	10.68	10.68
		2210-06-112-023	रखरखाव और मरम्मत			
		2210-06-800-363	रखरखाव की आउटसोर्सिंग			
	कुल स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा			3,99.09	26,94.59	30,93.68
18	सामाजिक कल्याण	2225-03-102-363-025-023	रखरखाव की आउटसोर्सिंग मज़दूरी रखरखाव और मरम्मत	8.24	4.81	13.05
		2225-80-800-023	रखरखाव और मरम्मत	-	0.38	0.38
		2235-02-001-023	रखरखाव और मरम्मत	-	0.20	0.20
		2235-02-101-023	रखरखाव और मरम्मत	-	0.11	
		2235-02-102-023	रखरखाव और मरम्मत	-	0.34	0.34

परिशिष्ट-X-(जारी)

वेतन और गैर वेतन भाग के वर्गीकरण के साथ अनुरक्षण व्यय

(रुलाख में)

अनुदान सं.	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष	विवरण	व्यय के घटक		
				वेतन	गैर-वेतन	कुल
व्यय शीर्ष (राजस्व शीर्ष)-(जारी)						
18	सामाजिक कल्याण-(समाप्त)	2235-02-103-023	रखरखाव और मरम्मत	-	0.83	0.83
	कुल सामाजिक कल्याण			8.24	6.67	14.91
19	आवास और शहरी विकास	2217-03-001-023	रखरखाव और मरम्मत	-	9.79	9.79
		2217-03-800-025	मजदूरी	5.11	-	5.11
		2217-05-001-363	रखरखाव की आउटसोर्सिंग	12.95	-	12.95
		2217-80-001-023	रखरखाव और मरम्मत	-	2,01.38	
	कुल आवास और शहरी विकास			18.06	2,11.17	2,29.23
20	पर्यटन	3452-01-101-023	रखरखाव और मरम्मत	-	63.12	63.12
		3452-01-102-023	रखरखाव और मरम्मत	-	96.92	96.92
		3452-01-800-023	रखरखाव और मरम्मत	-	8.41	8.41
		3452-80-800-023-025-363	रखरखाव की आउटसोर्सिंग मजदूर रखरखाव और मरम्मत	51.80	4.09	55.89
		3452-80-001-025-023	मजदूरी रखरखाव और मरम्मत	6.19	1,04.75	1,10.94
		3452-80-104-023	रखरखाव और मरम्मत	-	28.74	28.74
	कुल पर्यटन			57.99	3,06.03	3,64.02
21	वन	2402-00-001-363-023	रखरखाव की आउटसोर्सिंग रखरखाव और मरम्मत	1.41	5.36	6.77

परिशिष्ट-X-(जारी)

वेतन और गैर वेतन भाग के वर्गीकरण के साथ अनुरक्षण व्यय

(रुलाख में)

अनुदान सं.	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष	विवरण	व्यय के घटक		
				वेतन	गैर-वेतन	कुल
व्यय शीर्ष (राजस्व शीर्ष)-(जारी)						
21	वन-(समाप्त)	2402-00-102-025-023-326	मज़दूरी रखरखाव और मरम्मत भवनों का रखरखाव	2.13	1.51	3.64
		2406-01-001-025-023	मज़दूरी रखरखाव और मरम्मत	53.25	2.40	55.65
		2406-01-004-023	रखरखाव और मरम्मत	-	5.14	5.14
		2406-01-070--023	रखरखाव और मरम्मत	-	48.46	48.46
		2406-01-102-023	रखरखाव और मरम्मत	-	15.54	15.54
		2406-02-110-326-363-023	रखरखाव की आउटसोर्सिंग रखरखाव और मरम्मत	2.10	5.64	7.74
		3435-04-800-023	रखरखाव और मरम्मत	-	1.06	1.06
		कुल वन		58.89	85.11	1,44.00
22	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	2700-01-001-023	रखरखाव और मरम्मत	-	1,15.63	1,15.63
		2701-04-001-023	रखरखाव और मरम्मत	-	6,77.89	6,77.89
		2701-04-612-023	रखरखाव और मरम्मत	-	1,96.80	1,96.80
		2702-80-001-023	रखरखाव और मरम्मत	-	14,77.61	14,77.61

परिशिष्ट-X-(जारी)

वेतन और गैर वेतन भाग के वर्गीकरण के साथ अनुरक्षण व्यय

(रुलाख में)

अनुदान सं.	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष	विवरण	व्यय के घटक		
				वेतन	गैर-वेतन	कुल
व्यय शीर्ष (राजस्व शीर्ष)-(जारी)						
22	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण- (समाप्त)	2711-01-001-023	रखरखाव और मरम्मत	-	13,62.41	13,62.41
	कुल सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण			-	38,30.34	38,30.34
23	लोक-स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी	2215-01-001-023	रखरखाव और मरम्मत	-	26,73.55	26,73.55
	कुल लोक स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी			-	26,73.55	26,73.55
24	आतिथ्य एवं प्रोटोकॉल	2070-00-800-023	रखरखाव और मरम्मत	-	99.02	99.02
		2216-05-001-025-023	मजदूरी रखरखाव और मरम्मत	23.90	1,44.49	1,68.39
		2216-05-053-023	रखरखाव और मरम्मत	-	47,44.00	47,44.00
	कुल आतिथ्य एवं प्रोटोकॉल			23.90	49,87.51	50,11.41
25	लेखन-सामग्री एवं मुद्रण	2058-00-103-023	रखरखाव और मरम्मत	-	25.95	25.95
		2230-01-001-023	रखरखाव और मरम्मत	-	1.39	1.39
	कुल लेखन-सामग्री एवं मुद्रण			-	27.34	27.34
26	मत्स्य पालन	2405-00-001-023	रखरखाव और मरम्मत	-	61.91	61.91
	कुल मत्स्य पालन			-	61.91	61.91
27	उच्चतर शिक्षा	2203-00-001-363	रखरखाव की आउटसोर्सिंग	-	9.50	-
	कुल उच्चतर शिक्षा			9.50	-	9.50

परिशिष्ट-X-(जारी)

वेतन और गैर वेतन भाग के वर्गीकरण के साथ अनुरक्षण व्यय
(रुलाख में)

अनुदान सं.	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष	विवरण	व्यय के घटक		
				वेतन	गैर-वेतन	कुल
व्यय शीर्ष (राजस्व शीर्ष)-(समाप्त)						
28	ग्रामीण विकास	2501-01-800-025	मज़दूरी	3.88	-	3.88
		2515-00-001-023	रखरखाव और मरम्मत	-	96.05	96.05
		2515-00-102-363-025-023	रखरखाव की आउटसोर्सिंग मज़दूरी रखरखाव और मरम्मत	11.11	34.38	45.49
		कुल ग्रामीण विकास			14.99	130.43
29	परिवहन	2041-00-001-023	रखरखाव और मरम्मत	-	3.97	3.97
	कुल परिवहन			-	3.97	3.97
30	जनजाती मामले	2225-03-102-023	रखरखाव और मरम्मत	-	4.86	4.86
	कुल जनजाती मामले			-	4.86	4.86
31	संस्कृति	2205-00-104-023	रखरखाव और मरम्मत	-	14.54	14.54
		2205-00-105-025-363	मज़दूरी रखरखाव की आउटसोर्सिंग	21.65	-	21.65
		कुल संस्कृति			21.65	14.54
32	बागवानी	2236-02-800-025-363	मज़दूरी रखरखाव की आउटसोर्सिंग	0.21	-	0.21
		2401-00-119-363-023	रखरखाव और मरम्मत रखरखाव की आउटसोर्सिंग	0.48	3.86	4.34
		2435-01-101-023	रखरखाव और मरम्मत	-	8.51	8.51
	कुल बागवानी			0.69	12.37	13.06
34	युवा सेवाएं एवं तकनीकी शिक्षा	2203-00-001-025-023	मज़दूरी रखरखाव और मरम्मत	10.01	2.01	12.02
		2204-00-001-023	रखरखाव और मरम्मत	-	1.43	1.43
	कुल युवा सेवाएं एवं तकनीकी शिक्षा			10.01	3.44	13.45
35	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	3435-04-800-023	रखरखाव और मरम्मत	-	0.37	0.37
	कुल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी			-	0.37	0.37
	कुल व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)			8,75.14	3,91,05.24	3,99,80.38

परिशिष्ट-X-(समाप्त)

वेतन और गैर वेतन भाग के वर्गीकरण के साथ अनुरक्षण व्यय

व्यय शीर्ष (राजस्व शीर्ष)-(जारी)

(रुलाख में)

अनुदान सं.	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष	विवरण	व्यय के घटक		
				वेतन	गैर-वेतन	कुल
03	योजना एवं विकास	5475-00-800-025	मजदूरी	1.97	-	1.97
	कुल योजना एवं विकास			1.97	-	1.97
11	उद्योग एवं वाणिज्य	4851-00-103-023	रखरखाव और मरम्मत	-	1.45	1.45
	कुल उद्योग एवं वाणिज्य			-	1.45	1.45
12	कृषि	4401-00-800-023	रखरखाव और मरम्मत	-	3.15	3.15
	कुल कृषि			-	3.15	3.15
17	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा	4210-04-107-023	रखरखाव और मरम्मत	-	1.00	1.00
	कुल स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा			-	1.00	1.00
21	वन	4406-02-110-023	रखरखाव और मरम्मत	-	17.40	17.40
	कुल वन			-	17.40	17.40
22	सिंचाई विभाग	4711-01-103-023	रखरखाव और मरम्मत	-	2.55	2.55
	कुल सिंचाई विभाग			-	2.55	2.55
26	मत्स्य पालन	4405-00-800-023	रखरखाव और मरम्मत	-	3,94.22	3,94.22
	कुल मत्स्य पालन			-	3,94.22	3,94.22
	कुल व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)			1.97	4,19.77	4,21.74
	व्यय शीर्ष का कुल योग (राजस्व एवं पूँजीगत लेखा)			8,77.11	3,95,25.01	4,04,02.12

परिशिष्ट-XI

वर्ष के दौरान सरकार के मुख्य नीतिगत निर्णय या बजट में प्रस्तावित नई योजनाएँ

क्र.सं.	नीतिगत निर्णय/ नई योजनाओं की प्रकृति	प्राप्ति/ व्यय/ दोनों ही	आवर्ती/ एक बार	शुद्ध नकदी प्रवाह पर आवर्ती वार्षिक अनुमानों के प्रभाव की स्थिति में		वार्षिक व्यय		वे संभावित स्रोत जिनसे नई योजना पर व्यय किया जाना है	
				निश्चित अवधि	स्थायी	राजस्व	पूंजीगत	राज्य के स्वयं के संसाधन	केंद्रीय हस्तान्तरण

राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया डाटा।

जम्मू एवं कश्मीर राज्य के प्रमुख नीतिगत निर्णय निम्नानुसार हैं:

1	2018-19 का सबसे बड़ा विकास पंचायत और नगर निगम चुनाव करवाना था। उम्मीद है कि प्रत्येक पंचायत को अपने क्षेत्र और जनसंख्या के आधार पर ₹ 20.00 लाख से ₹ 1.00 करोड़ तक की राशि मिलेगी। इसके अलावा, आईसीडीएस, मध्याह्न भोजन योजना, आईडब्ल्यूडब्ल्यूपी आदि के तहत धन भी पंचायतों के माध्यम से प्रवाहित होगा। 2019-20 के बजट अनुमानों में, पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के विकास के लिए क्रमशः ₹ 1422.00 करोड़ और ₹ 566.00 करोड़ प्रस्तावित किए गए हैं। पंचायती राज संस्थाओं के लिए लेखा सहायकों के 2000 पद सृजित करने की भी योजना है।
2	ग्रामीण विकास विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उत्कृष्ट कार्य किया है। विभाग द्वारा किए गए प्रयासों की पूर्ति के लिए, राज्य के हिस्से के तौर पर अतिरिक्त ₹ 7.00 करोड़ प्रदान किए जाएंगे। इसी प्रकार, सुदूर पहाड़ी गाँवों में गुणवत्ता वाले मार्गों के निर्माण के लिए ₹ 1.00 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे।
3	कृषि, बागवानी, पशु/ भेड़ पालन का प्राथमिक क्षेत्र अभी भी एक प्रमुख आर्थिक क्षेत्र है और तदनुसार ₹ 20.00 करोड़ रुपये कृषि क्षेत्र में बढ़ाया जाने, पशु और भेड़ पालन विभाग के लिए ₹ 4.00 करोड़, बागवानी हेतु सभी नए सीए भंडारों के लिए 50% सहायिकी तथा पुष्पकृषि विभाग की सभी गतिविधियों हेतु ₹ 9.18 करोड़ प्रस्तावित हैं।
4	बड़ी संख्या में छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए 40 नए स्नातक महाविद्यालय (डिग्री कॉलेज) खोले जाने हैं। तदनुसार ₹ 250 करोड़ का प्रस्ताव स्नातक महाविद्यालयों में अवसंरचना वृद्धि पर व्यय किया जाना है। ₹ 100.00 करोड़ का प्रस्ताव 8 लाख से अधिक बच्चों के लिए बेंच और डेस्क प्रदान करने के लिए प्रस्तावित है, जो ज़मीन पर बैठ कर पढ़ रहे हैं। उन स्कूलों को विद्युत और जल की आपूर्ति के लिए ₹ 45.00 करोड़ का प्रस्ताव है, जिनके पास ऐसी सुविधाएं नहीं हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के लिए और ईडीयूएसएटी और स्मार्ट क्लास रूम को सक्रिय करने के लिए ₹ 5.5 करोड़ प्रदान किए जाएंगे।

परिशिष्ट-XII

सरकार की प्रतिबद्ध देयताएं								
क्र.सं.	देयता की प्रकृति	देयता राशि	वे संभावित स्रोत जिनसे प्राप्त होना प्रस्तावित था			निर्वहन का संभावित वर्ष	मौजूदा वर्ष के दौरान देयताओं का निर्वहन किया गया (2018-19)	शेष राशि
			राज्य के स्वयं के संसाधन	केंद्रीय स्थानांतरण	ऋण उठाना (निर्दिष्ट करना)			
(₹करोड़ में)								
I	देय खाते							
1	विद्युत	-	-	-	-	-	-	-
2	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	-	-	-	-	-	-	-
3	टी एण्ड डी तंत्र में सुधार	-	-	-	-	-	-	-
4	छुट्टी वेतन	-	-	-	-	-	-	-
5	निर्माण	-	-	-	-	-	-	-
6	आउटसोर्सिंग और रखरखाव	-	-	-	-	-	-	-
7	आर.आर.टी	-	-	-	-	-	-	-
	कुल	-	-	-	-	-	-	-
II	केंद्र प्रायोजित योजनाओं में राज्य की हिस्सेदारी							
1	भूमि का मुआवजा	-	-	-	-	-	-	-
	कुल	-	-	-	-	-	-	-
III	गैर योजना शीर्षों की नियोजित योजनाओं के हस्तांतरण के रूप में देयताएं।							
	कुल	-	-	-	-	-	-	-
IV	अपूर्ण परियोजनाओं से उत्पन्न होने वाली देयताएं।							
1	पीएमआरपी निर्माण	-	-	-	-	-	-	-
	कुल	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट-XII-(समाप्त)

सरकार की प्रतिबद्ध देयताएं								
क्र.सं.	देयता की प्रकृति	देयता राशि	वे संभावित स्रोत जिनसे प्राप्त होना प्रस्तावित था			निर्वहन का संभावित वर्ष	मौजूदा वर्ष के दौरान देयताओं का निर्वहन किया गया (2018-19)	शेष राशि
			राज्य स्वामित्व संसाधन	केंद्रीय स्थानांतरण	ऋण उठाना (निर्दिष्ट करना)			
(₹करोड़ में)								
V	अन्य/विविध							
1	भूमि अधिग्रहण प्रभार	25,14.98	-	-	-	-	-	25,14.98
2	निर्माण और आपूर्ति पर अदत्त बिल	12,06.50	-	-	-	-	-	12,06.50
3	प्रमुख निर्माण और संविदाएं	3,19.63	-	-	-	-	-	3,19.63
	कुल	40,41.11	-	-	-	-	-	40,41.11
	कुल योग	40,41.11	-	-	-	-	-	40,41.11

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
2019
www.cag.gov.in



<http://www.agjk.nic.in>